

Rajasthan Journal of Sociology

ISSN 2249-93

Volume 8 October 2016

RSA
Rajasthan Journal of Sociology



Volume 8 • October 2016



Bilingual Journal of Rajasthan Sociological Association

Rajasthan Sociological Association

(Regd. No. 216/1973-74)

R.S.A. Website: www.rsaraj.org

Registered Office : Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur.

Office Bearers

President : S. L. Sharma (Jaipur)

Vice President : Aruna Bhargava (Jaipur)

Vice President : Susheel Tyagi (Jhunjhunu)

Secretary : Ashutosh Vyas (Chittorgarh)

Joint Secretary : Anju Beniwal (Udaipur)

Treasurer : Mahesh Nawaria (Jaipur)

Members

Tribhu Nath Dubey (Kota), Gaurav Gothwal (Jaipur)

Subodh Kumar (Sawai Madhopur), Lalit Kumawat (Udaipur), Deepa Mathur (Jaipur)

Manee Ram Meena (Nathdwara), Meenakshi Meena (Jodhpur), Monica Rao (Jaipur)

Prakash Sharma (Sawai Madhopur), Sumitra Sharma (Udaipur), Sudesh Tyagi (Jhunjhunu)

Editorial Board

Chief Editor : Naresh Kumar Bhargava

Co-Editors : Mridula Trivedi, Tribhu Nath Dubey

Editorial Assistance : Mridula Bairwa, Shruti Tandon

Managing Assistance : Lalit Kumawat, Manoj Rajguru

Editorial Advisory Committee

Mohan Advani (Udaipur), Aruna Bhargava (Jaipur), Rajeev Gupta (Jaipur)

S.P. Gupta (Jodhpur), Shyam Lal Jaidia (Jaipur), Gunjeet Kaur (Kota)

Sanjay Lodha (Udaipur), Indu Mathur (Jaipur), B.K. Nagla (Rohtak)

Monika Nagori (Udaipur), S.C. Rajora (Kota), C.L. Sharma (Udaipur)

K.L. Sharma (Jaipur), S.L. Sharma (Jaipur), Ashutosh Vyas (Chittorgarh)

Rajasthan Journal of Sociology is a refereed journal of Rajasthan Sociological Association. It is an annual publication. It is published in October every year. All rights are reserved except for brief quotations in scholarly works, No part of journal may be produced without permission of Rajasthan Sociological Association.

All registered members of the RSA are entitled to receive a free copy of the journal.

Subscription rates : Individual Rs. 150, Institutional Rs. 350.

ENGLISH ARTICLES

Displacement and Rehabilitation in the Context of Mining Industry	3
Mohan Advani	
The Cultural Perspective of Sanitation	14
S. K. Mishra, Prabhleen Kaur	
Student Radicalism: Post-Left Bengal	22
Anirban Banerjee	
Tribal Migration and Emergence of Female-Headed Households	29
P.C. Jain	
Struggling to Endure: The Little Tradition of Devnarayan's Phad	34
Tanmay Sharma	
Tribals and Hindu Nationalism in Context of North - East India	41
Pranjal Sarma	
Fertility Behaviour of Women and Preference for a Male Child	45
Ranjeeta Garg	

हिन्दी लेख

भारतीय समाजशास्त्र की दशा और दिशा :	52
योगेश अटल से साक्षात्कार	
मृदुला त्रिवेदी	
प्रदत्त संस्तरण : समकालीन भारत में जाति तथा उसका पुनर्स्थापन	63
सुरिंदर एस. जोघका	
अस्वीकृति के पत्र	74
इलोइसा मार्टिन	
अनुसूचित जातियों में स्तरीकरण एवं सामाजिक असमानता	80
बरदी चन्द ऐरवाल	
साम्प्रदायिकता – चित्रण एवं कथा साहित्य : राही मासूम	87
रज़ा के उपन्यासों में समाज	
मोहम्मद हुसैन डायर	
शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों का ऐतिहासिक स्वरूप	96
सुरेश चौधरी	
ग्रामीण समाज में महिला स्वास्थ्य: रक्ताल्पता के प्रश्न	105
सुनिता बोहरा	
किशोरावस्था में विचलित व्यवहार एवं उपचारात्मक प्रयास :	110
सामाजिक परिप्रेक्ष्य	
बबीता महावर	

महिला सशक्तीकरण में जनसंचार की भूमिका पूनम जोशी	117
राजस्थान में ग्रामीण विकास: एक समीक्षात्मक मूल्यांकन महेश नावरिया	124
अप्राकृतिक मृत्यु और दक्षिणी राजस्थान के भील समाज में प्रथागत व्यवहार मनीराम मीणा	130

समीक्षा लेख

आन्द्रे बेते : उच्च शिक्षा का संकट मधुसूदन त्रिवेदी	135
--	-----

BOOK-REVIEWS

Indian Society: Continuity and Change: Yogesh Atal Supriya Seth	145
Change & Continuity in Student Radicalism: Anirban Banerjee Suresh Chandra Rajora	147
Gender Discrimination and Harassment of Women at Workplace : Veena Dwivedi and Avnish Nagar (Ed.), Kirti Rajimwale	148
Teachers in the Making : A study of Profession in Education: Shruti Tandon Deepa Mathur	151
The Quest of Indian Sociology- Radhakamal Mukerjee and Our Times: Manish Thakur Monica Rao	153
Sociology and History: Dialogues towards Integration: A.M. Shah Karunakar Singh	154
Socio Economic Development of Dalit in 21st Century: Satyaveer Singh Anju Beniwal	156
विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास: राजू सिंह सी.एल. शर्मा	157
'बकर साहित्य' में जीवन-जगत, बकर पुराण: अजीत भारती त्रिभू नाथ दुबे	159

Rajasthan Sociological Association acknowledges with thanks the Indian Council of Social Science Research, New Delhi for providing publication grant for this journal.

Displacement and Rehabilitation in the Context of Mining Industry

Mohan Advani

Abstract

Some aspects of displacement, resettlement and rehabilitation of affected families from the mining associated projects and other related operations, have been analysed on bases of 11 major research projects carried out for the Hindustan Zinc Limited. It covers a period of 25 years (1989-2014), a coordinated effort of the HZL with the Samajshrastra Hindi Karya Samiti and later on with its unit, Institute of Rehabilitation and Development Studies, Udaipur. Wide range of observations have been recorded from the studies carried out at Agucha Mines, Gosunda Dam, Mansi Wakal Dam, Kayar Lead Zinc Mine, Bamnia Kalan Mines, Railway Track Line from Fatehnagar to Dariba Smelter complex, and Sindesar Khurd village. Land was required for carrying out mining operations, storage of waste material, offices and colonies, beneficiation plants, smelters, water storage dams, railway track for transportation and resettlement of oustees. It was demonstrated that sociological studies were essential for assessing the social impact and for providing social support to the affected families. Social, occupational and cultural factors were important in Resettlement and Rehabilitation Plans.

Keywords

displacement, land acquisition, resettlement and rehabilitation, socio-occupational aspects, social support, occupational guidance

Rajasthan enjoys a virtual monopoly in the production of minerals like wollastonite, lead, zinc, calcite, gypsum, rock phosphate, silver, marble, sandstone and serpentine (green marble). There are approximately 3,403 mining leases for major materials and 11,861 minor leases and 18,249 quarry licenses in the state of Rajasthan. It is the leading producer of cement grade limestone and steel grade limestone. It is largest cement producing state in India and the largest producer in north and west India. Western Rajasthan has proven large deposits of hydrocarbons and Barmer has estimated reserves of 6.5-7.2 million barrels (900-1000 million tons of crude oil equivalent). In addition, there are natural gas reserves in Jaisalmar basin and heavy oil reserves in Bikaner-Nagaur Basin (Mines, Minerals, Resurgent Rajasthan).

Hindustan Zinc Limited (HZL) is an integrated mining and resources producer of zinc, lead, silver and cadmium. It is a subsidiary of Vedanta Resources PCL. HZL is the world's second largest zinc producer. HZL operates the world's third largest open-pit mine and world's largest zinc mine in Rampura-Agucha. Other mines are located in Sindesar Khurd, Rajpura-Dariba, Kayar and Zawar, all in Rajasthan. HZL operates Zinc and Lead smelters and refineries at Chanderiya (Chittorgrah), Debari (Udaipur) and Dariba (Rajsamand) (<http://www.hzllindia.com>). Before April 2002, it was government of India public sector undertaking.

The process of mining requires land for prospecting and development of ore bodies, storage of mined ore and for dumping of waste material, land for development of water

resources for smelters and beneficiations plants, offices and courtyards, approach roads and railway tracks for transportation. As such, HZL had to acquire land for mining, development of associated facilities and resettlement of the displaced population. This is an attempt to analyze social aspects of displacement, resettlement and rehabilitation of the affected families and to delineate significance of the sociological studies which were sponsored and very well supported by the HZL.

In 1989, the Hindustan Zinc Limited took initiative to get resettlement and rehabilitation sociological studies carried out through the Samajshastra Hindi Karya Samiti, (SHKS) Udaipur and later on by a unit of the SHKS- Institute of Rehabilitation and Development Studies (IRADS). While conducting these studies there was active involvement of the HZL officials in resolving social issues. Some observations of 11 major research projects carried out from 1989 to 2014 are being reported in this paper to synthesize the experiences emerging from these projects. It reveals diverse range of conclusions that are related to land acquisition, displacement, resettlement and rehabilitation. The studies were conducted at different places in Rajasthan and social work programmes were executed at few places. The effects of displacement were identified to suggest the kind of social support that was required in process shifting and resettlement.

Generally, the people in surrounding areas of mining operations live under conditions of deprivation and hardship and face environmental hazards. In cases of evacuation because of the land acquisition, the financial compensation was given to the oustees. Along with this social occupational and cultural support was considered important. The objective of this paper is to focus on such aspects of displacement, resettlement and rehabilitation of the people affected by acquisition of land for mining industry and its related purpose. It would help in understanding the socio-economic contexts and assessing how social support helps in the process of resettlement and rehabilitation.

R & R at Rampura Agucha Mines

The study of Rampura villagers and their resettlement at Naya Rampura (Advani, 1990) provides a case where the process of evacuation and resettlement has been successfully executed. Humanitarian approach and dynamic role of officials resulted into smooth shifting of the population to a new place. This has also exhibited effective management strategy of resettlement and rehabilitation. It was observed that the social consequences would be borne by the affected population for a large number of years to come.

Rampura was mainly inhabited by Jats and Gurjars. Other castes included Mali, Ahir, Nai, Suthar, Sadhu, Bhil, Chamar, Harijan. They had different motives in acceptance of compensation and their modes of utilization were determined by their social and economic needs. It was observed that the Gurjars, Jats and Malis had relatively higher status. They were highest in caste hierarchy and they owned most of the economic resources. The settlement of compensation involved some legal disputes, which nevertheless were amicably settled before the cases came up for hearing.

The villagers were happy about the name of the resettlement site – Naya Rampura (New Rampura). They were allotted plots accorded to caste-wise pattern -- a pattern which existed in Rampura village. They were also assured employment of one family member in the HZL. The policy of persuasion, discussion with influential persons of the village and incentives helped in acceptance of compensation and their shifting to new village. When the

compensation amount was released the prices of land in surrounding areas increased. Thus it became difficult for agriculturist to buy new land; most of them deposited the amount in fixed deposits. Shifting to a new village was a social and cultural shock for many families which could not be compensated through economic benefits only. There was a great need to provide occupational training to develop a commercial market or to permit a shop in the house and to engage villagers in alternative economic pursuits. The sociological intervention was considered useful and the people could be shifted to a new location easily.

Social and Occupational Aspects at Agucha Mines

The sociological study of social and occupational aspects of rehabilitation of evacuees affected by Agucha Mines was combined with a social work programme (Advani and Sharma, 1993). This effort of action sociology focused on occupational dimensions of the evacuees of Rampura Agucha Mines; socio-economically troubled villages viz. BheruKhera, PaperKhera and Bhilon ka Khera. They also studied surrounding villages namely Agucha, Kothiyanand, Laxmipura for assessing the impact of mining activities. The study analyzed the effects of displacement on family, caste and community network, and occupational activities. Simultaneous by family counseling, occupational education and training were also carried out in the areas affected by mining activities. Socio-economic conditions of the villagers were changing due to mining activity, and the people had become more conscious about their rights. There were changes in traditional inter-caste interaction system. Leadership change revealed replacement in leadership positions of dominant caste by middle and lower caste. The agitations of evacuee villagers under the new leadership benefited them with additional compensation i.e. employment of one member of each family in the HZL. One of the counter effects of employment was breaking of joint families because those who were employed tended to form their own nuclear family.

Amongst the evacuees resettled the land-losers were affected more than the non-land losers. Illiterate people found it difficult to utilize the amount to the optimum extent. Social support provided on the basis of sociological analysis could result in better settlement of evacuees (Advani, 1995).

Displacement and Resettlement at Gosunda Dam, Chittorgarh

Gosunda Dam was constructed by the HZL to fulfil its requirement for smelter project. It was helpful for the people of Chittorgarh also. A study of the five villagers affected by the construction of Gosunda Dam and their issues connected with resettlement in new sites covered household profiles of 290 families (Advani, 1992). This focused on socio-economic background, attitudes towards shifting to new locations, utilization of compensation amount and problems in resettlement. Payments of compensation were made through cheques. Bank agents voluntarily came forward to assist at door step. More than half of the amount was utilized in the fixed deposits about 25 percent amount was invested in procuring agricultural land. Majority of Kumawats (mostly masons) from Panch Devla and Sarlai were first to invest on construction of new houses at Sukhwara. There was a trend of buying vehicles of different kind. Some rationally purchased agricultural equipment and some opened shops and started trading. One Harijan started business of pigs. Lower castes spent more money on daily needs. Higher castes invested gold and silver ornaments. Scheduled Castes and Tribes cleared their debts. Higher caste made more expenditure on social ceremonies. The influence of caste was visible on utilization of compensation.

There were some conflicts between new settlers and old settled villagers for naming of community centre and new temple; for movement from new areas to old areas for defecating in fields, and cattle grazing; and for use of newly installed water tank and other facilities. However these were gradually resolved because of the inter-caste linkages. There were demands that similar facilities should be extended to the evacuees of all the five villages and payment should be made for transportation. It was difficult for them to maintain cattle and domestic animals in new locations. There was great need to pay attention on women and weaker section.

Total population of the five villages which were to be evacuated because of submergence, was 2052 (male 1041; female 1011). There were 116 widows/widowers. Sixty percent were joint families; majority of them were engaged in agriculture. Child marriages were widespread. HZL provided adequate compensation and also allotted free plots in four resettlement villages with constructed boundaries along with community facilities. Payment of compensation was started from three smaller villages where there were lesser problems. Later on, the agreement was signed for two remaining villages, where there were more agitations. The controversies existed for non payment of compensation for cattle places (Bada) and unauthorized land. There were tensions because of the submergence of temples, Devras and religious places.

Traditional social structure and systemic linkages were shattered more in two villages (Panch Devla and Roopa Kheri), from where there was larger quantum of movement. Traditional social structure of village Hazoorpura remained intact as Jat leaders exercised their age-old authority. Village Jetpura Khurd was mainly divided in two parts with the departure of lower castes to a nearby village (Delwas). Traditional Gawaris (Congregation of 8 -10 families) were wrecked in village Sarlai. Evacuation and resettlement disturbed the traditional settlement pattern.

Three areas of needed social work were identified as (i) assistance in shifting from old villages to new localities (ii) counseling in family and social tensions and (iii) providing education for alternative employment and job opportunities. Attention on these areas combined with religious discourses, cultural programmes and medical camps at new locations accelerated the process of shifting. Because agricultural land was acquired, guidance for alternative occupations helped in resettlement of the oustees. The impacts of the social, occupational and cultural inputs were recognized at all levels. Latently, the approach helped in resolving tensions and keeping the affected population cool.

Socio-Occupational Aspects at Gosunda Dam

During the second study at Gosunda Dam (Advani, 1993) more attention was paid on occupational guidance and rehabilitation aspects. Evacuees were engaged in alternative occupations e.g. poultry farming, fisheries, sheep breeding, dairy farming and construction activities. This experiment of guidance and assistance for alternative occupations was proved as gearing up input in rehabilitation process. Traditionally, the people of all the five villages under evacuation were mainly agriculturists and engaged in caste occupations. Main crops of the area were wheat, maize, barley, opium, pulses, oilseeds and vegetables majority of the farmers could continue cultivating on acquired land as it was not fully submerged. Those who were engaged in caste occupations had changed or modernized their nature of work. The Rajput, Kumawat, Jat and Gurjar explored new avenues. The Bhoi took much

interest in fisheries. Training was imparted for different occupations. It was observed that during the critical times, people come forward to learn about new ways of cultivation and subsidiary occupations. Women also take responsibility and support the family by doing tailoring and other works.

Considerable attention was paid on resettlement and rehabilitation of the people affected by displacement. Thus the process which many a times adversely affected the families was channelized towards a direction of fruitful results through social support. This was possible through extending help in the process of shifting, resolving social conflicts and occupational guidance and training. It was evident that socio-cultural inputs and attention on occupational aspects of the people and providing social support to the oustees helps in processes of rehabilitation.

The Mansi Wakal Dam, Udaipur District

HZL participated in the construction of the Mansi Wakal Dam for supplementing water to Udaipur Lakes and for augmenting water supply to its Smelter at Debari and its nearby units. The construction was delayed for about 12 years because of the agitations of a group of NGOs. Accordingly Advani and Jhala (1993) identified the problems of affected households of the six villages of the submergence area. Majority of the people were tribals and their livelihood depended on the forests. A few higher caste families who were cultivating on Devasthan land and whose land was to be acquired, mobilized tribal people and restricted the entry of officials and researchers in the area. The main demands of the agitating leaders and the affected families were as under:

- The rate of compensation should be determined according to present value of agricultural land and nature of houses. Land should be allotted in lieu of acquired agricultural land. Compensation should be paid for trees and other losses.
- A survey of the land and property to be acquired should be conducted again in the presence of local leadership.
- A resettlement and rehabilitation plan should be drawn out indicating the alternative site of resettlement of evacuees, construction of new houses for them, and also of the temples and Devras. New resettlement localities should have educational and health facilities.
- Compensation should be paid to those who have been cultivating on government forest land or Devasthan land or alternative land should be allotted to them on similar terms and conditions of possession of the lands. They should be given compensation for the losses to be suffered by them because of shifting. Their problem could be resolved by payment of adequate compensation also.
- A provision should be made for a share of water for the local requirement for irrigation and drinking water.
- Evacuees should be allowed fish-farming the dam waters. They should be guided for alternative occupations and provided assistance in seeking employment or establishing business.
- Local people should be employed as labour in construction of the dam.

On the basis of demands and conditions of the affected families, there was a need to draw out a comprehensive rehabilitation plan for resettlement of the evacuees that could meet their needs. In the absence of such plan, the agitations and protests continued. The execution of the project was delayed.

Sociological Study and Social Work at Mansi Wakal Dam

A socio-economic study combined with a social work programme was carried out in six villages which were to be affected because of the construction of Mansi Wakal Dam (Advani, Jhala and Singh, 1999). In the initial stage, it was opposed by local NGOs; they argued that they will not allow outsiders to conduct surveys. Yet, focus group discussions and seminars provided valuable information. Appointment of some investigators from the affected areas helped in collection of data. In order to get cooperation of the villagers their occupational needs were assessed. Females joined tailoring classes; a list of persons who were interested in fish farming was drawn. Other occupational avenues were also explored. Some persons who had accepted compensation were apprehensive that they may be asked to return the amount if the dam was not constructed. They felt that the compensation was much lower than their expectation and it would be difficult for them to purchase alternative land. The welfare approach recommended by the studies helped in increasing the amount of solatium and other benefits.

The villagers continued to demand land for land in lieu of their acquired land. They also wanted resettlement localities to be identified and communicated. They were concerned about their possession of government forest and Devasthan land. Because of the support from outside leaders and conflicts between ruling and opposition parties, the implementation of the project was delayed.

SES and R & R Plan of Kayar Lead Zinc Mine at Ajmer

Socio-economic study and Resettlement and Rehabilitation Plan of Kayar Lead Zinc Mine of HZL at Ajmer (Advani & Singh, 2007) revealed that 93 landowners were to be displaced (referred as land oustees) and among them 51 residing in village were referred as homestead oustees. Village population was divided almost equally in Hindu and Muslim households. The caste wise structure showed inhabitation of Gurjar, Rawat, Lohar, Mali, Rajput, Regar, Bhand and Harijan. Majority of scheduled caste and poor students studied in government school. Five self-help groups were successfully operating in the village. The villagers participated in the government schemes launched by the government of Rajasthan.

Over two third of all households of Kayar village were aware of the proposed project. Among these two-third households, a majority were not sure whether the proposed project will actually come up. At least 50 percent of all the households told that the project will affect the physical environment negatively. They said the HZL should take effective measures to prevent their land from being turned into a wasteland because of soil pollution.

There were significant differences between the households, which own land and which do not own land, about their liking for the project. The main reasons for this variation were less availability of cultivable lands and non availability of irrigation facilities. For small and marginal farmers, the agriculture was not economically viable. The landless families that accounted to about 40 percent of the total households, perceived the project as wage labour providing opportunity. The landless were struggling to earn a livelihood from agriculture. As the wages for labour were low, the proposed project was conceived as a good venture. On the other hand, a few landowners who exercised greater authority and derived prestige by providing wage labour to some landless people, and those who were engaged in property business conceived it as undesirable. The rich persons resisted the project because they perceived that it would significantly undermine their economic, social and political network.

Many households presume that in the stages of execution and operation of the project, agriculture may not be profitable because of a hike in the wages of labour. They may like to dispose of their land for commercial purposes. On the other hand, agricultural labourers felt that many land lords who provided them wage labour opportunities may sell their land and thus may deprive them of labour opportunities in agriculture. Some of the households wanted wage job or labour in the project. Some wanted proper monetary compensation for the land. Remaining households wanted alternative land, assistance for alternative occupations and support for education of their children and if possible, jobs in the proposed project.

People knew very well that alternative land for compensation is not available in the area. Every possible inch of land is occupied and no forest area is left untouched. Even otherwise they do not want to move out of their villages. Alternative land in other parts of the Ajmer is not completely acceptable to the people as compensation. Given such an understanding, alternative land is not seriously viewed as the preferred form of compensation. But cash is viewed as an appropriate form of compensation, provided the land is valued properly and the loss of which is fully compensated. People preferred the current market price approach for the payment of compensation for the land instead of D.L.C. rates where the type of land was the basis. The self-assessment of land value was enquired from each land owning household and accordingly they might lose due to the proposed project.

Village BheruKhera (I) at Rampura Agucha Mine

The Lead Zinc Ore was being extracted by open pit mining from a depth of 170 meters. HZL planned to expand the ore production. As a result Bheru Khera (1) village which was coming closer to the danger zone was to be shifted. The socio-economic study (Advani, Sharma and Singh, 2009) covered 268 affected families which included (a) Homestead main families (b) Homestead extended families (c) Homestead absentees (d) Only plot holders (e) Repeated families (multiple units). In addition, there were community properties. Majority of the families belonged to OBC (193), followed by Scheduled Tribe (49), General (22), and Scheduled Caste (4).

Main concerns of the villagers were: (i) Adequate compensation for the acquired land, (ii) Assistance during shifting, (iii) incentives for those who evacuate the land during prescribed period (iv) Special attention for vulnerable groups (v) Training, information sharing, grievance redressal (vi) implementation strategy and schedule sharing (vii) coverage of affected families under various government scheme for poverty alleviation and income generation (viii) Formation of women's self help groups and vocational training (ix) Employment in HZL. When agricultural land is acquired people look forward to alternative avenues. They have to depend upon live stock or plan for a small business as it becomes difficult for them to buy a piece of land at other place. Their problems varied according to their socio-economic background, which have been analyzed.

Bamnia Kalan Mine Project

Socio-economic study and Resettlement and Rehabilitation Plan (Advani, Sharma, Jain, 2009) was prepared to analyze the impact of proposed Bamnia Kalan Mines, which was a satellite mines of Rajpura Dariba Mines in Rajsamand district. Although there was no direct impact on community properties but there could be appraisable impact on ground water region. The main plea for execution of the project was that it would generate direct and

indirect employment in nearby villages. The project directly affected six families whose residential land and agricultural land was to be acquired. Yet the project affected two villages – Bamnia Kalan and Sindesar Kalan from environmental point of view. The sample survey of these two villages was carried out along with detailed case studies of directly affected families. The people largely belonged to lower middle economic status with majority of joint families. They were largely agriculturist or wage labourers. Only a portion of the total land owned by the affected families was to be acquired. There were problems where there were two or more joint owners; where the main owners were dead and the land was not transferred; where there were nine or more claimants of property; female owners who were married; family quarrels; and the rate of compensation.

There was need to provide land for land to the affected families or to provide them employment. Further there was agreement on promoting other alternative avenues of occupation which were indentified during the survey of the village.

Railway Track Line for Rajpura Dariba Mines, Rajsamand

HZL has planned to construct a railway track line from Fatehnagar Railway Station to Dariba Smelter Complex Mines, which would be about 22 km. long passing through 11 villages. It would involve about 110 Ha. of land acquisition. The track will be used for movement of mining material. An attempt was made to study socio-economic background of 549 affected families. Out of these, 482 could be interviewed for preparation of family profiles and assessment of their problems. Railway track would not only affect the families whose land was being acquired, it would indirectly affect the movement of villagers from one side to another side. In addition, there were 13 community properties for which compensation was required.

About one-third of the total affected families belong to Other Backward Class and about 30 percent to general castes. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe percentage varied significantly according to villages. About five percent of the families were not registered in the voter list and about four percent did not possess ration card.

About 31 percent of the affected families were engaged in agriculture; 3.5 percent in business and 13 percent in service whereas majority (39 percent) was engaged in labour. Main source of income was labour followed by agriculture. Many people were engaged in NAREGA. Looking at the annual expenditure maximum amount was spent on food items followed by millets, sugar and tea. There was less expenditure on vegetables and fruits and on non-vegetarian items. Drug addition, alcoholism and smoking were widespread. The families have to spend well on clothing. Social needs cost a lot. The expenditure level of general castes was higher than other castes; the scheduled castes had the lowest. There was widespread practice of taking loan, mostly from relatives followed by Banks and moneylenders. About 20 percent families have been benefited from government schemes. NAREGA has been proved to be most beneficial. Sixty three percent male were literate whereas only 33 percent female were literate. Sixty three percent affected population was dependent on other family members.

A comprehensive rehabilitation plan has been drawn out according to the provisions of Land Acquisition Act and prevailing rules and regulations of the government of Rajasthan. This includes compensation for houses, Badas and sheds, wells and trees. Project authorities will provide assistance in self-employment and make efforts for engaging people in self

employment schemes. The provisions for monitoring, public consultation and evaluation have also been made.

Sindesar Khurd Village

HZL has been carrying out underground mining for lead zinc ore near village Sindesar Khurd, Tehsil Railmagra in Rajsamand District. Being a deep concealed deposit, 130 meter below ground level it is amenable to only underground mining. Deposit will be accessed from existing SKM at 300 meter RL by connecting drive. Mine developments require evacuation of village Sindesar Khurd. The Right to Fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 requires social impact assessment of the affected village to be carried out. Because the number of such families was lesser than the required 400 families; only socio-economic study and Rehabilitation and Resettlement Plan for the affected families was carried out (Advani, Sharma, Dwivedi and Upadhyay, 2014).

For house listing the voter list was taken as the main basis. A house listing inventory was used for this purpose. In many houses, actual measurement of the plot and construction area was not available and several houses were divided among family members. The problem is more in cases of Badas (cattle sheds). An interview schedule was used for preparation of family profiles. Such profiles contain information about each member of the affected families. It helps on identifying vulnerable persons and those who require special attentions e.g. widows and widowers, disabled and single persons. Many of the house owners do not possess Patta and some have occupied unauthorized land. In all 263 families were identified and included in the baseline survey.

Tension among family members was visible as division of property has to be shown for obtaining compensation. It was observed that the adult members, especially those who were married were shown separately; a separate cooking place was also shown for them. In the process of displacement and for the purpose of obtaining compensation benefits, joint families were shown as broken. Main demands of the affected families include reasonable compensation for the land, property and Bada, permanent employment in HZL; allotment of land at resettlement site for all the affected families and divided nuclear units of the joint families; shifting allowance, and gestation period till new houses are constructed. More demands are likely to emerge as and when the compensation is calculated for the land, property and assets.

The affected families of Sindesar Khurd had different sources of income. These included agriculture, share cropping, animal husbandry, traditional occupations, farm labour and services or labourer in Techno Mines Pvt. Ltd. and Aravali Construction Company or other factories. They were generally engaged in contractual labour and complained about not getting support from the HZL. There was no provision of MAHANAREGA in the village because it comes under mining range. Few persons were engaged in government services outside the village. Agricultural production was sufficient; especially Maize, Jowar (sorghum) and Ajwain (carom), were produced in ample quantity.

It is important to focus on the changes that will take place in the occupational structure of the people when their houses and Badas will be acquired by the HZL. The people are confused and they have not given any thought on this aspect. It could be envisaged that the number of domestic animals would decrease if the substitute land is not allotted in lieu of the

Badas. Shifting, constructing new houses and resettling at a new place would take their considerable time and energy. This would certainly effect their present occupations and they would need assistance for diverse occupational activities. However they are concerned about the future prospects of the youth.

Social Consequences of Displacement

In the absence of any formal system of resettlement and rehabilitation various social consequences are observed for the affected families and the individuals whose lands have been acquired. These consequences have been observed in five dimensions; (1) Land loss and resettlement, (2) Social and occupational change, (3) Household management, (4) Behavioural and situational change, (5) Social relations and status (Advani, 2009). The consequences in each dimension have been shown in the Table 1

Table 1
Social Consequences of Displacement

Acquisition of Land	Social Consequences
Land loss and resettlement	Impoverishment and marginalization, difficulties in purchase of land, difficulties in house construction, arranging necessary facilities, loss of comforts, adjustment with host population isolation and alienation.
Social and occupational change	Difficulties in getting finance, lack of skill, occupational training, lack of education, lack of motivation, lack of social support.
Household management	Women work outside house, complete or partial unemployment, misutilization of compensation.
Behavioural and situational change	Marriage and migration, living conditions, status symbols, morbidity, addiction.
Social relations and status	Disturbed community ties, loss of social status, socialization of children, helplessness and powerlessness.

Displacement indicates a process of expropriation of land and resources. It causes traumatic psychological and socio-cultural consequences. Loss of land affects production system, family and marital relations, kinship groups, community network, income and expenditure patterns, and management of household affairs. The conflict begins with the notification of land acquisition and ends years after resettlement. Displacement is not limited to dislocation from the land; it also appears in social and occupational activities. Thus there are tensions within the family and also in social sphere. The aggregated form of tensions results in explicit agitation, struggles and movements supported by non-governmental organizations political parties and leaders of caste, tribe and community. The government official threats, forcible evictions, shifting and search for new hearth, change in occupation, construction of house, purchase of land are major problems (Advani, 2010). Accordingly, the various stages depict: antecedent condition for displacement perception of the situation, effects on individual, manifest behavioural patterns, rehabilitation programmes and further problems and demands.

Displacement disrupts the whole way of life. The displaced can never be adequately compensated for what they have lost. This perspective applies more to people of traditional culture and society as contrasted with the modern market economy and culture. There could be ethical problems in measuring traditional and cultural traits in terms of economic values. Indigenous people give more importance to their places of worship and ancestral habitats. It was observed that the problems of the displaced could be assessed properly through personal contact and participatory approach of the officials. In case of these projects, the HZL officials were very sensitive towards the displaced population and liberal in extending resettlement and rehabilitation facilities.

The resettlement and rehabilitation are essential aspects of the issue of displacement. These are to be associated with all developmental projects in various sectors. A policy of mining sector considering all issues of displacement, could minimize the level and its effects. Along with this, the development of rural areas, communication and transport network could release the burden of affected areas. The rehabilitation must lead to a comprehensive development of the people affected by land acquisition. It could be a part of developmental strategy. The standard of living of the affected persons should be substantially improved by rehabilitation. The development should not only benefit the organizations and agencies, which acquire land and property, but should facilitate the people who are deprived of their resources. With this approach the oustees could be provided opportunities to develop themselves. The R&R should consider social and cultural factors while providing sustainable means of livelihood.

References

- Advani, Mohan. (1990). *Socio-Economic Aspects of Resettlement and Rehabilitation; A Study of HZL's Rampura-Agucha Mines*. Udaipur: Samajshastra Hindi Karya Samiti,.
- Advani, Mohan & Sharma, C.L., (1993). *Social and Occupational Aspects In Rehabilitation of Evacuees Affected by Agucha Mines: A Sociological Study and Social Work Programme*. Udaipur : Samajshastra Hindi Karya Samiti.
- Advani, Mohan. (1992). *Resettlement and Rehabilitation Aspects of Rural Evacuees Affected by Gosunda Dam, (Phase I)*. Udaipur : Samajshastra Hindi Karya Samiti,.
- Advani, Mohan. (1993). *Resettlement and Rehabilitation Aspects of Rural Evacuees Affected by Gosunda Dam: A Sociological Study and Social Work Programme (Phase II)*. Udaipur : Samajshastra Hindi Karya Samiti,.
- Advani, Mohan & Jhala, Y.S. (1993). *Socio-Economic Conditions and Demands For Evacuation of villagers at Mansi Wakal*. Udaipur: Samajshastra Hindi Karya Samiti,.
- Advani, Mohan. (1995). *Displacement caused by projects of the Hindustan Zinc Ltd.: using social and cultural inputs to facilitate resettlements*. In Hari Mohan Mathur (ed.). *The Resettlement of Project Affected People*. Jaipur: The HCM Rajasthan State Institute of Public Administration, 120-129.
- Advani, Mohan; Jhala, Y.S. and Singh Balveer. (1999). *Sociological Study and Social Work Programme Related to Rehabilitation of Villagers at Mansi Wakal*. Udaipur: Samajshastra Hindi Karya Samiti.
- Advani, Mohan and Singh, Balveer. (2007). *Socio-Economic Study and Resettlement and Rehabilitation Plan of Kayar Lead Zinc Mine of Hindustan Zinc Limited at Ajmer (Rajasthan)*. Udaipur: Institute of Rehabilitation and Development Studies.
- Advani, Mohan; Sharma C.L. and Singh Balveer. (2009). *Socio-Economic Study of Village BheruKhera (I) at Rampura Agucha Mine*. Udaipur: Institute of Rehabilitation and Development Studies.
- Advani, Mohan; Sharma, C.L. & Jain, P.C. (2009). *Socio-Economic Study and Resettlement and rehabilitation Plan of Bamnia Kalan Mine Project*. Udaipur: Institute of Rehabilitation and Development Studies.
- Advani, Mohan; Sharma, C.L.; Sharma, R.K.; Upadhyay, Chakrapani. (2009). *Socio-Economic Study and Resettlement and rehabilitation Plan for Affected Area and Families of Villages for Proposed Railway Track Line between Fatehnagar and Dariba*. Udaipur: Institute of Rehabilitation and Development Studies.
- Advani, Mohan. (2009). *Urbanization, Displacement and Rehabilitation: A study of people affected by Land Acquisition*. Jaipur:Rawat.
- Advani. Mohan. (2010). Urbanization, land acquisition and displacement. *Rajasthan Journal of Sociology*. 2. 26-36.
- Advani, Mohan; Sharma, C.L.; Dwivedi, Paresh and Upadhyay, Chakrapani. (2014). *Socio-Economic Study and Rehabilitation and Resettlement Plan for the Affected Families of Sindesar Khurd Village*. Udaipur: Institute of Rehabilitation and Development Studies.
- (<http://www.hzindia.com>).
- Mines minerals- Resurgent Rajasthan, <http://www.resurgent.rajasthan.gov.in>

The Cultural Perspective of Sanitation

S. K. Mishra, Prabhleen Kaur

Abstract

The paper aims to understand the cultural context by examining the cultural aspects of sanitation such as latrines, latrine use and open defecation which explains the slow adoption of sanitation practices in India. It has been argued that the problem of widespread open defecation in India has little to do with lack of infrastructure rather sanitation reforms need a kind of protest against the cultural practices and even ethos. The paper also illustrates that addressing issues related to clean water and sanitation from a gender perspective is very important. This perspective ensures that the concerns of women who have the primary responsibility for water as well as sanitation are addressed. The prevailing gender systems and the attendant gender division of labour determine women's primary responsibility for water and sanitation in the household. Gender systems also determine the distribution of power between men and women. Hence, breaking down of the many barriers based on prevailing traditional gender paradigms is required. The goals should be a greater focus on sanitation related issues at all levels and on the implementation of sanitation programmes and projects, while striving to ensure the participation and involvement of women in development efforts.

Keywords

sanitation, cultural perspective, gender, open defecation, behavioural change, community, caste

Sanitation is a conscious act that is learnt through socialization and training. It also requires some degree of formal and informal social control. It needs a sense of duty and responsibility. Environmental sanitation is particularly lacking in the Indian context where inadequate or non-existent latrines and a lack of dedicated areas for the disposal of rubbish pollute the environment. The public places are dirty and filthy. The public toilets are very unhygienic. Society does not disapprove the insanitary behavior. Discharging wastewater in public spaces, dumping garbage close to households, and open defecation affects the environment to a great extent. The polluting industries play the role of catalysts in adding on the unclean environment. Indian railways, railway tracks, bus stands, etc present the ugly picture of insanitation.

Open defecation refers to the practice whereby people go out to defecate rather than using the toilet. The problem of open defecation is rampant in India which, according to UNICEF is home to the world's largest population of people who defecate in the open and excrete around 65,000 tonnes of faeces into the environment each day. Approximately, 595 million people, which is nearly half the population of India, defecate in the open. India accounts for 90 per cent of the people in South Asia and 59 per cent of the 1.1 billion people in the world who practise open defecation as per the UNICEF data. This state of affairs can be attributed to government apathy, poverty, and various other factors. The community members at large are also responsible for most of the factors that affect their environment and health.

The Problem of Insanitation in India

The culture of insanitation prevails in India largely because of absence of participation by masses in the sanitation work. As has been mentioned earlier, India has the largest number of people defecating in open in the world. A report prepared jointly by the WHO and the UNICEF says that 597 million people practice open defecation in India. In spite of having some of the highest numbers of open defecators, India does not feature among the countries making great strides in reducing open defecation (The Hindu, 2014).

Table 1

Percentage of households having various types of Latrine Facilities in Rural India

Total Households in Rural India		Types of Latrine Facilities (% Households)							
		Water Closet		Pit Latrine		Other Latrine		No Latrine	
2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001
167,826,730	138,271,559	19.4	7.1	10.5	10.3	0.8	4.5	69.3	78.1

Source: Census of India, 2011

In rural India, household latrines are very rare. People prefer to go to farms, railway tracks or isolated areas which pollute the environment. While poverty may be a contributing reason for the lack of latrines in rural India, it does not always explain why some people continue to practise open defecation long after their community has been provided with toilets and aware about hygiene practices. Table 1 shows the percentage of households having various types of latrine facilities in rural India. The census figures clearly reveal that in rural India around 69 percent of households have no latrines.

In rural India this practice persists because the conditions that cause it have not been adequately analysed before projects are started to try to overcome it. It will be pertinent to identify these beliefs, which act as social and cultural barriers to the adoption of improved sanitation. Finding potential ways for encouraging social change and engaging with communities to end their practice of open defecation will be crucial.

Progress is being made in this regard but the level of achievement is not up to the mark. The Joint Monitoring Programme report titled "Progress on Sanitation and Drinking Water: 2015 Update and MDG Assessment" released by the UN Children's Fund and the World Health Organization said that India is among the 16 countries that have reduced open defecation rates by at least 25 percentage points. In the case of India there has been a reduction by 31 per cent in open defecation, but this progress is termed as "moderate" by the report. The report, however, further noted that in India, there has been very little change over the last 20 years in reducing open defecation among the poor. India still has the largest number of people defecating in open in the world. (The Indian Express, 2015)

The practice of open defecation is, however not limited to rural India. It is found in urban areas as well. Open defecation is a social convention widely practised and reinforced by traditional beliefs which relate to the latrine use. Table 2 gives the extent of the problem as is found in urban areas according to the 2011 census.

Table 2*Percentage of households having various types of Latrine Facilities in Urban India*

Total Households in Rural India		Types of Latrine Facilities (% Households)							
		Water Closet		Pit Latrine		Other Latrine		No Latrine	
2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001
78,865,937	53,692,376	72.6	46.1	7.1	14.6	1.7	13.0	18.6	26.3

Beliefs, practices and traditions as have been mentioned earlier play a decisive role in planning and operation of sanitation services. Sanitation experts nowadays are taking these contextual aspects into consideration. Cultural understanding is crucial to the success of any sanitation programme. But before discussing the influence of culture on sanitation in the Indian context it will be pertinent to discuss the problems associated with the lack of sanitation.

The Problems Related to Open Defecation

Poor sanitation creates various problems such as infectious diseases which cripple national development. Poor health due to various diseases affects the working capacity of the people who are suffering from them, which results into workers producing less, living shorter lives, saving and investing less and being less able to send their children to school. The costs of all this, in incomes and taxes forfeited, are far greater than the price of fixing it.

Public safety is one underappreciated problem. Open defecation puts at risk the dignity of women, lack of safe, private toilets makes women and girls vulnerable to violence and encounters such as snake bites. Women in India feel constrained to relieve themselves only under the cover of dark for reasons of privacy to protect their dignity. In May last year two teenage girls in Uttar Pradesh visiting a field used as a communal toilet were raped, murdered and hung from a tree. The case reflects the barbarity of the perpetrators, but such attacks are common in India. Moreover, it is also an impediment to girls' education.

School sanitation facilities across India remain woefully inadequate. Despite governmental efforts to improve it, a recent report by the Right to Education Forum showed 40 percent of schools in India still lack a functional common toilet. Forty percent lack separate toilet facilities for girls. A national study by AC Nielsen and NGO Plan India revealed as many as 23 percent of girls in India drop out of school when they hit puberty. A lack of facilities causes widespread absenteeism each month, with the report showing that girls miss an average of 50 days of school each year because of menstruation (The Guardian, 2013).

Open defecation poses a serious health threat especially to children. The practice is the main reason for the high number of diarrhoeal deaths among children under-five in India. Every year, diarrhoea kills 188,000 children under the age of five in India as per UNICEF. Apart from diarrhoea, worm infections also are rampant among children. Bacteria and worms so ingested spread diseases, especially of the intestine. In fact, diarrhoea and worm infections are two major health issues that affect school-age children the most, having negative impact on learning abilities. Children weakened by frequent diarrhoea episodes are more vulnerable to malnutrition, stunting and pneumonia. This explains as to why, despite rising incomes and better diets, rates of child malnourishment in India do not improve faster

in India. UNICEF estimates that around 43 per cent of children in India suffer from some degree of malnutrition.

Faeces contain bacteria, virus, parasite cysts which if ingested cause enteropathy, a chronic illness that prevents the body from absorbing calories and nutrients. Open defecation has led to outbreaks of cholera, diarrhea, typhoid, jaundice and the like in the region. As a result, hundreds of thousands die from preventable diseases each year, especially in the north India, where open defecation is rampant.

Diarrhea leaves Indians' bodies smaller on an average than those of people in poorer countries where people eat fewer calories. Moreover, underweight mothers produce stunted babies prone to sickness who may fail to develop to their full cognitive potential.

Socio-Cultural Challenges


The preference for open defecation is a cultural issue in Indian society, where the habit actually perpetuates social oppression. The biggest deterrent to the construction and use of toilets is the Indian mindset. Some people find open defecation more pleasurable and desirable. Open defecation is considered as an act that promotes the purity of the body, as well as longevity and health. Therefore, even if the government were to fit every home with a toilet, the problem is unlikely to vanish. There is evidence to suggest that toilets built with government help are often used as store rooms. Figure 1 compares the percentage of households having no latrine in India in 2001 and 2011.

The prevalence of open defecation in India at such a large scale reflects that such behavior is socially approved. The prevalence of the notions of 'pollution' and 'purity' is a very important practice responsible for the prevalence of such a state of affairs. Faeces are culturally as well as religiously considered as polluting and physical distance has to be maintained from one's own faeces after defecation. Cleaning of the faeces is a culturally disapproved behaviour. This mindset has led to people not having toilets inside the house or even close to it.

It is a fact that open defecation in rural India is much higher than in countries with similar or worse economic conditions, literacy rates, and drinking water access ability. A study conducted by Coffey, D., et. al. (2014) reveals that the simple pit is seen as ritually polluting and socially undesirable in India. The simple latrine pit emptying poses special challenges which are not similarly present in other societies because of caste division of Indian society.

The main reason as to why people despise small and unimproved pits is because they have to be emptied manually. Manual pit emptying presents special challenges in India due to its caste based historical tradition. The caste based division of labor has ensured that cleaning of toilets was the duty of a specific caste popularly identified as Dalits (Scavengers). Scavenging caste freed the upper castes from the responsibility of cleaning both at the

Figure 1
Percentage of Households having no latrine, India, 2001-2011



Source: Census of India, 2011

household and the public sphere levels. Members of the scavenging castes cleaned human faeces and other wastes without using any hand gloves or sanitary tools. The lack of any sanitary protection demeaned the job as well as the person engaged in such job. The twice born castes consequently maintained distance from them.

Since avoiding unclean work such as cleaning faeces has been central to dalits' struggle for equality, few dalits are willing to empty latrine pits. Most people believe that these require frequent manual emptying. Mechanical emptying of these pits is impractical because it is excessively costly and because simple latrines are often built in places that are difficult for vacuum trucks to access. This state of affairs explains the unpopularity of the unimproved pits, so popular elsewhere in the world.

Coffey, D., et. al. (2014) outlines the attitudes and beliefs about latrines and latrine use in rural India which are especially difficult to change. The village elite have already defined an acceptable latrine as an expensive investment that is out of reach for most poor people. Affordable pit latrines require pit emptying, an unthinkable task for upper caste Hindus. According to the Hindu traditions this task is assigned only to the dalits. Furthermore, those individuals for whom latrine use is considered most appropriate, for instance women, are those who have the least decision making power in rigid household hierarchies.

There is growing evidence that suggests that these practices are culturally determined and need to be addressed accordingly. A 2005 government survey, found that 67% of all Hindu households, rural and urban, practiced open defecation, compared with just 42% of Muslim ones. Furthermore, the sewer system developed in modern cities in India has no doubt adopted the scientific tools. However, they are not supported by proper sewage treatment plants and also suffer from technology deficit. Hence sewage is dumped outside the cities. Moreover, the workers involved at the lower level are mostly the persons belonging to the lower castes. Thus, the caste based division of labour gets reinforced. It is also a fact that a proper sewer system is not very common in many states of India. The drainage system too is also not functioning well and creates unhygienic conditions. (Akram, 2014)

It becomes evident that construction of latrines will not in itself solve India's sanitation problems because there are cultural reasons for bad sanitation. The Hindu tradition encourages defecation in the open, far away from home in order to avoid ritual impurity. Caste division is another reason, as by tradition it was only the lowliest caste in society, untouchables who cleared human waste. Many people, notably in the Hindu-dominated Gangetic plains, today still show a preference for going in the open, even if they have latrines at home. (The Economist, 2014)

The Gender Aspect

In most societies, women have the primary responsibility for management of household water supply and sanitation. Women have accumulated considerable knowledge about management of water and maintenance of sanitation and hygiene. However, efforts geared towards improving the management of these, often overlook the central role of women in it.

Gender analysis in sanitation development can ensure that projects are actually used by locating services where access is inclusive to all, and does not disadvantage women. A gendered approach to sanitation can create a framework of cooperation between men and women, so that the insights and abilities of both men and women are available to shape

programs and meet sector objectives. Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels (WSP, 2010).

The problem, with the management and marketing of sanitation is that approaches to sanitation have focused mainly on the technological aspects of service delivery rather than on behavioural changes and creating a market for sanitation facilities. As has been mentioned by O'Reilly (2010) in her study of Rajasthan drinking-water supply and sanitation project, a localized, geographic analysis of gendered power relations is important for enabling social changes that would lead to women's latrine usage. She argues that local gender relations and geographies complicate sanitation interventions. Criticizing the technical solutions sought by policy makers, she stresses that the structure and siting of latrines are important social and material interventions that have political effects in the communities and households where they are built. Hence, "technical interventions will not work to solve gendered relations of unequal power. Instead these issues of power must be analyzed and confronted. An analysis of gendered access to public and private spaces is one way to see afresh the gendered power relations affecting drinking water supply and sanitation" (O'Reilly, 2010).

Berna (2006) in her case study documents the community sanitation project implemented by the Non Governmental Organization, Gramalaya, in eight slums in Tiruchirapalli district of Tamil Nadu. The project involved the formation of women's self-help groups, the construction and rehabilitation of community sanitation complexes and the establishment of a community sanitation facility management system by the women. It also involved the installation of drinking water facilities and individual toilets, as well as community mobilization. On the one hand, Water aid covered the equipment and installation costs, on the other Gramalaya covered the capacity building and community mobilization components. The government provided for the land sites, electricity, water supply, and loans to the community members. It is an excellent example of a sanitation project where the use of a gender mainstreaming approach contributed significantly to the project's success. The community benefitted from improved water and sanitation facilities, better health and increased resources for community development, and the women have gained self-confidence as a result.

The study of a sanitation program in Haryana, known colloquially as "No Toilet, No Bride" gives information regarding the design of sanitation policy and behavior change programs more generally (Stopnitzky, 2012). In the policy context, a low-intensity information campaign, "No Toilet, No Bride", which Haryana state authorities initiated in 2005 cleverly exploited deeply rooted social norms and marriage market conditions in order to increase sanitation. The campaign encouraged families of marriageable-age girls of marriageable age to demand that potential suitors' families construct a latrine prior to marriage. Mass media messaging via billboards, posters, and radio advertisements emphasized it. There were approximately 500,000 more toilets among Haryana's four million households in 2008 than in 2004 as a result.

These studies reveal that women's active participation in community management and control over productive assets yields good results in any sanitation program. Therefore, gender gaps in access and control of various resources need to be addressed. Any sanitation promotion strategy must take into account the different roles, responsibilities and needs of

men and women but with special focus on incorporation of women's needs and perspectives. It must take note of the gender relations.

Conclusion

Open defecation is a well established traditional practice in India. Almost half of the population of India continues to relieve itself in the open and litter unhesitatingly. But at the same time they keep their homes spotlessly clean. The state has, no doubt, failed to extend sanitation facilities to the masses, but people at large must also share the blame. Until the time people in India get rid of curious cultural attitudes to community sanitation and hygiene, India will never have enough toilets.

Awareness campaigns and media exposure are some of the drivers of awareness about sanitation. There also exists an inadequate human resource base for sanitation. In towns and villages, where they are most needed, there are no dedicated frontline workers to promote and implement sanitation strategies. There is also a dearth of proper mechanisms for the training, management, and supervision of these workers where they have been recruited. On the other hand, on the demand side there exists a lack of a felt need among communities. This state of affairs may be attributed to poverty, the ready availability of open space in rural areas, lack of information and knowledge, and long years of habitually defecating in the open.

The Government of India had initiated a few sanitation programmes in the last few decade. For instance, the 'Central Rural Sanitation Programme' (CRSP) in 1986; the Total Sanitation Campaign (TSC) in 1999; Village Health and Sanitation Committee (VHSC) under National Rural Health Mission (NRHM); Nirmal Gram Puraskar (NGP); Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) etc. have been launched. But the sanitation needs of the country have not been addressed comprehensively.

India needs a revolution with regard to latrine use led by the country's top leadership. The prime minister of India Narendra Modi clearly prioritizes sanitation as an issue. He says that building toilets is a priority over temples. But more is required than mere the construction of toilets. There is no use in spending millions of rupees on the construction of toilets for they remain unused and soon fall into disrepair. Behavioural changes and a change of mindsets is required. It is really hard to sell what people don't want. So, clever marketing strategies to improve sanitation are the need of the hour. We also need to foster a market of pit-cleaners Sanitation reforms are needed to challenge the barriers created by cultural practices as well as the technological gaps.

Construction of sanitation infrastructure at the household level through incentive as well as need based programmes is necessary. Maintenance of sanitation facilities is equally important. Technological advancement of all toilets including those in trains, platforms, bus stands, tourist places, markets, religious places is also necessary. This needs to be accompanied by proper sewer systems and sewage treatment plants in every city. Proper employment conditions for the sanitation related staff. Sanitation training to school going children and engagement of parents / families in sanitation promoting programmes. Moreover, advocacy, awareness, sensitization on gender issues in water and sanitation sector for all levels of policy making and implementation is necessary. Service providers for water and sanitation need to address identified gaps in meeting needs of women and girls in particular. Inclusion of gender expert in programme management and implementation at the

state and municipal corporation level is crucial. Introduction of gender issues in programme framework, reviews, workshops, and all other activities is of extreme importance.

Maintaining sanitation is as much about behavioural change as it is about public health engineering. Behaviour change is embedded in the societal norms and belief systems. The extent to which a community can change is limited by the social functions and beliefs surrounding them. (Water Aid, 2011) The socio-cultural and religious belief systems of people are linked to their acceptance, attainment and maintenance of latrines. Therefore, attention must be paid to understanding the social norms in relation to excreta management and hygiene practices.

References

- Akram, M., (2014) Causes of Insanitation in India and Ways of Improvement. *Indian Plumbing Today*, November. [online] <http://www.ipt.co.in/2014/november/contents.html> [Assessed September 9th 2015]
- Berna, I. V., (2006) 'India: From Alienation to an Empowered Community - Applying a Gender Mainstreaming Approach to a Sanitation Project'. *Gender, Water and Sanitation: Case Studies on Best Practices*. New York: United Nations.
- Census of India*, (2011) New Delhi: Government of India. [online] http://censusindia.gov.in/2011census/hlo/Data_sheet/India/Latrines.pdf [Assessed August 16th 2015]
- Coffey, D., Gupta, A., Hathi, P., Spears, D., Srivastav, N., and Vyas, S. (2014) *Culture and the Health Transition: Understanding Sanitation Behavior in Rural North India*, December 16. [online] [Assessed August 18th 2015]
- O'Reilly, K., (2010) 'Combining sanitation and women's participation in water supply: an example from Rajasthan'. *Development in Practice*, 20: 1, pp. 45 — 56.
- RICE, (2014) *No demand for simple latrines in India* [online] <http://riceinstitute.org/maps/no-demand-for-simple-latrines-in-india/> [Assessed August 18th 2015]
- Stopnitzky, Y., (2012) The Bargaining Power of Missing Women: Evidence from a Sanitation Campaign in India, *Social Science Research Network*. March 15. [online] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2031273 [Assessed on May 12th 2016]
- The Economist, (2014) *Fixing dreadful sanitation in India requires not just building lavatories but also changing habits*, Delhi, July 19. [online] <http://www.economist.com/news/asia/21607837-fixing-dreadful-sanitation-india-requires-not-just-building-lavatories-also-changing> [Assessed August 8th 2015]
- The Guardian, (2013) *The unsanitary truth about gender inequality in India*, June 10. [online] <http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/jun/06/unsanitary-truth-gender-india> [Assessed on May 12th 2016]
- The Hindu, (2014) *India tops in Open Defecation*. May 9. [online] <http://www.thehindu.com/news/national/india-tops-in-open-defecation/article5993478.ece> [Assessed August 18th 2015]
- The Indian Express (2015) *India reduces open defecation by 31 per cent: UN report*, July 1. [online] <http://indianexpress.com/article/india/india-others/india-reduces-open-defecation-by-31-per-cent-un-report/> [Assessed August 18th 2015]
- UNICEF, *Eliminate Open Defecation* [online] <http://unicef.in/Whatwedo/11/Eliminate-Open-Defecation> [Assessed August 18th 2015]
- WaterAid, (2011) *Revitalising Community-led Total Sanitation: A process guide*. [online] www.wateraid.org/publications [Assessed on August 12th 2015]
- WSP, (2010) *Gender in Water and Sanitation*, Working Paper, Nairobi, Kenya: Water And Sanitation Program.

Dr. S. K. Mishra, Department of Sociology, J. R. N. Rajasthan Vidyapeeth (Deemed) University, Pratap Nagar, Udaipur, Rajasthan. snjmishra111@gmail.com

Prabheen Kaur, Scholer, Department of Sociology, J. R. N. Rajasthan Vidyapeeth (Deemed) University, Pratap Nagar, Udaipur, Rajasthan. pablapk@yahoo.co.in

Student Radicalism: Post-Left Bengal

Anirban Banerjee

Abstract

In this paper, an attempt has been made on the basis of a survey of the attitudes of students of Bengal to draw some conclusions on the state of student radicalism in Post-Left Bengal. The paper incorporates some of the major findings of a UGC Major Research Project. The study raises some important research questions -What are the major trends in student radicalism in Post-Left Bengal? What are attitudes of students to universities in Post-Left Bengal.

Keywords

radicalism, left-wing, right-wing, systemic radicalism, interactional radicalism, role image, globalization, left front government, post-left Bengal, UPA government, violence

Our major objective of this article is to study students' attitude to radical social change. The major research question is how do the students of post-Left Bengal view radical social change? In the Indian context, the term radical social change may be defined as the revolutionary transformation of Indian society from the present semi-feudal and semi-capitalist stage of development, to socialism. Why is radical social change needed in India? Writing in *Desh Hitaishi* (Autumn Special 1968), Hare Krishna Konar observed: "Without a radical change in the existing social system, we cannot take the country along the path of progress and prosperity." (Konar, 1977:17) And for that he advocated as a 'People's Democratic Revolution', the task of which will be to put an end to exploitation. But he warned against copying revolutions.

Among the subsidiary objectives are, to examine the major trends in student radicalism, to examine the relation between role image and student radicalism, to examine the relation between attitude to globalization and student radicalism, to examine the relation between systemic and interactional radicalism, to examine the relation between student radicalism and support for policies of the Government of India (notably the UPA Government) in the recent past, to examine the relation between student radicalism and support for the policies of previous Left Front Government in West Bengal, to examine the relation between student radicalism and attitude post-Left Bengali society, to examine the relation between sex and student radicalism, to examine the relation between family background and student radicalism.

Student radicalism in the twenty-first century

Studies of student radicalism have been done in the 21st century. Among the major sources of information on student radicalism is the Internet. The Internet is a veritable gold mine of information. That apart, student radicals have been extensively using social media, like Facebook to propagate news and views of their movements. The present review of literature incorporates both published and unpublished materials.

Datta(2000) studied the opinions of Burdwan University students about the Bardhaman Viswavidyalaya Chattrasansad. Rez (2008) made an empirical study of the Students

Federation of India in Burdwan district. Banerjee (2009) did a UGC sponsored Major Research Project on the topic : Change and Continuity in Student Radicalism. The study also threw light on the perception of students about the Left Front government. (Banerjee 2010 & 2011) presented some of the findings of his study in national seminars. The study was later published in book form (Banerjee, 2015). We found that radicalism may be studied at two levels-systemic and interactional. The study found a high degree of conservatism among the student community of Calcutta University . Apart from this research project, Banerjee (2011) also made an exploratory study of student radicalism in Hungary, with special reference to Corvinus University. The major findings of this study are that the majority of Hungarian students are liberals, there are no radicals. The students and youth are deeply dissatisfied with their government over its unpopular policy measures.

Student Radicalism in Post-Left Bengal

Since the Trinamul-Congress combine captured power in West Bengal, there have been sporadic incidences of campus violence. From Mrityunjay Sen's (Sen, 2012:2) analysis of a number of incidents of campus violence (10 December, 2011-11 January, 2012), we find that out of 11 cases of campus violence, 4 were perpetrated by outsiders and seven by politicized students groups. Students' Federation of India, Chattra Parishad, and Trinamul Chattra Parishad were to blame for student violence in the campuses. In case of outsider led violence, the Trinamul leaders were responsible. There have been calls to stall elections for a year and the utility of students unions in representing the interests of the students have been questioned.

The concept of radicalism

The term radical is widely used in political and philosophical literature, though not always in an identical sense. In its sociological application, as Selden C. Menefee has pointed out, “the term applies in general to those who believe in drastic measures for the improvement of social conditions, and in particular to those who believe in and / or advocate sweeping changes in the political and/or economic structure of society”(Menefee 1958: 247).

Radicalism, in the sense in which I propose to use it, entails an advocacy of drastic social change along socialistic lines. Those who advocate such radical social change are to be found in every society. All people, however, do not have such an attitude to radical social change. Attitudinally, we can divide people into three broad categories. Firstly, there are people who want radical social change. They are radicals. Secondly, there are those who are opposed to any substantial change of the existing state of affairs. These advocates of status quo are conservatives. Thirdly, there are some who are in-between these two extreme categories. People belonging to this third category are not opposed to all change and agree to even substantial changes here and there. What they are opposed to is a radical alteration of the social structure. These people are liberals.

Methodology

This article has followed Marxian methodology. In his 'Afterward' to the Second German Edition of Capital, Marx divided his methodology into two parts: the method of inquiry and the method of presentation.

To answer our main research question, we selected respondents from seven universities

located in south Bengal through quota sampling. The basis of the quota was the type of course studied. Three types of courses were identified-Professional, Scientific and Intellectual. From each course, data was collected from 50 respondents. The present research is based on data collected from 150 respondents. The survey instrument consisted of a questionnaire developed by the Principal Investigator. To understand the attitudes of the respondents to various issues, we prepared indexes. Our Method of Presentation, in this case, consisted of statistical presentation of data.

To achieve our first subsidiary objective, to examine was the major trends in student radicalism, our main Method of Enquiry was qualitative analysis of historical data, news reports, news analysis and commentaries on contemporary student activism. At the same time, for historical data, the Principal Investigator also visited the Kolkata Police Museum. Our Method of Presentation was mainly in the form of a narrative.

Major trends in student radicalism

One of the objectives was to examine the major trends in student radicalism in West Bengal. From the days of Young Bengal, we find that student radicals attempted to reform society and made known their anti colonial stance (Sarkar, 1985:25). Their contributions to India's freedom struggle formed part of the exhibits of the Kolkata Police Museum Since 1947, the student movement in West Bengal showed an overall progressive trend, except during the seventies when there was conflict between right wing, left wing and ultra left wing elements (Banerjee, 1998).

In May 2011 came the "electoral tsunami" which swept away the Left Front Government (Chakraborty, 2011). Bengal made a sharp turn to the right. From an analysis of the major trends in student radicalism in post-Left Bengal, we found that: There has been a distinct right-wing shift in student activism. Criminalization of student politics took place at an alarming pace. Student union elections have been far from democratic. At the same time, some students in universities like Presidency and Jadavpur have taken recourse to direct democratic measures to settle issues. Business unionism was noticed. The "Hok Pratibad" Movement at Burdwan University protested against delay in publishing undergraduate examination results. Students have protested in corruption in higher education, like the B.Ed scandal of Kalyani University. Meism was noticed among young girls fighting their impending forced marriages or young girls fighting against sexual abuse.

Student Radicalism in Post-Left Bengal

The right wing shift in student radicalism and growing criminalization of student politics in Post-Left Bengal may be theoretically explained by Mao's concept of "a countercurrent in the youth movement". According to Mao Tse-tung, a countercurrent in the youth movement develops when the youth, instead of siding with the people against the oppressors, turn around and oppress the people.(Mao 1967:609) From our previous analysis of organized student activism, we find that a 'countercurrent' in organized student activism in West Bengal exists.

From our data we find that 33.33% of the 150 respondents studied, were radicals at the systemic level. We found that 38%, i.e., more than a third of the respondents were radicals at the interactional level. We found that all radicals are not consistent at both levels. Only 29% of the sample is consistently radical. But radicals have always been a minority. We will present our major findings are:

Role Image and Student Radicalism

Radicals have an integrated role image, i.e., they do not distinguish between student role and citizenship role here as conservatives have a compartmentalized role image, i.e. they distinguish between these two roles. Here, we find that 51 students, i.e., about a third of the respondents, had a fully integrated role image. 56.86% of the students, who had a fully integrated role image, were radical at the interactional level. 39.22% of the 51 respondents, who had a fully integrated role image, were radical at the systemic level, compared to 17.86% of students who had a compartmentalized role image and 37.31% of the 61 students who had a partially integrated role image. Our findings confirm the thesis of Soares (Soares, 1970).

Radicalism and Socio-Economic Background

Sex & student radicalism. More males than females were radicals at the systemic level. Conversely, more females are radical at the interaction level than males. At the systemic level, we find that out of 77 males, 11(14.29%) were neutral, 9(11.69%) were conservative, 22(28.57%) were liberals and 34(44.16%) were radicals. Out of 72 females, 1(1.39%) did not respond, 4(5.56%) were undecided, 8(11.11%) were neutral 16(22.22%) were conservative, 27(37.50%) were liberal and 16(22.22%) were radicals. Now, let us look at the relationship between interactional radicalism and gender. From the data we find that, at the interactional level, Out of 77 males, 6 (7.79%) and out of 72 females, 5(6.94%) were conservative, 45 males (58.44%) and 33(45.83%) females were liberal and 25(32.47%) males and 31(43.06%) females were radical. Thus we found that though radicals were in a minority, (38%) more females were radical at the interaction level than males. This finding sharply contrasted with a previous study done in the late eighties of the twentieth century where we found that more males were radical at the interaction level than females (Banerjee 2003). But the situation changed in the 21st century. In a study, done in the twenty-first century, we found that more females than males were radical at the interaction level (Banerjee, 2015:56). This finding should not surprise us considering the fact that more and more young females in Post-Left Bengal are actively resisting attacks on them. They are resisting eve teasing and molestation and reporting crimes like rape. Children are actively resisting their forced marriages.

Place of origin & student radicalism. Rural students were more radical than urban students at the systemic level. Out of 54 students hailing from villages, 3.70% were neutral, 9.26% were conservative, 55.56% were liberal and 31.48% are radical. Out of 94 students hailing from towns and cities, 1.06% were neutral, 5.32% were conservative, 50.00% were liberal and 42.55% were radical.

Economic status & student radicalism. From the data, we did not get a definite pattern of relationships between economic status and student radicalism. From the data we find that 87 students, i.e, 58% of the respondents, belonged to the Lower Income Group (LIG). 41 respondents (27.3%) belonged to the Middle Income Group (MIG). 8 students (5.3%) belonged to the Higher Income Group (HIG) .14 students (9.3%) did not respond and are ignored for the purpose of analysis. Of the 87 LIG students, 1(1.15%) were undecided, 9(10.20%) were neutral, 11(12.64%) were conservative, 32(36.78%) were liberal and 34(39.08%) were radical. Of the 41MIG students, 2(4.88%) were undecided, 8(19.51%) were neutral 9(21.95%) were conservative, 13(31.71%) were liberal and 9(21.95%) were

radical. Of the 8 HIG students, 1(12.50%) was undecided, 1(12.50%) was neutral, 1(12.50%) was conservative, 1(12.50%) was liberal and 4(50%) were radical. From the data, we find that the students coming from the Higher Income Group (HIG) were more radical than the rest. This finding differs from that of a previous study done in the late eighties, where the LIG students were found to be more radical than the rest. (Banerjee 2003) But this new finding should be tempered with caution, since the HIG students constitute only 5.3% of the sample.

Student radicalism & social class. From the data, we find that the middle class is numerically dominating higher education. But though the working class is in a minority in higher education, at the systemic level, this class is the most radical. Among the 6 students who identified themselves as working class, 2 (33.33%) were neutral, 1(16.67%) were liberal and 3(50%) were radical. Of the 19 students who were from the peasantry, 1(5.26%) were neutral, 2(10.53%) were conservative, 8(42.11%) were liberal and 8(42.11%) were radical. Of the 115 students belonging to the Middle Class, 2(1.74%) did not reply to the items, 3(2.61%) were undecided, 15(13.04%) were neutral, 22(19.13%) were conservative, 39(33.91%) were liberal and 34(29.57%) were radical.

Radicalism, Political Background and Political Activism

In this section, we will examine the relation between student radicalism, political background and political activism.

Student radicalism and discipline studied. In case of interactional radicalism, we find that the intellectual courses had the most radicals, thus supporting Metta Spencer's thesis (Cited in Banerjee 2003:16, 2013:314). Among 50 students of scientific courses, 1(2%) were undecided, 2(4%) were neutral, 4(8%) were conservative, 26(52%) were liberal and 17(34%) were radical. Among 50 students of intellectual courses, 1(2%) were undecided, 6(12%) were conservative, 18(36%) were liberal and 25(50%) were radical. Among 50 students of professional courses, 1(2%) were conservative, 34(68%) were liberal and 15(30%) were radical. But in case of systemic radicalism we find that students of professional courses were the most radical. Among the 50 students studying scientific courses, 1(2%) was undecided, 11(22%) were neutral, 16(32%) were conservative, and 9(18%) were radical. Among the 50 students studying Intellectual Courses, 2(4%) did not respond to the items, 1(2%) was undecided, 4(8%) were neutral, 5(10%) were conservative, 22(44%) were liberal and 16(32%) were radical. Among the 50 students studying Professional Courses, 2(4%) were undecided, 4(8%) were neutral, 4(8%) were conservative, 15(30%) were liberal and 25(50%) were radical. Further research is needed to examine the reasons behind this difference.

University type and student radicalism. We had classified the seven universities selected into two types—metropolitan universities and rural universities. Rural universities were those which were located outside Kolkata, in the districts. Universities, like Visvabharati, Vidyasagar University, Kalyani University and Burdwan University were classified as rural universities. Metropolitan universities were located in Kolkata. Thus Calcutta University, Presidency University and Jadavpur University were classified as Metropolitan Universities. 95 students (63.33%) studied in rural universities and 54 students (36%) studied in metropolitan universities. The relation between student radicalism and university was studied at the systemic level. We found that students studying in rural universities were more radical than those studying in metropolitan universities. Of the 95

students who studied in rural universities, 2 did not respond to the items in the questionnaire, 3(3.16%) were undecided, 13(13.68%) were neutral, 15(15.79%) were conservative, 28(29.47%) were liberal and 34(35.79%) were radical. Of the 54 students, who studied in metropolitan universities, 1(1.85%) was undecided, 5(9.26%) were neutral, 10(18.52%) were conservative, 22(40.74%) were liberal, and 16(29.63%) were radical.

Radicalism and Major Socio-Political Issues

In this section, we have selected some major social and political issues. We wanted to know whether students support or oppose globalization, the previous, UPA Government, the previous Left Front Government. What is their attitude to present day Bengal? Do these attitudes have any bearing on student radicalism?

Globalization and student radicalism. We found that with respect to globalization, 4 students (2.7%) did not respond to the items. 7(4.7%) were undecided. 52(34.7%) were neutral. 55(36.7%) totally rejected globalization. 19(12.7%) partially accepted globalization. 8(5.3%) fully accepted globalization. No clear verdict with regard to globalization emerges from the data. But we find that student radicalism is associated with globalization. We find that 1) 36.36% of the 55 students who totally rejected globalization were radicals; 2) 42.11% of the 19 students who partially accepted globalization were radicals. 3) 37.5% of the 8 students, who fully accepted globalization, were radicals. We may conclude that, at the systemic level, most radicals partially favour globalization.

Student radicalism and policies of government of India. We found that at the systemic level, more radicals supported the policies of the UPA Government. Of the 41 students who held unfavourable attitudes to UPA, 14.63% were liberal, and 24.39% were conservative, 26.83% were radical. Of the 51 students who held partially favourable attitudes to UPA, 19.61% were conservative, 18 35.29% were liberal and 19.61% were radical. Of the 43 students who held fully favourable attitudes to UPA, 2.33% was conservative, 39.53% were liberal 46.51% were radical.

Student radicalism and policies of left front government. We found that at the systemic level, more radicals than conservatives supported the policies of the Left Government. Of the 17 students who were unfavourable to the Left Front Government, 2(11.76%) did not respond to the items, 4(23.53%) were neutral, 5(29.41%) were conservative, 3(17.65%) were liberal, and 3(17.65%) were radical. Of the 41 students who are partially favourable to the Left Front Government, 1(2.44%) were undecided, 5(12.20%) were neutral, 10 (24.3%) were conservative, 13(31.71%) were liberal, and 12(29.27%) were radical. Of the 36 students who were fully favourable to the Left Front Government, 2 (5.56%) were conservative, 18(50%) were liberal, and 16(44.44%) were radical.

Student radicalism and attitude to post-left Bengal. We found that the majority of the respondents have an unfavourable attitude to society in Post-Left Bengal. From the data we found that 7 students (4.7%) did not answer the items. 16(10.7%) were undecided in their attitude to contemporary Bengal. 7(4.7%) were neutral. 76(50.7%) held unfavorable attitudes to contemporary Bengal. 38(25.3%) had partially favourable attitudes to contemporary Bengal. 6(4%) held favourable attitudes to contemporary Bengal. But the relationship between student radicalism and the attitudes of students to post-Left Bengal remains unclear. Of the 7 students who professed neutrality, 2(28.5%) were conservative, 2(28.5%) were liberal and 3(42.86%) were radical. Among the 76 students who held

unfavourable attitudes to contemporary Bengali society, 1(1.32%) was undecided, 13(17.11%) professed neutrality, 13(17.11%) were conservative, 23(30.26%) were liberal and 26(34.21%) were radical. Of the 38 students who had partially favourable attitudes to contemporary Bengali society, 1(2.63%) was undecided, 2(5.26%) were neutral, 6(15.79%) were conservative, 18(47.37%) were liberal and 11(28.95%) were radical. Among the 6 students who had fully favourable attitudes to contemporary Bengali society, 1(16.67%) was a conservative, 2(33.33%) were liberal and 3(50%) were radical.

Concluding Remarks

To conclude this study, we have studied student radicalism as a sociological construct. Like previous studies, this research has showed that student radicalism is a complex construct. It has several concomitants. The study has made a fresh contribution to the growing literature on student radicalism both at the national and international level.

References

- Banerjee, A. (1998). Student politics in India: a historical profile. In Anirban Banerjee (Eds.) *Exploring Student Politics*, Burdwan: Manasi Banerjee.
- Banerjee, A. (1999). The sociology of student radicalism: a critique of major theories, in *Socialist Perspective*, 26(3-4) December 1998-March 1999.
- Banerjee, A. (2000). The sociology of student radicalism: a review of the nineties, in *Socialist Perspective*, 28(1&2) 2000
- Banerjee, A. (2003). *Students and Radical Social Change*, The University of Burdwan, Burdwan.
- Banerjee, A. (2003). *Students & Radical Social Change*, The University of Burdwan. Abstracted in *CSA Sociological Abstracts* (Accession Number. 200500366).
- Banerjee, A. (2007). Change & continuity in student radicalism. Lucknow: *Eighth International Conference on Asian Youth and Childhoods*.
- Banerjee, A. (2008). Student activism in contemporary West Bengal. Jaipur: *RC 17 of the 34th All India Sociological Conference*.
- Banerjee, A. (2009). *Change & Continuity in Student Radicalism*, Burdwan: The University of Burdwan.
- Banerjee, A. (2010). Change & continuity in student radicalism: Abstract. In Deepak Ranjan Sahu, Anita Dash, Sthitapragyan Ray & Bikram Keshari Mishra (Eds) *36th All India Sociological Conference, (Development Polity & Social Tensions) Book of Abstracts*, Oxford University Press.
- Chakraborty, B (2011). Electoral tsunami in West Bengal. In *Socialist Perspective*, 34, (1-2).
- Datta, Ananda Dulal (2000). *Chattra samsader samparke chattra chattrider matamat: Bardhaman Chattra samsader upar ekti samajtattwik samiksha*, Burdwan: Masters Thesis.
- Konar, H.K. (1977). *Agrarian Problems of India*, Kolkata: Gour Saha.
- Mao Tse-Tung (1967). *Selected Writings*, Calcutta: National Book.
- Sen, Mrityunjoy (2012). Sakale takiye siksha mantrir dike, siksha mantra takiye nirbaban commissioner dike. *Edu-tone*, 2(14).

Anirban Banerjee, Department of Sociology, The University of Burdwan, West Bengal, India.

anirban_2banerjee1961@yahoo.co.uk

Tribal Migration and Emergence of Female-Headed Households

P.C. Jain

Abstract

South Rajasthan is an area which is known for its Bhil migrant. The tribal population migrate to nearby Gujarat for labour and other work. The article examines the dynamics of such migration and the emergence of female headed households and a new form of empowerment emerging among Bhil women.

Keywords

migrant, female, family, tribe, bhils, patronage

The tribals in Rajasthan are passing through a series of crisis. They are the original settlers of region. They encapsulated as a distinct society. Today they have come to a stage of development where most of their traditional sources of income generation are to be scarce. The role of emergence of Liberalization, Privatization and Globalization which has influence all the societies of world cannot be desired. Corporatization of agriculture of agriculture forest produce and demanded by the corporate section have also influenced the tribal community. The minerals of the hills have been exploited through state and private ownership. The forests of their terrain have fully been commercialized. The land which they tilled for countries have now been degraded. The land-man ratio has been disturbed. And the tribals are now obliged to leave their village and go to new pastures for earning their livelihood. Their family which is left behind has been exposed to the barren hills and degraded forests. Everything has changed; development programs have made their entry into their hinterland. Some education has come, roads have been constructed. But their scattered pattern of habitation remains the same. It has kept the tribal family isolated in its own community, that is, village. In the absence of men who migrates to other state, the females naturally take charge of the family, along with her children, aged person and disabled ones. The female has to maintain the family and face all crisis which come to her. Female headed families are those families where by in absence of males. The family responsibilities are shouldered by senior or head female in family.

Such female-headed families (Jain, 2014) have been studied among the Bhils of South Rajasthan. The Bhils constitute the second largest group in the country. In the state of Rajasthan they are found in the tribal Sub-Plan Area consisting of the districts of Banswara, Dungarpur, Pratapgarh seven tehsils of Udaipur and two tehsils of Chittorgarh. The Bhils constitute a majority in the tribe Sub-Plan area. The whole region is contiguous to the parts of western Madhya Pradesh- Jhabua and Dhar and Eastern Gujarat- Panchmahals.

Anthropologists have described tribals as an immobile lot of people. For centuries they have lived away from the mainline civilization. This has differentiated them from the caste Hindus. Their habitation pattern, food habits, dress pattern and adherence to animism has give them a discrete status in the country. Tribal society is a society which is autonomous and which has its own identity. Thus the ethnography of the Bhils of Southern Rajasthan is altogether different from the caste society. The discrete castes maintain their identity but at

the same time constitute a system. The caste society has a hierarchy which reflects inequality. The tribal society does not have any hierarchy. Each tribal has its own distinct and discrete identity.

Bhil Family

We have studied the family (Deliege, 1985) as it is found among the Bhils of the tribal region. As elsewhere, so also among the Bhils, family is a primarily and primarily social institution. When among the castes several functions have been taken over by the state and the civil society, the tribal family relatively remains unchanged. It is only very recent that the tribal family has received a new dimension. The men due to the various economic needs have been obliged to leave their village and go for earning a livelihood. In such a situation, that is, in the absence of men women take. This pattern of family which is new has been analysed in its various formations in the present paper.

Research literature on the family. The Bombay school of sociologists including G.S. Ghurye (1959), K.M. Kapadia (1955), I.P. Desai (1964), A. M. Shah (1973) have studied family as it is found in India. Along with Irawati Karve some other sociologists and anthropologists have also contributed to the studies of family in India. For instance, Kolenda(1987), Patricia Uberoi(2000) Madan(2000) and M.S. Gore(1968) have also explored the field of family study. I.P. Desai rejects the idea of common property, common residence and common hearth and says that the family in India can be analyzed in terms of jointness. The family has action orientations. Even if someone is away from the common residence but is oriented to actions towards the whole family, he constitutes the joint family.

Emergence of the Female-Headed Family

The emergence of female-headed family is quite recent; it has been due to the migration of Bhils to the cities and towns of neighbouring state of South Rajasthan. Most of the Bhils migrate of Vadodara, Surat, Ahmedabad and Bhavnagar. In the state of Madhya Pradesh their preference is for Indore and Bhopal. The present study focuses on the migrants who come to Ahmedabad. They work here as household servants, wage earners and workers in factories. The women who are left in the parent village have to take care of the family.

Historically the Bhils are not prone to migration. But their development at this stage of civilization is not without migration. In the initial stages of their evolution they lived as food gatherers and hunters in the hills and forests. They were known as Palvi Bhils, that is, Bhils of Pals—the forest area (Doshi, 1971). Then there was a migration and a section of them migrated to plains. They took to settled agriculture and moved to towns and cities for earning a livelihood. It is with this migration that the family has received a new dimensions thereby giving charge of family to the female.

Migration of the Bhils is due to several reasons. First, the forest is degraded and with it the forest produce has been denied to them. And, then, the land has got limited in proportion to the population of man. The development programmes could not check migration. It can be observed that the Bhils migrate to Gujarat not in search of green pastures. The problem with them is of survival. It is for earning bread. It should also be emphasized that it is occasional only that a few of them got comfortable jobs in Gujarat. For most of them who are daily wage earners or salaried workers, there are occasions when they have to remain unemployed in the city for days together. The remittances sent to the house are largely smaller. Though migration for a Bhil is not profitable, there is no other alternative to him to keep the family

alive. The forced migration also indicates that the Community Development Programmes of a history of five decades have failed to provide any relief to the Bhils.

Migration is not the fate only of Bhils. It can safely be said that the peasantry of South Rajasthan does not find agriculture as a profitable enterprise. The land is rocky. The rains are uncertain; drought are more than often. In such a situation migration seems to be a only way for the survival of the people. The non-tribal groups including Brahmins, Rajputs and artisans belonging to different castes also take to migration, among the migrants perhaps the Bhils are in large number. It is one thing to earn a livelihood through migration but the other most important thing is that the cost of migration is very high. There is adverse effect on agricultural development. When the man is away from the field and everything is left to woman, only status quo can be maintained by the females. Education of the children also suffers by migration.

Migration of Bhils, therefore, in the present context is circumstantial. Those who are migrants are largely illiterate, uneducated and unskilled. The women left behind in the parent village are also illiterate; Any how they make efforts to maintain the family. The decision to leave the village is taken collectively. The women have to look after the family, the prospective migrant contacts his kinsmen and members of the village. If there are some members of the community who have migrated to other places, his task becomes easier. It takes a couple of days to decide about the place of migration. Preferably the migrant accompanies with his kinsmen or a person of his village to the place of work. He has also to manage for the money which he is expected to carry with him. This amount is usually borrowed. Thus the decision to migrate involves the migrants own family, kin groups people and his village men. He gets as assurance that in his absence the family would be taken care of.

The woman is required to take care of the whole family. If she has some adult son, he also shares the responsibility. Since the migrant has gone with the assurance of the village trader, village and kin people also extend their help to the wife in situations of crises. The problem of the migrant's wife gets complicated when the crisis arises particularly of illness at night. In the village of our study there are no cases of polygynous families. And, therefore, the question of sharing the responsibility of headship does not arise. The new responsibility which the migrant's family has assumed is as under.

Responsibilities of the Family

Sowing and harvesting of crop. Normally the head returns to the parent village at the time of sowing and harvesting, but if he fails to come in time job is done by hiring some labour, payment for this work is done immediately but if cash money is not available, it is given in a couple of days. Similarly harvesting is done by the migrant himself or by hiring the labour. For hiring the service the rate of wage earning, labour payment are all done by the female head.

Keeping vigil. It is the responsibility of the female head to arrange for the vigil of the crop. Normally it does not require any manual labour and, therefore, the female-head herself or her family members perform this work.

Borrowings. The female-head in times of need borrows money from the trader of the nearby town. For the trader the family is his asami, that is, permanent customer, he knows it well that whenever the female head would receive remittances from the migrant, his dues

would be paid. In the absence of male member, the female head of the house has to look into the matters related to taking credit and paying the dues on time. There are several crisis that have to be resolved in the family in the absence of male member.

Exchange transactions. The crop is harvested normally with the help of the migrant. But it is not sold immediately. The market rate determines the sale. Though the tribal peasant has hardly any capacity for holding his produce, efforts are made to get reasonable return from the market from the produce; this decision is taken by the female-head. She would also decide as to the quantity of commodity which has to be kept in store for the daily consumption of the family. Consumption and exchange are determined on the basis of the farm output received for a particular crop. It is here that the female-head has to exercise her skilfulness. The migrant himself who is away from the family does not have any idea about the commodity which could be sold in the market as a surplus.

Resolution of conflict. There are a few crises relating to agriculture; it is the female who has to decide when to irrigate the crop; it is she who has to decide whom to hire and on what terms. Then there are conflicts regarding marriage and death. All these conflicts require on the spot decision. There are some sensitive issues like security of her females in her and other house. This has to be tackled by her in total isolation from the relatives and members of the village.

The head of the family in the absence of male is vulnerable to a large number of difficulties. Though the female head makes efforts to handle the remittances, satisfies the trader and manages agriculture, there are always some gaps. Her skilfulness lies in how she handles the family in the absence of her male. It must be admitted that the tribal female-head has been empowered to take decisions regarding her family in the absence of man. If the female-headship makes a successful story, naturally the status of female is elevated not only in the village and kinship groups but in fact within the cluster of tribal villages. Empowerment of tribal women in the capacity of head of the family is not absolute. She is always in contact with her husband. And in his absence whatever decisions she takes are Okayed and approved by the husband. This approval is invariably received whenever he returns to home. We have not come across any dispute which has arisen out of the decisions taken by the female head. And therefore, it would be safe to infer that the female head is head of the family though approval is always sought from the head.

Civil Society in the Parent Village

The migrants know it very well that the civil society in the towns and cities of Gujarat is very strong. They also know that whenever the state fails to provide civic needs of the people may it be water; electricity or road-there is always some agitations. It is easier for people living in cities to protest against the government. It is not a question of awakening; it is a question of earning a daily bread. Political rallies, demonstrations, strikes and bandhs are common in a city life. All this in Ahmedabad is possible because the civil society is aware of their rights. At the village level the civil society is very weak. It is almost absent here. As a matter of fact, the civil society in the migrants' village only insists to follow the community mores and traditions.

As a matter of fact, in the tribal context the relations between civil society and state are almost inactive. For the tribals, historically, the state has always been repressive. It is the state which is constitutionally accountable to the welfare of the female-headed family. Why

adult male is compelled to leave his village and work at a place which is alien to him? Had civil society been awakened among the tribals, the female-headed families would not have emerged at all. Which woman would like her husband to remain absent from village not for a day or two but for months together without minimum interaction? If the resources of earning would not have been hijacked by the state, the tribal family would have lived peacefully.

The basic idea of female headed family can further be questioned the female surely takes decisions in the absence of man. But all these need to be approved as soon as the male returns. If final decision rests with the migrant head, how is female the head of the family. Such a kind of argument makes a sense. But the fact remains that whatever has been independently decided by the female-head is duly approved by the male. And this makes the female-head more powerful and successful.

Feminists usually rejoice on the emergence of female-headed family. They argue that the tribal woman have very successfully taken over the charge of family head from the males. It has also been amply demonstrated that given proper opportunities the females are fully capable of taking independent decisions. They are empowered. Such an analysis of the female-headed family is worthwhile but there is yet another aspect of this new pattern of family. The females are not without their hardships. As a matter of fact, migration is never without its social costs.

However there is another side of this migrant phenomenon. The lonely women left out have to face several hazards. She faces several socio-economic problems. As such we may say that on the one side she handles the household, but is deprived of so many socio-legal protections which in absence of husband, she faces. One may agree that the migration has a root in economic difficulties. However the question arises as to what kind of movement is required to provide employment and what kind of planning and programmes be undertaken for solving the problems. What can be the role of civil society in absence of efforts of the state? These who are migrants do not get themselves integrated with urban society. In fact the family is fixed with two types of situations. The family divided in two have its own impact.

The phenomena requires a careful understanding of this migrant phenomena and its contradictory impact on male and female both. The phenomena question both empowerment as well as a force which compel tribals leaving his household and earning for it.

References

- Desai, I.P.(1964). *Some Aspects of Family in Mahua*, Bombay : Asia publishing house.
- Deliege, Robert (1985). *The Bhil of Western India*, New Delhi : Nation Publishing House.
- Doshi, S.L.,(1971). *Bhils Between Self Awareness and Cultural Synthesis*, New Delhi: Sterling Publishers.
- Ghurye, G.S. (1959). *The Tribals So Called and Their Future*, Bombay: Popular.
- Gore M.S. (1969). *Urbanisation and Family Change*, Bombay : Popular Prakashan.
- Jain P.C.(2014). *Tribal Migration and Women Empowerment*, Jaipur : National Publishing House.
- Karve Irawati (1989). *Marriage and Family in India*, Delhi : Oxford University.
- Kapadia, K.M. (1955). *Marriage and Family in India*, Calcutta : Oxford University.
- Kolenda, Pauline (1987). *Regional Differences in the Family Structure in India*, Jaipur: Rawat.
- Madan, T.N. (1989) *Family and Kinship : A Study of Pandits of Rural Kashmir*, Asia Publishing House, II Revised edition Oxford University.
- Shah, A.M. (1973). *The Household Dimensions of the Family*, New Delhi: Orient Longman.
- Uberoi, Patricia (ed) (2000). *Family and Kinship in India*, New Delhi: Oxford University.

Struggling to Endure: The Little Tradition of Devnarayan's Phad

Tanmay Sharma

Abstract

Rajasthan represents a unique mosaic of cultural diversities. Little traditions are those which are specific to region, caste, groups and have definite socio- religious, historical and entertainment values and standards. *Phad* is one of the traditional formations of a regional epic associated with visual and performing art of a local deity of the Gurjar community, Devnarayan. However, several forces have influenced it. The article deals with the prevalence of this little tradition and its emerging newer forms and its attempts to keep pace with the modern phase. This article evaluates the present state of the tradition and its struggle for endurance.

Keywords

tradition, little tradition, devnarayan phad, transformation

Amidst the land of diverse culture, so rich and vivid, arrived a trend in the 1990s (in India) which somehow gave a mighty blow to the traditional Indian society. Though, still in transition it has reached a point where the ethnic identity loss is at high risk. The contemporary scenario is going through all sorts of dramatic changes one can envisage. Traditions got weakened at the hands of the 'modern era' affecting both culture and religion with their related practices.

Strictly speaking, the modern factors of change have influenced these cultural treasures adversely. Although change is inevitable, irreversible and is the only static phenomenon but the recent developments show change at such a faster rate that by the time society tries to cope up with it another hops in and thus the former is left behind leaving little or no scope to keep pace with the contemporary events. W.F Ogburn (1922) proposition of 'Cultural Lag' justifies the situation too. He maintains, "When changes occur in material (tools, machines, dwellings, transportation etc.) aspect of culture, those in turn stimulate changes in non-material (family, religion, state etc.) aspect of culture, the non-material culture is slow to respond to the rapid inventions in the material culture. When the non-material culture does not adjust itself readily to the material changes it fails behind the material culture and the result is a lag between the two. This lag between non-material and the material culture is 'Cultural Lag'". Also it is quite evident from the historical events (French revolution, Industrial revolution etc.) that every society transforms itself to becoming more flexible, more competent and technologically advanced. Also, it should be noted that if any society tends to get on the verge of losing its ethnic identity, it becomes a social responsibility rather than just an obligation of the contemporary social scientists to endeavor and safeguard its uniqueness and thus its identity. In contrast to this, there are several hardcore Darwinian fans who argue with the notion of 'Survival of the fittest'. Irrespective of this theory one just cannot overlook that it is the society that has been built by the consensus of its members who tailor it, shape and reshape it for its better functioning and smooth operation.

Little Traditions

The origin of little and Great traditions is from Robert Redfield (1955), who conducted his studies in Mexican communities. It was then that he discussed the concept of little community. According to him, “little community was a village that had smaller size, self-sufficient and relatively isolated”. Inspired from Redfield, the concepts were used by McKim Marriott and Milton Singer for observing social changes in India.

Singh (2001) opines that, a unity of a civilization is maintained by its cultural structure which perpetuates a unity of world-view through cultural performances and their products. These cultural performances are institutionalized around the social structure of both Little and Great traditions. Those persisting and important arrangements of roles and statuses appearing in such corporate groups as castes, sects, or in teachers, reciters, ritual leaders of one kind or another, which are concerned with the cultivation and inculcation of the Great tradition form the social structure of this tradition. The social structure of the little tradition consists of its own role-incumbents such as the folk artists, medicine men, tellers of riddles, proverbs and stories, poets and dancers etc.

Little traditions are the traditions of the village i.e. the folk or the unlettered peasantry. It denotes a social change in that order (Marriott, 1961). It is interesting to know that these little traditions when cross the physical boundaries and gain consensus and popularity from the non natives, gets converted to 'Great Traditions'. Although it is a very gradual process and may take a lot of time and effort to establish itself in to a Great tradition. These are not mere local narratives as propounded by some post modern thinkers but linkages to the Great traditions. In the words of McKim Marriott and Milton Singer, “assume that all civilizations start from a primary or orthogenetic level of cultural organization and in the course of time, are diversified not only through internal growth but more important through contact with other civilization- a heterogenetic process”. The Little traditions, therefore, do not indicate any beginning of local narratives. They are diversified only as a linkage to the Great traditions (Doshi, 1999).

According to the Merriam Webster online dictionary, a folk is “the great proportion of the members of a society that determine the group character and that end to preserve its characteristic form of civilization and its customs, arts and crafts, legends, traditions, and superstitions from generation to generation”. One such folkway is a story that turned into a folk epic, a Little tradition that has been breathing in the sands of time for the past 1100 years or so, is Devnarayan's (911 AD) (Datta, 2006), life memoir and his *Phad*. A warrior, who turned in to a medieval hero and venerated as a folk deity, is believed as an incarnation of the Hindu God Vishnu- the preserver of universe.

Devnarayan, a local deity in central Rajasthan and North western Madhya Pradesh is chiefly worshipped by the Gurjar community (Chundawat, 1977). His cult majorly covers the districts of Chittorgarh, Bhilwara, Ajmer, Jaipur, Tonk, Sawai Madhopur, Bharatpur etc. in Rajasthan. Perhaps the reason as to why the Gurjars confirm to these particular regions is because it is believed that several important life events form Devnarayan's life occurred at these places and hence these places possess a divine aura to which the people of this faith connect to. The deity has four major centers of worship. It includes Devmali at Ajmer-Bhilwara border, Maalaseri and Aasind in Bhilwara and Jodhpuriya in Tonk. The *Phad* of Devnarayan is one among the many traditions that has the ability to grab attention of the

historians, the artists and several others. With the course of time it has become one of the vital components of the cultural heritage of Rajasthan making it more vivid, colorful, richer and culturally diverse setting an example of unity in diversity.

Doshi (2003) maintain that, a narrative can be explained as a pre eminent form of traditional customary knowledge. It is through the narratives that the pragmatic rules, which are the bond that holds the society together, are transmitted. That bond is created not only by the meaning of the narratives but also the sheer act of reciting them, which exactly happens in the case of 'Devnarayan's Phad Vaachan'. Here, the Phad can also be classified under a micro narrative. The legitimation for such narratives does not come from the external source rather they come from the simple fact that they do what they do.

Devnarayan's Phad

The story of Devnarayan that generated a massive following within the community has once occurred in their lives and relates to their problems, struggles, sacrifices, vigor, perceptive emotions and valor that made the narrative into a whole folk epic. Certainly, the folk epic is a gift of its listeners and singers which, with time travel, has become more beautiful. During his research on Devnarayan's Phad, Miller (1994) stated that, the legendary narrative of Devnarayan has two parts. While the first is about the exploits of twenty four Bagrawat brothers who belonged to the Bagrawat lineage of the Gurjar cattle herding caste, the second is employed in telling the wonders and miracles of the Hindu God Vishnu's incarnation- Devnarayan, finally resulting in establishment of Devnarayan's cult amongst his followers.

In the first segment, the 24 Bagrawat brothers are blessed, by Hindu God of destruction- Shiva (in the form of Baba Roopnaath), extreme wealth. To gain eminence they provided alms to the poor and the needy, roam around throwing their charm and leading a high profile lifestyle. Their much extravaganza creates envy in the high Rajput social order and the king of the underworld, Raja Basak (Serpent king). Upon Basak's insistence lord Vishnu arranges for the brothers to be obliterated but, only if Lord Vishnu promises to incarnate himself later to their clan. The goddess coordinates the brothers' destruction when she caused a federation of Rajput rulers to rise against the brothers. After this war, Saadu Maata Gurjari (eldest brother's wife), four sons and their vast herd of cattle remain.

In the other half, lord Vishnu personifies as Devnarayan and comes to Saadu and when Raviji (Rajput ruler) tries to kill the infant, Saadu flees to her father's home at Malwa (now Madhya Pradesh). There Devnarayan spends his childhood mainly involved in playing around. It all changes when their clan genealogist (Chochu Bhaat) reaches there and tells the mishap so done to his family. Without the prior permission of his mother, Devnarayan along with his few left cousin brothers march towards his father's foes ultimately being victorious by punishing and killing their enemies. In the end he establishes his cult and departs to the heaven.

Now, imagine this whole tale represented on a 30 feet long cloth through paintings, depicting the numerous major and minor scenes of Devnarayan's life and related people and sung in rhymes by a singer cum balladeer i.e. a Bhopa. This curtain type cloth, painted and sung is called a Phad and since it depicts life history of Devnarayan it is called Devnarayan's Phad. "The Phad comprises of a central figure, Lord Devnarayan- the largest figurine in the phad and is accompanied by his four brothers. The Phad depicts a variety of incidents to the

Lord Devnarayan like wars, hunting, Sati burning, animals, and Hindu gods like Rama, Krishna and Narsimha etc. The Phad is painted in 5 colours- orange, red, gray, green and yellow with each having a specific significance.

Origin and Preparation of the *Phad*

The history of Phad started about around a thousand years ago when Chochu Bhaat, a devotee of Devnarayan and the clan's genealogist first assigned a Joshi Phad painter to make a phad painting on Devnarayan's life. After seeing the artwork done, Devnarayan licensed the 'Joshi' caste to make Phad paintings and ever since then, Joshis are committed to making Phad paintings. The professional painters called 'Chitera' are known by the clan name Joshi of the Chipa caste. Joshi is derived from 'jyotshi' who were Brahmin horoscope/calendar predictors. Later they adopted Joshi surname from Jyotshi. They now reside in Bhilwara city and Shahpura (near Bhilwara) and are continuing the painting legacy. There is a peculiar way to make Phads and it involves multiple steps which certainly have evolved over time to produce brush strokes turning it into a marvel. The cloth used is either Khaadi or Reja which is a little crude in nature. They prepare 'kalaph' by boiling rice making it into a thick paste. Then they apply this paste along with gum to make it stronger and let the cloth dry in sunlight. The finished cloth is now ready for further processing. This cloth is rubbed with a special type of stone device called 'Mohra' to make it fine and allowing it to be finally painted upon. The painters make natural colors like they use indigo for blue etc. The painting is now ready to be painted and the first stroke is made by a virgin girl of the family or of a higher caste before which a coconut is offered to Hindu goddess Saraswati. The phad is divided into different parts making rough sketches of the whole epic. Once this is done, the artists now colors to show to give liveliness in the characters. It should be noted that the figures in the Phad are face each other and not the viewer making the painting more realistic. The black outlines mark the end of Phad painting making it livelier than ever.

The artist leaves only the pupil of the central figurine (here Devnarayan) to be painted. He paints it on the arrival of the Bhopa and its patron and duly signs it besides the central figure. He also marks the date and the name of the patron.

Performance of the *Phad*

As the Phad changes hands from the painter to the Bhopa it marks a beginning of an evening of singing, dancing and story-telling of the folk epic by the balladeer, the Bhopa. The Bhopas are the 'Singers of the Epic' (Dalrymple, 2011). The Bhopa are sacred specialists who worship Devnarayan. A Bhopa reads and sings the erected Phad in villages either he is invited or he goes in person providing it more aesthetic sense. The performance of the Phad only begins in the evening after sunset i.e. 'Dev Prakash'. In an interview with peeru Bhopa (1995), The Bhopa does all the prerequisites required before starting the show. This includes sprinkling water, lighting a 'diya', keeping a 'thali', burning incense sticks and praying to his lord.

The main Bhopa (Patvi Bhopa) wears a red colored skirt with a green colored top draped around his chest and also a turban. He plays a special type of instrument called 'Jantar' and wears 'ghunguru' to his feet to produce sweet sounds (Samanta, 1998). While the assistant Bhopa entertain the audience cum spectators, the Patvi Bhopa prepares himself. And now begins the show when the Patvi Bhopa starts to sing hymns to Devnarayan. It may take several nights for the show to conclude as this Phad is the largest Phad of all. The Bhopa

narrates the folk epic on the basis of the paintings to the followers adding explanations and also improvising on these. Each scene comes to life as the narration gains momentum. The assistant Bhopa helps and repeats the hymns sung by the Patvi Bhopa while he teases and jokes with him. As the dawn breaks, the last recitation of the hymn is done and the 'prasaad' is distributed to everyone. The Phad is then rolled up to be opened only till the night falls. Perhaps due to this rolling and unrolling of the Phad, it has been named so; because Phad in the local language means 'folds'.

Once the Phad's worn out and cannot be used further for recital, it is cast off in the holy lake of Pushkar. This ceremony is called 'Thandi karna'.

Social and Cultural importance of the Phad

Here, the main aim of the theme ponders over the importance of Devnarayan's Phad in the day to day lives of the people as to how it has affected their lives, what type of teachings and social values the *Phad* has provided to its followers and also how instrumental it has been in shaping and imbibing the ethos from their deity. Also, what role does it play in socialization of the people of the community. What makes this epic a fascination, apart from the art work, is that there is no record of the hymns in black and white. This mammoth sized epic can only be learnt through the process of socialization at the Bhopa's end. The Bhopas have marked their presence in history by taking this challenge and have been successfully passing the tradition from one generation to other. Just like the 'Vedic Richaein' these have been transmitted in the form of 'Shrutis' and 'Smritis'. Along with this, the concern here is to establish a connection of the Phad with the three basic institutions of Society i.e. marriage, family and kinship. The Phad is intrinsically endowed with these institutions making it interpretable in a sociological manner. In addition to this, the character of Devnarayan can be interpreted as Max Weber's 'Ideal Type' model. An incarnation of Hindu Lord Vishnu, his childhood is in congruence to 'Baal Krishna and his Leelas', a dutiful son, a justice seeker and several other adjectives can be added further to highlight his persona as magnetic and divine thus giving the opportunity to the members of the society for finally establishing a cult and making a million followers and also providing them a new faith. Not to be forgotten are his ethics and social values which made him charismatic.

Changes and Challenges

The folk epic till now has seen its troughs and crests but, in the contemporary scenario instead of gaining momentum or even maintaining equilibrium, this art form as a performing art (not as a painting) is fading away slowly. As Smith (2005) concludes, "the tradition of epic performance is rapidly dying..... Thus a tradition that was still flourishing in the 1970s- though even then promoting attitudes that seemed to belong to a much earlier age- has almost completely lapsed". The lacuna so created would also hamper the continuing legacy of this 'Little tradition'. The sudden influx of modern day entertainment sources like that of television, smart phones, computers and more so the internet has started hollowing these art forms, be it 'Little or Great tradition'. Miller (1996) remarks, "Because of developing circumstances caused by the explosion of modern technology in an ancient culture, it may rapidly disappear in this present form. We are in fact catching it by the tail before it disappears over the hill of history."

Change is inevitable but that shouldn't come at the cost of cultural treasure one possesses. One must learn that sustainable development is not only applicable to the natural

resources but also extends to one's tangible and intangible heritage and ethnic identity. In addition that culture and 'modernity' can coexist setting a perfect example of being heterogeneously symbiotic. A couple of factors may be attributed to its diminishment.

- Modern sources of entertainment.
- Apathy shown by the community in preserving and sustaining the art.
- Lack of patrons.
- Commercialization of Phads.
- Adoption of different employment by the Bhopas.
- Lack of formal institutions for the revival of the art form.
- Insensitivity by youth towards their own culture and ethnic identity.
- Culture and ethnic identity.

Also, now-a-days, the Phad painting has become a graceful art which has afforded to find its place in the living rooms of the elite thus adding to its misery.

Above all, this doesn't end here just by making notes on the problems but, in providing a mechanism to address to such grave issue which may help sustain the art before it succumbs to extinction and could be only seen/ heard in books and documentaries. A grass-root approach can be experimented for the resurgence of the Bhopas thereby helping them to sustain their livelihood. Some of the suggestions are:-

- Sensitizing the community towards their cultural loss.
- Providing patrons to the art form in and outside the purview of the community; perhaps raising funds for the same.
- Linking the process of learning and singing the epic to central government programs such as 'Skill India' with the help of the Bhopas thus helping to prosper both, the teacher and the pupil.
- Involving non-governmental organizations for the art form's propaganda.
- Giving some liberty to the villages or Panchayats to become care takers for their 'Little traditions'.
- Providing financial assistance in the form of aid by the government to boost the art.
- Opening up vocational training schools/ institutes (like Lok Kala Mandal) which may provide training and performing the art form.
- Syndication of the art form with the help of recently gaining popularity media i.e. social media and through other media forms too.

Now-a-days, the Phad painting has become a graceful art which has afforded to find its place in the living rooms of the elite. But, what lies ahead is that it should also be brought to limelight before it is shunned by the sands of time.

Reference

- Chundawat, Lakshmi Kumari (1977). *Bagdawat Devnarayan Mahagatha*.
 Datta, Aamresh (2006). *The Encyclopedia of Indian Literature*, Sahitya Academy.
 Doshi S.L (2003). *Modernity, Post Modernity and Neo-Sociological Theories*.
 Doshi S.L (1999). *Rural Sociology*.
 Ogburn, William Fielding (1922). *Social Change*.

- Joshi O.P (1976). *Painted Folklores & Folklore Painters of India*.
- Kumari, Amrita ed.(2011). *Journeys through Rajasthan, William Dalrymple in Pabusar*.
- Marriott, McKim, (ed.) (1961). *Village India*.
- Miller, Joseph.C Jr. (1994). *The Twenty Four Bagrawat Brothers & Lord Devnarayan: The performance of a Folk Epic of Rajasthan, India*.
- Redfield, Robert, (1955). *The Little Community*.
- Samanta D.K (1998). *People of India, Rajasthan”, Bhopa, Part One*.
- Singer, Milton (1995). *Traditional India: Structure and change*.
- Singh, Yogendra, (2001). *Modernization of Indian Tradition*.
- Smith, D John (2005). *The Epic of Pabuji*.
- Magazine- “*Gurjar India, Special issue on Peeru Bhopa*” (1995).
- Documentary “*Painted epics of Rajasthan*”, Door Darshan.
- Documentary “*Phad Painting & Shri Lal Joshi*”, Lalit Kala Academy.
- Documentary “*Phad Paintings of Rajasthan*”, BBC, London.
- www.phadchitakari.com.

Tanmay Sharma, Research scholar, Mohan Lal Sukhadia University, Udaipur.

Tribals and Hindu Nationalism in Context of North - East India

Pranjal Sharma

Abstract

The main focus of this paper is on the idea of Hindu nationalism and its influence on the tribals of North East India. The pertinent question here is that if the tribals of this region have impact of this ideology on their way of life as noticed in the other parts of India? It has been analyzed about some major tribes like Bodo, Sonowal Kacharis, Tripuri, Mishing, Jaintia, Khasi, Garo, Mizo, Karbi, Tai-Phake and other tribes of Manipur, Arunachal Pradesh, Nagaland and Sikkim. These tribes have been compared with other tribal communities in India.

Key Words

nationalism, hindu nationalism, sanatan dharma, hindutva and tribes

The compulsion for conceptualising an Indian nation was largely the outcome of British Colonial pressure and its articulations.” (Sharma and Oommen 2000:1). “Broadly speaking, the tribals were identified in seven ways these were: (1) ancient civilisational entity (2) composite culture (3) political entity (4) religious entity (5) geographical / territorial entity, with a specific cultural ethos (6) a collection of linguistic entities and (7) unity of great and little traditions. The first three of above were specifically pre-partition conceptualizations. The fourth initiated the impulse of partition, achieved that objective, and has continued to provide a source of legitimacy. The fifth, sixth and seventh conceptualizations largely relate to the post-partition period. However, it is important to note that these conceptualizations did not always surface in the order in which they are listed; some of these co-existed and completed for legitimacy.”

Mookerji (1914) opined that the unity of India is based on natural geography, an ancient pan-Indian Hindu culture, economic self-sufficiency and the inter-dependence of her constituent regions. Karna (2000:79) writes “Nationalism is an ideological phenomenon, a matter of ideas and concepts, adhered to by certain groups and communities... Nationalist ideologies are formulated in order to gain and return hegemony. Nationalism... is a reflection of primordial identities like the family, inherently superior to other loyalties... Nationalism in its identification of a people with the territorial nation state is a historically modern phenomenon.... A series of elements are identified, constructed and placed together to constitute the nation. Some such decisive elements recognised so far are common territory, common origin, common historical experiences, common religion and morals, and common customs. These objective characteristics cannot possibly be juxtaposed but can only be understood in terms of complementarily or independence.”

The concept of nationalism appeared during flight against colonialism under the British rule. It was an emergence during middle ages in Europe. The term became important for

modernizing nations:- Where the idea was that there is a community among the people of a state and the people are living with common goal, common aims and objectives. There has been a long history of emergence of Indian Nationalism in India (Desai, 1971). With the coming of Britishers several transformations took place and these transformations produced the ideas towards nationalism. Such transformation brought new technology, a common system of Bureaucracy, common political platforms and a common approach to producing concept of nation and nationalism. Even during colonial rule Hindu ethnicity and its emphasis on Hindu majority and formation of Hindu nation emerged. It was all a fading of a community unity minus basic characteristics of nationalism. It was same what dubbing nation in terms of ethnic group which happen to be a religions group. The nationalism was defined by them in their own way.

The tribals were considered as a part of Indian nation. There has been a long debate on the problem of tribal integration in india. Elwin (1934) in colonial days advocated non integrated approach. However dealing with NEFA in post independence era, he advocated a set of principles for their integration. Several anthropologist and sociologist took a caution approach. However a number of Hindus as a part of a political organization talked of converting tribals in Hindu religion and integration of them to Hindu fold. During 50's tribals were termed as a backward Hindus (Ghurye,). And a demand was made to integrate them with rest of hindu fold. Hindu nationalism thus turned to be a political slogan and political programme. It did not concern to an unified – integrating population without differentiation in these groups. In present socio-political structure Hindu nationalism is a part of Hindu campaign and Hindu political ideology. Sociologically the term is a part of ethnic ideologies in India.

Tribal Population in India

“The tribals are found in almost all the states and union territories. In terms of geographical distribution, about 55 per cent of the tribals live in Central India, 28 per cent in western India, 12 per cent in northeast India and 4 per cent in south India and one per cent elsewhere” (Pathy, 2000). He further said that “There are two major concentration : (i) The Central mountainous tracts stretching from Sea to Sea on an east- west axis and bound by the river Godavari to the South and Spanned by the Vindhya and Satpura ranges, covering the states of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, West Bengal and Others with about 83 per cent of tribal population; and (ii) The mountainous tracts of Northeast India, Separated by the Brahmaputra Valley, Covering a part of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura, Arunachal and Mizoram States with a Strength of over 12 per cent of the tribal population. The rest (5 per cent) are distributed over the peninsular South, among the oceanic groups and in the Northwest Himalayas.”

The Northeast region of India as a geo-political region, comprises the group of eight states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim. Sikkim is just included in North Eastern States and earlier expect Sikkim, the rest of the Seven states in the region are commonly referred to as the 'Seven Sister States'. The region covers an area of about 2.62 lakh sq km, which is 7.9 per cent of India's total geographical area. The population of the region Stands at 4,55,87,982 as per the 2011 census which is 3.8 per cent of the total population of India. The region shows an average population

density of 176 persons per sq km, which is much lower than the all-India average of 382 persons per sq km (censusindia.gov.in).

Northeast India is distinct in several respects. It is unique in terms of its strategic location and geographical features. It is bounded by Bhutan, Nepal and China in the North, Myanmar (Burma) in the east and the south and Bangladesh in the west and the south. It is connected to the mainland of India through a small corridor of land popularly called the "Chicken's neck". The region has 98 per cent international boundaries on the three sides and a small 2 per cent State boundary on the Western Side bordering the States of West Bengal. The region contains striking socio-cultural and ethnic diversities. The linguistic and the religions composition of the region is extremely plural and complex.

The people of the region speak numerous languages, follow diverse cultural patterns and profess several religions and faiths. The region is inhabited by both tribal and non-tribal people. The non-tribal people preponderate in the plains areas, whereas the tribal people dominate the hill areas of the region. Wide-range developmental disparities and socio-economic inequalities exist among both the non-tribal and tribal people of the region.

Also the region is constantly marked by insurgency, ethnic clashes, political turmoil and turbulence, which is followed by various forms of social movements, ranging from socio-religious movements, secessionist and autonomist nationalist movements to human rights and ecological/environmental movements. The issue of migration especially the case of Bangladeshi citizens is important in case of North-East India.

Conclusion

Let us specify that North-East state had a tribal cultural structure which had its own meaning and way of life. With the colonialism Christianity spread. It had a western impact. The nearby Bengal and Myanmar provided some incentives to Muslims. Before independence Hindu ideology also emerged. Thus main conception was that as Hindus are in majority, The nation must have a Hindu bias.

Such Hindu ideology considered tribals as backward Hindus and considered them as a target to change them to Hindu ideology and rituals. Later on such activities took a political shape and currently turned as Hindu Nationalism- meaning a kind of nationalism different from values of constitutional values. In India it is more a political slogan used everywhere even in North-East. This has happened in recent elections.

The concept is a dilemma for the tribals. In many states like MP, Bihar, Rajasthan and Maharashtra, the culturization process took place and Hindus played a dominant role in changing the life of tribals. But in north-east several factors prevented them for a like production. The Hinduization and Hindu nationalism appeals are basically a part of assimilative process- with a political agenda thrown by an organization- which has a mix of religio-political nature.

A deep study is needed to examine such process which may give an idea as to how Hindu nationalism is in operative for such a change. North-East is an interesting region to understand geo-political anthropo changes as well as the influence of so called Hindu forces in the region. This may help in understanding of tribal non-tribal socio-political relations in the region.

References

- Baviskar Amita,(2005). Adivasi encounters with Hindu nationalism in MP, *Economic and Political Weekly*,40(48).
- Bos N.K, (2003). Religious syncretism and India. In N.K.Das (Ed) *Culture, Religion and Philosophy : Critical Studies in Syncretism and Inter-Faith Harmony*. New Delhi: Rawat.
- Elwin,V.(1934). *Aboriginals*, London : Oxford.
- Froerez Peggy. *Emphasizing 'others': the emergence of Hindu Nationalism in a Central Indian Tribal Community* – www.philosophy.dept.shef.ac.uk
- Government of Tripura , *A Land of Rich Ethnic Tapestry-Tripura* – 2010, Tribal Research and Cultural Institute.
- Jaffrelot Christopher,(2000). *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics*, New Delhi: Penguin Books.
- Jaffrelot Christopher, (2007). *The Hindu Nationalism : A Reader*, USA: Princeton University Press.
- Jain, Girilal,(1994). *The Hindu Phenomenon*, New Delhi :- UBS Publishers.
- Karna M.N(2000). Language, Religion and National Identity. In Sharma S.L and T.K Oomen (Eds) *Naiton and National Identity in South Asia*, New Delhi: Orient Longman.
- Mookerji Radhakumud, (1914). *The Fundamental Units of India*. London: Macmillan
- Pathy Jaganath (2000). Tribe religion and nation in the context of the Indian state. In Sharma S.L and T.K. Oomen (Eds), *Nation and National Identity in South Asia*, New Delhi: Orient Longman.
- Sharma S.L and T.K Oommens, (2000). *Nation and National Identity in South Asia*, New Delhi: Orient Longman.
- Sonowal C. J (Eds) (2010). *Quest for Identity, Autonomy and Development*, New Delhi: Akansha Publishing.
- Target Northeast (2014). How RSS plans to make the region saffron – *Hindustan Times*, Dec 15. https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_nationalism

Dr. Pranjal Sarma, Head and Associate Professor, Dept of Sociology, Dibrugarh University, Dibrugarh-786004, Assam. 09435803047
Email-sarmapranjal1@yahoo.co.in

Fertility Behaviour of Women and Preference for a Male Child

Ranjeeta Garg

Abstract

The fertility behaviour of women affected by complex social, economic, cultural and even political circumstances in which they live. Preference for a male child is generally viewed as a socially determined bias. In a patriarchal society, couples prefer to raise a child who has the culturally accepted characteristics, status and economic potential associated with the male gender. The present research paper deals with the intentions and management practices of women of three continuous generations with special reference to their desire for sons. The study is exploratory and qualitative in nature and tries to figure out women's intentions and strategies to beget a male offspring.

Keywords

fertility behavior, son preference, intentions, status, conception

Every society manifests its own rules and regulation regarding female fertility in some or the other way. A woman's status and prestige within the community is determined by the degree to which she meets some culturally defined concept of fertility. In some cases, that definition may include the number of children she bears. In others, it may be related to the sex of the children or the age at which she first becomes pregnant.

Deeply rooted cultural motives are most likely to be relevant as described by the Indologist Syed (2001) who illustrates the historical foundations of the traditional preference for sons and the rejection of daughters in old Indic texts. The local culture of a place also plays an important role in determining women's control over their own fertility also as in determining any other aspect of a community life. But, on the other hand, the nature of local culture has been such that within this set up women find scope to manipulate their fertility according to their own desires.

A large number of women have tried to manage their fertility according to their own intentions since time immemorial. Though the patriarchal social structure and pro-fertility cultural milieu have always discouraged women to take fertility related decisions, but it is evident by the rapid speed of fertility transition that with the changing times women have acquired some control over their fertility according to their wishes.

Women of all generations have made an attempt to practice their fertility intentions with the help of institutional or non institutional folk traditional methods, sometimes silently and sometimes by expressing their desires straight forwardly. Women's fertility behaviour is influenced by the socio-cultural background of their own generation and this socio-cultural background has much to do with the lives and experiences of the previous generations. Hence, there is a quite evident need to understand the cultural dynamics operating in various generations which shape the fertility intentions of women of various generations regarding fertility and in the background of these intentions women try to manipulate their

circumstances for management of their fertility according to their own desires through medical and non-medical means available to them at those times.

Cultural Framework of Fertility

Sociology began to focus explicitly on the study of fertility within the cultural framework around the middle of 20th century. Dyson & Moore (1983), tried to underscore the regional differences in women's autonomy. They used the concept of female autonomy in analyzing women's reproductive behaviour and their analysis showed a higher degree of gender stratification in the North Indian patriarchal structure than in South India which explained the fertility differential between these two parts of the country on the basis of differences in gender stratification. In another study Karki (1998) found the changing socio-cultural, economic and developmental factors to be responsible of the changing fertility behaviour of women. Freedman (1974) has recognized that the neighbourhood, community or social milieu in which a couple live can affect their fertility behaviour. Das & Deka (1982) have also considered the role of cultural factors in fertility decisions as there is evidence that the fertility behaviour changes with different cultural settings.

In a very different kind of qualitative work Patel (1994) found that the patriarchal structure itself gives some autonomy and a prestigious status to a woman but only after the birth of male child by her. This is the outcome of her intensive study in 1994 of a village in Jodhpur district. She concluded that fertility, especially a son's birth improved a woman's status and only after having grown up children, including of course sons, a woman attains higher status. In 2004, Patel reinforced her statement by arguing that individual choices regarding child bearing are made in a social context and are dependent on it. She also emphasized that women's choices are made within both a micro-level framework and a macro-level framework. The specific conditions such as gender relations, one's own income, adequate housing facilities, information regarding contraceptives and accessibility of services which are parts of micro-level framework affect women's fertility in the same way as the macro-level framework of patriarchal structure which determines gender relations.

In the same way, Chiriguini, Vitello (2002) in a study of reproductive health of rural Native American women found that culture as a system of values, beliefs, patterns of behaviour and ways of life influence conscious and unconscious decisions leading to fertility behaviour. Caldwell (1983) has proposed a wealth flow theory and in this regard, he concluded that the worldwide transition from high to low fertility is the result of a change in family structures from upward to downward wealth flows. The theory proposes that fertility decisions in all societies are economically rational responses to familial wealth flows. In a more vivid study, Foster (1993) has propounded 'a bio-social approach' to fertility. She acknowledges that our biological predisposition towards nurturing behaviour plays an important role in the motivation for child bearing.

There is a need to understand how gradual but definite changes are taking place in the fertility intentions and management behavior with special focus on son preference and what is the importance of culture in shaping these intentions and manipulating their management.

Based on this comprehensive body of research, it becomes clear that the causes of the son preference are manifold.

Objectives and Methodology

The present research paper is based on exploratory qualitative research. An attempt has

been made to go deeper into the dynamics of changing fertility behaviour across generations. Though the quantitative details have been discussed wherever required, but the major focus of the researcher is to express her findings through the qualitative description. In the present research work, comparisons have been made in the intentions and management behaviour regarding son preference among three continuous generations of women of the same society. The objective behind this exercise is to underscore the patterns of changing fertility behaviour and the influence of one generation's desires on the behaviour of next generation. Deoli town of District Tonk in Rajasthan has been selected as the location for conducting the present research work. Deoli is a semi urban town in the district Tonk.

Three age groups have been such classified to ensure getting fertility behaviour related insights from women who are in the position of grandmother- in- law, mother-in-law and daughter-in-law. The reason behind this kind of selection is to get in-depth information regarding the generational and familial influence on fertility decisions and to understand the complexity behind the fertility transition which occurred dramatically during last few decades. In a way, the study deals with the women from 1930s to the decade of 2000. Keeping the representative character of sample in mind, 50 women of 75 and above years of age (Gen I), 100 women of 55 to 65 years of age (Gen II) and 100 women of 25 to 35 years of age (Gen III) have been selected. Thus, a total of 250 respondents have been selected for the present research work. Purposive and snowball sampling methods have been employed for identifying the respondents for this work. The tools which have been deployed for collecting data in the present work includes interview, repeated interview, focused group discussions, observation and case study methods.

Demographic Features

Deoli is a small town in District Tonk. For a better understanding of the dynamics of demographic features, the population of District Tonk, State of Rajasthan and India has also been discussed here. A comparative study has been done keeping in mind the population of 2001 and 2011.

Table 1

Demographic features of census 2001-2011

	Deoli		Tonk		Rajasthan		India	
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011
Total Population	20023	22082	1211671	1421711	56507188	68621012	1027015247	1210193622
Total Male	10770	12040	626436	729390	29420011	35620086	531277078	623700000
Total Female	9253	10042	585235	692321	27087177	33000926	495738169	586500000
Sex Ratio	859	834	934	949	922	926	933	940
Child Sex Ratio	851	842	927	882	946	883	927	914
Literacy rate	70.82%	77.64%	51.97%	62.46%	60.41%	67.06%	65.38%	74.04%

The most noticeable characteristic about Deoli's population are its very low sex ratio and child sex ratio as well. It has decreased all the more since 2001. On the one hand in 2011, an increase can be observed in the overall sex ratio in Tonk, Rajasthan and India also as compared to 2001, but, on the other hand, child sex ratio has decreased everywhere. The strong desire for son and the ideal of small family has been observed in Deoli. The contradiction is that Deoli has a literacy rate higher than the national average and much higher than Rajasthan and Tonk

Fertility Behaviour and Son Preference.

The fertility behaviour of women of Deoli has been studied in the backdrop of the above mentioned data among three generations. Especially, the enquiries made with generation III women bear a special focus on their intentions and management regarding the impact of son preference on their fertility issues.

Community and family norms affect a person's attitude towards fertility, desired sex of children and preferences about family size. Women have compelling reasons for desiring children, especially sons. They have been conditioned to see their success and destiny in terms of procreation. The most fervent hope of a young woman is that she proves her worth to her husband's family by providing healthy male child. The birth of a son is associated with respect and status. It exempts a women from hard work. She and her baby are likely to be pampered for some time after parturition. Henceforth, she is referred to through the name of her child; she becomes the mother of so and so.

The local cultural values have been assessed in this regard with the help of views as presented by the women of Generation I, Generation II and Generation III.

It is found that 'moksha prapti', i.e., the ultimate bliss through a son has been invariably the most important reason for desiring a son for Gen I. besides, they count family lineage and business also important in this regard.

It is believed that to maintain the line of descent, the worship of ancestors is essential. Sarju Bai (76) tells, "Only a son can perform the 'pitra puja', i.e., the ancestral worship and pray for the souls of the dead." Nathi Bai (79) adds, "If a man dies without a son, his lineage is broken, and all his ancestors and unborn dependents will die with him. Thus, son is very important to maintain the patriline. Sons bring 'moksha'." The few observations of respondents may be seen. Sons have also been considered responsible for taking care of their old parents. A son's other responsibilities after parents' death are to bring up the younger siblings, get them married and in case of sisters, to arrange for obligatory gifts on various occasions throughout their lives. Sons bring prestige and local political power (and even protection) also against the threat of physical force in confrontation situation.

The need of having sons to continue generations and clans has been the central family value for centuries. This value has remained resistant to any socio-economic changes and external influences. The interesting thing to note regarding Generation I and Generation II is that the preference for son does not stop with just one son. They want more. Sons are valued not only as providers of security in old age and during protracted illness, but for many other reasons as well. On the other hand, the custom of taking dowry from daughters-in-law's family upon marriage became popular during the times of Generation II. The preference for son got all the more motivation with this social evil. Sons upon marriage attract dowry. The boy or girl can often make or break a family financially. Families are obliged to pay a high

dowry on the occasion of a daughter's marriage, whereas they receive both dowry payments and a new family member who works in house. Though, none of the respondents gave this reason for her desire for son. But it was surely a strong reason for the discomfort they feel at the time of birth of a daughter. Sons bring brides who can look after parents in old age and bring grandsons also for them. The respect, comfort and pleasure are unattainable otherwise.

The question of son survivorship is therefore so vital that people do not feel satisfied with just one son. They seek safety in numbers. It is interesting to note here that Generation III do not agree with most of the reasons for son preference as given by their mothers-in-law and grandmothers-in-law. They don't want son for old age security, they don't want son for power, and they don't want son for daughters-in-law and grandchildren also.

Indian society has come a long way, where people no more look forward to have children, especially sons in any hope for support in old age. Individualism and selfishness have become an integral part of personal and even social values. People do not expect any support from their own progeny any more. But, the above description does not connote that people do not want a daughter. A happy and contented family is one who has both son and daughter playing in the courtyard. Children of both sexes have vital social and religious significance. Not only son, but daughter also enjoys a religious value everywhere. As Patel (1994) remarks, "a daughter is called 'curd' and a son 'milk' and it is considered ideal for a couple to have both milk and curd."

A common saying in Deoli is that, 'ghar ki pol kunwari nahi rehni chahiye', i.e., every household should have an opportunity to receive and welcome the relatives of a son-in-law at the time of marriage of daughter. Patel (1994) and Shah (1973) have also found similar kind of deeply ingrained beliefs in Indian society. There is evidence, that families with elder daughters display higher and even faster fertility rates and greater sibling survival. This implies that potential care takers could influence a family's reproductive scheduling and success.

For the Generation I, a daughter's birth is not an unmitigated evil, spelling disaster on family. Girls are precious for Generation II also. Girls are preferred for companionship, emotional support and household help. Generation II women recognize the importance of daughters as sisters they can socialize their brothers, in socializing sons also. A daughter socializes sons. She makes them gender sensitive and that training help them in their future married life also. Generation III prefers daughter for a complete family and emotional bondage. Seema (32) says, "Girls fill life with joy. Boys get detached from family once they become a little mature. But, girls are always there like birds singing on a tree." The deeply embedded desire for son reflects from the fact that most of the women not only prayed to God for a son but have used some or other non-medical ways to attain a boy child. There are many beliefs prevalent in society since a long time which deals with determining the sex of the foetus.

As there are many ways to enable a woman to conceive, in the same way, people follow many practices to ensure child of a particular sex. The women of Deoli very excitedly report about many non-medical, psycho-religious and indigenous medicinal methods. They claim that these practices can help a woman to beget the male/female child as per her own desire. It is to be mentioned here, that although these practices do not have any scientific bases behind them, still women follow them with full faith in the hope, most of the times of a son.

The Generation I used to pray to various deities, plants and animals for begetting a son. There were numerous rituals performed throughout the pregnancy to ensure a male child. Some elderly ladies even claim to know about some homemade medicines which ensure male foetus. There is widespread practice in Deoli to take medicines from midwives for getting a son. Though the desires for a son and practices to beget a son were like an 'open secret' in the society, still, women try to keep it to themselves only. During the personal interviews, may Generation II women admit using some of other method for male child, but they also tell that they used to try to keep it a secret. Most of the times, the secret used to be safely shared within the four walls of bedroom, especially, if it needed a joint participation of husband and wife or at times only mother-in-law was trusted besides husband as she might be the basic resource to get the local medicines or fulfill a ritual. Renu Devi (58) recalls, "I had two daughters, of course, I also wanted to have a son. Otherwise, I might have stopped after having two kids. I had heard about the right timing for begetting a son. I discussed it with my husband, who willingly agreed to have sex only in 'shukla paksh', i.e., the fortnight towards full moon, and that too only on even number of days. He supported me and we had a son finally, without disclosing to anyone about this very personal issue of us."

On the other hand, Meena Devi (59) declares that all these practices are rubbish, "I had tried each and everything as par my knowledge to beget a son. But, you cannot fight with your destiny. I left all the hopes after six daughters. What else to do!" But these practices are still a major source of motivation and hope for women of Gen III also. The present generation also uses all the traditional, indigenous and psycho-religious methods for conceiving a baby boy. The preference for son is so strong in Deoli, as in many other parts of the country that it can operate to affect family size if the desired composition of sex ratio is not readily achieved.

Some women report the preference for daughters also. But, first of all, the desire for a daughter gets an expression only after having 3-4 sons in Gen I, at least 2 sons in Gen II and at least one son in Gen III. Secondly, though women claim to know of many methods for begetting a girl (many of which are just practicing the opposite of which is used for a boy), still the serious efforts and desperate desire are lacking.

Table 2

Generation difference about importance of male and female child

Importance	Gen I	Gen II	Gen III
Male child	Yes	Yes	Yes
	%	%	%
For Family Lineage	84	86	81
For Old Age Security	78	64	43
For Status in Society	82	73	61
For 'Moksha Prapti'	100	74	63
For Proving Fertility	80	75	60
For Family Business	84	80	54
Female child	Yes	Yes	Yes
	%	%	%
For a Complete Family	82	84	100
Blessings of 'Lakshmi'	88	67	53
For Gender Sensitivity in Sons	40	71	79
For 'Kanyadan'	100	93	56
For Emotional Support	100	96	93
For Support in Household Work	90	86	41

To summarize, a son's expected net value is considerably higher than a daughter's, where the difference is largely determined by cultural and religious customs. Intra-familial power structures are mostly implicit convention based and strongly influenced by the social and cultural value systems.

References

- Caldwell, John. (1983). Direct Economic Costs and Benefits of Children. In R. Bulatao and R. Lee (Eds.) *Determinants of fertility in Developing Countries*, New York : Academic.
- Chiriguini M. C, and Vitello M. E. (2002). Reproductive Health and Cultural Rules. *International Journal of Anthropology*, I(17).
- Dyson, T and Moore, M. (1983). On Kinship Structure, Female Autonomy and Demographic Behaviour in India, *Population and Development Review*, 9 (1).
- Foster, Andrew. (1993). The Effects of Economic Fluctuations on Marriage and Fertility in Sub-Saharan Africa. Paper presented at the *Annual Meeting of the Population Association of America*, Cincinnati, OH.
- Freedman, R. and Coombs L. C.(1974). Cross-Cultural Comparisons: Data on Two Factors in Fertility Behavior. *Report of the Subcommittee on Comparative Fertility Analysis of the International Union for the Scientific Study of Population*, New York: The Population Council.
- Karki Debendra, (1998). The Contextual Web of Fertility Control: A Case Study of Chisang Village, *Contributions to Nepalese Studies*, Special Issue.
- Patel, T. (1990). The Sterilization Decision and Family Structure: Case Study of an Indian Village, *Indian Journal of Sociology*, Dec.

Dr. Ranjeeta Garg, Lecturer in Sociology, SMM Govt Girls College, Bhilwara (Raj). 9829086857, ranjeeta.garg@gmail.com

भारतीय समाजशास्त्र की दशा और दिशा:

योगेश अटल से साक्षात्कार

मृदुला त्रिवेदी

गत फरवरी में योगेश अटल का निजी कारणों से उदयपुर आना हुआ। तब *राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी* के प्रधान सम्पादक नरेश भार्गव और मोहन आडवानी ने उनसे भेंट की और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं भारत में समाजशास्त्र की स्थिति पर लम्बी बातचीत की। लगभग दो घंटे के इस साक्षात्कार में अटल ने जर्नल के प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन, प्रकाशकों द्वारा लेखकों का शोषण, गुरु-शिष्य सम्बन्ध, वैश्वीकरण, देश एवं राजस्थान में समाजशास्त्र की स्थिति पर खुलकर चर्चा की। आलेख एवं प्रस्तुतीकरण मृदुला त्रिवेदी का है।

संक्षिप्त परिचय

वर्तमान में योगेश अटल मध्य प्रदेश समाज विज्ञान शोध संस्थान में अवैतनिक सम्मान्य (एमेरिटस) प्रोफेसर हैं। वे भारत सरकार के युनेस्को के साथ सहकार के लिए गठित भारतीय आयोग के भी सदस्य हैं।

1959 में मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर होने के बाद अटल ने अपना शैक्षणिक जीवन 1959 में सागर विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद से प्रारम्भ किया। बाद में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में अध्यापन किया। 1972 में आप एसोशिएसन ऑफ एशियन सोशियल साइंस रिसर्च कौंसिल के निदेशक नियुक्त हुए। 1973 में आपने लंदन विश्वविद्यालय में गांधी स्मृति भाषण दिया। 1974 में वे यूनेस्को द्वारा एशिया एवं पेसेफिक में सामाजिक तथा मानविकी विज्ञानों हेतु क्षेत्रीय सलाहकार बनाए गए। बाद में वे यूनेस्को के मुख्य निदेशक बनकर बनकर पेरिस चले गए। अटल लगभग चालीस पुस्तकों के रचियता हैं। गरीबी, नागर समाज, जाति, राष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक रूपांतरण, भारतीय समाज का परिवर्तन, शिक्षा और विकास, गांव और उसके आगे आदि विषयों पर अटल ने पुस्तकें लिखीं। आपने कई पुस्तकों का सम्पादन भी किया। अटल एक कवि हृदय भी हैं। उनके अनेक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। *कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियल साइंसेज* के आप सम्पादक भी रहे हैं।

योगेश अटल के विभिन्न विषयों पर विचार

राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी

मैंने *राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी* देखा है। लेखों का स्तर और भाषा दोनों अच्छे हैं। यह भी स्वागत योग्य है कि आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में ही लेख छापते हैं। जब साथ छापते हैं तो फिर उनकी गुणवत्ता की तुलना ठीक से हो पाती है। वरना केवल हिंदी की पत्रिकाओं में वे लेख भेजे जाते हैं जो अंग्रेजी में छपने योग्य नहीं होते। साहित्यिक और समाजशास्त्रीय लेखों को एक ही तराजू में तोला जाता है। यह दुर्भाग्य है कि हिन्दी भाषा और साहित्य में भेद नहीं किया जाता। भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, साहित्य भावनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है।

आपके जर्नल में आनुभविक अनुसंधानों पर आधारित लेखों को वरीयता मिलनी चाहिए न कि तथाकथित सैद्धांतिक लेखों को, क्योंकि ऐसे लेख लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नये स्नातकों और अध्यापकों की सिद्धान्त में उतनी गति नहीं होती कि वे कोई बड़ी या नयी बात कह सकें। इसके लिये अनुभव की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि इसमें राजस्थान के

समाजशास्त्रियों द्वारा लिखे गए लेखों (चाहे वे राजस्थान से सम्बंधित न हों), और राजस्थान के बाहर के समाजशास्त्रियों (जिनमें मैं विदेशियों को भी सम्मिलित करना चाहूंगा) द्वारा राजस्थान में किए गए शोध पर आधारित लेखों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि इस जर्नल की अलग से पहचान बन सके।

अंग्रेजी में लिखे ग्रंथों की संक्षिप्त टिप्पणी मात्र शोध की संज्ञा का दावा नहीं कर सकती। इसलिए मैं मानता हूँ कि नये स्नातक पहिले आनुभविक शोध में रंगे और धीरे-धीरे सैद्धान्तीकरण की ओर बढ़ें। किसी बड़े नामी व्यक्ति के योगदान पर लिखी कुंजियो से कोई विद्वान नहीं बन सकता। जैसे मार्क्सवादी होने की डींग हांकना आसान है पर मार्क्स को ठीक से समझना उतना सरल नहीं है। मार्क्स ने जो कुछ लिखा वह समाजशास्त्र के लिए उपादेय अवश्य है पर उनके समस्त कृतित्व को समाजशास्त्र मानना भारी भूल होगी। यही बात समाजशास्त्र के कई पूर्वजों पर भी लागू होती है।

समाज वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है आनुभाविक कार्य की, जिसके लिए क्षेत्र कार्य में पसीना बहाना पड़ता है। लेखकों को गांव, जाति और मुहल्लों में स्वयं जाकर गहराई से काम करना चाहिए। क्षेत्र कार्य का वर्णन पुख्ता होना चाहिए। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि गली-कूचों में जाकर केवल दो-तीन लोगों से सवाल पूछे जाएं और उसके आधार पर आनुभाविक अनुसंधान का दावा किया जाए। ऐसा कर्म पत्रकारिता में हो सकता है, समाजशास्त्र में नहीं।

आज विद्यार्थी सैद्धान्तिक कार्य का यह अर्थ लेते हैं कि लाइब्रेरी में बैठकर दो-चार किताबों से उद्धरण ले लो और फिर साहित्यिक भाषा में कुछ भी लिख दो। मैंने हिन्दी में लिखे कई ऐसे मोनोग्राफ देखे हैं जिनकी हिंदी तो ठीक है पर जिनमें समाजशास्त्र लेश मात्र भी नहीं है। भाषा की पकड़ आवश्यक है पर वह विज्ञान की जानकारी और बूझ का प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। सैद्धान्तिक बातों के लिए वृहद अनुभव, वैचारिक गहनता और व्यापक समझ की आवश्यकता होती है जो अमूमन वर्षों के अध्ययन-अध्यापन से मिलता है। ऐसे लोग ही बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि शोध सामग्री और सिद्धांत का मिलाप कैसे हो सकता है। यह शोधार्थी के प्रारंभिक जीवन के बस की बात नहीं होती।

हम अभी भी सोचते हैं कि अंग्रेजी में लिखना ज़्यादा अच्छा है। अंग्रेजी में लिखना हमारे दिग्गजों की मजबूरी थी, क्योंकि उनकी हिंदी में गति नहीं थी। हम कुछ ही लोग ऐसे थे जो दोनों भाषाओं पर समान अधिकार से लिख सकते थे जैसे श्यामा चरण दुबे, ब्रजराज चौहान, कैलाश नाथ शर्मा और चाहें तो मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं। हिंदी में पाठ्य पुस्तकें लिखने वालों की भरमार अवश्य थी पर उनकी गिनती समाजशास्त्रियों में नहीं आती थी। हम लोगों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

नयी पीढ़ी के लोग अंगरेजी को एक सीढ़ी मानते हैं ताकि विदेश जाने के द्वार खुल जाएं। कुछ समाजशास्त्रियों ने तो इसे धंधा बना लिया है और इसके लिए ऐसे विषयों का चयन करते हैं जिनकी विदेशों में मांग है पर जिन पर भारत में कुछ काम ही नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए जराविज्ञान (Gerontology) या फिर समय विलासिता (leisure)। कहां हैं इन पर शोध कार्य? आज अखबारों में छपनेवाले लेख भले ही हों पर शोधपरक रचनाओं का अभाव है। फिर भी इन विशेषताओं की दुहाई देते हुए लोग विश्व भ्रमण का सुख भोगते जा रहे हैं। मेरा किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है, पर सत्य को उजागर करने की आवश्यकता है। इस मानसिकता को बदलना होगा। यदि हिन्दी में लिख रहे हैं तो हिन्दी भी अंग्रेजी के स्तर के निकट हो, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो, अच्छा काम हो।

मैं भी *मानव* पत्रिका का सम्पादन करता था। प्राध्यापक चार-पांच पृष्ठ के लेख भेज देते थे, जो रुपरेखा जैसे लगते थे। मैं नहीं छापता तो नाराज़ होते थे। प्राध्यापकों और शोधार्थियों को यह प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है कि शोध-पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए। इस संदर्भ में यह बात कष्टदायी है कि शोध निदेशक शोधार्थी के शोध-पत्र पर अपना नाम प्रमुख लेखक के रूप में लगा देते हैं। यह विद्यार्थियों

का शोषण है। विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में शायद ऐसा होता होगा। पर मैं इसके विरुद्ध हूँ। प्राध्यापक का कर्तव्य है कि यदि वह स्वयं भी विद्यार्थी के लिखे में संशोधन करे तो भी लेखन का श्रेय विद्यार्थी को दे जिससे वह आगे बढ़ सके। जब शोधार्थी ने कार्य किया है और शोध निदेशक यह प्रमाण-पत्र देता है कि यह शोधार्थी का मौलिक कार्य है तो फिर उसके लेख में वह अपना नाम कैसे दे सकता है? जब कोई ऐसे लेख को देखगा तो यह प्रश्न उठा सकता है कि इस काम पर निदेशक का नाम कैसे है? इसीलिये आज अध्यापक की वह कद्र नहीं रही क्योंकि विद्यार्थी जानता है कि अध्यापक उसी का नाम छीनकर अपना नाम चस्पा कर रहा है, वह भी निम्न कोटि के लेखों पर।

गुरुओं के प्रति श्रद्धा

मैं ब्रजराज चौहान और श्यामाचरण दुबे का छात्र रहा हूँ। दोनों ही कठोर शिक्षक थे। हमें एक लेख चार-पांच बार लिखना पड़ता था फिर कहीं जा कर उन्हें संतुष्टि मिलती थी। तब भी वे यही कहते थे कि अभी सुधार की और गुंजाइश है। उस समय कम्प्यूटर और फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं थी, हाथ से लिखना होता था। वे लोग बहुत मेहनत करवाते थे। यही बात प्रोफेसर रोबर्ट मर्टन में भी थी। आज हमारी कलम में जो दम है, यह उनके शिक्षण का ही परिणाम है, इसीलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उस समय की गई मेहनत अब काम आ रही है।

अब कलम नहीं कम्प्यूटर है, फिर भी अभी जब लिखने बैठता हूँ तो मेरी लेखनी में जैसे दुबे और चौहान आ बैठते हैं। ऐसा लगता है कि वे देख रहे हैं कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। मैं इस पूजा भाव से अभिभूत हूँ और अपने गुरुओं को श्रद्धा भाव से देखता हूँ। आज विद्यार्थियों में यह पूजा भाव दिखाई नहीं देता। हो सकता है गुरुओं में कुछ कमियाँ हों। सच तो यह है कि हमारे विद्यार्थी काल में हम देश के 5-6 ख्यातिलब्ध समाजशास्त्रियों के नाम सहजता से गिना सकते थे। आज यह कठिन हो गया है। जिन दिग्गजों की मैं बात कर रहा हूँ वे सभी मेरे औपचारिक गुरु नहीं थे, पर थे ख्यातिसंपन्न। मेरे जैसे व्यक्ति को तो मेरा प्रदेश भी वांछित स्वीकरण नहीं देता। हम में प्रादेशिकता बढ़ती जा रही है और विद्यार्थी को समाजशास्त्र में भारतीयों के योगदान से वंचित रखे जाने की साजिश हो रही है। विषय में दूषित राजनीति घुसपैठ करती जा रही है।

दुबे ने मेरी पुस्तक *जनजाति भारत* के अग्रलेख में लिखा था कि मैं साहित्य के माध्यम से समाजशास्त्र में आया हूँ। मैं उदयपुर में कवि सम्मेलनों में जाता था। मेरी भाषा में काव्यात्मकता अवश्य है पर वह मेरे समाजशास्त्र के लेखन पर हावी नहीं होती।

हिन्दी अनुवाद

यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लेखों का हिन्दी में अनुवाद भी किया जाए। मैंने स्वयं ने मानव में चीन के लेखक फे सियाओ तुंग (1910-2005) के शिकागो में दिए हुए भाषण का हिन्दी अनुवाद करके प्रकाशित किया। वे मेलिनोस्की के शिष्य और चीन के पहले विद्वान थे जिन्होंने ग्रामीण चीन के जीवन के बारे में किताब लिखी थी, जिसका शीर्षक था *Peasant Life in China*. यह पुस्तक ग्रामीण समाजशास्त्र की शुरुआत थी। मैंने इसे *मानव* में हिन्दी में इसीलिए प्रकाशित किया कि लोग जानें तो सही कि मेलिनोस्की का चीनी विद्यार्थी चीन के बारे में क्या लिखता है। यह लेख स्वयं फे ने मुझे मेरी बीजिंग यात्रा के समय दिया। हमारी काफी लम्बी बातचीत हुई जिसमें उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र पर कई प्रश्न पूछे। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी पुस्तक *Changing Frontiers of Caste* पढ़ चुके हैं।

हिन्दी में मेरे द्वारा जॉनसन और दुबे की पुस्तकों के किए गए अनुवाद को मैं महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ। साठ के दशक में किए गए ये अनुवाद आज भी पढ़े जाते हैं। कई संस्करण निकल चुके हैं

हांलाकि मुझे इनसे कोई व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ नहीं हुआ। दोनों पुस्तकों के अनुवाद का कुल मिला कर 6,000 मिले थे। जाहिर है कि दोनों प्रकाशकों ने उन पर काफी राशि अर्जित की। हां, ख्याति अवश्य मिली। मेरे लिए वही पर्याप्त है।

जब मैं आगरा में था तब कई प्रकाशकों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं पाठ्य पुस्तक लिखूं लेकिन मैंने नहीं लिखी। उस समय मैकाइवर और पेज की किताब *Society* बहुत चलती थी। उसका अनुवाद किसी विद्वान ने किया जो थे तो उत्तरप्रदेश के, लेकिन उन्होंने अपने नाम में थोड़ा हेर-फेर कर उसे दक्षिण भारतीय बना दिया ताकि उस छद्म नाम से पुस्तक बिक सके। प्रकाशक वह पुस्तक मेरे पास सम्पादन के लिए लेकर आए और मुझे कहा कि आपका नाम वरिष्ठ अनुवादक की जगह डालेंगे। मैंने कहा कि मैं नाम नहीं चाहता। लेकिन उस समय मैकाइवर और पेज की किताब हिन्दी में नहीं थी अतः मैंने वह कार्य स्वीकार कर लिया। तीन दिन बाद मैंने प्रकाशक को बुलाकर कहा कि आप किताब ले जाइए, मैं इस काम में सहयोग नहीं कर सकता। कारण यह था कि अंग्रेजी में मूल पुस्तक 10 पाईन्ट की छपी थी और लगभग 600 पेज की थी और अनुवाद मोटे अक्षरों में होते हुए भी केवल 300 पेज के लगभग था। स्पष्ट था कि अनुवादक को जो अंश समझ में नहीं आए वे उसने अनुवादित ही नहीं किए। ऐसे घटिया अनुवाद के साथ मैं अपना नाम कैसे जोड़ सकता था? मैंने अपना कॅरियर प्रारम्भ ही किया था और ऐसी गलती करने पर मेरा तो सर्वनाश ही हो जाता। सौभाग्य से मैं बच गया, लालच के जाल में नहीं फंसा।

हिन्दी में एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि जो पुस्तक लिखते हैं, वे अंग्रेजी पुस्तकों के फुट-नोट भी मुख्य पाठ में डाल देते हैं। दूसरा, इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी संबोध की जितनी अधिक परिभाषाएं देंगे, वह पुस्तक उतनी ही अच्छी होगी। आरम्भ में पुस्तक लिखने वाले लोग हिन्दी में तो पारंगत थे लेकिन बहुतों को समाजशास्त्र नहीं आता था। कुछ तो दोनों में ही कमजोर थे, वे महिलाओं और पुरुषों के अंग्रेजी नामों में भेद भी नहीं कर पाते थे। वे सोचते थे कि लेखक हमेशा पुरुष ही होता है। मार्गरेट मीड, रुथ बेनडिक्ट को पुरुष ही मान कर संबोधित किया गया।

हम लोगों ने मेहनत की है और हम जैसे लोग हिन्दी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखते हैं, लेकिन हम जैसों की संख्या आज भी कम है। सन साठ-सत्तर के दशकों में धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में हमारे लेख छपते थे और इस प्रकार हम कम आयु में भी ख्यातिसंपन्न थे। दूसरी ओर हिंदी में समाजशास्त्र की पुस्तकें लिखने वाले लोग थे जिन्हें विद्यार्थी जगत तो जनता था पर समाजशास्त्रीय पीठ में उन्हें कोई पहचानता तक नहीं था। उनका विषय को योगदान नगण्य है।

अनुवाद के लिए कहा जाता है कि यह मूल पाठ के प्रति वफादार होना चाहिए। यदि आप वफादार नहीं हैं तो भाषा में वह लहजा नहीं आ पाता है। दुबे की पुस्तक का अनुवाद करने में यह बड़ा संकट था। चूंकि वे हिन्दी के भी प्रतिष्ठित लेखक थे और अंग्रेजी में भी उनकी अपनी छाप थी। मेरा संकट था कि उनकी पुस्तक *एक भारतीय ग्राम* पढ़ने में उतनी ही सहज लगे जितनी अंग्रेजी में और उसकी हिंदी वैसी ही हो जैसी दुबे लिखते थे। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा वह प्रयास सफल हुआ और मुझे काफी प्रशंसा भी मिली। इस पुस्तक के कई संस्करण निकल चुके हैं और अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवादों ने मेरे हिन्दी अनुवाद का ही सहारा लिया है।

दुःख का विषय यह है कि जिनकी हिन्दी में अच्छी गति है, उनमें से अधिकांश वे हैं जिनकी समाजशास्त्र में गति नहीं है, और जो समाजशास्त्र के मर्मज्ञ हैं वे हिंदी से परहेज करते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र में हिंदी की पुस्तकों की दुर्गति है। विषय की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि शब्द और सम्बोध में भेद किया जाए। मैं 'concept' के लिये 'सम्बोध' शब्द ही काम में लेता हूं। उसके मुकाबले दूसरा शब्द नहीं जमता। सम्बोध का अर्थ है To conceive यानि जिस चीज का बोध हो, जिससे समान बोध हो। एक शब्द 'सम्बोध' तब बनता है जब उसे एक विशिष्ट अर्थ दिया जाए। सम्बोध का कोई पर्याय नहीं होता।

मुझे पाठ्य-पुस्तक लिखने के लिये कई प्रलोभन दिए गए, पर मैं जीवन भर इस लोभ का संवरण करता रहा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि नव-सीखियों को पाठ्य-पुस्तक लिखने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए। जब विषय में उनकी खुद की पकड़ ही कमजोर है तो वे दूसरों को क्या सिखा पाएंगे? ज्ञान के क्षेत्र में विनम्र होना परम आवश्यक है तभी आगे कुछ सीखा जा सकता है। अब उम्र के ढलान पर जाकर मैं समाजशास्त्र पर पाठ्य-पुस्तक लिखने का साहस बटोर पाया हूँ। फिर भी डरते-डरते लिखा है। मुझे प्रसन्नता है कि पुस्तक अच्छी बिकी है। प्रकाशक के कहने पर हिन्दी संस्करण भी मैंने तैयार किया। मैंने तय किया कि हिन्दी को हिन्दी की तरह लिखूंगा। इसलिए मेरी हिन्दी की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद नहीं है। धारा वही है, भाषा में वह गति है जो होनी चाहिए। हर भाषा की अपनी महक है, लहजा है, जायका है। वह सब आए तभी हिन्दी अनुवाद का मज़ा है।

समाजशास्त्र में लेखन एवं भाषा

आज भारत में समाजशास्त्र पर लेखन को लेकर विकट संकट है। अंग्रेजी में भी अच्छा लिखने वालों की कमी है। जिनकी भाषा पर पकड़ है, मज़ेदार लिखते हैं, अखबारी भाषा का प्रयोग करते हैं वे छा जाते हैं। समाजशास्त्री जो कुछ लिखता है वह सभी समाजशास्त्र नहीं होता। वरना उसकी धोबी की डायरी को भी समाजशास्त्र मानना पड़ेगा। मैं भी समाचार-पत्रों में लिखता हूँ। उनमें निःसंदेह मेरी समाजशास्त्रीय बूझ भी होती है और साथ ही अपना पक्ष भी। जो अपने पक्ष को समाजशास्त्रीय बता कर पेश करते हैं वे विषय के साथ अन्याय करते हैं।

फुटनोट के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि दुरुह भाषा लिखने मात्र से कोई विचार अधिक महत्त्व का नहीं हो जाता। लेखक को सम्प्रेषणीयता पर बल देना चाहिए।

लेखन और प्रकाशक

लेखन के साथ ही प्रकाशन की भी समस्या है। प्रकाशक पैसा कमा रहे हैं। अधिकांश प्रकाशक लेखकों का शोषण करते हैं, पूरी रायल्टी नहीं देते। किताबें छापते हैं एक हजार और गिनती में आती हैं मात्र 500। पहले युवा लेखकों की किताबें नहीं छपती थीं। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR) ने वित्तीय सहायता आरम्भ की तो किताबें भी छपने लगीं। इस राशि से लेखकों को तो आर्थिक लाभ नहीं मिला पर प्रकाशकों की चांदी हो गई। उनके लिए तो "हींग लगे न फिटकरी" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इसके बाद ढेरों प्रकाशक सामने आ गए। प्रकाशक 75 प्रतिशत खर्च का 100 प्रतिशत बनाकर बताते हैं। ICSSR प्रदायक (Supplier) हो गया है। जिन्हें पैसे की जरूरत है, उनका शोषण हो रहा है। सबसे अधिक नुकसान लेखकों का हो रहा है।

प्रकाशक लेखक को कहते हैं कि आपकी पुस्तक नहीं बिक रही है, जबकि हर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, कानून, आई.आई.टी., इन्जीनियरिंग सभी में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। यदि इनके पुस्तकालयों में ही एक-एक प्रति खरीदी जाती है तो भी कम से कम हजार पुस्तकों की बिक्री कहीं नहीं गई। फिर केवल 500 प्रतियां ही क्यों छापी जाती है? ज़ाहिर है कि पुस्तकें बिकती तो हैं लेकिन लेखक को प्रकाशक पैसे नहीं देते। यह बड़ी धांधलेबाजी है।

वर्तमान में समाजशास्त्र की स्थिति

सम्पूर्ण भारत में समाजशास्त्र की स्थिति बड़ी निराशाजनक है। उपाधि लेने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन यदि यह कहा जाए कि आज भारत में केवल पांच ऐसे नाम गिनाने हों जो घुर्ये, श्रीनिवास, दुबे, रामकृष्ण मुखर्जी, त्रिलोकी नाथ मदान, ब्रजराज चौहान, योगेन्द्र सिंह, आदि के स्तर के हैं, तो नहीं

गिनाए जा सकते। अब तो हर कोई भारतीय समाजशास्त्र परिषद् (ISS) का अध्यक्ष बन जाता है। विषय में योगदान, प्रसिद्धि, वरीयता आदि का कोई महत्त्व नहीं है। परिषद् राजनीति का गढ़ हो गई है। वह विषय में नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती।

आज राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कांग्रेस और सेमिनार में अधिकांश वे ही लोग जाते हैं जो पदाधिकारी हैं, या वे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा ICSSR से इसके लिये पैसा मिलता है या फिर ऐसे जिन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत है जो पदोन्नति के लिये आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी परिषदों की भांति ISS में बहुत सी शोध समितियां बना दी गई हैं जिनकी मेरी राय में आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समितियों में सारे विषयों को समेटा जा सकता है। समितियों की स्थापना भी राजनीति का अंग है। इसके सदस्य होने पर विदेश जाने के रस्ते खुल जाते हैं। वार्षिक समारोह पर इन समितियों की कार्यवाही देखने से सब पोल खुल जाती है।

आजकल सम्पादित पुस्तकों का प्रचलन बढ़ गया है। ऐसी पुस्तकें लेख लिखने वालों का शोषण हैं। वे लेख लिखें, सारांश भी भेजें, सम्पादक कुछ नहीं करता। रायल्टी भी सम्पादक की होती है। मज़े की बात यह है कि सम्पादक के लेख को भी दूसरे लोग संपादित करते हैं।

मेरी हिन्दी और अंग्रेजी में मिलाकर 30 से ऊपर किताबें हैं। युनेस्को के लिये मैंने 45 से अधिक किताबें सम्पादित की हैं। मैंने 1968-69 में *इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली* (EPW) में लेख लिखा जिसे श्रीनिवास और कई विद्वानों ने उद्धृत किया। यह लेख हैदराबाद में हुए भारतीय समाजशास्त्रीय सम्मलेन पर टिप्पणी के रूप में था। मैंने लिखा कि भारतीय समाजशास्त्र कैसे व्यावसायीकरण की ओर बढ़ रहा है, उसके संकेतक हैं। लेकिन अब तो यहां व्यापारीकरण शुरू हो गया है। जो छा रहे हैं वे भिन्न कोटि के लोग हैं। ये सभी बातें भारत में समाजशास्त्र की स्थिति को प्रतिबिम्बित करती हैं। खैर, मैंने तो भारतीय समाजशास्त्र के व्यावसायीकरण की दिशा की ओर इंगित करने के लिए वह लेख लिखा था। उस लेख के कारण मुझे ICSSR में निदेशक के पद पर नियुक्ति मिल गई, यह विचित्र संयोग था "बिन मांगे मोती मिले.."

संकट यह है कि भारत में काम करने वालों को पहचाना नहीं जा रहा। नये लोग काम नहीं कर रहे हैं। अधिकांश में कार्य करने की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति नहीं है, उन्हें प्रेरणा नहीं है, अच्छा लिखने की उनमें ताकत नहीं है। सब सिफारिश की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना चाहते हैं। आज देश में समाजशास्त्र के स्नातक तो अनेक हैं, लेकिन समाजशास्त्री कम हैं।

हमारे यहां यह प्रवृत्ति है कि हम भारतीय समाज वैज्ञानिक को अपना संदर्भ पुरुष नहीं मानते। विदेशी चाहे वह 25 वर्ष का ही हो वह हमें स्वीकार्य है। यह हमारी औपनिवेशिक आदत है। हम अभी भी पश्चिम को अपना सन्दर्भ समूह मानते हैं।

किशनगढ़ी पर जब मैकिम मेरियट का लेख छपा तो वे 27 वर्ष के थे। वह उनकी पहली क्षेत्रीय कार्य रिपोर्ट थी। जब मैं दुबे के अभिवादन ग्रन्थ का सम्पादन कर रहा था तो मैंने मैकिम मेरियट से उनका लेख *Little Communities in an Indiginous Civiilation* प्रकाशित करने के लिये मांगा। इस हेतु मैं अपने खर्च पर उनसे मिलने शिकागो गया। उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि वह उनका आरम्भ का लेख है उनकी अब इसमें रुचि नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि उनके सार्वभौमीकरण (universalization) तथा प्रादेशीकरण (Parochialisation) के सम्बोधों ने भारतीय शोध को बहुत अधिक प्रभावित किया है। पर वे नहीं माने। उन्होंने उसके स्थान पर किशनगढ़ी गांव के साधारण परिचय का लेख छापने की ही स्वीकृति दी। इसे कहते हैं विनम्रता – 'विद्या ददाति विनयम'। हम में से कितनों में ऐसा करने का साहस है?

यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम हमारे यहां के योगदान को नकारते हैं, नगण्य मानते हैं, और विदेशियों को तूल देते हैं। यह दासता की मानसिकता है। कूपमंडूकता भी इतनी बढ़ रही है कि लोग केवल अपने दायरे के लोगों के ही सन्दर्भ देते हैं। गुटबाजी बढ़ रही है। आज योगेश अटल को राजस्थान में कौन पूछता है? जान बूझ कर अनदेखा किया जाता है। राजस्थान के समाजशास्त्र में तो जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सभी देशों से मुझे निमंत्रण मिलते हैं लेकिन उदयपुर से नहीं। पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, राजनीति के खेल को मैं समझने लगा हूं।

हमारे यहां यह परम्परा है कि किसी एक विषय से प्यार होता है, वह सात-आठ वर्ष तक रहता है, उसके बाद दूसरी तरफ प्यार खिसक जाता है। मुद्दे भी बाहर से आते हैं। नये सम्बोधों और चिंतन-धारा के लोभ में हम देश की वास्तविकता के अध्ययन से दूर भागते जा रहे हैं। वैश्वीकरण के मोह में आकर कितने भारतीयों ने लेख लिखे पर शोध रंच मात्र भी नहीं किया। केवल आलोचना को शोध नहीं कहा जा सकता। ठोस शोध कार्य होना चाहिए।

जाति, गांव एवं समाजशास्त्र

‘जाति’ का विषय भारतीय समाजशास्त्र के लिए विशेष महत्त्व का है। जाति अभी संकट में है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं लेकिन कितने लोग इसपर काम कर रहे हैं? यही बात गांव के विषय में कही जा सकती है। जनजाति क्षेत्रों में भी काम लगभग शून्य सा है। गांव, जाति, जनजाति समाज आदि पर अभी भी काम किए जाने की आवश्यकता है।

भारत में गांव और जाति पर जो कार्य हुए हैं उन्होंने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच की कृत्रिम दूरियों को कम किया है। उससे पहले यह प्रवृत्ति थी कि यदि समाजशास्त्री है तो नगर पर काम करे और मानवशास्त्री है तो जनजाति समाज पर। गांव हमारे यहां समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का वास्तविक मिलन-स्थल बना। यहां के गांव जैसे अध्ययन अमेरिका में नहीं हुए। देसाई ने ग्रामीण समाजशास्त्र पर किताब लिखी। भले ही वे मार्क्सवादी विचाराधारा के थे लेकिन उनकी किताब में प्रस्तुत ग्रामीण समाजशास्त्र अमेरिकी है। बाद के संस्करण में कुछ भारतीय विद्वानों के लेख भी उस ‘रीडर’ में सम्मिलित किए गए। मुझे भी उसमें स्थान मिला।

वैश्वीकरण

पिछले पंद्रह वर्षों में भारत में लोगों ने जितना वैश्वीकरण पर लिखा, उतना किसी पर नहीं लिखा। विदेशी लोगों का आरोप है कि यह सब वैश्वीकरण का अर्थ समझे बिना लिखा गया है। हम किसी भी नयी चीज के पीछे भाग पड़ते हैं लेकिन उस पर शोध का आधार तैयार नहीं करते। इस प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय कोण क्या है? आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण में भेद क्या है? इसको उजागर करने में हम असमर्थ रहे हैं। और मेरे जैसे लोगो ने जो चेष्टा की है उसकी उपेक्षा की जा रही है। हमें कौन पढ़ता है? हम किसी गुट के सदस्य नहीं हैं। मैंने वैश्वीकरण को समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास किया है। मेरे कार्य का जिक्र अन्य देशों में होता है पर भारत में विषय के द्वारपाल उसे प्रविष्टी नहीं देंगे।

वैश्वीकरण जबरदस्त चुनौती है, भारत में अभी इस प्रक्रिया के प्रथम चरण दिखने लगे हैं। लेकिन अभी से इस प्रक्रिया की आलोचना होने लगी है। दुर्भाग्य यह है कि यह आलोचना हू-बहू वही है जो बरसों पहिले आधुनिकीकरण की थी। यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया जाता कि क्या वैश्वीकरण मात्र आधुनिकीकरण का पर्याय है? तो क्या सिर्फ बोटल का लेबल बदल गया है ?

मैंने दुबे की किताब का अनुवाद किया उसके तीन संस्करण आए हैं। उसके आधार पर अब शमीरपेट को देखूं तो लगेगा कि दुबे जी का वर्णन आज की वास्तविकता से बिलकुल मेल नहीं खाता।

उन्होंने सही नहीं लिखा। चौहान के राजस्थान विलेज का गांव राणावतों की सादड़ी अब वैसा नहीं है। मेरे द्वारा अध्ययन किया गया खेड़ी (यह छद्म नाम है) भी पूरी तरह बदल गया है। यह विडम्बना है कि हम इन्हे दुबारा देखने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों नहीं इनका पुनः अध्ययन किया जाए और परिवर्तनों को रेखांकित किया जाए? मोरिस कार्स्टेअर्स ने देलवाड़ा पर कार्य किया। यह उदयपुर के बहुत पास है फिर भी हम आज के सन्दर्भ में उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन क्यों नहीं करते? बड़ी विडम्बना है।

हम क्यों भटक रहे हैं? यह देखने की चेष्टा क्यों नहीं करते कि यहां वैश्वीकरण कैसे आ रहा है? फिल्मी विवाहों के जरिये या पर्यटकों के जरिये? उस संस्था का या उस व्यवस्था का अध्ययन कहां है कि आप वैश्वीकरण का प्रभाव देख सकें। हम लोगों में संवाद टूट रहे हैं। विश्वविद्यालय में भी विषय पर संवाद नहीं होता, मात्र लीपा-पोती होती है। वैश्वीकरण यदि एक सम्बोध है, तो हम इसे समाजशास्त्रीय ढंग से परिभाषित क्यों नहीं करते, प्रचलित परिभाषाओं का आनुभाविक धरातल पर परीक्षण क्यों नहीं करते?

सभी देश बाहर से वस्तुएं ले रहे हैं लेकिन सभी देशों से बाहर भी जा रहा है। विदेशों में ड्राईंग रूम की सजावट में भारतीय जनजाति समाज की चीजें लगाई जाती हैं, वे कलाकृतियां कही जाती हैं।

वैश्वीकरण को जिस तरह परिभाषित किया जा रहा है उसमें, और आधुनिकीकरण की परिभाषा में अन्तर क्या है? शोषण हो रहा है, एकतरफा हो रहा है, यह तो हम आधुनिकीकरण की आलोचना करते समय भी कहते थे, उपनिवेशवाद के समय में भी यही होता था। वैश्वीकरण में नया और भिन्न क्या है?

आज प्रधानमंत्री मोदी कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं। वह जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर सके। नेहरू के समय वह स्वतन्त्र विकास था, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बाहर से विचार और माल आयातित करते थे, लेकिन अन्तःनिर्भरता नहीं थी। हम निर्भर थे, बाहर पर। आज यह स्थिति बदल गई है। अब पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है जो आधुनिकीकरण से भिन्न है। पहली बार यह हो रहा है कि सौर ऊर्जा का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र गुड़गांव होगा। उसके 150 के लगभग देश सदस्य होंगे। उनका आगमन होगा। हमारी संस्कृति बाहर जाएगी बाहर की हमारे यहां आएगी। यह वैश्वीकरण है।

इस दौर में गांव अपने-आप बदल रहा है, अपने-आप बाहर से चीजें ले रहा है। शहर से ले रहा है, शहर को दे रहा है। शहर और गांव मिल रहे हैं। इस संदर्भ में दो अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं—Suburbanisation और Conurbation. Suburbanisation का तात्पर्य है कि गांव चलते-चलते शहर के पास अपने-आप पहुंच रहा है। शहर गांव के समीप आता जा रहा है। दूरियां घट रही हैं। जनजाति समाज भी इन परिवर्तनों से अछूते नहीं रहे हैं। मैं इस प्रक्रिया को भी वैश्वीकरण का ही उपांग मानता हूं। इस प्रक्रिया में नगरीय तत्व गांव तक पहुंच रहे हैं और गांव के तत्व नगर में। इनके अध्ययन हमारे जैसे देश ही कर सकते हैं लेकिन हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं।

गुर्जर आन्दोलन पर लेखन

मैंने राजस्थान सरकार के निमंत्रण पर गुर्जर पर कार्य किया। गुर्जर आन्दोलनकारियों की मांग थी कि उनकी स्थिति की जांच के लिए एक समिति गठित की जाए और उसमें एक मानवशास्त्री भी सम्मिलित हो। मुझे पता नहीं कैसे मेरा नाम सरकार के पास पहुंचा, क्योंकि मुझे इस बात की सूचना तब मिली जब मैं मुंबई में राज्यपाल निवास में आयोजित एक समारोह में भाग लेने गया हुआ था। मुझे अचरज तो तब हुआ जब राजस्थान के कुछ समाजशास्त्रियों ने इस पर अपनी नाराजगी जताई। जयपुर आकर मैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिला। उनकी मेज पर मेरी 4-5 किताबें थीं। वसुंधरा राजे ने अपने स्तर पर पता लगाया था और मुझे चुना था। वास्तव में एन्थ्रोपॉलाजीकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाति के बारे में जो पुस्तकें थीं उनमें गुर्जरों के बारे में एक-दो पृष्ठ लिखे थे वे मेरी पुस्तक *Changing Frontiers of Caste* से लिए गए थे। मेरे गांव में भी गुर्जर थे।

गुर्जरोँ पर अध्ययन करने के लिये मैंने सामग्री की खोज आरम्भ की। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में गुर्जरोँ पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ था। जनजाति अनुसंधान संस्थान में कोई सामग्री नहीं थी, एन्थ्रोपॉलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया के उदयपुर केन्द्र में भी कोई जानकारी नहीं थी। यह आश्चर्य की ही बात थी कि बीस-बाईस वर्षों से चल रहे गुर्जरोँ के आन्दोलन के विषय में किसी भी समाजशास्त्री को काम करने की नहीं सूझी। नाराजगी थी तो मुझ पर कि एक 'बाहरी' व्यक्ति को क्यों समिति का सदस्य बनाया गया। मैं तो आप की नजरों में बाहर का हूँ। तभी तो राजस्थान के समाजशास्त्र का जिक्र करने वाले आपकी पत्रिकाओं के लेखों में मेरा नाम ही नहीं है।

समाजशास्त्री होने के नाते मेरे सामने दो चुनौतियां थीं—

- समाजशास्त्री की भांति मैं अपने राज्य में बहुत समय बाद आया था। मैंने सोचा यहां के समाज से स्वयं को पुनर्परिचित करवाने का यह अच्छा अवसर है।
- दूसरी चुनौती यह थी कि गुर्जरोँ पर क्या काम हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। इससे संबंधित सामग्री भी नहीं थी। मैंने 430 गांवों का निदर्शन लिया। मैंने स्वयं 120 गांवों की यात्रा की। बीकानेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में घूमा (बीकानेर में मुसलमान गुर्जर हैं)। प्रश्न तालिका के माध्यम से 430 के करीब गांवों के गुर्जरोँ के विषय में जानकारी हासिल की। कई साक्षात्कार भी किए।

मैंने पाया कि गुर्जर एक जाति नहीं है। यह गौ-पालकों के लिए दिया गया शब्द (Normenclature) है। गुर्जरोँ की पुराण जैसी किताब थी, वह मैंने पूरी पढ़ी। सारा कार्य छः माह में पूरा करना था। मुझे भूगोल के शोध कार्यों में गुर्जर पर सामग्री मिली, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में नहीं। मैंने पूरी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया। हमारी कमेटी ने बहुत मेहनत की। लेकिन हमारी अनुशस्तियों को ढंडे बस्ते में डाल दिया गया क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में कांग्रेस की।

हमने पूर्वी राजस्थान में 13 तहसीलें निकालीं जहां की गहन समस्या गरीबी थी। हमारा सुझाव था कि इन तहसीलों में सरकार पैसा डाले और वहां गुर्जर तथा दूसरे लोगों को साथ लेकर स्थितिपरक योजनाएं बनाई जा सकें।

राजस्थान में समाजशास्त्र की स्थापना

एक समय था जब राजस्थान में समाजशास्त्र ब्रजराज चौहान का दूसरा नाम था। इस नगरी (उदयपुर) से राजस्थान में समाजशास्त्र का सूत्रपात हुआ। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश में समाजशास्त्र पढ़ाना आरम्भ किया हांलाकि उनकी अर्थशास्त्र में डिग्री थी। उस जमाने में लखनऊ में समाजशास्त्र में अलग से डिग्री नहीं मिलती थी। आनर्स का कोर्स होता था। यही शैक्षणिक योग्यता अवध किशोर शरण की थी जिन्हें बड़ी मुश्किल से जोधपुर में नियुक्ति मिली। शरण दार्शनिक अधिक थे। सभी उनके लेख नहीं समझ पाते थे पर विदेशों में लिखे समाजशास्त्र के इतिहास में शरण का नाम एक भारतीय समाजशास्त्री के रूप में सम्मिलित किया जाता है। सच यह है कि उनकी विचारधारा के समर्थक भारत में बहुत कम हैं और उनका योगदान इस दृष्टि से नगण्य सा है।

लखनऊ स्कूल जयपुर में छा गया। योगेन्द्र सिंह, इन्द्रदेव, सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, शिव कुमार लाल, आदि लखनऊ ही के छात्र थे, और चौहान भी। अब तो लखनऊ भी हाशिये पर आ गया है। राजस्थान से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री आज कौन हैं, मैं कह नहीं सकता। क्योंकि मुझे उनकी जानकारी नहीं है।

राजस्थान के समाजशास्त्रियों को सलाह

पहली बात तो यह कि अखिल भारतीय स्तर पर जो हो रहा है उससे सीख लेकर राजनीतिकरण से दूर रहें। दूसरी बात कि गहन कार्य समिति के स्तर पर होता है, कांफ्रेंस के स्तर पर नहीं। तीन-चार विषय ही काफी हैं। छोटे समूह बनाकर काम करें और काम करने वाले प्रतिबद्धता रखें कि वे शोध के विषय पर ही कार्य करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। समिति में उन्हें लें जो समर्पित हैं और नये लोग जो सीखने की जिज्ञासा रखते हैं उन्हें अवसर दें।

राजस्थान में समाजशास्त्र को तीन चीजों की आवश्यकता है—

- समेकन (Consolidation) यानि अभी तक राजस्थान में जो शोध कार्य हुए हैं, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को उन्हें इकट्ठा करके पुस्तक के रूप में छापना चाहिए। इससे पता लगेगा कि क्या तस्वीर उभरकर आ रही है और आगे क्या चुनौतियां हैं। यदि मुझे कोई पूछे कि राजस्थान में क्या हो रहा है? तो इस प्रकार की सामग्री के बिना मैं कहां दंखू? जिन्हे विषय की समझ है उन्हें राजस्थान में अब तक के सम्पन्न अध्ययनों का निचोड़ निकालकर सार तैयार करना चाहिए जिससे राजस्थान का योगदान सामने आए।
- दूसरी आवश्यकता है राजस्थान की उभरती संरचना का अध्ययन करना। आज का राजस्थान 1950 का राजस्थान नहीं है, 1950 में जो चुनौतियां थी, संकट था वे आज की चुनौतियां नहीं रहीं। राजस्थान के गांवों का अध्ययन फिर से किया जाना चाहिए। यदि नहीं किया तो आने वाले समय में इनके बारे में जान नहीं पाएंगे क्योंकि ये बदल जाएंगे। सन पचास-साठ के दशक में हम ऐसे भारत में रह रहे थे जो तेजी से बदलने लगा था। तब इस बात की आवश्यकता थी कि परिवर्तन के पहले की स्थिति का विवरण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत में विचरण कर सकें और आगे की दिशा निर्धारित कर सकें। यही स्थिति आज भी है। आज गांवों के अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि हम निरन्तर परिवर्तन के क्रम में हैं और वह बड़ा द्रुत है।
- युवा लोगों को कार्य में सम्मिलित करें लेकिन उनके लिए सिद्धान्तों का आरोपण नहीं करें। नई चीजों को सूत्र रूप में लिखें।

स्वयं के अध्ययनों पर टिप्पणी

मैंने समाजशास्त्र पर जो पाठ्य-पुस्तक लिखी है उसका एक विशेष रूप यह है कि उसमें मैंने समाजशास्त्र सिद्धान्त के रूप में और भारत में समाजशास्त्र में भेदभाव नहीं किया है लेकिन सामाजिक स्तरीकरण के अध्याय में जाति पर जितना लिखा है, उतना विदेश की किसी भी सामाजिक सिद्धान्त की पुस्तक में उपलब्ध नहीं होगा। विदेशियों को यह पता होना चाहिए कि जाति क्या है? यह एक पृष्ठ का दस्तावेज नहीं है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि जाति पर जितने लोग लिख रहे हैं वे वास्तव में जाति को नहीं समझते। स्पष्टता का अभाव है। वर्ण, गोत्र सभी को जाति कह देते हैं। प्रदेश में एक उप-जाति है उसे भी जाति कह देते हैं। खाप पंचायत पर इतनी चर्चा हो रही है पर मुझे किसी भी समाजशास्त्री से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। केवल सतही ज्ञान है जो अखबार के लेखों के लिए तो शायद ठीक हो पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। केवल राजनीतिज्ञों के लिए लिखने से कुछ नहीं होता, वे कुछ नहीं समझते। आरक्षण की समस्या का एक कारण यह भी है।

मैंने फेसबुक पर एक छोटा सा लेख डाला है 'पर्याय का संकट'। धर्मनिरपेक्षतावाद, असहिष्णुता इन सभी के बारे में लोग नहीं समझते। असहिष्णुता की बात हुई तो पुरस्कार लौटा दिए। पर्याय का घोर संकट है। मैंने इस लेख में हैदराबाद के छात्र राहुल का उदाहरण दिया है। मेरा यह मानना है कि यदि वह दलित नहीं होता तो क्या आप इसलिए प्रकरण छोड़ देते कि वह दलित नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है?

दलित होना या आत्महत्या करना? दलित के नाम पर राजनीति हो रही है। आत्महत्या व्यक्तिगत घटना है, कोई यह सोचकर आत्महत्या नहीं करता कि इससे जाति को बढ़ावा मिलेगा।

दलित की अवधारणा थोपी हुई है। अंग्रेजों की 'फूट डालो राज्य करो' की नीति के परिणामस्वरूप 1921 की जनगणना में यह शब्द आया। उन्होंने इन जातियों को आपस में मिला दिया और दबे-कुचले (Oppressed) कहा। उसके पश्चात् 1950 के बाद हिन्दी में दलित शब्द आया। यह सब राजनीति है।

निर्धनता पर मेरी पुस्तक *Poverty in Transition* संयुक्त राष्ट्र को मेरा अन्तिम उपहार था। डेनमार्क में सामाजिक विकास पर विश्व सम्मेलन हुआ उसमें निर्धनता एक विषय था। निर्धनता पर अनुसंधान कम हुआ है। विशेषतः दूसरा विश्व, जहां साम्यवाद ढह गया वहां के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहां के लिए कहा गया कि निर्धनता नहीं है, बेरोजगारी नहीं है। लेकिन पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद निर्धनता उभरकर आ गई।

मैंने सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मलेन के फोलोअप में प्रोजेक्ट लिया। यह युनेस्को का पहला प्रोजेक्ट था और मैं पहला व्यक्ति था जिसने पूर्वी यूरोप पर अध्ययन किया। यह अध्ययन कम्युनिस्ट ब्लॉक के चुने हुए देशों में किया गया, जिनके बारे में अब तक जानकारी छन-छन कर आती थी उन सभी को एक जैसा प्रारूप दिया। मैंने बहुत मनोयोग से काम किया, फिर तथ्य संकलित करके समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से निर्धनता पर लिखा। सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था से पहली पुस्तक थी जो निर्धनता पर आई। यह पुस्तक अमेरिका में पढ़ाई जाती है, भारत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। निर्धनता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर मैंने विश्व स्तर पर समाशास्त्रियों का ध्यान खींचने की कोशिश की।

वर्तमान में योगेश अटल

मैं दिन में 8-9 घण्टे काम करता हूँ। अभी मेरी कलम में दम है। मैं कम्प्यूटर पर स्वयं काम करता हूँ। जितनी किताबें लिखी हैं उनके लिये मेरे पास कोई शोध सहायक, लिपिक नहीं हैं सारा काम मैं स्वयं करता हूँ। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखता हूँ और पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार-पत्रों में भी यदा-कदा लेख छपते रहते हैं। टीवी पर भी आता हूँ पर अब चलने में कष्ट है। बी.बी.सी. और आकाशवाणी के लोग तो घर पर आकर ही साक्षात्कार ले लेते हैं।

मैं अपनी साधना करता हूँ, लिखता हूँ। इस वर्ष मेरी 6 पुस्तकें आई हैं, अलग-अलग स्तर की। मुझे इसी में सुख मिल रहा है। पियर्सन ने हिन्दी में *समाजशास्त्र* को प्रकाशित किया है। नेशनल पब्लिकेशन हॉउस से मेरे हिन्दी लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। एक पुस्तक *Indian Tribes in Transition* लंदन से छपी है।

मेरी 1967 के चुनाव पर लिखी पुस्तक भारत में चुनाव पर पहली पुस्तक थी। इसे बांग्लादेश, फिलीपीन आदि में पढ़ाया जाता है, भारत में नहीं। यहां तक कि राजनीति विज्ञान में भी नहीं। 1999 के चुनावों पर भी मेरी पुस्तक आई है। मैंने 2014 के चुनाव का अध्ययन किया जिसे हर आनंद पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया।

मैंने भ्रष्टाचार पर काम किया *Combating Corruption: the Indian Case* ब्लैक स्वान से छपी है। भ्रष्टाचार के समाजशास्त्र पर भारत में मेरी पुस्तक एकदम नयी है। लेकिन *सोशियोलॉजिकल बुलेटिन* ने उसका रिव्यू भी नहीं छापा। पियर्सन से *भारतीय समाज : निरन्तरता और परिवर्तन* आ रही है। अंग्रेजी में भी यही पुस्तक है *Indian Society : Continuity and Change*। यह अनुवाद नहीं है, सामग्री वही है। अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग लिखा है। इसमें 2011 तक के आंकड़े हैं, चार्ट, चित्र सभी हैं। प्रकाशक ने पर्यटकों की दृष्टि से छापी है। नेशनल पब्लिशिंग हाऊस से लेखों का संग्रह भी छपा है। समय निकालकर मैं कविताएं भी लिख लेता हूँ।

प्रदत्त संस्तरण : समकालीन भारत में जाति तथा उसका पुनर्स्थापन

सुरिंदर एस. जोधका

सार

सामाजिक विज्ञानों में जाति पर जो भी साहित्य उपलब्ध है उसमें यही तथ्य प्रभावी है कि यह हिन्दुओं की वह विशिष्ट संस्था है जिसका संबंध प्राचीन परंपराओं और धार्मिक-पौराणिक ग्रंथों से है। ये विचार ऐसा सोचते हैं कि नगरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं के प्रहार सामाजिक संस्तरण के इस रूप को खिसका देंगे और इसके स्थान पर एक ऐसा संस्तरण स्थापित होगा जो व्यक्तिगत उपलब्धियों, योग्यता और कठोर श्रम पर आधारित होगा। अभी हाल में प्रकाशित साहित्य के आधार पर इस लेख में लेखक की मान्यता है कि ऐसी कल्पना भारत में अपवाद आधारित है। यह पूर्वाग्रही विचारधारा, जाति के वर्तमान आधार पर जाति सरीखे उन प्रचलित संस्तरणों को समझने में मदद नहीं करती, जो भारत में तो नहीं पर अन्य देशों के समाजों में उपलब्ध हैं। जाति संबंधों के कुछ विखण्डन अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे साधन दे सकते हैं जिससे हम संभवतः सामाजिक गैर-बराबरी के आधारों को समझ सकें।

संकेतशब्द

जाति, भेदभाव, संस्तरण, गैर-बराबरी, भारत, गौरव।

लोकप्रिय पाठ्य-पुस्तकों ने जाति को सांस्कृतिक प्रतिमानों के आधार पर परखा है। गैर-बराबरी का यह पारंपरिक आधार आधुनिक पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रयत्नों से मिला है। यह एक प्राचीन संस्था है। यह पहले से ही स्थापित विचार है और हिन्दुओं की धार्मिक विचारधारा से यह निबद्ध है। संस्था की वैधता धर्म, कर्म, धार्मिक ग्रन्थों यथा मनुस्मृति तथा ऐसे ही ग्रंथों से संबद्ध है। इनके आधार पर संस्तरण के विचार की व्याख्या की गई, इसकी संरचना बुनी गई और शुद्धता तथा परिशुद्धता की अवधारणा को विकसित किया गया। वर्णव्यवस्था ने हिन्दुओं को चार या पांच भागों में बांट दिया जो एक दूसरे से अलग विगठित इकाइयां थीं। ब्राह्मण कर्मकांडीय तथा पूजा विशेषज्ञ थे। वे सर्वोच्च थे। उसके बाद क्षत्रिय (युद्धवेत्ता), वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (किसान, मजदूर) की निर्मितियों से अलग अस्पृश्य थे जिनका संबंध बहुत से अस्पृश्य कार्यों से था और वे ऐसे काम करते थे, जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था और वे शेष हिन्दुओं की सेवा करने के लिए थे और संस्तरण में उनकी सेवाएं सबसे निम्न स्थान पर अवस्थित थीं।

मुख्यधारा के सामाजिक वैज्ञानिकों, जिनमें संरचनात्मक-प्रकार्यवादी तथा मार्क्सवादी दोनों ही शामिल थे, ने यह संभावना व्यक्त की थी कि नगरीकरण, औद्योगीकरण, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास, उभरते सामाजिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक संस्थाओं, जो आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में उभरेंगी, के कारण पारंपरिक सांस्कृतिक विचारधारा के एक पक्ष के रूप में जाति व्यवस्था का पतन होगा और यह अपने आप लुप्त हो जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था के लोकतांत्रिकीकरण से जाति व्यवस्था इस देश के लिए वैसे ही सीमित और अर्थहीन हो जाएगी जैसा कि पाश्चात्य देशों में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के साथ प्रजाति के साथ हुआ था। अतः सामाजिक संस्तरण की एक ऐसी सुव्यवस्था को स्थापित होगी, जो व्यक्तियों के कठोर श्रम और योग्यता पर आधारित होगी।

लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछली शताब्दी से भारत में अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना और राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग अभी भी कृषक है, सामाजिक और आर्थिक जिन्दगी बहुत सुधरी नहीं है और ना ही कोई सामाजिक पुनरुत्पादन हुआ है। यदि कोई संभावना है तो पिछले पांच दशकों में भारत की कृषक अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण सभी जगह जाति आधारित व्यवसायों में परिवर्तन आया है। करीब-करीब सभी जगह भारत में उत्पादन चक्र स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ रहा है। आर्थिक गतिविधियों के रूप में कृषि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण तरीके से कम हुई है। यद्यपि भारत का दो तिहाई हिस्सा ग्रामीण है पर इक्कीसवीं सदी की इस दूसरी दशाब्दी में राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 13 या 14 प्रतिशत ही रह गया है।

भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या उन संस्थाओं की सफल संचालन में मिलती है। पाश्चात्य शैली के उदारवादी संविधान के माध्यम से भारत का प्रजातंत्र सफलतापूर्वक चल रहा है।

यह समझने लायक बात है कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में मूलभूत परिवर्तनों के बाद भी जाति अपनी जगह मौजूद है। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में होने वाली बहसों में जाति की उपस्थिति ने कई मुखर विचारों को जन्म दिया जो पहले संभव नहीं था। भारत ने अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियों के लिए कोटा की व्यवस्था की है जो कि सामाजिक न्याय और सकारात्मक कदम के नाम पर है। लोकप्रिय जनसंचार के साधन प्रायः जाति व्यवस्था का संबंध भारत की चुनावी राजनीति में राजनीतिक उद्गम के रूप के साथ भी जोड़ देते हैं। लेकिन यथार्थ यह है कि जाति के आधार मतों और मतदाताओं की राजनीति से भी कहीं आगे है। जाति विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक गैर-बराबरी के सन्दर्भ में अभी भी महत्वपूर्ण स्थान पर है। समकालीन भारत में इसका संबंध अवसरों की असमान, प्रस्थितियों के अंतर और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच गैर-बराबरी के प्रतीकों से है।

जाति पर दिये जाने वाला जोर आनुभाविक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा नैतिकता के प्रश्न उठाता है। इन प्रश्नों के सन्दर्भ कई अन्य सन्दर्भों के साथ जुड़ जाते हैं जैसे (1) जाति और उसकी रीतियों से संबंधित लोकप्रिय सैद्धान्तिकता (2) प्रायोजनात्मक दृष्टि से जाति के बदलते हुए प्रतिमानों पर एक दृष्टि और (3) जाति संबंधी वैकल्पिक दृष्टि के रूप में जाति के पारंपरिक परिवेश, गांव से परे दिन-प्रतिदिन वे जीवन में इसके प्रभाव के वर्तमान यथार्थताओं को समझना। इसी में जाति के पुनरुत्पादन की कथा समाहित है।

मेरा प्रारंभिक तर्क भारतीय जाति संबंधी अपवाद का लगभग पूर्णरूपेण निरस्तीकरण है। सारा स्पष्टीकरण हिन्दू धार्मिक परंपराओं पर आधारित था जबकि विमर्श प्रदत्त व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए था। वेबर 1946 ने प्रस्थिति के आधार पर शक्ति और गैर-बराबरी के विविध पक्षों की चर्चा की थी अथवा प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में विश्लेषण (बोर्दू, 1984) जो Crimiration की ऐसी व्यवस्था है जो दूसरी जगह पर स्थित ऐसी ही समानताओं को अन्यत्र भी समझ सके। जैसे प्रजाति अथवा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति संभवत इस तुलनात्मकता विमर्श के लिए जाति प्रजाति संबंधों के इतिहास में परिलक्षित है।

जाति और प्रजाति

समकालीन भारत में जाति के विद्यार्थियों के लिए जाति प्रजाति संबंधों को समझने के लिये डर्बन में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रजातीय भेदभाव पर सम्मेलन के संदर्भ देने आवश्यक हैं जिसमें जातीय भेदभाव को प्रजातीय भेदभाव के समकक्ष स्वीकार करने का आग्रह किया गया था। लेकिन

समाजशास्त्र इन दोनों संस्थाओं के बीच तुलना करता रहा है। लगभग एक शताब्दी से विभिन्न रूपों में इन दोनों के बीच तुलना होती रही है। एक शताब्दी हो गई पर यह बहस निरन्तर चलती ही रही है।

चार्ल्स समकर से यदि प्रारंभ करें तो विलियम थामस और डब्ल्यू एज. वीश्चर ने यह तर्क रखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति जैसी एक व्यवस्था मौजूद है। जिसमें काले और गोरों के बीच क्रमबद्ध रूप में संस्तरण को बनाया गया है और यह व्यवस्था जाति सरीखी ही है। जाति व्यवस्था की ही तरह प्रत्येक व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण उसके सामाजिक समूह की सदस्यता के आधार पर था जो प्रत्येक रंग में संस्तरण के आधार पर निर्धारित थे (थामस, 1994 नामर, 1936)। लेकिन प्रजाति की जातीय विचारधारा में कमी आई जब सुप्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री ओजिवर सी. कालस ने अपनी पुस्तक लास्ट क्लास एंड रेस' में (बीसवीं शताब्दी के मध्य में प्रकाशित) इस विषय पर एक बड़ा प्रभावशाली आलोच्य लिखा।

प्रजाति की जातिगत व्याख्या से असहमति व्यक्त करते हुए कॉक्स ने कहा कि प्रजातिगत गैर-बराबरी को समझने के लिए जाति एक सूत्र के रूप में न तो हो सकती है और न इसका प्रयोग इस संदर्भ में किया जाना चाहिए। सामाजिक अंतरों और गैर-बराबरी को समझने के लिए यह पैमाना हो भी नहीं सकता क्योंकि अमेरिका की यथार्थताएं मूलभूत रूप में बिल्कुल अलग हैं। जबकि जाति बहुत प्राचीन भारतीय संस्कृति के हिन्दू पक्ष का निर्माण है। प्रजाति का संबंध अभी हाल की सामाजिक रचना है जो पूंजीवादी व्यवस्था में पारम्परिक दृष्टि के कारण और भेदभाव के कारण उभरी है। प्रजाति की जातिवादी विचारधारा के विरुद्ध यह आलोचना इतनी कठोर थी कि इसकी चर्चा ही लगभग समाप्त हो गई।

यह मजेदार प्रसंग था कि इसके बावजूद भी भारत संबंधी ज्ञान के आधार पर तथा एक साधारण संभावना के आधार पर यह चर्चा चलती रही। इसका संबंध हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया। अन्य रचना पर भी इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं उभर सकी और इसका कोई अर्थ भी नहीं रहा। एक शास्त्रीय वैचारिक संदर्भ के रूप में इसे कहा गया।

दुनिया में ब्राह्मण विचारवादी प्रतिवादी व्यवस्था कहां स्थित है? इसको यदि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में देखें तो अधिक अच्छा होगा (कॉक्स, 1948)। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजाति संबंधों की जातिवादी व्याख्या का एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। जाति ने अपनी वैधता स्वयं पैदा की थी। उनकी दृष्टि में प्रजाति सामाजिक संगठन का कोई स्वाभाविक स्वरूप नहीं था और ना ही किसी प्रकार का समाज था जैसा कि जाति व्यवस्था के साथ था।

समाज की एक प्रकार की कल्पना सामाजिक अंतर्विरोधों की व्याधि को छिपाने के बराबर थी। जिससे कुछ सामाजिक प्रश्न छूटे हुए हैं। अपनी तरह की सामाजिक दृष्टि से यह ठीक है जैसी कि अपनी ही दृष्टि से जाति व्यवस्था ठीक है।

अपनी पुस्तक में आगे चलकर फॉक्स व्याधिपूर्ण सामाजिक अन्तर्विरोधों की चर्चा करते हैं और दक्षिण अमेरिका में कालों के अमर सामाजिक छीजन की चर्चा करते हैं। संयोग से ये हिंसक वर्णन, भारत में हो रही जाति हिंसा से मिलते-जुलते हैं। उनका मानना था कि कालों की यह छीजन इसलिए थी क्योंकि गोरे अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहते थे। उनकी रचना से कुछ और उद्धरण प्रस्तुत करने चाहिए।

यह भीड़तंत्र का एक स्वरूप था जो या तो सभी लोगों के या राजनीतिक वर्ग के विरुद्ध था। छिपाव अपने आप में स्वयं द्वारा जागृत किया नहीं थी..... यह एक छिलावट चक्र था जिसे आसानी से पहचाना जा सकता था..... गोरों में यह विश्वास जुड़ गया था कि काले अब हाथ से निकलते जा रहे

हैं..... प्रभावी करने के लिये संपत्ति का आधार आवश्यक था। छिलावट गोरों के प्रभुत्व को रोकने का साधन थी..... विभिन्न प्रजातियों के बीच सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रयास था जिससे शक्ति संबंधों का निर्धारण हो सके।

कॉक्स ने यदि जाति का अध्ययन बीसवीं सदी में किया होता तो प्रजाति जगत के साथ उसकी तुलनात्मक विवेचना कुछ बदली हुई होती। जाति का अवधारणात्मक प्रक्षेपण एक अपवाद है। ऐसी सोच केवल आलीवर कॉक्स की ही नहीं थी। ऐसा विचार प्रभुत्वशाली रहा है कि यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक यथार्थता है और भारतीय हिन्दू परंपराओं का भाग है। बहुत शक्तिशाली आलोचनाओं के होते हुए भी ड्यूमां (1998) के विचार बहुत प्रभावी रहे हैं (बेरेमर 1991, निते 1980, ड्यूमां 2001, गुप्ता 1981, रोहेजा 1989)। ड्यूमां के इस किताबी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने बहुत से गांवों के आनुभाविक अध्ययन भी किए थे।

1950 से 1970 के बीच के जो लोग थे उन्होंने जाति को आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं परखा (जोधका, 1998)। कुछ अपवाद ऐसे लिखे गए थे जिसमें जाति को शक्ति तथा प्रभुत्व के आधार पर प्रक्षेपित किया गया था लेकिन अधिकांशतः पूर्व दृष्टिकोण ही जाति के लिए अधिक प्रभावी रहा। यह भारत की विशेषता के रूप में ही स्वीकार किया जाता रहा। 1990 तक ऐसा ही चलता रहा (जोधका, 2012)।

जाति की पहचान को संस्कृति तथा परंपराओं के साथ जोड़े रखने का यह परिणाम हुआ कि जाति का संबंध उन गंभीर विमर्शों के साथ नहीं जुड़ पाया जिनका संबंध आर्थिक पुनर्वितरण, प्राधिकार, गरीबी और राष्ट्रीय विमर्श के साथ था। भारत की स्वाधीनता के बाद आर्थिक गैर-बराबरी के प्रश्न कुछ जातिमय आधारों पर देखे गये जैसे आर्थिक इकाइयां, आय, संपत्ति तथा उत्पादकता। जब गांव के अध्ययन हुए तो उनको जाति के प्रचलित कृषिक संरचना के साथ जोड़ा गया। गांवों में गैर-बराबरी और शोषण के साथ न जाति को जोड़ा गया और न कोई अवधारणा बनाई गई।

इसका प्रभाव विकास और उसके प्रभावी अवदानों पर पड़ा। जैसा कि लिखा जा चुका है जाति को एक विकासीय आधार पर परीक्षित किया जाता रहा है। इसके पीछे कल्पना यही है कि आधुनिकता के प्रसार के साथ-साथ जाति व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के प्रारंभ में एक और धारणा विकसित हुई कि राजनीति की समझ और सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण जाति को बदलने में मदद करेंगे। भारत में वामपंथी या दक्षिण पंथियों के जाति के प्रति विचार प्रायः एक से रहे हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि जाति का कोई भविष्य नहीं है। आधुनिकता की प्रक्रियाएं जाति को कमजोर करेंगी और अंततः एक ऐसा समाज स्थापित कर देंगी जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियां प्रमुख होंगी। सामाजिक संरचना और स्तरीकरण वर्गों की श्रेणियों में बदल जाएगा और यह बिल्कुल पाश्चात्य सामाजिक व्यवस्था जैसा होगा।

आधुनिक समाज की अवधारणा के संबंध में संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई, मानव समाज को समझने की एक दृष्टि थी जो सामाजिक विज्ञानों में बहुत लोकप्रिय हुई। इसने जाति को एक परंपरागत संस्था के रूप में ही स्वीकार किया। जाति पारंपरिक संस्थागत सामाजिक संबंधों की एक संरचना मानी गई। इसकी प्रकार्यात्मक उपयोगिता को पूर्व-आधुनिकता के साथ जोड़ा गया। उद्विकासीय संरचनात्मक परिवर्तन इसे ऐसे ही परिवर्तित करेंगे जैसा यूरोप में औद्योगिक समाजों ने पारंपरिक समाजों का रूपान्तरण कर दिया था और फिर यह एक सहयोगात्मक समाज में बदल गई थी।

जैसा कि मानव समाज के सैद्धान्तिक प्रस्तोता कहेंगे सामाजिक संगठन को बनाने के लिए

पारंपरिक रूप से समुदायों की रचना में व्यक्तियों का महत्व कम है। समूहों की सामाजिक पहचान इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति आज अपने बारे में ही सोचे तो उससे सामूहिकता विकसित नहीं होती। समूह के ऊपर सामूहिक पहचान अधिक प्रभाव डालती है। व्यक्ति की अपनी पहचान व्यक्तिवाद से उभरती है जिसकी वृद्धि और जटिलताएं उस जीवन में उभरती हैं, जो औद्योगीकरण अथवा बाजारी अर्थव्यवस्था के कारण विकसित है। व्यक्तिगत स्वायत्तता इसलिए उभरती है क्योंकि आधुनिकीकरण की यह पूर्व आवश्यकता है। दुर्खाइम यह तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज विचारों की दृष्टि से जैविक सावयवी के विचार के साथ जुड़ा हुआ है जो व्यक्तिगत इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है और उसे आगे बढ़ाता है। उसे व्यक्तिगत विशेषज्ञता की आवश्यकता है और वही वांछित प्रकार के श्रम विभाजन को पैदा करता है (दुर्खाइम, 1997)। किसी व्यक्ति में जो भी विशेषज्ञता है उसे प्रोत्साहित करने का काम भी किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेष्ठता के आधार पर पुरस्कार बांटे जाते हैं।

परिणामस्वरूप बंद समाजों की अपेक्षा, जो पारंपरिक समाज व्यवस्थाओं का प्रतीक है, योग्यता तथा श्रेष्ठता पर आधारित गतिशीलता किसी भी समाज को एकल समाज बना सकती है।

यह मजेदार बात है कि सामाजिक परिवर्तन के इस दृष्टिकोण पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूर्व विवेचित प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से कुछ भिन्न नहीं है। यहां भी यह मान लिया जाता है कि जाति की पहचान हिन्दू धर्म के साथ जुड़ी हुई है और यह विश्वास है कि इसका जन्म हिन्दू मूल्य व्यवस्था से हुआ है। इसका संबंध उस विचारधारा के साथ जुड़ा है जिसके अनुसार (अ) सामाजिक निर्मिति की बाह्य संरचना और (ब) उत्पादन का पूर्व पूंजीवादी तरीका इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार जाति व्यवस्था पूर्व कृषिक सामाजिक नियति में फली फूली। यद्यपि जाति और जातिव्यवस्था गैर-बराबरी के प्रतीक हैं पर इसने समाज में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास अवश्य किया। इस प्रकार जाति व्यवस्था ने भारत की ग्रामीण संरचना को स्थापित करने में मदद की। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और कृषिक सामाजिक संरचना के बनाने में इसका योगदान था। लेकिन भारतीय समाज के आधुनिक समाज की स्थापना के लिए इसका कोई योगदान नहीं था।

एक और स्तर पर मार्क्स ने जाति को रूढ़िवादी आर्थिक-सामाजिक संरचना माना था जिसमें ग्राम भी सम्मिलित थे। जाति ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व दिया और उसको बनाए रखने में मदद दी। जैसा कि उन्होंने लिखा— आदर्शात्मक ग्रामीण समुदाय गांवों में जाति की गैर-बराबरी और दासता से दूषित थे। इसने मनुष्यों को बाह्य पारिस्थितियों से बांध दिया बजाय इसके कि बाह्य परिस्थितियों से उसे मुक्त रखा जाय। इसके स्थान पर उन्हे स्वयं-विकसित सामाजिक व्यवस्था में धकेल दिया जो स्वामित्व परिणामों को कभी बदलने वाली नहीं थी (मार्क्स,)। लेकिन मार्क्स का विचार था कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन में दो कारणों (अ) ब्रिटिश पूंजीवादी बाजार व्यवस्था और (ब) नई तकनीकों विशेषकर रेल्वे की प्रविष्टि से पारंपरिक सामाजिक संगठन विखण्डित हो रहा था। उन्होंने रेल्वे व्यवस्था के कारण उपज रही औद्योगिक व्यवस्था को पारंपरिक श्रम के विभाजन, जिस पर जाति व्यवस्था आधारित थी, को नष्ट करने वाला मानते हुए इसे भारतीय प्रगति और शासन के विकास में मददगार के रूप में देखा।

जो मार्क्स के लिए सत्य है संभवतः वह आधुनिकता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। 1970 में विस्तृत योजनाओं और समाज वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण भर्त्सना के बावजूद कई अर्थों में आधुनिकीकरण की दृष्टियां पहले भी मौजूद थीं और आज भी मौजूद हैं। भारतीय मध्यम वर्ग और अन्यत्र यह भावना और दृष्टिकोण विद्यमान रहा है। यह ऐसा ही है जैसे सामाजिक उद्विकास के सिद्धान्तशास्त्रियों के द्वारा की गई आलोचना स्वीकार नहीं की जाती लेकिन कतिपय ऐतिहासिक परिदृश्यों पर इसकी छाप दिखाई देती है।

परिवर्तनशील जातियां

पिछले चार या पांच दशकों में जाति व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। कई प्रयत्नों से ये परिवर्तन संभव हुए थे:—(1) संवैधानिक प्रावधानों के कारण निम्न स्तर पर उठे आंदोलन (2) पारंपरिक संस्तरण व्यवस्था में सीमांती लोगों के लिये राज्यों द्वारा दिए गए सशक्तीकरण के प्रावधान और (3) कृषिक स्थान्तरण और उद्योगों तथा नगरीकरण जैसे कुछ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के प्रयास।

पारंपरिक संस्तरण में परिवर्तनों में से कुछ क्रान्तिकारी थे और कुछ काफी महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिये पाठ्य-पुस्तकों में जाति संबंधी व्याख्याएं मुख्यतः कर्मकंडीय या मानसिक श्रेणीबद्ध आधारों पर विश्लेषित की गई थीं, जो अब ग्रामीण भारत में कहीं दिखाई नहीं देतीं (चार्ल्सज और बारबन्थ 1998, जोधका 2002, सहाय 2004) कुछ सीमा तक जमीनी स्तर पर जाति श्रेणियों के निम्न स्तर पर अब ऐसी नीतियां विकसित हो गई हैं जिनके कारण प्रबल शक्तिशाली जातियों का प्रभाव घट गया है।

उपनिवेशवादी शासन की समाप्ति का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक संगठनों पर पड़ा। ग्रामीण विकास और कृषि में वृद्धि के लिए शासन द्वारा निवेश किया गया। जिन मानवशास्त्रियों ने हाल में ग्रामों का अध्ययन किया है, उनकी मान्यता है कि संस्तरण में गैर-बराबरी अब घट रही है और गैर-बराबरी के पुराने स्रोत अब समाप्त हो रहे हैं (बेते 1996, ब्रेमैन 1974, यार्नर 1982)। परिवर्तन का असर स्थानीय जाति संबंधों पर भी पड़ा है। 1980 तक इन परिवर्तनों का असर स्थानीय जाति संबंधों पर पड़ा और अब तक ये परिवर्तन बड़े साफ दिखाई देने लगे थे। प्रजातांत्रिक और चुनावी राजनीति में भी यह प्रक्रिया साफ दिखाई देती थी।

राजस्थान में अपने क्षेत्रिय कार्य के आधार पर में अलिवर मैकलशीन ने कहा कि 1950 में एम.एन. श्रीनिवास द्वारा कथित प्रभु जाति, जिसकी अवधारणा दक्षिण भारत में क्षेत्रिय कार्य के आधार पर रची गई थी (श्रीनिवास, 1959) अब वर्तमान में नहीं है। कम से कम राजस्थान में ऐसा नहीं है। यह भी कहा गया कि भूमि और उससे संबंधित अधिकारों के स्वामित्व होने के संबंध अब टूट गए हैं और इतिहास में गैर-उद्विकासवादी परिवर्तन उभरकर सामने आए हैं (मैण्ड वस्कैम, 1993)। स्वयं श्रीनिवास ने इस शताब्दी के बदलते एक शोध पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था – जाति पर एक व्यवस्था के रूप में श्रद्धाजंलि (An obituary on caste as a system)। उन्होंने लिखा था कि इस देश में जाति व्यवस्था को समीप से बांधे अंग ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में समाप्त हो रहे हैं (श्रीनिवास, 2003)। हम लोग भी बहुत ध्यान से इसे देख रहे हैं और वर्तमान भारत में जाति परिवर्तन के पक्षों के परिवर्तनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं (बेते 1994, चारस्के और कारन्थ 1998, गुप्ता 2000, कपूर 2010, फारन्थ 1986 कृष्णा 2001, वाडी राजू 1999)।

संस्तरण में घटाव, गैर-बराबरी का ठहराव, और जाति व्यवस्था का पुनः उत्पादन सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। मजेदार बात यह है कि वर्तमान भारत में ऐसे समय जब समाजशास्त्रीय साक्ष्य यह कह रहे हैं कि जाति घट रही है, जाति और अधिक दिखाई देने लगी है और यह जटिल भी हो गई है। केवल अकादमिक ही नहीं लोकप्रिय रूचियां भी जाति को समझने के लिये आगे बढ़ी हैं। जाति संबंधी प्रश्न अधिक से अधिक नये और जटिल स्वरूप में उभर रहे हैं। मेरा अपना स्वयं का क्षेत्रिय कार्य यह बताता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पूंजीवाद के विकास और तेजी से बढ़ते यंत्रीकरण ने कृषि उत्पादन के पारंपरिक ढांचे और संगठन को वृहदरूप में बदल दिया है और इससे उत्पादन भी बहुत तेजी से बदला है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इन परिवर्तनों ने कहीं जाति को भंग किया हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जाति अंतरों को समाप्त कर दिया हो। इसके विपरीत यह देखा गया है कि इन जाति समूहों के बीच आर्थिक गैर-बराबरी और अधिक बढ़ गई है (जोधका, 2015)।

सामाजिक और राजनीतिक दोनों आधार यही बताते हैं कि जातियों के बीच अंतर बढ़े हैं और जो सबसे नीचे के स्थान पर हैं उनमें आत्म संबंधी कल्पनाएं बदलने लगी है। जैसे-जैसे कृषि व्यवस्था और प्रभु जातियों पर उनकी आश्रितता कम हुई है, उनकी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ी है और वे स्वतंत्र समाज की नागरिकता के साथ जुड़े हैं। स्थानीय स्रोत अभी भी जाति के साथ गुंथे हुए हैं और पुरानी व्यवस्था में जो उनका स्थान था, जिसे प्रभु जातियां लागू करती थीं के साथ अब भी जोड़ बना हुआ है और श्रेणीबद्ध व्यवस्था में वे वहीं बने हुए है। प्रभु जातियों के द्वारा समुदायों के अधिकार में संपत्ति स्रोतों में किसी हिस्सेदारी की चर्चा भी वे नहीं करते। ऐसे दावे स्वीकार भी नहीं किए जाते और प्रायः इसके परिणाम दलितों का बहिष्कार अथवा दलितों के विरुद्ध हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं (जोधका, 2014)।

जातियों के अंतर और अधिक प्रभावी हुए हैं। प्रतिरोध तथा जाति संबंधी अत्याचारों की घटनाएं इस प्रवृत्ति का परिचायक हैं। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि जाति की पारंपरिक विचारधारात्मक और उसकी संस्थागत पकड़ कमजोर हुई है जिसमें अस्पृश्यता बहुत कमजोर पड़ी है, पर दलितों के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि हुई है विशेषकर पिछली दो या तीन दशब्दियों से (बेते 2006, गोरिन्ज 2005, 2012, मोहन्ती 2007, तैनम्बिडे 2010)।

एक और स्तर पर जाति व्यवस्था में बढ़ते तनाव चाहे वह रक्तरंजित हिंसा ही क्यों न हो प्रायः शक्ति संबंधों पर समझौते की प्रवृत्ति को जन्म दे देते हैं (पंडन, 2013)। ग्रामीण परिवेश में नागरिकता अब कोई परायी नहीं है। शक्ति संबंधों में परिवर्तन न होते हुए भी दलितों ने राजनीतिक लेन-देन की भाषा सीखी है और अपने लाभ के लिए वे इस भाषा का प्रयोग भी करने लगे हैं।

पारंपरिक जाति श्रेणी व्यवस्था में जो लोग निम्न स्तर पर हैं उनके द्वारा कृषिक व्यवस्था से हटकर गांव छोड़ना इतना आसान नहीं है। जो लोग ग्रामीण व्यवस्था छोड़कर नगरीय उद्यमियों में पहुंच भी जाए तो काम करना कठिन है और संभावना यह है कि वे वहां सीमांती हो जाएं। नगरों में भी जाति कई प्रकार से प्रभावी है। नगर व बाजार इतने खुले नहीं हैं जैसा कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र बखान करते हैं। भारतीय सन्दर्भ में जाति और नातेदारी (जो कभी-कभी धर्म के साथ जुड़े हुए है) किसी व्यापार पर एकाधिकार करने की चेष्टा करते हैं। असंभव होते हुए भी नगरीय अर्थव्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूंजी और बैंक से धन जुटाने में भी नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नातेदार इन मामलों में चौकीदार का काम करते हैं जो धन जुटाने में सहायक हैं। धन, दुनिया में व्यापार चलाने के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन समुदायों के पास न तो कृषि स्रोत हैं और ना ही नागरिक व्यापारिक स्रोत। सामाजिक स्थिति पूंजी और आर्थिक स्रोत के अभाव के साथ जुड़ी हुई है। पूर्व स्थित विद्वेष जो व्यापारिक कार्य करने में एक बाधा हैं, कई तरह से यह व्यापारिक जीवन को प्रभावित करता है और दलित की पहचान में गैर-बराबरी और अंतरों को स्थापित करता है (पॉफ और पांडे 2004, अय्यर 2013, जोधका 2010)।

कारपोरेट सन्दर्भों को यदि देखें तो फिर से ऐसे ही तथ्यों की पुनरावृत्ति होती दिखाई देती है। जो लोग नौकरियों में भर्ती करने के मैनेजर हैं, उनमें से सात दिल्ली के बड़े कारपोरेट समूहों से संबंधित थे (जोधका और न्यूमैन 2007)। तुलनात्मक दृष्टि से इन मैनेजर लोगों ने जाति अथवा समुदाय के प्रति किसी पूर्वाग्रह से इन्कार किया पर उन्होंने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक क्षमताओं की चाह को अवश्य प्रकट किया। एक ओर जहां किसी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन किसी अन्य स्तर पर होता है, पर साक्षात्कार के समय उन बातों का परीक्षण लिया जा सकता है जिनका संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों से है। उनकी सामाजिकता का परीक्षण किया जा सकता है और उनके व्यक्तित्व की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी पक्ष परीक्षित की जा सकती है। निजी क्षेत्र में कौन योग्य उम्मीदवार

है और किसी को नौकरी दी जानी चाहिए या नहीं इसका निर्धारण इस आधार पर हो जाता है। जो लोग साक्षात्कार के लिए बुलाए जाते हैं, वे इस योग्य हैं, पात्र हैं और योग्यता रखते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य उनकी औपचारिक शिक्षा और अर्जित तकनीकी क्षमता का परीक्षण करना है। निजी क्षेत्र में इस प्रकार के पात्रों का कैसे चयन होता है?

प्रत्येक साक्षात्कारी ने यह बताया कि साक्षात्कार के समय एक प्रश्न पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में अवश्य पूछा गया था। प्रतिष्ठान की संस्कृति के साथ मेल के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रश्न पूछना आवश्यक था। उच्च स्तर पर नौकरी देने के लिए एक और योग्यता भाषा की दक्षता थी। धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना इस दक्षता का परिचायक था। कहना न होगा कि इस सब के लिए मुलायम पक्ष सांस्कृतिक पूंजी की प्रकृति और गुणवत्ता थी (बाउंडर, 1986)। किस जाति और वर्ग के सदस्य ने किस प्रकार इस भाषा को सीखा है और उसकी आदतें क्या हैं? जो लोग भर्ती की जिम्मेदारी लिए हुए थे वे उनके निजी संस्थान और जन्म स्थान से जान लेते थे।

पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जिनकी पृष्ठभूमि साक्षात्कार लेने वालों की पृष्ठभूमि से मिलती-जुलती थी। शिक्षित लोगों की पहली पीढ़ी के लिए यह प्रश्न आरामदेह नहीं है (देशपांडे और न्यूमैन, 1987)।

ये प्रश्न इस तथ्य की ओर संकेत देते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रश्न में एक मूल प्रश्न भी छिपा हुआ है। अधिकांश लोगों ने स्वीकारा कि इन प्रश्नों से किसी की जाति का पता लगाना कठिन नहीं है। किस प्रकार के महाविद्यालयों में वे पढ़े हैं यह भी संकेत देता है कि वे समाज के किस वर्ग के हैं। कुछ महाविद्यालय इस बात की सूचना देते हैं कि विद्यार्थी सामान्य श्रेणी में था या आरक्षित श्रेणी में।

अभी हाल में सपन्न एक अध्ययन जो लगभग 1000 व्यक्तियों का है यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय कारपोरेट बोर्ड के सदस्यों में 92.6 प्रतिशत लोग ऊंची जातियों के हैं जिनमें 44.6 प्रतिशत ब्राह्मण हैं और 46.0 प्रतिशत लोग भिन्न-भिन्न वैश्य समुदायों के हैं। ये दोनों जातियां हिन्दुस्तान की जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत हैं। दूसरी और अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या केवल 35 प्रतिशत है। अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या भी कम है, जो हिन्दुस्तान की जनसंख्या का बड़ा भाग है (दलनीत, 2012)।

कारपोरेट दुनिया एक छोटी सी दुनिया है जहां सामाजिक ताना-बाना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लेकिन यह दुनिया पूर्व छात्र गुटों (Old boys club) से संबंधों पर आधारित है। अन्य संबंध कहीं आड़े नहीं आते (दलनीत, 2012)।

भारत की विस्तृत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। दक्षिण भारत के अपने अध्ययन में बारबरा टैरिस व्हाइट निष्कर्ष निकालते हैं – औद्योगिक व्यवस्था में जाति ठेकों के लिए ताने-बाने का काम करती है, जिससे अधीनस्थ लोग मिल जाते हैं। श्रमिकों की भर्ती में भी इसका फायदा होता है। उदारवाद में जाति व्यवस्था के हित-संबंध और अधिक विस्तृत हुए हैं। नगरीय समाज के अन्य संगठनों के साथ जातियां जुड़ी हुई हैं जिसने आर्थिक और सामाजिक जीवन को और विस्तृत आधार पर नियंत्रित किया है। (2003)

सामाजिक गतिशीलता पर बहुत सीमित अध्ययनों ने इस बात को फिर से जोड़ दिया है कि क्या जातियां संस्तरण के अंतिम छोर की जातियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं (कुमार 2002, थोराट और अट्टेवैज 2010, वैद ओर हीथ 2010)। जाति के बहुत से विचारात्मक और सांस्कृतिक पक्ष गायब हुए हैं लेकिन गतिशीलता के ऊर्ध्वगामी पक्ष के सामाजिक और आर्थिक पक्ष अभी भी बड़े सीमित हैं। अधिकांश गतिशीलता समानान्तर पक्ष की है। अधिकांशतः इस गतिशीलता में पारंपरिक जाति व्यवसायों अथवा

खेत—मजदूरी से लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में असुरक्षित नौकरियों की ओर अधिक गतिशील हुए हैं। यही परिवर्तन का विशेष पक्ष है। जाति के निम्न स्तर के लोगों का ऊपर उठना बहुत मुश्किल हो गया है (वैद, 2012)। दूसरे शब्दों में भारत में गतिशीलता की प्रवृत्ति परिवर्तन की नहीं अपितु स्थायित्व की है (कुमार, 2002, 1986)।

नगरीय निवास स्थानों को भी जाति प्रभावित करती रही है और जाति आधार पर एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति को जागृत करती रही है। वृहद स्तर पर जनसंख्या के आंकड़े यह बताते हैं कि नगरों में अनुसूचित जाति के लोग कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही रहते हैं (डयूपॉट 2004, विद्यायातुज और सिंह 2012)। जनसंख्या 2001 के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेगलूर, अहमदाबाद, हैदराबाद और अन्य नगरों में यह बसाव जाति तथा आर्थिक स्थितियों के आधार पर है। वैज्ञानिक इस दृश्यावृत्ति को निराशाजनक मानते हैं।

21 वीं सदी के प्रारंभ में ही भारत के सात नगरों में निवास की धुरी अभी भी जाति के साथ जुड़ी हुई है। हमारा अध्ययन यह बताता है कि आर्थिक हैसियत की अपेक्षा रहने का भेदभाव जाति पर अधिक प्रभावशाली है। रहने के स्थानों को बहुत समय से जाति के आधार पर विकसित किया जाता रहा है। गांव के स्तर के साथ वर्तमान में नगरों में भी जाति के आधार पर विभाजित होते रहे हैं।

सामाजिक परिवर्तन और जाति का पुनरुत्पादन

प्रश्न यह है कि दो यथार्थताओं के बीच सामंजस्य कैसे हो — यथास्थिति तथा परिवर्तन अथवा मात्र परिवर्तन? जाति आधारित हिंसा का स्थायित्व जिसमें जाति व्यवस्था के इतिहास में कुछ लोग हमेशा पीड़ित रहे हैं। उन नगरीय दलितों के बारे में कथा कहें जिनका प्रतिदिन का अनुभव अपमान और शर्मनाक स्थितियों के साथ जुड़ा हुआ है। अस्वीकार्यता और सामाजिक भेदभाव सांस्कृतिक अंतरों से बिल्कुल अलग हैं।

अभी हाल के आनुभाविक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि जाति गुणात्मक रूप में गैर—बराबरी के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे शब्दों में जाति के मूल तत्व अभी समाप्त नहीं हुए हैं चाहे अर्थशास्त्रीय व्याख्या हो, अपने आप में पूर्ण स्वायत्तता का प्रश्न हो या प्रभावी राजनीति का विश्लेषण हो, जाति सर्वत्र सामने खड़ी है।

पर्याप्त संख्या में साक्ष्य मौजूद हैं कि गत वर्षों में जाति आधारित संस्तरण की पुरानी संरचना और जाति की पकड़ कमजोर पड़ी है। इस सारी प्रक्रिया की वैचारिकी भी काफी कमजोर पड़ी है। पूर्व अस्पृश्यों में से कुछ ही होंगे जो अपने को अशुद्ध मानते हों या अपनी प्रस्थिति को या अपने पूर्व मान्यताओं के आधार पर अपने को अशुद्ध मानते हों। उनके लिए अपनी प्राचीन जिन्दगी सामाजिक नहीं थी (चीजर्स से और कारन्थ, 1998)। दूसरों की तरह अब उनकी इच्छाएं भी भौतिक सुख सुविधाओं और सम्मान प्राप्त करने की है (जेकिज, 1998)। निरपेक्षता की प्रक्रियाओं के होते हुए भी सामाजिक गैर—बराबरी की संरचना के निर्माण में इसका बड़ा हाथ है। गरीबी और प्रतिष्ठा के प्रश्नों पर उपलब्ध साक्ष्य इस ओर बखूबी संकेत करते हैं। जातियों में आर्थिक प्रतिष्ठा तथा वंचना का गहरा संबंध है जो लोग जाति व्यवस्था के अंतिम छोर पर हैं, गहन रूप से गरीबी और सीमांती अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। थोड़े ऊपर के लोग कदाचित ही ऐसी परिस्थितियों में हों। लेकिन ब्लाई और वैनर ने ऐसे वर्गों की जो व्याख्या की है और जिस प्रकार का अवधारणात्मक विवेचना किया है, जाति संबंधी उभरती यथार्थताओं को पकड़ नहीं पाए हैं।

यह कल्पना या प्रस्ताव कि विकास अंततः जाति आधारित गैर—बराबरी वाले समूहों और समुदायों को वर्ग आधारित व्यवस्था में लोगों को बदल देगा, मूलभूत रूप से गलत है। जाति की धार्मिक और हिन्दू

विचारधारा की दृष्टि और भी अधिक त्रुटिपूर्ण है (ड्यूमा, 1998)। संस्थागत अवनति या बराबरी या धरातल को बराबर लाने के प्रयास अपने-आप में, चाहे वैचारिक अथवा संस्थागत हो विखण्डित हो सकते हैं। जातिगत गैर-बराबरी के सामाजिक सांस्कृतिक ईर्ष्या भाव वर्तमान में रहा हैं और यह सब कुछ जातिगत असमानताओं के साथ जुड़ जाते हैं और बने रहते हैं। भौतिक भेदभाव भूतकाल से उपजते हैं और वंशानुगत होते हैं लेकिन गैर-बराबरी का पुनरुत्पादन ईर्ष्या भाव है और अन्य सामाजिक कार्यकलापों से फैलते हैं जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के अंतर।

अंतर ईर्ष्या भाव पैदा करते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया का रूप ले सकता है। इससे सामाजिक अन्तः क्रियाएं फैलती हैं और इस क्रिया से आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं का होना संभव है। प्रजातांत्रिक या राजनीतिक प्रकरण में अन्य पिछड़े वर्गों की बढ़ती हुई सक्रियता ने क्षेत्रीय परिवेशों में प्रभुजातियों में कुछ चिन्ताएं पैदा की हैं। पहले की प्रभु जातियों को इससे आघात लगा है। इनकी ताकत कुछ कम हुई है। लोकतांत्रिकरण के कारण वे इस परिवर्तन से प्रसन्न नहीं हैं। राज्य की नीति के कारण तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण के कारण उन्हें प्रशासन में स्थान मिला है और उनकी इच्छा प्रशासन में और अधिक स्थान प्राप्त करने की है। वे आर्थिक परिवेश में भी प्रवेश करना चाहते हैं।

अब एक और परिप्रेक्ष्य की ओर मुड़ा जा सकता है, जहां हम यह सोच सकते हैं और उस भाषा में बात करना चाहते हैं जिसमें धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से हटा जाए। एक और वर्ण है जिसकी रचना मनुस्मृति से हुई है पर जाति की रचना कहीं अधिक जटिल है और किन्ही अर्थों में अन्य धर्मों के संदर्भों में बहुत विस्तृत आधार पर फैली हुई है। वेबर इस बात से सहमत हैं कि जाति गैर-बराबरी का एक आदर्श प्रारूप है। शक्ति के संदर्भों की प्रस्थिति सभी समाजों और इतिहास में मौजूद है। जाति भी सामाजिक गैर-बराबरी की उपलब्ध संरचनाओं में से ही एक है।

वैगर की धारणा के अनुसार जाति गैर-बराबरी का ही एक स्वरूप है पर यह वर्ग नहीं है। वर्ग प्रस्थिति को उद्विकासीय आधारों के साथ नहीं जोड़ता, न पुरानी परंपराओं के साथ न किसी विशेष धर्म या दुनिया के किसी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अवधारणात्मक आधार पर जाति वर्ग से भिन्न है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह पुरानी परंपरा की प्रतिच्छाया है। जाति अपने आपको पुनर्रचित तथा पुनरुत्पादित करती है। नव-उदारवादी वैश्वीकरण के आर्थिक-सांस्कृतिक बुरुजुआ पूंजीवादी बाजार में यह कई जटिलताओं के साथ यह अपने आपको पुनरुत्पादित कर रही है।

निष्कर्ष

कुछ उपलब्ध साहित्य के परिप्रेक्ष्यों में यह स्पष्ट होता है। जैसा कि प्रजाति पर अलिवर कॉक्स ने लिखा कि वर्तमान भारत में जाति ईर्ष्या भाव और भेदभाव की प्रक्रिया के आधार पर अपने आपको पुनरुत्पादित कर रही है। आज की जातियों पर दी जाने वाली खरोचें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजाति के नाम को दी जाने वाली खरोचों से कम नहीं है। इन खरोचों का उद्देश्य शक्ति संबंधों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक पैमाना स्थापित करना था। इसी आधार पर ईर्ष्याभाव तथा विभेद के आधार पर एक अवधारणात्मक आधार निर्मित करना चाहता है जो समाजशास्त्रीय प्रक्रिया के रूप में हों और वर्तमान समय में जाति की पुनर्रचना को समझ सके। यह परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक है और जाति को प्रस्थिति तथा शक्ति के सन्दर्भ में परीक्षित करता है। जैसा कि प्रजाति को देखा गया और अधिक से अधिक इसे नृजातीयता के सन्दर्भ में देखा जा सकता है। प्रस्थिति शक्ति और भेदभाव के परिप्रेक्ष्य हमें जाति के पुनरुत्पादन की साधारण प्रक्रियाओं को बता सकेंगे और इस रूप में नहीं फसेंगे कि यह कहा जाए कि जाति भारतीय अपवाद है।

अन्य व्यावहारिक स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता की पूर्ति करना आवश्यक है। यदि भारत में एक साफ सुथरा मैदान चाहते हैं, जिसमें हम सामाजिक गैर-बराबरी पर विचार करना चाहते हैं जो पुनरुत्पादन के रास्ते में रुकावटों को देखकर समझ सकते हैं। यह हस्तक्षेप राज्य द्वारा प्रस्तावित सकारात्मक क्रियाओं को देखने से हो सकता है जो उच्च स्तर पर सोची समझी गई है। नीचे के स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक आन्दोलनों को समझा जा सकता है। यदि हम यह समझें कि जाति व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी तो परंपरागत सामाजिक ढांचा ही बदल जाएगा जैसे ग्रामीण संस्तरण और हिन्दू जजमानी व्यवस्था पूंजीवादी विकास और नवउदारवादी सुधार भ्रामक सिद्ध होंगे। श्रम बाजार में व्यक्तिकरण ही बाजार की संरचना बनाएंगे जिसमें जाति लुप्त हो जाएगी (रेहलवेध, 2013)।

यहां हम यह नहीं सुझाना चाहते कि पिछले सौ दो-सौ वर्षों में भारत में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं वे सब व्यर्थ के हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि ये परिवर्तन महत्वपूर्ण रहे हैं और कभी-कभी क्रान्तिकारी भी। लोकतंत्र की सफलता और प्रसंग के बावजूद पुराने संस्तरण, अवसरों की संरचना और मूल्यों की संरचना में कोई बड़ा महत्वपूर्ण खुलापन नहीं आया है। जाति अभी भी गैर-बराबरी के आधारों को संरचनात्मक आधार प्रदान कर रही है और अपने को पुनरुत्पादित कर रही है। वर्तमान गैर-बराबरी का न तो व्यक्तिकरण हुआ है और न अपनी प्रकृति में आर्थिक हुई है। अभी भी वह सामाजिक और सांस्कृतिक है।

पुराना स्थानीय स्तर का संस्तरण अब समाप्त हो रहा है पर एक और प्रकार का संस्तरण जन्म ले रहा है जो जाति और नातेदारी के ताने-बाने से जुड़ा हुआ है। यह संस्तरण सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी पर एकाधिकार के कारण जन्म ले रहा है और जाति का पुनरुत्पादन कर रहा है। ईर्ष्या भाव और भेदभाव इसमें महत्वपूर्ण हैं और पुराने संस्तरण के विघटन के बाद सामाजिक समूह उन स्त्रोतों की तलाश करना प्रारंभ करते रहे हैं और राजनीतिक-सामाजिक, सांस्कृतिक स्त्रोतों को भी उसमें जोड़ते रहे हैं जिससे जाति व्यवस्था बनी रह जाती है। उदारवादी पूंजीवाद जाति को तोड़ता नहीं है। इसके विपरीत तान-बाने से निर्मित अर्थव्यवस्था का निर्माण जाति को और अधिक मजबूत बना देता है। चाहे पुरानी वैचारिकी मजे से हटे और उसका स्थान नागरिकता की अवधारणा ले ले और नयी इच्छाओं को जन्म दे-जो लोग सीमांती अवस्था में हैं, साथ-साथ जाति मूल्यों और प्रचलनों का संस्थाकरण अभी दूर की चीज है।

सन्दर्भ—कृपया Current Sociology vol 64, No. 2 मार्च 2016 के अंक में देखें।

सुरिन्दर एस. जोधका जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सीनियर एफिलियेट फेलो हैं। उन्होंने गैर-बराबरी, कृषिक परिवर्तन पर अध्ययन किए हैं। उनके अनेक प्रकाशन हैं। 2012 में उनको अमृत्य सेन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

अस्वीकृति के पत्र

इलोइसा मार्टिन

सार

एक लेख का अस्वीकृत होना एक अवांछित अनुभव है जिससे सभी विद्वान अपने व्यावसायिक जीवन के दौरान गुज़रे हैं या गुज़रेंगे। यह लेख उन मुख्य कारणों की व्याख्या करता है जिनसे एक पांडुलिपि प्रस्तुत करते ही या समीक्षा के पश्चात् अस्वीकृत कर दी जाती है। मैंने इन कारणों को संरचनात्मक मुद्दों, रचना की समस्याओं और सामग्री की समस्याओं के अन्तर्गत रखा है और पांडुलिपियों के अस्वीकृत होने के अवसरों में कमी करने के लिए कुछ विकल्प सुझाए हैं।

संकेतशब्द

अकादमिक लेखन, अकादमिक प्रकाशन, विशेषज्ञ समीक्षा, अस्वीकृत पांडुलिपि

मैं क्यों? पांडुलिपियों के अस्वीकृत होने के मुख्य कारण

यदि आप किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में अपने लेख की पांडुलिपि भेज रहे हैं तो आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि आपका लेख अस्वीकृत हो सकता है। सांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो आपके लेख के प्रकाशित होने के 30 प्रतिशत (सबसे अधिक) और 5 प्रतिशत (उच्च प्रोफाइल पत्रिकाओं में) के मध्य अवसर हैं। अतः अस्वीकृति एक नियम है। यह आपके कारण नहीं है। अस्वीकृत सामान्य बात है। लगभग सभी विद्वानों के कार्य अस्वीकृत होते हैं। 85–90 प्रतिशत प्रसिद्ध लेखक स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य अस्वीकृत हुए हैं (गेन्स और शेपर्ड, 1994) और संभवतया शेष 10–15 प्रतिशत इसे स्वीकार नहीं करते या उन्होने पर्याप्त पांडुलिपियां प्रकाशन हेतु नहीं भेजीं।

इस प्रकार यदि अस्वीकृति सामान्य बात है तो इसे भार समझने या अपनी बेदाग प्रतिष्ठा पर धब्बा समझने के बजाय हम 30 प्रतिशत सकारात्मक पक्ष में रहने के लिये कार्य आरम्भ कर सकते हैं। इसे दूसरी तरह से देखें तो लगभग आधे विवाह तलाक में परिणित होते हैं लेकिन हजारों प्रसन्न जोड़े प्रतिदिन प्रतिज्ञा लेते हैं। वे समस्याओं को रोकने का प्रयास करते हैं, संविदा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। सुखद विवाहित कैसे बिताया जाए, इस पर बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, काउन्सलिंग लेते हैं आदि। लेकिन एक बार विवाह हो जाने के बाद कोई भी अन्त के बारे में नहीं सोचता, जो मृत्यु या तलाक के रूप में पीड़ादायक हो सकता है। अतः हम लेख को भेजने की प्रक्रिया का सामना नवविवाहितों की भांति कर सकते हैं, आशा और प्रसन्नता से भरपूर, भले ही उसका अन्त कुछ भी हो। यदि आप तलाकशुदा हैं और पुनः विवाह कर रहे हैं, तो आपके तलाक लेने के 73 प्रतिशत अवसर बढ़ जाते हैं। अच्छी बात यह है कि तलाक की दरों के विपरीत, अस्वीकृत लेखों के (यदि उन्हें भलीभांति संशोधित किया गया है या उन पर फिर से काम किया गया है) उच्चतर प्रभाव कारक (Higher impact factor) वाली पत्रिका में भी प्रकाशन के अवसर दूसरी या तीसरी बार भेजने से और बढ़ जाते हैं (कैलकेग्नो व अन्य, 2012)।

समीक्षा प्रक्रिया के दौरान पांडुलिपि भिन्न कारणों से अस्वीकृत की जा सकती है। अस्वीकृति की यात्रा संपादक की मेज से आरम्भ होती है लेकिन अधिकांश मामलों में पहले संशोधन के बाद समाप्त हो जाती है। संपादकीय ऑफिस में भेजे गये सभी लेख आंशिक रूप से संपादक द्वारा देखे जाते हैं और केवल उन्ही लेखों को, जो वैज्ञानिक और संपादकीय मानकों को पूरा करते हैं और उस पत्रिका के उद्देश्य और विषय-क्षेत्र के अनुरूप होते हैं, बाहरी समीक्षा के लिए भेजा जाता है। निर्णायक उस लेख को पढ़ेगा, टिप्पणी करेगा, आलोचना करेगा और सुझाव देगा और अन्तिम रूप में संपादक को उस पांडुलिपि के प्रकाशन के बारे में सलाह देगा।

यद्यपि अस्वीकृति सामान्य बात है लेकिन यह एक अच्छा अनुभव नहीं होता और यदि सम्भव हो तो हम में से प्रत्येक इससे बचना चाहता हैं। अगले खण्ड में, उन कारणों की चर्चा की जाएगी जिनसे कोई लेख अस्वीकृत होता है—संरचनात्मक, औपचारिक और सामग्री संबंधी समस्याएं।

संरचनात्मक समस्याएं

आपकी पांडुलिपि चाहे कितनी ही अच्छी हो, आपके सहकर्मियों ने चाहे उसकी कितनी प्रशंसा की हो, आप उस लेख पर कितनी ही मेहनत कर रहे हों, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आप पर निर्भर नहीं करते, न ही आपके कार्य की योग्यता पर, और ये मुद्दे आपका लेख अस्वीकृत करवा सकते हैं।

प्रथम, कुछ पत्रिकाओं की अस्वीकृत दर बहुत कम होती है। अतः संपादक की अस्वीकृति के लिए गुणवत्ता का स्तर और प्रभाव अन्य पत्रिकाओं की तुलना में अधिक विशिष्ट होना अपेक्षित है। इन पत्रिकाओं की प्रतिष्ठा के कारण बड़ी संख्या में लेख प्रकाशन के लिए आते हैं जिससे अस्वीकृति दर भी बढ़ जाती है। दूसरे, संपादक यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा लेख उनकी पत्रिका में प्रकाशन योग्य है। करेंट सोशोलॉजी में 6 प्रतिशत लेख इसीलिए अस्वीकृत हो जाते हैं क्योंकि संपादक की राय में लेख पत्रिका की संपादकीय नीति के अनुरूप नहीं होते। 'एक आदर्श लेख' जैसी कोई चीज नहीं होती जो किसी भी पत्रिका के लिए उपयुक्त हो क्योंकि एक अच्छे लेख के लिए केवल उसकी सामग्री ही जिम्मेदार नहीं होती अपितु उस प्रकाशन के अनुकूल उसकी शैली और लेखन परिप्रेक्ष्य महत्त्वपूर्ण होता है। अतः जब आप लिखना आरम्भ करें तो पहले पत्रिका का चयन करें। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं जैसे पत्रिका की प्रतिष्ठा और प्रभाव के सूचक, आपके सहकर्मियों के बीच पत्रिका की प्रसिद्धि या जिन लेखकों को हम पढ़ते हैं, उनके लेख उसमें प्रकाशित होते हैं, आदि।

संपादक की नीति और लेखकों के लिये दिशानिर्देश पर बारीकी से ध्यान देना भी महत्त्वपूर्ण है। कई बार संपादक यह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पत्रिका की संपादकीय नीति क्या है और वे किस प्रकार के लेखों को प्रकाशित करने में रुचि रखते हैं जैसे करेंट सोशोलॉजी (मार्टिन, 2011, 2014) या इंटरनेशनल सोशोलॉजी (सोलर, 2015) में इन बातों को स्पष्ट किया गया है। यदि आप पत्रिका की जांच-पड़ताल करें तो उनमें प्रकाशन का एक सुनिश्चित प्रतिमान भी देखेंगे। कुछ मामलों में संपादक की रुचि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में दिखाई देती है, कहीं इसके ठीक विपरित भी हो सकता है और संपादक को यह लग सकता है कि विषय पर बहुत लिखा जा चुका है, और जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसके आगे कुछ और कहना कठिन है, इसलिये उन विषयों पर लेख प्रकाशित करने में संपादक की रुचि नहीं होती।

किसी स्थिति में यदि संपादकीय नीति स्पष्ट नहीं है और आपने उस तरह का लेख हाल ही में प्रकाशन में देखा तो आप संपादक से संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या आपका लेख उनकी पत्रिका के लिए उपयुक्त है? कभी-कभी पत्रिका में कुछ मुद्दों पर लेख प्रकाशित नहीं होते। इसका कारण यह हो सकता है कि उन्हें उस विषय पर लेख प्राप्त नहीं हुए हों। कभी-कभी एक पत्रिका में किसी विषय पर बहुत लेख प्रकाशित हो जाते हैं या विशेष संस्करण निकल जाते हैं, उस कारण भी संपादक उस विषय को और स्थान देने में रुचि नहीं रखते।

यहां यह समझना आवश्यक है कि अधिकांश विद्वान अकादमिक लेख भिन्न शोध स्रोतों से प्राप्त करते हैं लेकिन उन लेखों को देखते समय वे यह ध्यान भी नहीं रखते कि वे लेख पत्रिका के अंक की विशेष विषय-वस्तु का भाग हैं। वे इस आधार पर लेख को देखते हैं कि वह उस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अतः किसी भी लेख को उस पत्रिका के अंक के सम्पूर्ण संदर्भ में देखना आवश्यक है।

यदि आपको आपके लेख में किसी पत्रिका की संभावित रुचि के प्रति संदेह है तो संपादक से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पत्रिका के दिशानिर्देशों को पढ़े बिना संपादक से प्रश्न न करें और उसकी सलाह नहीं मांगें। संपादक के पास विचार के लिये सम्पूर्ण पांडुलिपि भी नहीं भेजें, न ही आप अपना लेख

भेजकर निर्णय की प्रतीक्षा करें। इसके बजाय आप संपादक को स्पष्ट करें कि आपका लेख उस पत्रिका में प्रकाशन योग्य क्यों है उसे यह बताएं की आप प्रकाशन से परिचित हैं और आप वास्तव में लेख के प्रकाशन में रुचि रखते हैं।

औपचारिक समस्याएं

ऐसी तीन सामान्य गलतियां हैं जिनके कारण लेख अस्वीकृत होते हैं। ये सभी गलतियां औपचारिक हैं और इनका निदान किया जा सकता है। पहली, पांडुलिपि पत्रिका के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। अधिकांश पत्रिकाओं की, लेखकों के लिये स्पष्ट संपादकीय नीतियां, उद्देश्य, विषय और दिशानिर्देश होते हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं। एक पत्रिका की संपादकीय नीति और प्रकाशन के लिये चरण केवल औपचारिकता नहीं होते और इनका प्रचार संभावित लेखकों की सहायता के लिये किया जाता है। फिर भी बहुत से विद्वान इन्हें नहीं पढ़ते और अपने वर्णनात्मक लेख भेज देते हैं। जब उन लेखों की समीक्षा की जाती है तब लेखों में अपूर्ण और गलत तरीके से दिए गए संदर्भ होते हैं या सीमा से अधिक 'सार' होता है। इसीलिए लेख भेजने से पूर्ण दिशानिर्देशों को पढ़ना और पत्रिका पर शोध करना आवश्यक है। यह आपका समय बचायेगा और आपको कुंठित नहीं होने देगा क्योंकि जो लेखक इन दिशानिर्देशों की पालना नहीं करते उनके लेख संपादक आसानी से अस्वीकृत कर देते हैं।

इसी प्रकार लेख भेजते ही वे पांडुलिपियां जो पर्याप्त रूप से अकादमिक नहीं हैं अस्वीकृत कर दी जाती हैं। पत्रिकाओं के लेख वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के एकमात्र तरीके नहीं होते। विशेषतः सामाजिक विज्ञानों में लेखन की भिन्न शैलियां होती हैं। लेकिन अकादमिक पत्रिकाओं में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का विशिष्ट तरीका होता है। हालांकि प्रत्येक राष्ट्रीय अकादमिक पद्धति की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं लेकिन शैली के संदर्भ में एक सामान्य आधार होता है जो एक लेख को एक शोध प्रोजेक्ट, मोनोग्राफ या शोध प्रबन्ध से पृथक करता है और साथ ही एक घोषणा-पत्र, राय और नीति निर्धारकों के लिये नियमों से पृथक करता है।

इन औपचारिक गलतियों में एक गलती यह भी होती है कि बहुत से लेखों का आकार पत्रिका विशेष द्वारा निर्धारित आकार की सीमा से अधिक होता है। आपका लेख कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपको यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि संपादक आपके लिये अपवादस्वरूप कार्य करेगा। अतः अपना लेख सीमा में ही 500-800 शब्दों का भेजें जिससे निर्णायकों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सम्मिलित किया जा सके। यह संभव है कि संपादक लेख की समीक्षा प्रक्रिया के अन्तिम चरण में उसके आकार को थोड़ा विस्तृत कर दें। यदि आप शब्दों को कम करते हैं तो आप लेख पर अधिक ध्यान दे सकते हैं, संपादन कर सकते और अनावश्यक चीजों को हटा सकते हैं।

कुछ लेखों में व्याकरण की इतनी अशुद्धियां होती हैं कि लेख को पढ़ना असंभव होता है। उन लोगों के साथ अधिक होता है जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है या जिनकी शिक्षा आंग्ल-भाषायी विश्वविद्यालय में नहीं हुई और वे अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में लेख प्रकाशित करवाना चाहते हैं। करेंट सोशोलॉजी किसी भी भाषा में लेख स्वीकार करता है जिसमें हमें निर्णायक मिल सकते हैं। अतः आपको लेख पहली बार अंग्रेजी में भेजना आवश्यक नहीं है, अपनी मातृभाषा में विशेषज्ञ समीक्षा के लिये भेजें और यदि लेख स्वीकार कर लिया जाए तो अनुवाद के लिये व्यय करें।

सामग्री की समस्याएं

पिछले पांच वर्षों में करेंट सोशोलॉजी में जितने लेख प्रकाशन के लिए आए हैं उनमें से, विशेषज्ञ समीक्षा के बाद अस्वीकृत होने का कारण प्रासंगिकता और मौलिकता की कमी रहे हैं। प्रासंगिकता तीन तथ्यों पर आधारित होती है (मार्टिन, 2014) –

- एक सामान्य आधार या सम्मिलित विमर्श जो लेखक और पाठक के मध्य विमर्श की एक सामान्य भाषा के रूप में कार्य करे।
- आपको पत्रिका की प्रेषण का ध्यान रखना है। उदाहरण के लिये आप लेख किसी सामान्य पत्रिका में भेज रहे हैं या विशिष्टीकृत पत्रिका में।
- पत्रिका के पाठक कैसे हैं? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय।

पाठक इनमें से प्रत्येक के लिये तथ्यों के विशिष्ट विचार-विमर्श और बहुत विशिष्ट विश्लेषण की अपेक्षा करते हैं जिससे तथ्यों को विश्लेषित और सन्दर्भीकृत किया जा सके। क्योंकि निर्णायक आपके सहकर्मी है, अतः वे भी आप ही की भांति उन्ही विषयों को पढ़ रहे हैं और उन्ही पर अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत बार लेख इसीलिए भी अस्वीकृत होते हैं क्योंकि आपके विमर्श के लिये आधारभूत साहित्य का या तो अभाव है या आपने उसे गलत समझा है या आप उसी तर्क की पुनरावृत्ति कर रहे हैं जिसे पहले किसी लेखक ने प्रकाशित करवाया है। इस बिन्दु पर आपको निर्णायकों के साथ अकादमिक बहस में सम्मिलित होना होगा। आपको रचनात्मक आलोचना के लिये तैयार रहना होगा। जब आप उनकी अनुसंधानों से असहमत हों तो आपको स्पष्ट समाजशास्त्रीय तर्कों के साथ अपने विचारों की पुष्टि करनी होगी। यह समझना आवश्यक है कि समीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें संपादक की मध्यस्थता में निर्णायक एक लेख के कमजोर और मज़बूत बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हैं और अन्तिम स्तर पर संपादक लेख के प्रकाशित योग्य होने का निर्णय करता है।

एक ओर संपादक निर्णायकों के रूप में प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और उनकी सुविज्ञता और निर्णय पर भरोसा करते हैं अतः संपादक पांडुलिपि के बारे में उनकी टिप्पणी और रुचि पर ध्यान देते हैं तो दूसरी ओर लेखक भी असक्रिय ग्राही नहीं होता कि वह निर्णायक की प्रत्येक टिप्पणी को स्वीकार करे क्योंकि कभी-कभी निर्णायक भी अलग चीजों की मांग करते हैं। अतः आपको उसी राय पर ध्यान देना चाहिये जिसे आप अपने लेख को सुधारने के लिये उचित मानते है विशेषतः तब जब कि एक से अधिक निर्णायक एक ही तरह के संशोधन चाहते हों या संपादक ने उन्हे प्रमुखता दी हो। लेकिन जिन संशोधनों से आप सहमत नहीं हो तो आप निर्णायकों और संपादक को बता सकते हैं कि आप उनकी सलाह क्यों नहीं मान रहे हैं। आपके निर्णय के समर्थन में आपको पूरा लेख नहीं लिखना होगा लेकिन आपको अपने विचारों के आधार और सैद्धान्तिक ढांचे को लेकर इस तरह विमर्श तो करना ही चाहिए कि निर्णायक विमर्श में सलंग्न हो सके और संपादक आपके लेख के बारे में निर्णय लेने के लिये बाध्य हो। कई बार निर्णायक लेखक से असहमत होते हुए भी उसके तर्कों के कारण अस्वीकृति के स्थान पर थोड़े बहुत संशोधन पर आ जाते हैं।

फिर भी यदि दो निर्णायकों ने आपके लेख को अस्वीकृत कर दिया हो और संपादक उनकी टिप्पणियों और सोच से सहमत है और समझौते की बातचीत का कोई स्थान नहीं है तो आपको लेख पुनः भेजने के लिये तैयार होना होगा। इसे एक पीछे जाने का कदम न मानते हुए आप यह याद रखें कि उच्च प्रभाव पत्रिकाएं अनुपात में उन लेखों को अधिक प्रकाशित करती हैं जो दूसरी पत्रिकाओं से अस्वीकृत होकर पुनः प्रस्तुत किए गए हैं और पुनः प्रस्तुतीकरण के पहली बार के प्रस्तुतीकरण से अधिक उद्धरण दिए जाते हैं (कैलकेग्नो व अन्य, 2012)। मैं कैलकेग्नो से सहमत हूँ जो यह मानते हैं कि यह प्रवृत्ति लेखक के उस लेख पर किए गए श्रम का परिणाम है जो उसने समीक्षा के बाद किया है।

अस्वीकृति पत्र प्राप्त करना कष्टदायी अनुभव है, तब और भी अधिक जब एक ही लेख दो से अधिक बार अस्वीकृत हुआ हो। लेकिन क्योंकि संशोधन एक निरन्तर प्रक्रिया है अतः आप अपना लेख सुधार सकते हैं और उसे अधिक प्रतिष्ठित पत्रिका में भेज सकते हैं। संभव है कि लेख आपके क्षेत्र में संभावित उच्च प्रभाव के साथ प्रकाशित हो।

निष्कर्ष

अस्वीकृति पत्र प्राप्त करना एक अंवाछित अनुभव है जिससे सभी विद्वानों को अपने व्यावसायिक करीयर में गुजरना होता है। संपादक के रूप में अस्वीकृति पत्र भेजना आसान नहीं होता। जब एक लेख को प्रथम बार आते ही अस्वीकृत करना होता है या एक-दो संशोधनों के बाद अस्वीकृत करना पड़ता है तो यह संपादक के लिए और भी बुरा होता है। मैं सामान्यतः ऐसे निर्णायक पत्रों को लिखने से पूर्व कुछ अधिक समय लेती हूँ।

लेख के दृष्टिकोण से कैलकेग्नो व अन्य का शोध बताता है कि लगभग 75 प्रतिशत प्रकाशित लेख वे होते हैं जो प्रथम पत्रिका, जिसमें वे भेजे गये थे, से अस्वीकृत हुए। अतः अस्वीकृति सामान्य है लेकिन यदि लेख को सावधानीपूर्वक तैयार करके भेजा गया है तो आपके द्वारा चयनित प्रथम पत्रिका में ही उसके प्रकाशन के पूर्ण अवसर होते हैं। समीक्षा प्रक्रिया में सफल होने के लिये पत्रिका के बारे में जागरुकता महत्वपूर्ण है। पत्रिका पढ़ने के अतिरिक्त आप संपादक और संपादक मंडल के सदस्यों से प्रकाशन की नीतियां समझने के लिए मिल सकते हैं। अधिकतर संपादक और संपादक मंडल सम्मेलनों के दौरान मीटिंग करते हैं और उस समय संभावित लेखकों से मिलने का खुला अवसर भी देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद् और सेज अपने संपादकों के लिये विश्व सम्मेलनों और मंचों में समय देते हैं। वे अकादमिक लेखन और प्रकाशन पर सेमिनार और वर्कशॉप भी करवाते हैं। ये अवसर संपादकों से सलाह करने और उनकी पत्रिका के कार्यों तथा नवीन संपादकीय निर्णयों के बारे में प्रश्न करने के लिये महत्वपूर्ण होते हैं।

अस्वीकृति के संबंध में करेंट सोशोलॉजी बहुत विशिष्ट तरीके से कार्य करता है। अन्य उच्च प्रोफाइल पत्रिकाओं से भिन्न हम अस्वीकृति की दर कम करने पर ध्यान देते हैं। उच्च अस्वीकृति दरों का तात्पर्य है कि

- पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए लेखों की संख्या बहुत अधिक है।
- उनका मूल्यांकन अधिक कठोर और दृढ़ है।

वास्तव में बहुत सी पत्रिकाएं अपने लेखकों के साथ लेखों को पहली बार के बाद संशोधित और पुनः प्रेषित करने का काम नहीं करतीं और यह नीति तर्कसंगत है। समीक्षा प्रक्रिया के हर दौर में संपादकीय ऑफिस और निर्णायकों को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है और फिर भी उसका अन्तिम परिणाम स्वीकृति पत्र नहीं होता। एक से अधिक दौर या संशोधन पत्रिका की सांख्यिकी पर भी प्रभाव डालते हैं।

यदि किसी प्रकाशन के पास संशोधन के लिए ऐसे कुछ लेख हैं जिन्हें संशोधन के तीन-चार दौर की आवश्यकता होती है तो लेख वापस भेजने का समय बढ़ जाता है और हमारी दुनिया में शीघ्र प्रकाशित करो या और शीघ्र नष्ट हो जाओ की स्थिति रहती है। यह संभावित लेखकों के लिए महत्वपूर्ण सूचक है।

Reference

- Albrow, M. (1991). Internationalism as a Publication Project, experience in editing in sociological journal, *Current Sociology*, 39(1).
- Calcagno, V., Demoinet, E. et al. (2012). Flows of research manuscripts among *Scientific Journal Reveal Hidden Submission Patterons*, science, 338(6110).
- Gans, J. S. and Shpered, G. S. (1994). How are the mighty fallen rejected classical articles by leading economist, *Journal by Economic Perspectives* 58(1).
- Martin, E. (2011). Continuities and challenges, *Current Sociology*, 58 (1).
- Martin, E. (2014). How to write a good article, *Current Sociology*, 62 (1).
- Soler, M. (2015). Excecelent and meaningful sociology from all over the world, *International Sociology*, 30(4).

अस्वीकृति या संशोधन : सम्पादक की टिप्पणी

उपर्युक्त लेख, उन लेखकों के लिए कुछ संकेतों भरा है जो *राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी* के लिए लिखना चाहते हैं। यह लेख अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय परिषद् के लिए प्रकाशित पत्रिका करंट सोशियोलॉजी की सह-संपादिका द्वारा लिखा गया था। उनकी प्रतिष्ठा अन्तराष्ट्रीय है और सारा लेख उनके अनुभवों के आधार पर लिखा गया है। मुझे सम्पादकीय कार्य करते हुए आठ वर्ष हो चुके हैं। प्रकाशकों के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन हम लोग सीधे अस्वीकृति के स्थान पर संशोधन पर ज्यादा जोर देते हैं। हमारा यह अनुभव है कि अकादमिक विस्तार के साथ लेखन संस्कृति विकसित नहीं हुई है। जर्नल के अंतिम पृष्ठ (कवर) पर वे सभी निर्देश मौजूद हैं, जो लेखकों के लिए आवश्यक हैं। लेकिन उन निर्देशों को संभवतः पढ़ा नहीं जाता। जर्नल के पृष्ठों पर लेखों की सम्पूर्ण संरचना उपलब्ध है— यानी सार, संकेत शब्द, पूरा पाठ्य और संदर्भ, पर उसकी पालना भी संशोधन कराने के साथ जुड़ जाती है। लेख में स्पष्ट है कि संशोधन एक नियम है— यदि सम्पादक मदद करता है। यह सावधानी समय बढ़ाती है और सम्पादक की मेज पर काम अधिक बढ़ जाता है। लेखों के समीक्षक भी हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें निरस्त किया जाए या संशोधित किया जाए। समीक्षक हमेशा यही निवेदन करते हैं कि लेखक को संशोधन के लिए कहा जाए।

यह लेख हमने इसलिए प्रस्तुत किया है कि लेखक जर्नल के लिए लेख भेजते समय उन मानदंडों का ध्यान रखें जिससे एक अच्छा लेख बन सके और पत्रिका का कलेवर भी ऊंचा उठ सके। यह भी आवश्यक है कि लेख की सामग्री समाजशास्त्रीय हो, समाजशास्त्रीय भाषा में हो और किसी न किसी विश्लेषण के साथ जुड़ी हुई हो। यह सीधा संवाद है। आशा है पाठक इसे अन्यथा नहीं लेंगे और लेखन के नियमों के अनुसार अपने लेखन पर अधिक ध्यान देंगे। इस विषय पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं।

नरेश भार्गव

सम्पादक

अनुसूचित जातियों में स्तरीकरण एवं सामाजिक असमानता

बरदी चन्द ऐरवाल

सार

भारत की जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियों को निम्न सामाजिक स्तर प्राप्त है। एक ओर अनुसूचित जातियां उच्च जातियों से बराबरी के दर्जे की मांग कर रही हैं तो दूसरी ओर स्वयं अनुसूचित जातियों में उच्च व निम्न का स्तर विद्यमान है। ऐसी जातियां एक-दूसरे से उच्च होने का दावा करती हैं। इन जातियों में अन्य निषेधों के साथ ही परस्पर खान-पान संबंधी व्यवहार नहीं है परन्तु ये उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंधी व्यवहार बढ़ाना चाहती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा व्यवहार बढ़ा लेने से सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो जाती है। समानता-असमानता का व्यवहार जातीय स्तर पर तय होता है। प्रस्तुत लेख स्वयं अनुसूचित जातियों में व्याप्त असमानता का विश्लेषण है।

संकेतशब्द

अनुसूचित जाति, स्तरीकरण, सामाजिक असमानता, सामाजिक दूरी, संस्कृतीकरण, जातीय गतिशीलता

भारत जाति प्रधान देश है। ऐसा कहा जाता है कि यहां की हवा में भी जाति घुली हुई है। स्मिथ (1964) का कहना है कि भारत में केवल हिंदू धर्म में ही जाति प्रथा नहीं है बल्कि बौद्ध, जैन, सिक्ख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों के अनुयायियों में भी जाति जैसा विभाजन है। जायसवाल (2004) के अनुसार, "हिंदू धर्म में जाति को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उसे न केवल धार्मिक अनुमोदन प्राप्त है बल्कि उसे हिंदू धर्म के अस्तित्व का महत्वपूर्ण कारण भी माना गया है।" भारत की जाति व्यवस्था चार वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित है। परम्परागत जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्चतम स्थान प्राप्त है जबकि शूद्रों और अन्त्यजों को निम्नतम स्थान प्राप्त है। घुर्ये (1950) के अनुसार जातियों की उच्चता व निम्नता के इस संस्तरण में शीर्ष पर ब्राह्मण जातियां हैं जबकि सबसे नीचे दलित जातियां हैं।

भारत की जाति व्यवस्था स्तरीकरण पर आधारित है जिसमें उच्च स्तर पर द्विज जातियां, मध्यम स्तर पर कारीगर जातियां जिन्हें अन्य पिछड़ी जातियां भी कहा गया है तथा निम्न स्तर पर अनुसूचित जातियां हैं। उच्च व मध्यम स्तर की जातियां अनुसूचित जातियों के साथ असमानता का व्यवहार करती हैं। जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियों को परम्परागत रूप से निम्नतम स्थान पर रखा जाता है तथा इनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इन जातियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक अशुद्धि से परिपूर्ण माना जाता था तथा उनके धंधे नियामक श्रेणीक्रम में निम्नतम माने जाते थे। ब्राह्मणों द्वारा अस्पृश्यों पर अनेक कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। जाति व्यवस्था में पाई जाने वाली असमानता अपनी चरम सीमा को प्रदर्शित करती है। दुबे (2005) के अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था मूलतः असमतावादी थी और शोषण पर आधारित थी।

अस्पृश्य जातियां

वर्ण व्यवस्था के निम्नतम स्तर पर स्थित शूद्रों को अस्पृश्य कहा गया अर्थात् 'जो छूने योग्य नहीं है।' शर्मा (2006) के अनुसार, "अस्पृश्य जातियां वे हैं जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और उसे पवित्र करने के लिए कुछ कृत्य करने आवश्यक है।" मजूमदार (1963) के शब्दों में, "अस्पृश्य जातियां वे हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत रूप से निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई हैं।"

अस्पृश्यों की समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। शताब्दियों तक इन्होंने सामन्तवादी व्यवस्था में दासों की तरह जीवन व्यतीत किया और आज भी इनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है।

निम्न तथा अस्पृश्य जातियों को आज की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति कहा जाता है। संविधान सभा में बहस के समय भारत में व्याप्त अस्पृश्यता पर चर्चा हुई थी। और उसी समय यह तय किया गया था कि पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए ऐसी जातियों को सूचिबद्ध किया जाए और ऐसी सूचि में सम्मिलित लोगों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इन्हें अस्पृश्य घोषित किया जाए और उन्हें संवैधानिक तथा कानूनी नाम अनुसूचित जाति दिया जाए। इसी शब्द का प्रयोग आज इन समूहों के संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है (शर्मा, 2016)। यह सब संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत किया गया (सक्सेना, 1981)।

प्रस्तुत लेख के तथ्य राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की करेड़ा तहसील के गांव अलगवास, रायपुर तहसील के गांव नाथड़ियास, शाहपुरा कस्बे तथा भीलवाड़ा शहर से एकत्र किए गए हैं। भीलवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित है। यह पुरानी मेवाड़ रियासत का एक हिस्सा था। चयनित गांव अलगवास करेड़ा तहसील में जिला मुख्यालय से उत्तर-पश्चिम दिशा में 60 किमी. दूर स्थित है। नाथड़ियास गांव रायपुर तहसील में जिला मुख्यालय से पश्चिम दिशा में 50 कि.मी. दूर स्थित है। शाहपुरा कस्बा जिला मुख्यालय से उत्तर दिशा में 55 किमी. दूर स्थित है। अध्ययित किए गए सारे क्षेत्र की एक विशेषता यह रही है कि यह सामंतवादी शासन व्यवस्था के अधीन रहा हैं। सामंतवादी व्यवस्था में कट्टर धार्मिक व्यवस्थाओं को बल मिला था और इसी कट्टरता ने अस्पृश्य जातियों को हमेशा शोषण और अन्याय के साथ जोड़ा है। भारत की आजादी के बाद इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आया। मूल समस्या उससे प्रभावित न हो सकी।

अनुसूचित जातियों में स्तरीकरण

एक ओर अनुसूचित जातियां उच्च जातियों से बराबरी के दर्जे की मांग कर रही हैं तो दूसरी ओर स्वयं अनुसूचित जातियों में उच्च व निम्न का स्तर विद्यमान है। इन जातियों में स्तरीकरण की कई परतें हैं। ये जातियां आपस में एक-दूसरे से उच्च होने का दावा करती हैं। इनमें परस्पर सामाजिक असमानता विद्यमान है। जिस तरह उच्च व निम्न जातियों के बीच विभिन्न प्रकार के व्यवहार पर निषेध हैं उसी प्रकार इन जातियों में भी आपस में कई तरह के निषेध हैं। इन जातियों में स्तरीकरण व सामाजिक असमानता को निम्न आधारों पर देखा जा सकता है—

खान-पान संबंधी निषेध. जिस तरह उच्च व निम्न जातियों के बीच खान-पान संबंधी निषेध है उसी प्रकार अनुसूचित जातियों में आपस में खान-पान संबंधी निषेध है। सभी अनुसूचित जातियों के खान-पान संबंधी व्यवहार अपनी-अपनी जातियों तक ही सीमित है, जबकि समान स्तर की उच्च व मध्यम जातियों में आपसी खान-पान संबंधी व्यवहार हैं। ये जातियां सामूहिक भोज में एक-दूसरे को आमंत्रित करती हैं तथा इनके मध्य छुआछूत व खान-पान संबंधी पवित्रता व अपवित्रता के नियम लागू नहीं हैं। परन्तु अनुसूचित जातियों में किसी भी प्रकार का परस्पर खान-पान संबंधी व्यवहार नहीं है। कई अनुसूचित जातियां परस्पर खान-पान संबंधी पवित्रता व अपवित्रता के नियम लागू करती हैं। परस्पर खाने को छूने पर उसे भीटा हुआ (अपवित्र) मान लिया जाता है। वह खाना खाने योग्य नहीं रहता है। अनुसूचित जातियां एक ही कुएं या हेण्डपम्प से पानी तो भर सकती हैं परन्तु पवित्रता व अपवित्रता का ध्यान रखती हैं। बर्तनों को आपस में छूने नहीं देती हैं तथा एक जाति के व्यक्ति द्वारा पानी भर लेने पर दूसरी जाति के व्यक्ति द्वारा मटकी रखने के स्थान पर थोड़ा पानी डालकर फिर बर्तन रखा जाता है।

अनुसूचित जातियां आपस में उच्चता व निम्नता का भाव रखती हैं। उच्च जातियां, निम्न जातियों का खाना नहीं खा सकती हैं जबकि निम्न जातियां, उच्च जातियों का खाना खा सकती हैं। कई बार

गांवों में उच्च जातियों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा विवाह आदि कार्यक्रमों में निम्न जातियों को भोज में आमंत्रित किया जाता है परन्तु उन्हें अलग पंक्ति में बैठाकर भोजन कराया जाता है। अर्थात् उच्च व निम्न जातियों में खान-पान संबंधी व्यवहार एक तरफा है। निम्न जातियां विवाह आदि कार्यक्रमों में भी परस्पर खान-पान संबंधी व्यवहार नहीं रखती हैं। कभी-कभार समान स्तर की जातियों जैसे-चमार बैरवा, भांबी आदि में विवाह आदि कार्यक्रमों में पवित्रता तथा खान-पान संबंधी व्यवहार रखा जाता है। ड्यूमा (1970) ने जाति व्यवस्था का अध्ययन पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर किया है। अनुसूचित जातियां भी अपने खान-पान संबंधी व्यवहारों में परस्पर पवित्रता व अपवित्रता के नियमों का पालन करती हैं।

उच्चता व निम्नता की भावना. अनुसूचित जातियों में उच्च व निम्न का भाव विद्यमान है। इन जातियों में स्तरीकरण की कई परतें हैं। देसाई (1997) के अनुसार, "हिन्दू समाज में ऐसे सैंकड़ों विशिष्ट आत्म-निर्भर जातीय जगत बने हुए हैं जो एक दूसरे के ऊपर लकड़ियों की भांति चिने हुए हैं।" आपस में अनुसूचित जातियां एक-दूसरे से उच्च होने का दावा करती हैं। ओमवेट (2009) के अनुसार, "सम्पूर्ण शोषितों में जातियों की एक बड़ी श्रृंखला सम्मिलित थी। किसी एक क्षेत्र में दो मुख्य अस्पृश्य जातियां भी थी (महाराष्ट्र में महार और मांग, उत्तर भारत में चमार और चुहरा, आंध्रप्रदेश में माला और मडिगा) जो जाति संस्तरण में उच्च प्रस्थिति का दावा करती थीं।" उच्च व निम्न जातियों में विद्यमान स्तरीकरण की तरह इन जातियों का कोई निश्चित स्तरीकरण बना हुआ नहीं है। बलाई स्वयं को रेगर से उच्च मानते हैं तथा उनसे छुआछूत करते हैं जबकि रेगर उन्हें समकक्ष मानते हैं। खटीक स्वयं को ऊपर मानते हैं लेकिन अन्य जातियों जैसे-जीनगर, बलाई, रेगर आदि जातियों को यह स्वीकार नहीं है। जीनगर भी स्वयं को उच्च मानते हैं तथा उनका पुरुषों का पगड़ी का पहनावा भी महाजनों जैसा है। कोली भी स्वयं को उक्त जातियों के समकक्ष ही मानते हैं। बैरवा, भांबी, धोबी, ढोली, नायक, गंवारिया, मेहर, सरगरा, कामड़, डोम, भांड, गांचा, आदि अनुसूचित जातियों में मध्यम स्तर की जातियां हैं परन्तु उन्हें अन्य जातियों की उच्चता स्वीकार नहीं है। कालबेलिया, हरिजन, कंजर, सांसी, नट को दूसरी जातियां निम्न मानती हैं।

छुआछूत की भावना. अनुसूचित जातियां परस्पर छुआछूत करती हैं। छुआछूत इस मामले में कि कई अनुसूचित जातियां आपस में खाना नहीं छूती हैं, पानी पीने के मटके को नहीं छूती हैं, रसोईघर में प्रवेश नहीं करती हैं, आदि। ये जातियां उच्च जातियों के साथ समानता के लिए प्रयास कर रही हैं परन्तु स्वयं अनुसूचित जातियों में परस्पर सामाजिक असमानता व्याप्त है। सभी अनुसूचित जातियों का सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं है। ओमवेट (2009) के अनुसार, "महार-माला होलैया की तुलना में मडिगा और मांग छोटी जातियां थीं।" अनुसूचित जातियां परस्पर एक-दूसरे से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखती हैं बल्कि एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखती हैं। सामाजिक दूरी बनाये रखने के दौरान खान-पान संबंधी निषेध, खान-पान की पक्की सामग्री की पवित्रता का ध्यान रखना आदि निषेधों का पालन करती हैं। अतः ये जातियां एक-दूसरे से उच्च होने के दावे के साथ ही उसी अनुसार सामाजिक दूरी के लिए व्यवहार संबंधी निषेधों का पालन करती हैं।

खटीक, जीनगर, बलाई आदि जातियां अपने को रेगर, चमार, भांबी, धोबी, ढोली, आदि जातियों से ऊपर मानती हैं। परन्तु ऐसा नहीं है कि अपने को ऊपर मानने वाली जातियों (खटीक, जीनगर, बलाई आदि) का सामाजिक स्तर एक जैसा है, ये जातियां एक-दूसरे से उच्च होने का दावा करती हैं। रेगर, चमार, भांबी, धोबी, ढोली, कोली, नायक, भांड, गांचा, गंवारिया, मेहर, सरगरा, कामड़, डोम, जटिया, जाटव, बावरी जातियों में भी समानता नहीं है। ये जातियां भी एक-दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखती हैं। ये जातियां परस्पर एक-दूसरे के खाने को नहीं छूती हैं तथा सामाजिक दूरी के अन्य निषेधों का

पालन करती हैं। खटीक, बलाई, आदि जातियां रेगर, चमार, भांबी, धोबी, ढोली, नट, जटिया, जाटव, बावरी, आदि जातियों से छुआछूत करती हैं। ये जातियां इनके द्वारा खाने को छूने पर अपवित्र (भींटा हुआ) मानती हैं। रसोईघर में प्रवेश नहीं करना, बर्तनों को नहीं छूना, इनसे घी नहीं खरीदना, दही, छाछ नहीं लेना आदि निषेधों का पालन करती हैं परन्तु ये जातियां भी खटीक, बलाई आदि जातियों से इसी प्रकार के निषेधों का पालन करती हैं। हरिजन, कंजर, सांसी, कालबेलिया, नट, आदि जातियों को अन्य अनुसूचित जातियां अपने से नीचे मानती हैं तथा इनसे अन्य अनुसूचित जातियां सामाजिक दूरी संबंधी निषेधों का पालन करती हैं। हरिजन, कालबेलिया, नट आदि जातियां अन्य अनुसूचित जातियों का खाना खा सकती हैं परन्तु इनका खाना अन्य अनुसूचित जातियां नहीं खाती हैं तथा इनसे सामाजिक दूरी बनाए रखती हैं। परन्तु इन जातियों में भी परस्पर कोई व्यवहार नहीं है।

व्यवसाय के अनुसार जातियों का सामाजिक स्तर. व्यवसाय के अनुसार अनुसूचित जातियों को परम्परागत रूप से उच्च व निम्न सामाजिक स्तर प्राप्त है। व्यवसायों की उच्चता एवं निम्नता उनकी पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर तय होती है। नेसफील्ड (1885) के अनुसार, "जो पेशा जितना असंस्कृत और आदिकालीन था, उसमें लगे लोगों को उतना ही निम्न स्थान प्राप्त हुआ।" जिन व्यवसायों को समाज उच्च मानता है उन्हें अपनाते वाली जातियों को उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त है और जिन व्यवसायों को समाज निम्न मानता है उन्हें अपनाते वाली जातियों को निम्न सामाजिक स्तर प्राप्त है। अपवित्र एवं निम्न समझे जाने वाले व्यवसायों को करने वाली जातियों को परम्परागत रूप से निम्न सामाजिक स्थिति प्राप्त है। निम्न व्यवसायों में भी वर्गीकरण है। जैसे मरे हुए जानवरों को गांव से बाहर फेंकना (ढेड़), उनकी खाल उतारना (चमार), खाल को रंगकर कच्ची से पक्की बनाना (रेगर), पक्की खाल से जूता बनाना (मोची), फटे हुए जूतों की मरम्मत करना (भांबी)। ये सभी कार्य अलग-अलग जातियों द्वारा किए जाते हैं तथा इन सभी का सामाजिक स्तर भी व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग है। जैसे उक्त व्यवसायों के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर ढेड़, चमार, भांबी, रेगर, मोची। अन्य जातियों में जैसे-ढोली जाति का कार्य त्योहारों के अवसर पर गांव में घर-घर जाकर ढोल बजाना तथा जातियों की प्रशंसा कर ईनाम प्राप्त करना, धोबी जाति का कार्य उच्च जातियों के कपड़े धोना पर वे निम्न जातियों के कपड़े नहीं धोते, खटीक जाति का कार्य बकरे क्रय कर कसाई को बेचना, नट जाति का कार्य तमाशे कर लोगों का मनोरंजन करना, कालबेलिया जाति का कार्य सांपों को पकड़ना तथा सांप के खेल दिखाकर पेट भरना, भंगी (मेहतर, हरिजन) जाति का कार्य सफाई करना तथा सूअर पालना आदि। इन जातियों को भी उनके व्यवसाय के अनुसार सामाजिक स्तर प्राप्त है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों का सामाजिक स्तर उनके व्यवसाय के अनुसार भिन्न-भिन्न है। नेसफील्ड (1885) व्यवसाय को जाति-प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानते हैं। जातियों की उनके व्यवसाय से तुलना में जातियों का उनके व्यवसाय से मेल होता है, जैसे, गंदे व्यवसाय-मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारने वाले चमार, चमड़े को रंगने वाले रेगर, चमड़े से मोचड़ी बनाने वाले मोची, कपड़ा बुनने वाले बुनकर, ढोल बजाने वाले ढोली, कपड़ा धोने वाले धोबी, सांप पकड़ने वाले सपेरा, मैला ढोने वाले मेहतर आदि तथा साफ-सुथरे व्यवसाय-लोहे का कार्य करने वाले लोहार, लाख की चूड़ियों का कार्य करने वाले लखारा, सोने का कार्य करने वाले सुनार, कुम्भ (मटका) का कार्य करने वाले कुम्भकार आदि।

अनुसूचित जातियों को उनके व्यवसाय के अनुसार प्राप्त सामाजिक स्तर के अनुसार मौटे तौर पर निम्नानुसार तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है—

उच्च स्तर— खटीक, मोची (जीनगर), बलाई (मेघवाल, सालवी, बुनकर), रेगर।

मध्यम स्तर—कोली, धोबी, ढोली, चमार (बैरवा), भांबी, नायक, भांड, गांचा, गंवारिया, मेहर, सरगरा, कामड़, डोम, जटिया, जाटव, बावरी।

निम्न स्तर— हरिजन, कंजर, सांसी, नट ।

उक्त वर्गीकरण जातियों के समाज में प्रचलित सामाजिक स्तर के अनुसार किया गया है। इन स्तरों में भी कई उप-स्तर हैं। कोई भी जाति अपने को दूसरी जातियों से निम्न मानने को तैयार नहीं है। प्रत्येक जाति स्वयं को अन्य जातियों से उच्च बताती है। अतः इन जातियों का कोई निश्चित स्तरीकरण बनाया जाना संभव नहीं है परन्तु यह निश्चित है कि इन जातियों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं है तथा ये जातियां परस्पर सामाजिक दूरी संबंधी निषेधों का पालन करती हैं।

संस्कृतीकरण व जातीय गतिशीलता

श्रीनिवास (2001) ने निम्न जातियों द्वारा संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयासों का उल्लेख किया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बलाई, रेगर, चमार आदि जातियों ने अपनी जीवन विधि में परिवर्तन कर अपनी जातीय स्थिति, जो कि उन्हें परम्परागत रूप से प्राप्त थी, को ऊंचा उठाया है। बलाई जाति ने अपना परम्परागत व्यवसाय छोड़ दिया है तथा साफ-सुथरी रहने लग गई है। अब वह स्वयं को रेगर, चमार, भांबी, धोबी, ढोली आदि जातियों से ऊपर मानती हैं। रेगर जाति ने अपना परम्परागत व्यवसाय चमड़ा रंगना तथा जूते बनाने का कार्य छोड़ दिया है तथा अन्य साफ-सुथरे व्यवसायों को अपना लिया है, जिससे उसकी परम्परागत रूप से प्राप्त सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। उच्च जातियां भी अब उससे छुआछूत कम करती हैं। अब रेगर जाति भी स्वयं को खटीक, जीनगर, बलाई के समकक्ष मानने लगी हैं। रेगर जाति चमार, भांबी, धोबी, ढोली, कोली, सरगरा, नट, गांचा, गंवारिया, जटिया, जाटव, बावरी आदि जातियों से स्वयं को ऊपर मानती है। चमार जाति ने भी अपना परम्परागत व्यवसाय मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारने का कार्य छोड़ दिया है तथा अन्य व्यवसायों को अपना लिया है जिससे उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। भीलवाड़ा जिले में चमार जाति ने चमार या बैरवा के स्थान पर ऐरवाल लगाना शुरू कर दिया है तथा जिला स्तर पर ऐरवाल नाम से जातीय संगठन का निर्माण किया है।

शर्मा (2006) ने अनुसूचित जातियों में बढ़ती सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख किया है। कोहेन (1961) ने पूर्वी उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जाति चमार के अध्ययन, ब्रिग्स (1920) ने उत्तरप्रदेश की चमार जाति के अध्ययन, सिंह (1969) ने आंध्रप्रदेश की अनुसूचित जाति माडिगा के अध्ययन, हार्पर (1968) ने मैसूर के शिमोगा जिले की अछूत जाति होलेरू, लिंच (1968) ने आगरा की अछूत जाति जाटव के अध्ययन, बेली (1957) ने बीसीपाड़ा के पासियों के अध्ययन तथा सच्चिदानंद (1976) ने बिहार के शाहाबाद के चमारों के अध्ययन में जातीय गतिशीलता का उल्लेख किया है।

अनुसूचित जातियों द्वारा संस्कृतीकरण के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के उपरान्त भी उच्च जातियों द्वारा इन जातियों को निम्न ही माना जाता है। आज ये जातियां कोई घृणित व्यवसाय नहीं करती हैं तथा इनकी जीवन विधि भी उच्च जातियों जैसी है, फिर भी इनकी सामाजिक स्थिति निम्न ही है। अनुसूचित जातियां चाहे जितना संस्कृतीकरण कर लें वे अपने सामाजिक कलंक को कभी नहीं मिटा पाती हैं। ये जातियां मात्र समान स्तर की जातियों में कुछ ऊपर की स्थिति प्राप्त कर लेती हैं। आहूजा (2000) के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक कलंक माना जाता है। वे अशुद्ध जन्मते हैं और अशुद्ध जीवन भी जीते हैं। कलंक जो जाति के अनुसार जन्मजात होता है, जीवन-पर्यन्त चलता रहता है और किसी भी संस्कार द्वारा समाप्त नहीं होता है। श्रीनिवास (2001) के अनुसार एक अछूत जाति हमेशा-हमेशा के लिए अछूत बने रहने के लिए मजबूर हो गई है। अंबेडकर (1989) के अनुसार, "वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं, जीवन पर्यन्त अपवित्र बने रहकर मर भी जाते हैं और वे जिन बच्चों को जन्म देते हैं वे बच्चे भी अपवित्रता का टीका माथे पर लगाए ही जन्म लेते हैं। यह एक स्थायी वंशानुगत कलंक है जो किसी भी प्रकार से हट नहीं सकता है।"

उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंध

अनुसूचित जातियों में परस्पर खान-पान संबंधी व्यवहार नहीं है परन्तु ये जातियां उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंधी व्यवहार बढ़ाना चाहती हैं। इन जातियों के लोग आपस में खान-पान संबंधी व्यवहार से हिचकिचाते हैं परन्तु उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंधी व्यवहार पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं तथा दूसरों के समक्ष इसका प्रदर्शन करते हैं जबकि निम्न स्तर की अनुसूचित जातियों के साथ खान-पान संबंधी व्यवहार को छिपाने का प्रयास करते हैं। अनुसूचित जातियों के शिक्षित लोग व्यक्तिगत स्तर पर उच्च जातियों के शिक्षित लोगों से खान-पान संबंधी व्यवहार बनाए हुए हैं। परन्तु खान-पान संबंधी व्यवहार बना लेने से कोई सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो जाती है। समानता या असमानता का व्यवहार जातीय स्तर पर होता है, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। आजकल राज्य या अखिल भारतीय स्तर पर जातीय संगठन बने हुए हैं। यदि अनुसूचित जातियां परस्पर अपने जातीय संगठनों के माध्यम से सामाजिक समानता की पहल करे तथा उसके बाद सभी अनुसूचित जातियां एक होकर उच्च जातियों से सामाजिक समानता की मांग करे तो व्यक्तिगत प्रयासों की तुलना में यह सामूहिक प्रयास सामाजिक असमानता को मिटाने में अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है।

निष्कर्ष

अनुसूचित जातियों को परम्परागत व्यवसायों के आधार पर सामाजिक स्तर प्राप्त है। इस प्रकार देखा जाए तो इनमें स्तरीकरण की कई परतें हैं जिन्हें मोटे तौर पर तीन स्तरों—उच्च, मध्यम व निम्न स्तर में वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्तु इन्हें इन तीन स्तरों में समेटना मुश्किल है क्योंकि ये जातियां एक-दूसरे से स्वयं को उच्च मानती हैं।

ये जातियां भले ही परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखती हों परन्तु उच्च जातियों से सामाजिक नजदीकियां बढ़ाना चाहती हैं। इनमें परस्पर खान-पान संबंध नहीं हैं परन्तु ये जातियां उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंध बनाने में उत्सुक दिखती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अनुसूचित जातियों के शिक्षित लोग उच्च जातियों से परस्पर खान-पान संबंध बनाए हुए हैं। लेकिन समानता या असमानता का व्यवहार व्यक्तिगत स्तर पर न होकर जातीय स्तर पर तय होता है। अंबेडकर (1989) ने भी कहा है, “खून का मिलना ही छुआछूत को खत्म कर सकता है न कि सहभोज।” अनुसूचित जातियों द्वारा उच्च जातियों की जीवन विधि अपना लेने या उच्च जातियों के साथ खान-पान संबंध बढ़ा लेने से सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती है। अनुसूचित जातियों पर निम्न और अस्पृश्य होने के नाम का लगा दाग मिटाने में समय लगेगा। शिक्षा सामाजिक समानता की भावना को प्रबल तो कर सकती है परन्तु सामाजिक असमानता को मिटा देगी, इसमें संशय है। बुद्धिजीवी वर्ग भी जातीय भावना को मन से नहीं निकाल पाया है। उच्च जातियां अनुसूचित जातियों के साथ सामाजिक भेदभाव को खत्म नहीं करना चाहती हैं परन्तु आरक्षण उनकी आंख में जरूर खटक रहा है। कर्दम (2004) के अनुसार, “दलितों को न तो समानता मिली है न स्वतंत्रता, न ही उनका उत्पीड़न रुका है।” जिस दिन सबसे ऊपर की जाति ब्राह्मण व सबसे नीचे की जाति हरिजन को समान सामाजिक स्तर प्राप्त हो जायेगा उस दिन सामाजिक समानता की बात की जा सकती है।

असमानता के प्रश्न वैश्विक संकट के प्रश्न हैं। कोई भी समाज किसी न किसी आधार पर असमानता से मुक्त नहीं है। विषमताएं कई प्रकार की हैं जैसे काले-गोरों के बीच, प्रस्थितियों के बीच, सम्पत्ति और धन के बीच। जाति समाज की विषमता हर स्तर पर है और एक दूसरे को छूने वाली है। शोषण और भेदभाव के अनेक स्वरूप उनको छूते हैं। इसीलिए निम्नता में भी भेदभाव जाति व्यवस्था की विशिष्ट देन है। सामन्ती व्यवस्थाएं इन भेदभावों को और अधिक कठोर बनाती हैं और यही स्वरूप भारतीय जाति व्यवस्था को विचित्र बनाती है।

राजस्थान सामन्तवादी व्यवस्था का प्रतीक रहा है। राजपूत सामन्तवाद निम्न जातियों को अपने पराधीन मानता था और इसीलिए सामन्ती व्यवस्था में जातिगत भेदभाव बढ़े। इसीलिए पारस्परिक भेदभाव न केवल उच्च जातियों में बढ़े वरन् निम्न जातियों में भी परिलक्षित हुए। सामन्तवादी छाया अभी टूटी नहीं है। संविधान ने भले ही इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया हो पर समाज के व्यवहार में अभी भी यह प्रचलित है। इस असमानता पर अध्ययन भी हुए हैं। जिनमें यह पाया गया है कि कानून अथवा शिक्षा के प्रभाव नकारात्मक रहे हैं। व्यवसाय परिवर्तन भी अधिकतर सरकारी रहे हैं। इसलिए इस सामन्ती वातावरण में और अध्ययनों की आवश्यकता है।

References

- आहूजा, राम. (2000). *भारतीय समाज*, जयपुर: रावत.
- दुबे, श्यामाचरण. (2005). *समय और संस्कृति*, नई दिल्ली: वाणी.
- देसाई, ए. आर. (1997). *भारतीय ग्रामीण-समाजशास्त्र*, जयपुर: रावत.
- जायसवाल, सुविरा. (2004). *वर्ण जाति व्यवस्था: उद्भव, प्रकार्य और रूपान्तरण*, दिल्ली: ग्रंथ शिल्पी.
- कर्दम, जयप्रकाश. (2004). *21वीं सदी में दलित आन्दोलन*, दिल्ली: पंकज पुस्तक मंदिर.
- ओमवेत, गेल. (2009). *दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति*, जयपुर: रावत.
- शर्मा, के. एल. (2006). *भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन*, जयपुर: रावत.
- श्रीनिवास, एम. एन. (2001). *आधुनिक भारत में जाति*, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
- थोराट, सुखदेव. (2011). *भारत में दलित*, जयपुर: रावत
- Ambedkar, B. R. (1989). *Anihilation of Caste*, Aligarh: Anand Sahitya Sadan.
- Baly, F.G. (1957). *Caste and the Economic Frontier*, Manchester.
- Briggs, G.W. (1920). *The Chamars, Religious Life of India Series*, Calcutta: Association.
- Cohn, B.S. (1961). Chamar Family in a North Indian Village: A Structural Contingent: *Economic Weekly*, 13 (27,28,29).
- Dumont, Luies. (1970). *Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications*, New Delhi: Vikas.
- Ghurye, G. S. (1950). *Caste and Class in India*, Mumbai: Popular.
- Harper, E. B. (1960). Social Consequence of an Unsuccessful Low Caste Movement in J. Silverberg (ed.) *Social Mobility in the Caste System in India*, The Hague: Mouton Publisher.
- Lynch, O. M. (1968). The Politics of Untouchability: A Case from Agra, India in M. Singer and B. S. Cohn (eds.) *Structure and Change in Indian Society*. Chicago: Aldine Publishing.
- Majumdar, D. N. (1963). *An Introduction to Social Anthropology*, Bombay: Asia Publishing.
- Nesfield, J.C. (1885). *A Brief View of the Caste System of the North-West Provinces and Awadh*, Allahabad.
- Sacchidanand. (1976). *The Harijan Ellit*, Thompson Press India.
- Singh, T. R. (1969). *The Madiga: A Study of Social Structure and Changes*, Lucknow: Ethnographic and Folk Culture Society.
- Saxena, H. S. (1981). *Safeguards for Scheduled Castes and Tribes*, New Delhi: Uppal Publishing house.
- Smith, M.G. (1964). Pre-industrial stratification system in S.M. Lipset and Smelsen (ed.) *Social Structure and Mobility in Economic Development*, London: Routledge and Kegan Paul.

साम्प्रदायिकता – चित्रण एवं कथा साहित्य : राही मासूम रज़ा के उपन्यासों में समाज

मोहम्मद हुसैन डायर

सार

धर्म सामाजिक जीवन के मूल आधारों में से एक है। ज्ञान के समाजशास्त्र में लेखन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता समाजशास्त्र के लिये नये विषय नहीं हैं। भारतीय साहित्य में लेखकों ने उस सामाजिक जीवन का जिक्र किया है जो भारतीय समाज का प्रतीक है। साम्प्रदायों के पारस्परिक संबंधों पर लेखन इस लेख का स्रोत है। ज्ञान, धर्म और सामाजिक समस्या के रूप में समाज के चित्रण का प्रयास इस लेख में किया गया है।

संकेतशब्द

धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायवाद, कथा साहित्य, राही मासूम रज़ा

यह लेख समाजशास्त्र के तीन पक्षों को छूता है— साहित्य का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र और सामाजिक समस्या के रूप में साम्प्रदायिकता। यह ऐसे लेखों का समाजशास्त्रीय विवेचन है जो इन तीनों आधारों को समन्वित करते हैं। अंशतः इसका संबंध संप्रेषण से भी है जिसमें कोई लेखक उन विचारों को प्रसारित करना चाहता है जिसको उसने समाज में देखा है, समझा है और उस पर अपना विचार अभिव्यक्त करना चाहता है। ज्ञान के समाजशास्त्र में ज्ञान संबंधी कई मीमांसाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि समाज की परिस्थितियां समाज के ज्ञान को पैदा करती हैं और यही ज्ञान विभिन्न माध्यमों से समाज के सदस्यों के पास पहुंचता है। लेखक जो देखता और सुनता है, उसे अपने ज्ञान में सम्मिलित करता है और अपने लेखन माध्यम से उसको प्रस्तुत करता है। साहित्य की सारी विधाएं इसमें सम्मिलित हैं। ये ही अभिव्यक्तियां समाज का आईना होती हैं। लेकिन यह लेखन भी मात्र रोमांचकारी या भावनात्मक हो सकता है अथवा यथार्थ रूप में सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हो सकता है। यही चित्रण किसी प्रकाशित साहित्य का यथार्थीकरण होता है। यह आवश्यक नहीं कि समाज की सम्पूर्णता को समेटा जाए। समाज की विशिष्ट परिस्थितियां भी रचनात्मकता की सृष्टि कर सकती हैं। निश्चित ही यह रचनात्मकता उस ज्ञान से निर्मित हुई है, जिसको लेखक ने ध्यान से देखा है और उसकी अभिव्यक्ति की है। क्योंकि इस लेख का संबंध साहित्य में धर्म और साम्प्रदायिकता से है—अतः थोड़ा सा इनका विश्लेषण आवश्यक है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से धर्म एक मान्यता, विश्वास और समाज से परे शक्ति का प्रतिनिधित्व है (मजूमदार, 1961)। पवित्रता इसके साथ जुड़ी हुई है। धर्म के अपने विश्वास और उसके विरोध हैं। मार्क्स (1960) ने धर्म को अफीम कहा और उसको प्रगति के लिए बाधक माना। रूढ़िवादी मान्यताएं सामान्यजन को प्रगतिशील आधार प्रदान नहीं करती हैं। वेबर, दुर्खाइम आदि शास्त्रीय समाजशास्त्रियों ने धर्म की सामाजिक मान्यताओं के संबंध में कई प्रश्न उठाए थे। धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता नये सामाजिक जीवन के प्रतीक हैं (मदान, 1991)।

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है— सभी धर्मों का समान आधार। पाश्चात्य देशों में विकसित इस धारणा को भारत के संविधान में भी स्वीकार किया गया। भारत बहुजातीय, बहुप्रजातीय और बहुधार्मिक समूहों का देश है। देश की सामाजिक नीति समन्वय की रही है जिसमें धार्मिक समन्वय सम्मिलित है। भारतीय

सामाजिक जीवन में धार्मिक सहअस्तित्व एक प्रमुख लक्षण भी रहा है। भारतीय सामाजिक—सांस्कृतिक आधार इसी पर केन्द्रित रहे हैं। भारत में धार्मिक रूढ़िवादिता भी जन्मी है, पर इसके विपरीत साम्प्रदायिकता भी पनपी है। धार्मिक भेदों ने हिंसा और संघर्ष को जन्म दिया है। यह तस्वीर का दूसरा पहलू है। यह धर्म के राजनीतिक और सामाजिक विभेद का पहलू है।

भारत में अनेक साहित्यकारों ने धार्मिक आचरणों और धार्मिक व्यवहारों पर बहुत कुछ लिखा है। सामाजिक जीवन के चित्रण वे अध्ययन हैं, जिनमें धार्मिक समूहों के सहअस्तित्व तथा पारस्परिक संघर्षों का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत लेख साहित्य में भारतीय सामाजिक जीवन में विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व की मीमांसा है। लेख का सारा आधार वे उपन्यास हैं जो यथार्थ सामाजिक जीवन के तथ्यों पर आधारित हैं। विशेषकर साम्प्रदायिक प्रश्नों पर राही मासूम रज़ा और अन्य लेखकों की रचनाओं को तथ्यों के रूप में स्वीकार किया गया है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम साम्प्रदायिकता की बात करें तो इसे मूल रूप में हिंदू—मुस्लिम समस्या के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पंथों में ऐसी टकराहट नहीं होती है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जितनी इन दोनों समुदायों के बीच में होती है। प्रगतिशील विचारधारा के अनुसार फोर्ट विलियम कॉलेज में इस साम्प्रदायिकता के बीज रखे गए। हिन्दी—उर्दू विवाद के रूप में उत्पन्न हुए इस पौधे का फल भारतीय समाज को बंटवारे के रूप में चुकाना पड़ा। इसकी पुष्टि राही मासूम रज़ा के इस कथन से होती है कि पाकिस्तान की बुनियाद सच पूछिए तो उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में पड़ गई थी, कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में गिलक्राइस्ट नामक अंग्रेज ने पाकिस्तान की बुनियाद डाली थी (रज़ा, 2006)। धीरे—धीरे अंग्रेजों की यह योजना शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश करती गई। भारतीय समाज में उत्पन्न हुई इस समस्या की पड़ताल करते हुए सन् 1931 में हुए कानपुर दंगों की जांच रिपोर्ट में आए तथ्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों समुदायों में इस सब का विकास ब्रिटिश शासन द्वारा पुराने सामाजिक संतुलनों तथा आदर्शों को बिगाड़ने और भारतीय जीवन में पश्चिमी विचारों एवं शिक्षा के फैलाव के जरिए भारतीय राष्ट्रीय आदर्शों के स्थान पर स्वाभाविक रूप से हुआ (दिवाकर, 2004)। सन् 1857 के दौरान जब दोनों समुदायों ने मिलकर अंग्रेज सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दी तो अंग्रेजों का यह विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि इन दोनों समुदायों को आपस में लड़ाकर ही यहां राज किया जा सकता है और इस तरह इस समस्या ने अपना आकार लेना शुरू किया। 'द्विराष्ट्र सिद्धांत', 'हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान' से होते हुए यह आग 'उर्दू, मुस्लिम, पाकिस्तान' तक पहुंची।

आजादी से पूर्व शुरू हुई भारतीय समाज में विभाजन की प्रक्रिया आजादी के बाद भी निरन्तर रूप से जारी है। आजाद भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगे और विस्थापन इसके प्रमाण के रूप में देखे जा सकते हैं, विशेषकर अस्सी के दशक में हुए मराठी बनाम गैर—मराठी दंगे, सिक्ख विरोधी दंगे, रामरथ यात्रा के दौरान भड़के दंगे, भागलपुर दंगे, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, बाबरी विध्वंस व उसके बाद देश भर में भड़के दंगे, गोधरा कांड व उसके बाद भड़के दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता पर चली बहस व इससे उपजा तनाव आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय घटनाएं हैं। ये घटनाएं भारतीय समाज में एक 'राष्ट्रीय शर्म' के तौर पर जानी जाती हैं।

हिन्दी कथा साहित्य में साम्प्रदायिकता के प्रति विरोध का स्वर मुखर रहा है। समय—समय पर हिन्दी के लेखक इस समस्या के विविध पक्षों पर अपने विचार रखते हुए भारतीय जनता को सद्भाव का पाठ पढ़ाते रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश भारत के दौर की बात करें तो प्रेमचन्द, जैनेन्द्र व जयशंकर प्रसाद आदि के कथा साहित्य में साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति आह्वान यत्र—तत्र बिखरा पड़ा है। जैसे—जैसे आजादी निकट आती गई हिन्दी जगत् के साहित्यकारों की संवेदना इस समस्या की ओर बढ़ती गई।

यह दौर भारतीय इतिहास में साम्प्रदायिकता का चरम दौर था। बंटवारे के साथ मिली खंडित आजादी ने पूरे देश की एकता को बिखेर कर रख दिया। इस बिखरी हुई एकता को साहित्यकारों ने पुनः एक करने का भरपूर प्रयास किया जिनमें कमलेश्वर, भीष्म साहनी, यशपाल, कृष्णा सोबती, मुक्तिबोध, रेणु और राही मासूम रज़ा जैसे साहित्यकारों ने प्रमुख भूमिका निभाई।

कबीर और प्रेमचंद के सच्चे उत्तराधिकारी राही मासूम रज़ा का पूरा लेखन साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक सतत संघर्ष है (सिंह, 2004)। राही के लिए साम्प्रदायिक सद्भाव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि राही के भीतर ये विचार उनके समय की देन थी। यह गौर करने की बात है कि राही की युवावस्था के दौरान देश का विभाजन हुआ था। इस घटना से पूर्व और पश्चात् कट्टर साम्प्रदायिकता के तांडव ने युवा हृदय पर गहरा असर डाला। यही कारण रहा है कि उनकी हर रचना चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर शुरू हुई हो, अंततः साम्प्रदायिक समस्या की ओर ही घूम जाती है। इसी कड़ी को 'ओस की बूंद', 'कटरा बी आरजू' व 'असंतोष के दिन' उपन्यास आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों उपन्यासों में लेखक ने आठ-आठ वर्षों का अन्तर रखा है। यह अन्तराल देश में बढ़ती कट्टर ताकतों के सोपानों को बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित करता है। 'ओस की बूंद' के वजीर हसन, वहशत अंसारी व शहला, 'कटरा बी आरजू' की राजनीतिक परिस्थितियां व 'असंतोष के दिन' के अब्बास मूसवी, धर्माधिकारी, बर्क साहब व जर्नीकलम का सहारा लेकर राही ने साम्प्रदायिक ताकतों पर व्यापक प्रहार किए हैं।

राही का उपन्यास 'ओस की बूंद' सन् 1970 में प्रकाशित हुआ। यह रचना एक तबके के मादरे-वतन से लगाव के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। आजादी के बाद मुस्लिम वर्ग उपेक्षा का शिकार रहा है। इसके पीछे संकीर्ण विचारधारा का यह तर्क सामने आया है कि विभाजन के लिए चूंकि केवल यही वर्ग जिम्मेदार है, इस कारण हिन्दुस्तान में मुसलमानों को अपना हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इस वर्ग को या तो बहुसंख्यक वर्ग से दबकर रहना होगा या फिर पाकिस्तान जाना होगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि दंगों व मानवाधिकार के उत्पीड़न से यह वर्ग सामाजिक न्याय से दूर रह गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पश्चात् मुस्लिम वर्ग के दबूपन पर टिप्पणी करते हुए वेदव्यास (2016) लिखते हैं, "बाबरी मस्जिद का विध्वंस ही है जिसने मुसलमानों को यह महसूस कराया कि वे भारत में बराबर के नागरिक नहीं हैं।" कुछ ऐसी ही घटना पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिन्दुओं के साथ हुई। वहां के बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग का एक हिस्सा उन्हें अपने देश का नागरिक ही नहीं मानता है। ऐसे कट्टरपंथियों को आईना दिखाते हुए तसलीमा नसरीन (1994) लिखती हैं "बांग्लादेश के हिन्दू बाढ़ के पानी में बहकर नहीं आए हैं। वे इस देश के नागरिक हैं।" ऐसे ही चित्रों की झांकी राही के उपन्यास 'ओस की बूंद' में मिलती है।

उपन्यास का प्रमुख पात्र वजीर हसन आजादी से पूर्व मुस्लिम लीग का सदस्य था और पाकिस्तान बनवाने की कोशिश में लगा हुआ था जबकि उसका बेटा पाकिस्तान बनवाने के खिलाफ था। बंटवारे के पश्चात् इसके उलट बेटा पाकिस्तान चला जाता है और वजीर हसन हिन्दुस्तान में रहने का फैसला करता है, क्योंकि वह मानता है कि हिन्दुस्तान उसका घर है और वह अपना घर क्यों छोड़े। अपने घर के प्रति वजीर हसन के लगाव व इतिहास से परिचय कराते हुए लेखक बताते हैं कि वजीर हसन का घर लगभग चार हजार बरस पुराना है। आप इस पर आश्चर्य न करें। घर दीवारों का नाम नहीं बल्कि एक कल्पना का नाम है। वजीर हसन के पुरखों में से किसी ने पिछली शताब्दियों की धुंध में इस्लाम स्वीकार किया था। परन्तु इस्लाम स्वीकार करने से पहले भी तो घर रहा होगा (रज़ा, 1970)। इस उदाहरण द्वारा राही को उस विचारधारा पर चोट करते हुए देख सकते हैं जो यह मानती है कि मुसलमानों का भारत में कोई हक नहीं है और इस वर्ग को हमेशा विदेशी करार देकर उसे उसकी जड़ों से हटाकर या तो भारत से बेदखल करना चाहती है या फिर द्वितीय श्रेणी का नागरिक बने रहने की शर्त पर भारत में रहने की इजाज़त देती है।

आजादी के बाद बदले हालात जब अल्पसंख्यकों को दब कर रहने के लिए मजबूर करने लगे और उनके नायकों को योजनाबद्ध तरीके से खलनायक बनाने का दौर शुरू हुआ तो यह वर्ग सहम गया। प्रबल तरीके से विरोध करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब कोई इस वर्ग की आवाज़ उठाने वाला नहीं रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति स्कूल का नाम बदलने एवं हिन्दी के अध्यापक के वेतन बढ़ाने के दौरान हुई। वजीर हसन का विरोध इस कारण था कि स्कूल के नाम में क्या कमी है? दूसरे योग्य शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? वह सवाल पूछता है कि क्या गोवरधन (हिन्दी शिक्षक) को केवल हिन्दू होने के कारण फायदा मिल रहा है? पर स्कूल की वर्किंग कमेटी का डर कम नहीं होता है और स्कूल का नाम बदलकर गोवरधन की तनखा बढ़ा दी जाती है। उपन्यास के कुछ मुस्लिम पात्रों द्वारा अपने नाम के आगे मजबूरन 'ज़नाब' की जगह 'श्री' लगाना इस वर्ग को अपनी पहचान से समझौता करते हुए दिखाता है जो समय की अनचाही ज्वलंत मांग को दर्शाता है।

साम्प्रदायिकता के आधार पर देश के विभाजन की मांग पर उत्तर भारत में मुसलमानों के एक वर्ग विभाजन के पक्ष में वोट देकर गलती की। इस गलती का अहसास देश के चिंतनशील मुस्लिम वर्ग को हमेशा से रहा है। इस वर्ग का पश्चाताप वजीर हसन की रागात्मक पीड़ा द्वारा समय-समय पर कई बार सामने प्रकट होता है। जब उसका बेटा उसे पाकिस्तान चलने की बात करता है, तब वह कहता है, "मैं एक गुनहगार आदमी हूँ और उसी सरज़मीन पर मरना चाहता हूँ, जिस पर मैंने गुनाह किए हैं" (रज़ा, 1970)। वजीर हसन का यह वाक्य उसके पछतावे को दिखाता है। पर यह पश्चाताप भी उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने में असफल रहा। विभाजन का दाग मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति पर चांद के दाग के समान अमिट रूप से लग चुका है। वजीर हसन के कमरे में लगी जिन्ना की तस्वीर जिसे वह स्वयं उतारकर गंगा में फेंक आता है, की जगह बना निशान इस ओर इशारा करता है। इसी दाग के कारण इस वर्ग को हर कदम पर अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करनी पड़ती है, यह और बात है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे नाटक ही मानता है।

उपन्यास की कहानी में तब रोचक मोड़ आता है, जब वजीर हसन की पुरानी हवेली में मौजूद मंदिर जो उनके पूर्वजों का है, साम्प्रदायिक तनाव की जड़ बन जाता है। इस मंदिर की पूजा सैकड़ों वर्षों से उसी का परिवार करता आ रहा है। मगर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए जनसंघ इस मंदिर को हिन्दुओं को देने की बात करता है और मुस्लिम वर्ग इस मंदिर को बंद करवाने की, पर वजीर हसन दोनों की बात अस्वीकार करते हुए अपने परिवार द्वारा ही पूजा का पुराना विधान जारी रखना चाहता है। इसी जद्दोजहद में वह पी.ए.सी. की गोली का शिकार हो जाता है। लेखक ने इस मौत को भारतीय साझा संस्कृति की मौत के रूप में चित्रित किया है। मुस्लिम वर्ग का डर वजीर हसन की मौत के बाद भी खत्म नहीं होता है। शहला जब अपने दादा वजीर हसन की हत्या का मुकदमा लेकर वकील वहशत अंसारी के पास जाती है तो वह डर के मारे मुकदमा लेने से मना कर देता है और उसे किसी हिन्दू वकील को मुकदमा सौंपने की बात कहता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आजाद भारत का अल्पसंख्यक वर्ग साम्प्रदायिक ताकतों से कितना डरा हुआ है।

किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक समरसता उसकी आत्मा होती है। पर कुछ दशकों से समाज में समरसता की भावना में लगातार कमी आ रही है, इसके कारण को स्पष्ट करते हुए राही कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से कुछ रवायतें मिली थीं, मगर नई पीढ़ी को कुछ सियासी नारों के अलावा कुछ नहीं मिला। पुरानी रवायतें जहां अपना फ़र्ज निभाते हुए आपसी सद्भाव पर जोर देती थीं, वहीं सियासी नारे अपने हक के लिए मर-मिटने के अलावा कुछ नहीं है। इन अधिकारों की भीड़ में खोई कर्तव्यों की आवाज़ इतनी कमजोर हो चुकी है कि लेखक यह सवाल उठता है कि क्या वर्तमान पीढ़ी इतिहास के चौके से बिना कुछ ग्रहण किये भूखी ही उठ जाएगी? कहना गलत न होगा कि यह ऐसा

ज्वलंत सवाल है जो आने वाले समाज की रूपरेखा का चित्र खींचता है। इसके खतरनाक पहलू को भांपते हुए आज का बुद्धिजीवी वर्ग चिंतित होकर सहिष्णुता की आवश्यकता पर बहस कर रहा है।

साम्प्रदायिकता के उत्थान के मुख्य कारणों में एक कारण हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतीकों के चयन में गलती भी है। एक सम्प्रदाय के प्रतीकों की भरमार के नीचे दूसरे सम्प्रदाय के प्रतीक एवं आदर्श दब गए जिसके कारण सद्भाव में जहर घुलता गया। यह स्थिति धर्मों में भी रही। प्रतीकों के प्रति जनता इस हद तक अंधी हो जाती है कि धर्म की मूल भावना जो मानवतावाद है, गौण बन जाती है। उपन्यास का पात्र वहशत अंसारी इसी द्वन्द्व में फंसा विचार कर रहा है, "क्योंकि धर्म अब नाम रह गया है, केवल यह जताने का कि हम धर्म को मानते हैं, मस्जिदों में समाज को सिद्धा किया जाता है। मंदिरों में समाज की पूजा होती है गाय माता होने के बाद भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो मनुष्य ही है गाय और आदमी। कौन बड़ा है? तो आखिर जब बलवे होते हैं तो पुरी के शंकराचार्य बोलते क्यों नहीं है कि मनुष्य को काटना बंद करो" (रज़ा, 1970)। वहशत का द्वन्द्व धर्म का वास्तविक पहलू खोज रहा है, पर कहना गलत न होगा कि इन्हीं प्रतीकों ने भारत को डेढ़ सौ वर्षों से दंगों की आग में झोंक रखा है। मंदिर—मस्जिद के आगे ढोल बजाना, लाउडस्पीकर बजाना, मोहर्रम और होली के त्योहारों के लिए मार्ग परिवर्तन एवं गौहत्या जैसे मुद्दों को लेकर अक्सर सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है।

सन् 1921 में जब गौ—हत्या के नाम पर दंगे हो रहे थे तब महात्मा गांधी ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था, "मैं एक गाय की जान बचाने के लिए किसी आदमी की जान नहीं लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह कि मैं एक आदमी की जान बचाने के लिए किसी गाय की जान नहीं लूंगा" (गांधी, 1967)। गांधी के ये विचार जो सहअस्तित्व की धारणा से जुड़े हैं, राही के विचारों में भी देखे जा सकते हैं।

राही के लिए गंगा—जमुनी तहज़ीब सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रही है, इसे बचाने के लिए वे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में वजीर हसन के घर में मौजूद मंदिर उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी वसीयत के अनुसार शहला के मालिकाने हक में जाता है। मौका देखकर मुस्लिम वर्ग फुसलाकर और हिन्दू वर्ग डराकर अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, पर वह डरती नहीं है, भरी अदालत में वह कहती है, "यह मेरी ज़ाती हवेली है।... इस हवेली में जो मंदिर है, वह किसी भगवान का नहीं है बल्कि मेरे बुजुर्गों का है। और वह इसलिए मौजूद है। वह मंदिर हिन्दुओं के डर से मेरे घर में नहीं जा रहा है। क्योंकि हिन्दुओं का डर तो अब पैदा हुआ है। यह इस डर से बहुत पहले की बात है। मुझे नहीं मालूम यह डर रहेगा या खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे यह मालूम है कि यह मंदिर रहेगा" (रज़ा, 1970)। शहला का यह कथन साम्प्रदायिकता के विरुद्ध राही के विचारों की छाप है, वहीं डर पर मजबूत हौसलों को दिखाकर कट्टर ताकतों के विरुद्ध जंग का ऐलान भी है।

आपातकाल के राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर राही ने 'कटरा बी आरजू' (1978) नामक उपन्यास लिखा है जो आपातकाल के दर्दनाक पहलुओं को उद्घाटित करने के साथ इस स्थिति का फायदा उठाकर साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा किए गए राजनीति में धर्म के घालमेल को चित्रित करता है। उपन्यास के पात्र देशराज, भोला पहलवान, शम्सू मियां और मास्टर बदर के परिवारों में मौजूद भावात्मक एकता इसे सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में खड़ा करती है। विभाजन का दर्द इस उपन्यास में भी दिखाई देता है। शम्सू मियां का जवान बेटा अब्दुल उन्हें व उसके बीवी—बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है। उस्ताद शम्सू मियां बिना भेदभाव के अपने दोस्त के पुत्र देशराज को अपने पुत्र के हिस्से का प्यार देते हुए उसे मैकेनिक का काम सिखाते हैं। अनाथ देशराज भी उन्हें पिता समान आदर देता है। वहीं दूसरी ओर भोला पहलवान शम्सू मियां के पिता उस्ताद अब्दुल करीम खान के शिष्य रहे हैं। प्रत्येक नाग पंचमी के दिन भोला पहलवान अपने उस्ताद के बेटे शम्सू मियां को पगड़ी बंधवाते हैं। साथ ही

उसकी दुकान में बजरंगबली की फोटो के साथ गामा पहलवान की तस्वीर भी लगी हुई है। मौहल्ले के दोस्त लोग जब उसे छेड़ते हुए कहते हैं कि तुमने एक मुसलमान की तस्वीर यहां क्यों लगा रखी है, तो भोला पहलवान भड़क उठता है और जवाब देता है कि जब इसी गामा पहलवान ने मेरे शरीर पर पहली बार अखाड़े की मिट्टी लगाते हुए मेरा धर्म नहीं देखा तो मैं क्यों देखूं? कथा के ये दृश्य भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक समरसता की प्रगाढ़ता को दर्शाते हैं।

इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग तब आता है जब होली और जुम्मे का दिन साथ-साथ आते हैं। शम्सू मियां और मौलवी खैराती होली के रंग व हुड़दंगियों से बचते हुए मस्जिद में जाने के प्रयास के दौरान हुड़दंगियों में फंस जाते हैं, तब एक लड़का उन पर रंग लगाने व नमाज कज़ा करने के लिए दबाव डालते हुए कहता है, "मियां लोगों का जुम्मा तो 15 अगस्त, 47 को चला गया पाकिस्तान। होली से परहेज़ है तो इहां रहे की जरूरत का है" (रज़ा, 1978)। इस पर भोला पहलवान क्रोधित होकर उस लड़के की पिटाई करता है और अपने नमाज़ी दोस्तों को सुरक्षित मस्जिद तक पहुंचवाता है। कहना उचित ही होगा की आपसी सद्भाव ही हमारे भारत को भारत बनाए रखे हुए हैं।

राही ने सत्तर के दशक में हो रही राजनीतिक हलचल को बड़ी बारीकी से समझा। इसी समझ का परिणाम है कि देश की राजनीति में हो रहे कट्टर साम्प्रदायिकता के मिश्रण को इस उपन्यास द्वारा समझाने में वे सफल रहे हैं। इस मिश्रण के विविध पक्षों को उद्घाटित करने के लिए वे उपन्यास के ठीक बीच में पाठकों से इजाज़त लेकर उतरते हैं, और अपनी बात प्रारंभ करते हैं, "मैंने इमरजेंसी के जमाने में भी श्रीमती गांधी का विरोध करने की हिम्मत की थी और मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी सहमत नहीं था। ... फिर जो लोग उनके साथ लग लिए थे वह भी कुछ भले लोग नहीं थे। बिहार में उन्हें पहले कभी बेईमानी नहीं दिखाई दी और जब उस स्टेट को एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर मिला तो बिहार के बेईमान लोगों को साथ लेकर धावा बोल दिया और जनसंघ, आर.एस.एस., प्रेममार्गियों और जमाअते-इस्लामी जैसे घोर आवाम-दुश्मनों से गठजोड़ करते हुए उन्हें ज़रा तकल्लुफ़ न हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने भी इस मोर्चे का साथ दिया और यूं जनसंघ ने दिल्ली में सरकार बना ली" (रज़ा, 1978)। इस तरह इस साम्प्रदायिक राजनीतिक गठजोड़ में जनता पार्टी तो जीत गई, मगर देश एक बार फिर हार गया। उपन्यास के अंत में जनता पार्टी के नेता बाबू गौरीशंकर पांडेय के विजय जुलूस के नीचे आकर पागल एवं अपाहिज देशराज की मौत इसी तरफ इशारा करती है।

दंगों की आग में जलते स्वातंत्र्योत्तर भारत की यथार्थ और दर्दनाक तस्वीर राही ने 'असंतोष के दिन' (1986) नामक उपन्यास में उकेरी है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र अब्बास मूसवी एक पत्रकार है जिसे लगातार सत्ता, समाज और मीडिया से लड़ता हुआ देखा जा सकता है। इस दौर में यह तीनों वर्ग घोर साम्प्रदायिक हो चुके थे। यहां यह कहने की पुनः आवश्यकता नहीं है कि यह उसी घालमेल का परिणाम है जो सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में हुआ था। उपन्यास की कथा में कई मुद्दों पर पाठकों का ध्यान खींचा गया है जिनमें नस्लवाद, भाषावाद, प्रेम-विवाह, छद्म धर्मनिरपेक्षता व क्षेत्रवाद आदि प्रमुख हैं। इन मुद्दों पर विवाद पैदा करके संकीर्ण राजनेताओं ने देश के माहौल में साम्प्रदायिकता का ज़हर घोला।

उपन्यास की कथा के अनुसार मुंबई में क्षेत्रवाद के नाम पर शुरू हुए मराठी बनाम गैर-मराठी दंगे शीघ्र ही मराठी बनाम मुस्लिम विरोधी दंगों में बदल जाते हैं। इसी घटनाक्रम में ज़र््रीकलम मीर अली अहमद जो कथाकार के अनुसार मराठा तुकाराम मिर्जाकर के वंशज हैं, इन दंगों में मारे जाते हैं। ऐसी घटनाओं पर व्यंग्य कसते हुए मूसवी अपने मित्र धर्माधिकारी जो एक मराठा भी हैं, से पूछते हैं,

"कितने मारे?" उसने पूछा।

मगर धर्माधिकारी हंसने की जगह रो पड़ा।

“यह सब क्या हो रहा है मूसवी साहब ?”

“बलवा हो रहा है भैया ।” अब्बास ने कहा, “तंदूलकर के घरवाले अमर शेख के घरवालों को मार रहे हैं । यार एक बात बताव, मराठी मुसलमानों की तरफ शिवसेना का क्या रवैया है । हद है कि ‘इलस्ट्रेटेड वीकली’ वालों ने भी श्री बाल ठाकरे से यह सवाल नहीं किया” (रज़ा, 1986) ।

यह उदाहरण जहां क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वालों के दोमुंहेपन को जाहिर करता है, वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिक और पक्षपाती हो चुके मीडिया को भी आईना दिखाता है । दंगों के समय मीडिया का एक वर्ग अक्सर साम्प्रदायिक रंग में रंगकर सत्य को छुपाने का प्रयास करता है, इस संदर्भ में सुधीश पचौरी (1994) लिखते हैं, “माननीय जज रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसके अंतिम दर्शन के दौरान दूरदर्शन के सीधा प्रसारण में ‘खून का बदला खून’ नारे के अचानक प्रचार का ज़िक्र आया है, जो स्वयं माध्यम और समाज के एक नये संबंध की व्याख्या का एक अच्छा उदाहरण देता है ।” यह उदाहरण मीडिया के घोर सांप्रदायिक होने का भाव दिखाता है ।

राही, साम्प्रदायिकता के किसी भी रूप पर प्रहार करने से नहीं चूकते हैं । जब बर्क साहब को मुस्लिम बलवाइयों ने चाकू मार दिया तो अपनी पीड़ा को मूसवी व्यंग्य में ढालते हुए कहते हैं, “मगर एक फायदा तो हुआ बर्क साहब कि बासठ बरस जीने के बाद आज आपको पता चल गया कि आप हिन्दू हैं और यही हाल रहा तो किसी दिन मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ” (रज़ा, 1986) । ऐसे सम्प्रदायों के जंगल में जो व्यक्ति अपने आपको केवल इंसान समझता है, वह बिल्कुल अकेला और असुरक्षित है । इसलिए राही का मानना रहा है कि दुनिया में अल्पसंख्यक केवल इंसानियत की बात करने वाले ही हैं, हिन्दू-मुसलमान तो बहुत हैं । यही कारण रहा है कि जब-जब कोई दंगों के बाद सद्भाव बनाने के लिए इकबाल का ‘मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’ वाला शेर सुनाता तो लेखक भड़क उठता है, “अरे भाई इन लीकों को छोड़ो यह न बताओं की आपस में बैर रखना कौन नहीं सिखाता । यह बताओ की आपस में बैर कौन सिखा रहा है । किसकी बात मानें ? गुरु नानक की या संत जरनैल सिंह भिण्डरावाले की ? मुहम्मद की या बनातवाला की ? श्री कृष्ण की या देवरस की ? तुकाराम की या बाल ठाकरे की” (रज़ा, 1986) । यह भड़ास केवल राही की ही नहीं है, बल्कि हर उस आम नागरिक की है जो दंगों की आग झेलता है ।

साम्प्रदायिक दंगों के समय अक्सर देखा गया है कि प्रशासन का एक वर्ग साम्प्रदायिक हो जाता है । भारतीय पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए विख्यात साहित्यकार और पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय ने एक व्याख्यान में स्पष्ट किया है, पुलिस शासकों की हिफाज़त के लिए बनी है । दंगों के समय उसकी भूमिका हिन्दू बलवाई की होती है (भास्कर, 2015) । पुलिस की इस भूमिका से राही भी परिचित थे वह अब्बास मूसवी द्वारा यही बात धर्माधिकारी से विमर्श के दौरान कहलवाते हैं, “अरे भैया, यूपी में भी पुलिस मुसलमानों को ही मारती है । यहां पुलिस में मराठा ज्यादा है । जो कर्नाटक महाराष्ट्र की सीमा पर है, कर्नाटक के ब्राह्मणों और मराठों में लड़ाई होगी तो वह कर्नाटक के ब्राह्मणों को भी मारेगी । उत्तर प्रदेश की पी.ए.सी. में कान्यकुब्ज ब्राह्मण ज्यादा है तो वह ठाकुरों, हरिजनों और मुसलमानों को मारती है । पुलिस में भी हमीं-तुम्हीं होते हैं ना । पुलिस में मुसलमान ज्यादा होंगे तो पुलिस हिन्दुओं को मारेगी” (रज़ा, 1986) । अब्बास का यह वाक्य जहां प्रशासन के गैरज़िम्मेदार रूप को दर्शाता है, वहीं इस ओर भी इशारा करता है कि पुलिस को मनुष्य बनाना क्यों आवश्यक है ।

किसी भी राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की पहचान दिलाती है । भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है । यही कारण है कि मूल संविधान में यह शब्द समाहित न करके भी देश के प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया । इस बारे में विपिन चन्द्रा नेहरू के विचारों का परिचय करवाते हुए बताते हैं, नेहरू धर्मनिरपेक्षता के बारे में साफ राय रखते थे ।

उन्हीं के शब्दों में, "धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म को हतोत्साहित किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों और विश्वासों और कोई धर्म नहीं मानने वाले यानि नास्तिकों को भी पूरी आज़ादी मिलेगी" (विपिन चन्द्रा, 2008)। सरदार पटेल के विचार भी नेहरू के विचारों से अलग नहीं है। विपिन चन्द्रा आगे बताते हैं, सन् 1950 में उन्होंने एक सभा में कहा, "हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और अपनी नीतियों और तौर-तरीकों को हम पाकिस्तान के तौर-तरीकों पर आधारित नहीं कर सकते। हमें देखना चाहिए कि हमारे धर्मनिरपेक्ष विचार और आदर्श व्यवहार में भी उतरे" (विपिन चन्द्रा, 2008)।

पर इन महान नेताओं का स्वप्न धीरे-धीरे बिखरने लगा। 42वें संविधान संशोधन में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द प्रस्तावना में जोड़ देने के बाद भी इसका दायरा कम होता गया। शायद धर्मनिरपेक्षता का दायरा धीरे-धीरे कम हो रहा था इसीलिए यह संशोधन आवश्यक हुआ होगा, पर कट्टर ताकतों के निशाने पर यह विचारधारा और संशोधन दोनों हमेशा से निशाने पर रहे हैं। देश में बिखरते सामाजिक ताने-बाने से राही भलीभांति परिचित थे। छद्म धर्मनिरपेक्षता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए वे इस उपन्यास में अब्बास मूसवी और विष्णु जी के परिवार का उदाहरण पेश करते हैं। ये परिवार धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के कट्टर समर्थक हैं, दोनों परिवार अपनी अपनी बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करने को अनुचित समझते हुए इस रिश्ते को टुकरा देते हैं, पर हां, अपने बेटों की शादी जरूर दूसरे धर्म में करवाना चाहते हैं। परिवारों के इस दोमुंहापन पर उपन्यास का नायक अब्बास मूसवी बड़ा दुखी होता है। इस तरह राही छद्म धर्मनिरपेक्षता के चेहरे से भी नकाब हटाते हैं।

साम्प्रदायिक दंगों के समय दंगों के समर्थक अपनी हिंसक करवाई को सही ठहराने के लिए 'क्रिया की प्रतिक्रिया' वाले न्यूटन के सिद्धांत का हवाला देकर सही ठहराते हैं। इस पर राही अपनी संवेदनात्मक अनुभूति साझा करते हुए लिखते हैं, "मैं हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के हर शहर का बेटा हूं। जो घर जलता है, वह मेरा घर है। जिस औरत के साथ ज़िना किया जाता है, वह मेरी मां, मेरी बहन और मेरी बेटी है" (रज़ा, 1970)। निश्चित तौर पर ऐसी 'क्रिया की प्रतिक्रिया' सामाजिक ताने-बाने के लिए घातक रही है जिसका परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप दशकों से झेल रहा है। राही इसका विरोध करते हैं।

"साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है, जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते" (प्रेमचन्द, 2015)। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद का यह कथन समाज में साहित्य के महत्त्व को स्पष्ट करता है। एक सच्चा साहित्यकार सामाजिक सरोकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहता है। मानवतावाद के विकास के लिए आवश्यक है कि जो संकीर्णता समाज में समय-समय पर आ जाती है उसका परिष्कार करने के लिए साहित्यकार अपनी धारदार कलम रूपी तलवार चलाते रहें। जिससे समाज रूपी सरोवर में संकीर्णता की काई साफ होती रहे। इस कसौटी पर राही का साहित्य खरा उतरा है। तीन अलग-अलग कालखण्डों व पृष्ठभूमि पर लिखी ये रचनाएं समाज को प्रगतिशील बनाए रखने हेतु कट्टर साम्प्रदायिकता पर जोरदार चोट करती हैं। यह राही के दर्द की स्वानुभूति में डूबी हुई कलम का ही कमाल है जिसने समस्या की उन गहराइयों को छुआ है जिन्हें प्रायः उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया जाता है। अतः कहना उचित होगा कि राही मासूम रज़ा हिन्दुस्तानियत के सच्चे सिपाही हैं।

References

- दैनिक भास्कर, उदयपुर, (2015, 29 अक्टूबर)
- दिवाकर (अनु.), (2004). *साम्प्रदायिक समस्या*, नई दिल्ली: नेशनल बुक।
- गांधी, मोहनदास कर्मचंद (1967). *संपूर्ण गांधी वाङ्मय* (भाग 20), प्रकाशन विभाग, सुचना एवं प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार.
- Madan TN (1991). *Religion in India*, Oxford: New Delhi.

Majumdar DN, Madan, TN (1961). *An Introduction to Social Anthropology*, Bombay: Asia.

Marx, Karl (1960). *Communist Manifesto*, Moscow: Peoples Publication.

नसरीन, तसलीमा (1994). *लज्जा*, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन

प्रेमचंद, (2015). *कुछ विचार*, जयपुर: मलिक एंड कंपनी

रज़ा, राही मासूम (1970). *ओस की बूंद*, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन

रज़ा, राही मासूम (1978). *कटरा बी आरजू*, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन

रज़ा, राही मासूम (1986). *असंतोष के दिन*, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन

रज़ा, राही मासूम (2003). *खुदा हाफिज़ कहने का मोड़*, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन

सिंह, कुंवर पाल (सं.), (2006). *राही और उनका रचना संसार*, नई दिल्ली: शिल्पायन प्रकाशन

सुधीश पचौरी, (1994). *दूरदर्शन दशा और दिशा*, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार

मोहम्मद हुसैन डायर, शोध-छात्र (हिंदी), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों का ऐतिहासिक स्वरूप

सुरेश चौधरी

सार

शिक्षा को मानव जीवन का आधार स्तम्भ माना गया है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह मानव जीवन की उत्कृष्टता एवं उच्चता को सुनिश्चित करने का साधन है। शिक्षा बालकों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें विद्वान, चरित्रवान और बुद्धिमान बनाती है। सीखना बालक का स्वभाव होता है। इस दृष्टि से बालक का यह अधिकार हो जाता है, कि वह समुचित शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों की ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षा एवं समाजीकरण के द्वारा ही मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति का सृजन एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। प्रस्तुत लेख समाजशास्त्र में शिक्षा के संबंध में विकसित परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा करता है और इतिहास क्रम में इन परिप्रेक्ष्यों को विश्लेषित करता है।

संकेतशब्द

पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र, कुलीन वर्ग, शोषित वर्ग, समाजीकरण, उत्तर आधुनिकता, सामाजिक पुनरुत्पादन

मानव सभ्यता के सतत विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह संबल है जिसके आधार पर व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। यह मानव की आकांक्षाओं को जगाती है एवं पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। यह मानव को उसके अतीत से परिचित कराती है, वर्तमान में जीवन जीने की कला सिखाती है एवं भविष्य का निर्माण करने की क्षमता प्रदान करती है। मानव अपने जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है, अनुभव करता है, शिक्षा के द्वारा ही करता है। वह सीखने एवं अनुभव करने के कारण ही अपने सामाजिक, आध्यात्मिक एवं भौतिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर पाता है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है, जो व्यक्ति को समाज में आदर्श रूप में कार्य करने योग्य बनाती है।

विवेकानन्द (1960) के विचार में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बहुत पहले यह भी कहा गया है कि औपचारिक रूप से 'शिक्षा' संबोधन में ज्ञान देने व ग्रहण करने की प्रक्रिया निहित है। शिक्षा गत्यात्मक व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। समय—काल व सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप इस प्रक्रिया के स्वरूप और इसकी गति व उद्देश्यों में परिवर्तन होता जा रहा है। मैनेहिम (1940) शिक्षा का कार्य समान मूल्यों के प्रति आस्था पनपाकर सामाजिक एकीकरण प्राप्त करना और एक प्रजातंत्रिय व्यक्तित्व का निर्माण करना मानते हैं।

शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात् शिक्षा का क्रम बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। प्रारम्भ में माता—पिता एवं परिवार से सीखता है। उसके बाद पड़ोस, नातेदार एवं विद्यालय में सहपाठियों एवं खेल के मैदानों में अपने साथियों आदि से अनेक नवीन अनुभव ग्रहण करते हुए शिक्षा के क्रम को निरंतर जारी रखता है। बालक अपनी इन औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं अनुभव के आधार पर अपने सामाजिक—सांस्कृतिक वातावरण एवं जीवन में आने वाली अनेक नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। अपने अंतिम समय में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर स्वयं शिक्षक हो जाता है और समाज के सदस्यों को अपना अनुभव बांटकर लोगों को मूल्यों और मानकों की शिक्षा देता है।

शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा के उद्देश्य कई प्रकार के हैं :- (1) मनुष्य का स्वयं को और जगत को जानने का प्रयास करते रहना और स्वयं को शिक्षा जगत से प्रभावशाली ढंग से जोड़ना (2) अतीत और भविष्य के बीच पुल का निर्माण अर्थात् अतीत के एकत्रित परिणामों का विकासमान पीढ़ी को सम्प्रेषण करना ताकि वह सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जा सके और भविष्य का निर्माण कर सके (3) जहां तक संभव हो मानव प्रकृति की प्रकिया को तेज करना। (4) व्यक्तित्व के गुणों का समग्र विकास जैसे बुद्धि, दक्षता, इच्छा शक्ति, चरित्र अभिरुचियां आदि (5) मनुष्य की जीवन दशाओं में विकास अर्थात् समाज और व्यक्ति दोनों का विकास। समाज के विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास से ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास से भी हैं। व्यक्ति के विकास में शिक्षा एक विवकेशील और आदर्श मस्तिष्क बनाने में सहायक होती है। (6) शांति और समन्वय पैदा करना तथा उसे सुदृढ़ करना। यहां शांति को युद्ध के विलोम के रूप में नहीं देखा गया है बल्कि इसे सकारात्मक दृष्टि से देखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के प्रयत्न के उद्देश्य से समन्वित कार्य करे। इसमें सभी लोगों के प्रति आदर भाव उनकी संस्कृति सभ्यता मूल्यों और जीवनशैली के प्रति सम्मान निहित है।

शिक्षा का इतिहास

जनजाति समुदायों एवं मूलनिवासियों ने अपने बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा जिसमें भाषा, कौशल, ज्ञान, विश्वास, हस्तकला एवं मूल्य सिखाने के तरीके विकसित किए, ताकि वे समाज, प्रकृति एवं अपने वातावरण के साथ समायोजित करके अपना जीवन सुख से जी सकें। विश्व में पुनर्जागरण काल एवं पन्द्रहवीं शताब्दी से पूर्व औपचारिक शिक्षा जनसाधारण के लिए न होकर केवल कुलीन वर्ग तक सीमित थी, वह भी सामान्यतः मौखिक एवं कुछ हस्तकौशल तक ही सीमित थी।

वर्ष 1423 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि उसके बाद मुद्रित सामग्री एवं किताबें जनसाधारण तक पहुंचने लगीं और शिक्षा का विस्तार होने लगा। देशी भाषायी विद्यालयों ने ऐसी पाठ्यचर्या प्रस्तुत की जिसमें पढ़ना, लिखना, धर्म, गणित एवं व्याकरण संबंधी शिक्षा जनसाधारण को अपनी भाषा में उपलब्ध होने लगी। चूंकि लेख का संबंध पाश्चात्य दार्शनिक आधारों से है, अतः आगे की चर्चा हम इसी संदर्भ में कर सकते हैं।

प्राचीन काल में शिक्षा. प्राचीन यूनान में विद्यालयी शिक्षा की बजाय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यों में बच्चों की सहभागिता पर अधिक जोर दिया गया। रोम व यूनानवासियों का मानना था कि मनुष्य को आत्मविकास एवं राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उदारवादी शिक्षा की आवश्यकता थी। चूंकि दासों और अधिनस्थों से अपने मालिकों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी इसलिए उन्हें उदारवादी शिक्षा से वंचित रखा गया। लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखकर शारीरिक, खेलकूद एवं गृहस्थ की शिक्षा, प्रशिक्षण ही दिया गया ताकि वे भावी शूरवीरों के लिए स्वस्थ मातृत्व प्रदान कर सकें। लड़कों को युद्धकला में प्रशिक्षण, शारीरिक विकास एवं राज्य प्रशासन से संबंधित शिक्षा दी जाती थी।

प्राचीन समय में शिक्षा मुख्य रूप से राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों एवं प्रशासकों को उच्च रखने पर आधारित थी। शिक्षा केवल अभिजन एवं कुलीन वर्ग तक सीमित थी क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय और धन था जिससे वे शिक्षा का खर्च वहन कर सकते थे। गरीबों को केवल हस्तशिल्प एवं श्रम कौशल सिखाया जाता था। लड़कियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल कुछ कुलीन वर्ग एवं अमीरों की लड़कियों को घर की चारदीवारी में ही पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था।

मध्ययुगीन शिक्षा. मध्ययुग में शिक्षा ऐसी संस्थाओं में दी जाती थी जो चर्च, गिरजाघर, सेन्ट्री एवं विभिन्न मठों से जुड़े थे। इन सबमें बालकों को मुख्यतः नैतिक, राजनीतिशास्त्र एवं धर्म की शिक्षा दी

जाती थी। कुछ विद्यालय व्यापारियों एवं शिल्पकारियों द्वारा संचालित किए जाते थे, जिनमें बालक को व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यापार प्रशिक्षण दिया जाता था। 11वीं शताब्दी में मूल्यांकन प्रणाली, स्कॉलरशिप एवं शिक्षण अधिगम की भावना पर जोर देने वाली विद्यालय परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। इन विद्यालय संस्थाओं में तर्कशास्त्र, गणित, प्राशासनिक और नैतिकशास्त्र एवं धर्मशास्त्र संबंधित विषय पढ़ाना शुरू किया गया। इस शिक्षा ने बच्चों को निगमनात्मक तर्क सीखने के लिए प्रेरित किया। इसी काल में उच्च शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। विश्वविद्यालयों में राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र के साथ-साथ विधि, विज्ञान एवं आयुर्विज्ञान की व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी।

पुनर्जागरण एवं ज्ञानोदय युग में शिक्षा. इस काल में शिक्षण व्यवस्था में तर्कशास्त्र, व्याकरण, ग्रीक एवं लेटिन साहित्य का विकास हुआ तथा धीरे-धीरे प्रशासनिक विज्ञान का विकास होने लगा। ज्ञानोदय काल ने लोगों में विशेष रूप से उनके जीवन को बेहतर बनाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान तर्क एवं विवेकशीलता को प्रेरित किया। ज्ञानोदय काल में विद्यालयी शिक्षा की रूपरेखा ऐसे विकसित की गई, जिससे विद्यार्थियों में कौशल एवं तर्कशक्ति विकसित हो सके तथा साथ ही साथ समानता, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र एवं व्यक्तिवाद के गुण विकसित हो सकें।

आधुनिक युग में शिक्षा. 19वीं शताब्दी आते-आते पूरे विश्व विशेषकर यूरोप में एक सुस्पष्ट संगठित एवं संस्थागत औपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो गई। अब शिक्षा विशेषीकरण एवं व्यावसायिक शिक्षा में बढ़ोतरी हो गई। शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि अलग-अलग स्तरों में बांट कर दी जाने लगी। एक सुस्पष्ट परीक्षा प्रणाली एवं डिग्री की शुरुआत हुई। पाठ्यक्रमों को कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि एवं व्यावसायिक अलग-अलग भागों में बांटा गया तथा अलग-अलग शिक्षा बोर्ड स्थापित हुए। आज पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रमों में काफी कुछ समानता होती जा रही है। भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में विद्यालयी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। यहां पहले वैदिक एवं गुरुकुल शिक्षा का प्रचलन था।

शिक्षा के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य

शिक्षा के समाजशास्त्र में शिक्षा के महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य निम्न हैं

प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य. प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार शैक्षणिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है अर्थात् शिक्षा एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहती है एवं संचालित होती है। प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य क्रियाओं के प्रभाव को अध्ययन का विशिष्ट बिन्दु मानकर उनसे होने वाले समन्वय अथवा विघटन को महत्व देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज का निर्माण समाज की अनेक छोटी-मोटी इकाइयों की अन्तर्निर्भरता एवं अन्तर्सम्बन्धों के आधार पर होता है। इन संबंधों के आधार पर एक व्यवस्था का निर्माण होता है। जिसकी प्रकृति समन्वित एवं पूर्णता लिए हुए होती है। प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य परस्पर संबंधों व उनकी अन्तर्निर्भरता को महत्व देता है। इसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था के किसी एक भाग में होने वाला परिवर्तन अन्य भागों को भी परिवर्तित करता है, पर संतुलन एवं स्थायित्व को भी बनाए रखता है।

प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की मान्यता है कि समाज के अन्तर्गत कुछ स्व-निर्मित साधन होते हैं जिनके आधार पर समाज का संतुलन बना रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में सावयवी एवं सादृश्य के प्रारूप स्वीकार करके सामाजिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया गया है। सामाजिक नियन्त्रण, समाजीकरण, मूल्य, मानदण्ड, अनुरूपता इत्यादि वे तत्व हैं, जो सामाजिक संतुलन एवं नियमन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल्य एकमतता सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। और यह मूल्य एकमतता समाज के सदस्यों में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक जैविक प्राणी को सामाजिक-सांस्कृतिक प्राणी में बदलती है। परम्परागत

समाजों में समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण या साधन परिवार व पड़ोस था। लेकिन आधुनिक समाजों में समाजीकरण, परिवार व पड़ोस के अलावा शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भी होता है।

दुर्खाइम (1956) के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को संप्रेषित करना है। सामाजिक व्यवस्था तभी सुचारु रूप से संचालित एवं संतुलित होती है जब समाज के सदस्यों में एकरूपता एवं मूल्य सहमति हो। यह व्यवस्था समाज द्वारा तय नियमों, मूल्यों एवं मानदण्डों के पालन से व्यवस्थित बनी रहती है। शिक्षा प्रारम्भ से ही बालक से समाज के इन समरूपी सिद्धान्तों, नियमों, मूल्यों एवं मानदण्डों को परिरक्षित करते हुए बालक को सिखाती है। दुर्खाइम के अनुसार “शिक्षा युवा पीढ़ी का समाजीकरण है, शिक्षा ही मानव में वे कुशलताएं विकसित करती है जो उसे अपने भविष्य के व्यवसाय में आवश्यक एवं उपयोगी होगी।” दुर्खाइम मानव को ‘सामाजिक मानव’ बनने में शिक्षा की भूमिका को उजागर करते हैं। शिक्षा समाजीकरण के द्वारा मानव को पशुओं से भिन्न एक सभ्य प्राणी बनाती है। इसका श्रेय ऐसी हर किताब, धार्मिक ग्रंथ, पत्रिकाओं एवं मौखिक परम्पराओं को जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है।

दुर्खाइम के अनुसार आधुनिक जटिल समाजों में शिक्षा पद्धति की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि ऐसे समाजों में परिवार या अन्य प्राथमिक समूह अपने बच्चों को ऐसी परिपक्वता एवं व्यासायिक कौशल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते जैसा कि समाज उनसे बनने की आशा करता है। विद्यालय सूक्ष्म सामाजिक व्यवस्था के आदर्श के रूप में कार्य करता है जिसमें बालक अन्य बालकों से सहयोग करना सीखता है। विद्यालय में अर्जित प्रशिक्षण विद्यालय के बाहर उनके व्यवहार का आधार बनता है। वे मानते हैं कि आधुनिक सावयवी समाजों में श्रम विभाजन को व्यवस्थित रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में विशिष्ट कौशलों की शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है क्योंकि इन समाजों में श्रम विभाजन की जटिलता निरंतर बढ़ती जाती है। दुर्खाइम के मत में सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने में व्यवसायिक संरचना एवं श्रम विभाजन के विविध आयामों एवं पक्षों में संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होता है। समाज की मांग को ध्यान में रखकर शैक्षणिक संस्थाएं विद्यार्थियों को अपेक्षित विशिष्ट कौशलों की शिक्षा देती हैं, और उन्हें ऐसी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करती हैं जिनकी मांग समाज द्वारा की जाती है।

पारसंस (1959) का शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित दृष्टिकोण, दुर्खाइम के दृष्टिकोण के समान है। पारसंस के अनुसार कक्षा, समाजीकरण का एक ऐसा अभिकरण है जो बालकों को समाज में वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए अभिप्रेरित और प्रशिक्षित करता है। पारसंस के अनुसार बच्चों के समाजीकरण एवं विकास में परिवार, अनौपचारिक समूह, मित्र समूह एवं पड़ोस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।

अतः स्पष्ट है, कि प्रकार्यवादी उपागम के अनुसार शिक्षा सामाजिक व्यवस्था में सन्तुलन व निरन्तरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाती हैं।

संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य. संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य बुनियादी तौर पर प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य से काफी भिन्न है। इनके अनुसार समाज सतत् असंतुलन की अवस्था में है। लेकिन एक निकाय के रूप में अभिजन वर्ग इसे बनाए रखते हैं एवं इसके लिए निम्न (शोषित) वर्ग से संबलतापूर्वक सहयोग प्राप्त कर लेते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समाज को उच्च शोषक एवं निम्न शोषित वर्गों के मध्य विभाजन के रूप में मानता है, जिन्हें उनके बीच चलने वाले शक्ति संघर्ष द्वारा देखा जाता है। संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार यह जरूरी नहीं है, कि समाज की विविध इकाइयां इस तरह व्यवस्थित रूप से कार्य करें कि सामाजिक व्यवस्था सन्तुलित, निरन्तर एवं अक्षुण्ण बनी रहे। संघर्षवादियों के अनुसार समाज की सभी इकाइयों में आपसी द्वन्द्व के कारक आन्तरिक एवं बाहरी दोनों तरह के हो सकते हैं तथा समाज पर इसका प्रभाव नकारात्मक, सकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। ये द्वन्द्व समाज के विकास एवं निरन्तरता के लिए अनिवार्य हैं।

संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं कमजोर वर्गों के शोषण का माध्यम हैं। पूंजीपति एवं कुलीन वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं पर अधिकार होता है। और ये वर्ग अपने फायदे के अनुसार बालकों को शिक्षा देकर उनका शोषण करते हैं। अल्थ्यूज़र (1971) के अनुसार पूंजीपति वर्ग अपनी जरूरत की श्रम शक्ति बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का प्रयोग करते हैं। शैक्षणिक पद्धतियों एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण पूंजीपति वर्ग द्वारा किया जाता है। विद्यालय में पनपने वाले सामाजिक संबंध कार्यस्थल में श्रम के सोपान क्रम विभाजन को प्रतिबिंबित करते हैं।

इस मत के अनुसार विद्यालय ऐसी अमूर्त कार्यसूची का अनुसरण करते हैं, जो समाज में कुलीन वर्गों की सैद्धान्तिक एवं वैचारिक प्रधानता को कायम रखने में योगदान करे। विद्यालय ऐसी असमानता लाने में योगदान देते हैं, जिसमें विशिष्ट किस्म के ज्ञान के भेदभावपूर्वक वितरण के लिए वे मौन रूप से संगठित होते हैं। उनके अनुसार शैक्षिक ज्ञान समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं के विस्तृत वितरण का ही एक रूप है। ऐसे सामाजिक अर्थों का जो बच्चों को सिखाए जाने वाले शैक्षिक ज्ञान को गठित करते हैं, समाज के सभी समूहों के दृष्टिकोण और अर्थ से कोई सरोकार नहीं है।

पीयरे बोरदिओ (1977) के अनुसार शैक्षिक व्यवस्था की मुख्य भूमिका कुलीन एवं अभिजन वर्गों की संस्कृति का पुनर्निर्माण करना है। अभिजन उच्च वर्ग शैक्षिक व्यवस्था के आधार को वैध बनाकर अपने निजी विचारों को थोपने का कार्य करते हैं। अभिजन संस्कृति के बच्चे जो पहले से ही सांस्कृतिक पूंजी के धनी होते हैं, उच्च ग्रेड एवं परिणाम प्राप्त करते हैं। क्योंकि शैक्षिक व्यवस्था उन्हें ऐसे सामाजिक अर्थों का ज्ञान देती है, जो उन्हें पता होते हैं। जबकि प्रभुत्वहीन एवं कमजोर संस्कृतियों से आए बच्चे शिक्षा संस्था में अंतर्निर्मित अवरोधों का सामना करते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसे सामाजिक अर्थ सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, जो उनके लिए नये हैं। अतः वे अक्सर शैक्षिक व्यवस्था से बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रभुत्वशाली और अभिजन संस्कृति को समझने में वे नाकाम होते हैं। इस शैक्षिक असफलता के कारण समाज में उनकी स्थिति निम्न एवं सुविधा बंचित हो जाती है। इस तरह शक्ति और विशेषाधिकार के संबंधों का पुनर्निर्माण सामाजिक वर्गों में निरंतर बना रहता है।

अन्योन्यक्रियावादी परिप्रेक्ष्य. सामान्य शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो बालक को सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा के समाजशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख सैद्धान्तिक उपागमों में से अन्योन्यक्रियावाद एक महत्वपूर्ण उपागम परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य के लिए कूले (1969) की शीशे में खुद को देखने की संकल्पना दर्शाती है कि किस प्रकार व्यक्ति विशेष दूसरों के अपने से जुड़े परिप्रेक्ष्य से स्वयं के बारे में एक अर्थ विकसित करता है। एक मस्तिष्क की दूसरों के मस्तिष्क से आत्मसात करने की प्रक्रिया में यह शामिल है कि दूसरों की नजरों में हम स्वयं की कल्पना किस प्रकार करते हैं और ऐसी राय पर हमारी निजी भावना क्या होगी। गॉफमैन (1959) सामाजिक जगत को रंगमंच के समान समझते हैं जहां अभिनेता हर रोज दूसरों के जीवन को जीने के रूप में स्वयं की प्रस्तुती करते हैं।

अन्योन्यक्रियावादी परिप्रेक्ष्य को लागू करके शिक्षा के समाजशास्त्री ऐसे तरीकों को खोजने का प्रयास करते हैं, जहां शिक्षक और विद्यार्थियों में विचारों का आदान प्रदान होता है और जो अपनी ऐसी अन्तः क्रिया को एक अर्थ देते हैं। अन्योन्यक्रियावाद के अनुसार शैक्षणिक व्यवस्था में विद्यार्थियों की स्थिति का निर्धारण, शिक्षकों के साथ उनकी अन्तःक्रिया की प्रकृति से होता है जहां अर्थों को शैक्षणिक मानकों के परे निर्मित किया जाता है। ऐसे अध्ययन उन अर्थों को चित्रित करता है जिससे शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया है। ऐसे अध्ययनों में शिक्षकों ने गैर-श्रमजीवी वर्ग से संबधित एक आदर्श विद्यार्थी और श्रमजीवी वर्ग से संबधित एक विचलित विद्यार्थी की छवि को बनाकर दर्शाया है। एक अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थियों को परिभाषित और वर्गीकृत करने में सामाजिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि विद्यार्थियों को प्रत्येक समूह में अनुमानतः उनकी योग्यता की दृष्टि से विभाजित किया

गया था लेकिन उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को एक जैसा ही पाया गया। विविध समूहों में विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में, उच्च सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को निम्न स्तर पर पाया गया यद्यपि शिक्षकों से अपेक्षा थी कि वे एक जैसी शिक्षा प्रदान करें। लेकिन उन्होंने विविध श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान की प्रकृति और अपनी शिक्षण विधियों को उनके अनुरूप परिवर्तित कर लिया। जिन विद्यार्थियों का जिनका संबंध अलग-अलग समूहों से था उन्होंने भी प्राप्त ज्ञान पर अपने ही तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैसे अध्यापक द्वारा व्यक्त आदर्श परिवार की परिभाषा को उच्च वर्ग के विद्यार्थियों ने तो स्वीकार किया लेकिन निम्न वर्ग के विद्यार्थियों ने नहीं।

उत्तर-आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य. उत्तर-आधुनिकता का सिद्धान्त विगत दो-तीन दशकों से अनेक विषयों में प्रभावी ढंग से विकसित हुआ है। उत्तर-आधुनिकता वैकल्पिक समाज व्यवस्था के स्वरूप का मॉडल प्रस्तुत करता है। यह परिप्रेक्ष्य आधुनिकता की कमियों के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। आधुनिकता के अन्तर्गत समाज, संस्कृति, आर्थिकी व व्यक्ति का परिवर्तित और भिन्न स्वरूप उभर कर आया। प्रथम, औद्योगिक क्रान्ति ने मनुष्य के शारीरिक श्रम का अवमूल्यन किया, द्वितीय, दैनिक मानसिक कार्य का अवमूल्यन किया व तृतीय, मानवीय सोच व विचार का अवमूल्यन किया। आधुनिकता प्रगति का पर्याय नहीं है, न ही पश्चिम की सभ्यता व समाज व्यवस्था एक आदर्श प्रारूप के रूप में सर्वत्र स्वीकार की जा सकती है। इसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उत्तर-आधुनिकता की विशेषताएं आधुनिकता से विपरीत हैं। आधुनिकता ने विज्ञान को महत्व दिया, जबकि उत्तर-आधुनिकता मानवतावाद को महत्व देता है। आधुनिकता के अन्तर्गत तर्क को प्रधानता दी गयी थी, जबकि उत्तर-आधुनिकता में भावना को प्रधानता दी है। आधुनिकता ने प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया, जबकि उत्तर-आधुनिकता सहयोग को महत्व देता है।

आधुनिकता में विशिष्टीकरण को महत्व दिया गया, जबकि उत्तर-आधुनिकता में समग्रता (Holism) को महत्व दिया गया। इसी तरह आधुनिकता में व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, जबकि उत्तर-आधुनिकता में सामूहिकता को प्रधानता दी जाती है। उत्तर-आधुनिकतावादी शिक्षा का उपागम शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर उसे मानव कल्याण एवं मुक्ति उन्मुख बनाने के पक्ष में है। इस उपागम के अनुसार आधुनिक शिक्षा ने मानव को मशीन बना दिया है। राज्य तथा पूंजीपति आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अपने लिए लिपिक वर्ग तैयार कर उनका शोषण करते हैं। आधुनिक महंगी शिक्षा केवल अमीर वर्ग की पहुंच में है, यह गरीब वर्ग से तो काफी दूर है।

उत्तर-आधुनिक विचारक अल्थ्यूज़र के अनुसार आधुनिक शिक्षा शासक वर्ग की विचारधारा को ही प्रसारित करती है। और श्रम विभाजन में बड़े वर्गों के उन्हीं दृष्टिकोणों और व्यवहारों को मैनेजरो, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों में पैदा करती है, जिससे आम श्रमिक का शोषण किया जाता है।

अतः स्पष्ट है, कि शिक्षा का उत्तर-आधुनिकतावादी उपागम वर्तमान एकपक्षीय एवं अमीर शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर शिक्षा की सब के लिए सार्वभौमिक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने पर बल देती है ताकि समाज में सबको समान अवसर मिलते हुए सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके।

पश्चिमी विचारकों के शिक्षा संबंधी विचारक

पोलो फ्रीयर. इनका जन्म 19 सितम्बर 1921 में रेफिस, ब्राजील के एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। फ्रीयर ने वयस्कों एवं किसानों को पढ़ाने के कई कार्यक्रम प्रारम्भ किए तथा पाठ्यक्रम को पुनः नये ढंग से बनाने के लिए प्रयोग किया। फ्रीयर ने समुदाय को शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिससे विद्यालयों पर नियंत्रण का विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्रीकरण हुआ। फ्रीयर का मानना था कि पूंजीवादी समाजों की पहचान दमन से की जा सकती है जो शिक्षा सहित सभी सामाजिक

संबंधो और सामाजिक प्रक्रियाओं में व्याप्त होता है। विशेष रूप से ब्राजील अत्यधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से ग्रसित था। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच दमनकारी गतिविधियों एवं नीतियों तथा दमन से पीड़ितों के बीच के विरोध ने फ्रेरे के चिन्तन एवं दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उत्पीड़ितों को जानबूझकर अज्ञानता में रहने दिया गया तथा ऐसी स्थितियों में रखा गया जो उनकी आलोचनात्मक जागरूकता को कम करें तथा वे अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर उच्च वर्ग के शोषण का सक्रिय जवाब न दे सकें। फ्रीयर ने इसका वर्णन 'मौन की संस्कृति' के रूप में किया है।

वर्तमान शिक्षण व्यवस्था इस विभाजन को बनाए रखेगी। उनके अनुसार शिक्षा की ऐसी वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करे जिसमें उत्पीड़ितों की संस्कृति, ज्ञान तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था सबसे आगे रहे। उत्पीड़ितों को शिक्षा वास्तविकता का अहसास और सच्चे ज्ञान को विकसित कराने वाली होनी चाहिए। शिक्षा समस्या को प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। फ्रीयर के अनुसार वर्तमान शिक्षण प्रणाली शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों में ज्ञान भरने की प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी धैर्यपूर्वक सुनते हैं, याद करते और दोहराते हैं, जिसे फ्रीयर शिक्षा का बैंकिंग सिद्धान्त (Banking Model of Education) कहते हैं। इस मॉडल सिद्धान्त में शिक्षक स्वयं को जानकार और ज्ञानी समझते हैं और विद्यार्थियों को निरा अज्ञानी समझकर उन्हें ज्ञान-दान देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को सामाजिक स्थितियों को यथावत स्वीकार करने और अपनाते के लिए छोड़ दिया जाता है। फ्रीयर के अनुसार इसका समाधान शिक्षा के मानवीकरण में निहित है, जिसमें उत्पीड़ितों और क्रान्तिकारी नेताओं के बीच स्थायी संवाद स्थापित होता है। अर्थात् फ्रीयर के अनुसार शिक्षा के वर्तमान बैंकिंग मॉडल Banking Model of Education के स्थान पर Conscientization Model of Education होना चाहिए। यह मॉडल सहभागी मॉडल है जो उत्पीड़ितों को शोषण से मुक्ति दिलाकर उनकी मानवता की पुनः स्थापना करा सके।

ईवान इलिच. ईवान इलिच का जन्म 4 सितम्बर 1926 में आस्ट्रिया के वियना शहर में हुआ था। वे बचपन से ही बुद्धिजीवी थे। वह शिक्षा के प्रति अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने गए, जिससे कई विवादों ने जन्म लिया। उन्होंने विद्यालय व्यवस्था की इस आधार पर निंदा की कि वे सामाजिक परिवर्तन के साथ नहीं चल सकते और यथास्थिति बनाए रखने पर बल देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक *डी-स्कूलिंग सोसायटी* लिखी। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा कि "स्कूलिंग" समाज को यह सोचने पर बाध्य करती है कि विज्ञान स्वच्छ, शुद्ध एवं त्रुटि रहित ऐसी वस्तु है जिसका उत्पादन मानव मस्तिष्क करता है और जिसका भंडारण किया जा सकता है।

इलिच (1971) ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के माध्यम से सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। उनकी मान्यता थी कि विद्यालय जाने की बाध्यता से लोगों के शिक्षा के अधिकार में कटौती होती है। इलिच को विद्यालय और शिक्षा के बीच विरोध की खाई दिखाई देती है। उन्होंने संस्थागत शिक्षा और विद्यालयों की इस आधार पर निंदा की कि यह शिक्षा ऐसा माहौल पैदा करती है जिसकी समाज में विशेष विनिमय कीमत होती है और जिनके पास थोड़ी सांस्कृतिक पूंजी होती है उन्हें इससे भरपूर लाभ मिलता है। उनका मानना था कि विद्यालय की प्रतिष्ठा संस्थागत मूल्यों के भ्रम पर टिकी है और जिसकी जड़ें इस विश्वास में जमी हैं कि विद्यालयों में पढ़ने से मूल्यवान शिक्षा प्राप्त होती है।

इलिच के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी इच्छाओं और अपेक्षों को बाजार के मूल्यों के अनुरूप ढालने की शिक्षा दी जाती है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यथार्थ के प्रति लोगों के दृष्टिकोण का निर्धारण विद्यालय द्वारा नहीं बल्कि परिवार एवं जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। शिक्षा के विकल्पों पर उन्होंने कई व्याख्यान दिए हैं। उनके प्रमुख विचार हैं :-

- हमें समाज को पाठशाला से मुक्त कर देना चाहिए क्योंकि अधिकांश लोगों का सीखने का

अधिकार पाठशाला में उपस्थित होने की अनिवार्यता के कारण समाप्त हो जाता है।

- विद्यालय समाज की सेवा करने के बजाय स्वयं समाज से अपनी सेवा करवाते हैं। इलिच विद्यालयों को शोषणकारी संस्थाएं मानते हैं जो विद्यार्थियों की सजृनशीलता और कल्पना को कुंठित करती है तथा अभिजन वर्ण के हितों की पूर्ति एवं संरक्षित करते हैं।
- आजकल स्कूली शिक्षा बहुत महंगी हो गयी है।
- पाठ्यक्रम सीखने की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है। पाठशाला अनिवार्य उपस्थिति पर आधारित है, जिससे सीखने की प्रक्रिया और उसका सार व उद्देश्य भ्रमित हो जाता है।
- शिक्षण के लिए व्यावसायिक स्तर नहीं होना चाहिए तथा सिखाने व सीखने के उत्तरदायित्वों को वापस जाग्रत करने की आवश्यकता है।
- अप्रकट पाठ्यक्रम (Hidden Curriculum) को दूर करके कुशल व्यक्तियों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिससे कि वे अपने ज्ञान को लोगों के साथ बांट सकें।

पियरे बोर्दियो. बोर्दियो का जन्म 1930 में फ्रांस में हुआ। उन्होंने पेरिस में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया और बाद में लगभग एक वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। उन्हें मानवशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन, राजनीति एवं शिक्षा में सैद्धांतिक एवं आनुभविक योगदान के लिए जाना जाता है। बोर्दियो के विचारों की जड़ें चार दशकों तक फ्रांस में किए गए शोध कार्य में थीं। उसने सामाजिक रणनीति के सिद्धांत को प्रतीकात्मक पूंजी के लिए लोगों के संघर्ष को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में स्वायत्तता तथा वर्ग संबंधों पर इसकी निर्भरता के बीच संबंधों को खोजा। मार्क्स की भांति बोर्दियो (1977) की भी यही मान्यता थी कि शासक वर्ग और कामगार वर्ग के बीच विवाद और संघर्ष के संबंध होते हैं। उनका मानना था कि दोनों में अंतर उनकी पूंजी में असमानता के कारण था। बोर्दियो के लिए पूंजी समूह अथवा व्यक्ति के संयुक्त ज्ञान, विश्वास, मूल्यों और गुणों के आधार पर समाज में उपयुक्त होने की क्षमता में निहित है। शिक्षा की भूमिका इस कारण महत्वपूर्ण हो जाती है कि सुविधा सम्पन्न और संभ्रात लोग इससे न केवल शिक्षित होने की प्रमाणिकता प्राप्त करते हैं अपितु इसके माध्यम से एक सैद्धांतिक विचारधारा का प्रसार करते हैं। जिससे समाज के नियम निर्मित होते हैं तथा इनमें से अधिकांश उनके अपने लिए लाभप्रद होते हैं। उनका मानना था कि बुद्धिजीवी अपने ज्ञान का न्यायोचित प्रसार करते हैं और लोगों को समाज के नियमों के अंतर्गत सांस्कृतिक पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा करने देते हैं।

बोर्दियो (1977) के अनुसार शिक्षा प्रमुख वर्ग की संस्कृति को स्थापित करने का काम करती है जिसे प्रायः सांस्कृतिक पुनरुत्पत्ति कहा जाता है। प्रमुख वर्ग अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ तथा उपयोगी दर्शाते हुए इसे शिक्षण व्यवस्था के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। बोर्दियो प्रमुख वर्गों की संस्कृति के ढांचे में सांस्कृतिक पूंजी को ऐसे संसाधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका धन दौलत और सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। यहां इस तथ्य को नोट करना रोचक है, कि विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों में असमानता विभिन्न वर्गों में सांस्कृतिक पूंजी में असमानता के कारण होती है। इसका अर्थ यह है कि उच्च वर्ग से संबंधित विद्यार्थी अपने आप को निम्न वर्गों से संबंध रखने वाले शिक्षण व्यवस्था से विलग अनुभव करते हैं। मध्यम वर्ग के छात्र बेहतर परिणाम लाते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति उच्च वर्ग की संस्कृति के निकट होती है।

अतः छात्रों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक पूंजी तक उनकी पहुंच पर निर्भर करता है। बोर्दियो ने स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रियात्मक रूप से उच्च वर्ग के बच्चे ज्ञान सामग्री को समझने में निम्न वर्ग के अपने साथियों से बेहतर होते हैं, क्योंकि अर्थ का क्षेत्र, व्याकरण, ध्वनि और सामग्री की प्रस्तुति उनकी समझ के

अधिक निकट होती है। इससे भी अधिक वे अपने ज्ञान को इस प्रकार व्यक्त और प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं कि वह मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को पसंद आता है और उसका उन्हें लाभ मिलता है। निम्न वर्ग इस मामले में पीछे रहा।

यह स्पष्ट है कि शिक्षा सम्बन्धी विचार समाज की व्यवस्थाओं के अनुकूल बदलते रहे हैं। समाज वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विचारों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला ऐतिहासिक क्रम में बराबर चलती रही है। आधुनिकता के क्रम में शिक्षा के समाजशास्त्र की कल्पनाएं तथा व्याख्याएं बदलती रही हैं। विचारों और सिद्धांतों का एक क्रम विचारधाराओं के अनुसार बदलता रहा है। प्रस्तुत लेख में यह क्रम यूरोप के सन्दर्भ में देखा गया है। यह इसलिए क्योंकि भारत में आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव उपनिवेशकाल से अब तक चलता आया है। शिक्षा के समाजशास्त्र पर इन सैद्धांतिक आधारों का प्रभाव पड़ा है और इन प्रभावों से वैचारिक आधारों का एक इतिहास बना है। इसी ऐतिहासिक क्रम को तारीखों से नहीं अपितु विचारात्मक दृष्टि से संजोया गया है। यह बात स्पष्ट है कि सैद्धांतिक विचारों का यह ऐतिहासिक क्रम अभी टूटा नहीं है और संभावना है कि इस क्रम में विचारों की कुछ और कड़ियां जुड़ें और एक नयी सैद्धान्तिक व्याख्या उभर कर सामने आए। क्योंकि शिक्षा का प्रश्न एक बड़ा सामाजिक प्रश्न है, अतः समाजशास्त्रीय रूचि एवं विश्लेषण की खोज स्वाभाविक रूप से बने रहने की सम्भावना है।

Reference

- Althuser L and Erind (1949). *Essay on Sociological Theory*, New York: free Press.
- Bordien Pierra (1977). *A Theory of Practice Trans*, Cambridge: Bdvardnice.
- Cooley, C. (1960). The looking self glass. In coser Louis and Roseuberg (Eds.) *Sociological Theories*, New York: MacMilan.
- Durkheim, E. (1956). *Sociology and Education*, Glancoe: Free Press.
- Goffmen (1959). *The Production of Self in Everyday*, Panguin: Harmonds work.
- Illich E. (1971). *De Schooling Society*, Panguin: Harmonds work.
- Mannheim, Karl (1952). *The Sociology of Knowledge*, London: Routledge and kegan Paul
- Parsons T. (1949). *Essay in Sociological Theory*, New York: Free Press.
- विवेकानंद (1960). *सत्यार्थ प्रकाश*, नई दिल्ली: आर्य साहित्य ट्रस्ट.

सुरेश चन्द चौधरी, सीनियर रिसर्च फ़ेलो, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

ग्रामीण समाज में महिला स्वास्थ्य: रक्ताल्पता के प्रश्न

सुनिता बोहरा

सार

भारत में ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य की व्यापक समस्याएं हैं। वैसे भी यह माना जाता है कि विश्व के विकासशील देशों में स्त्रियों का स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है। यह लेख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के समाजशास्त्र के संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की विशिष्ट स्वास्थ्य परिस्थिति के बारे में है। लेख का परिवेश सीमित आधार पर ग्रामीण महिलाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया) के शारीरिक परिदृश्यों को समझने का प्रयास है।

संकेत शब्द

स्वास्थ्य, गर्भावस्था, रक्ताल्पता, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वयंसेवी संस्था।

स्वास्थ्य और रूग्णता की सामाजिक संरचना के कई परिप्रेक्ष्य हैं। यही परिप्रेक्ष्य सामाजिक समस्याओं का रूप भी लेते हैं (बेस्ट 1989)। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं कई परिप्रेक्ष्यों से पैदा होती हैं। यद्यपि भारत जैसे देश में जेण्डर, स्वास्थ्य तथा बीमारियों के बड़े अन्तर हैं, पर यह भी साथ-साथ माना जाता है कि जेण्डर में इस प्रकार के अन्तर मिथक अधिक हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अत्यन्त व्यापक है। पारंपरिक विचारधाराओं, पारंपरिक स्वास्थ्य संबंधी सोच और ग्रामीण पृष्ठभूमि इसे और अधिक व्यापक बनाती है।

स्वास्थ्य की कई समस्याओं की भांति रक्ताल्पता की समस्या महिलाओं में एक सामान्य समस्या है। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं में रक्ताल्पता की शिकायत अधिक पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में शैक्षणिक व सामाजिक स्तर पर पिछड़ापन है। विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की शिकायत पोषक खाद्य पदार्थों के अभाव में अधिक पाई जाती है।

भारत में अन्य कई राज्यों की भांति राजस्थान में महिलाओं की स्थिति संतोशजनक नहीं है। पारंपरिक रीतिरिवाज, मान्यताएं और सामाजिक प्रचलनों ने महिलाओं की स्थिति को कमजोर बना रखा है। महिलाओं के सामाजिक परिवेश, जिससे स्वास्थ्य भी प्रभावित है, ने काफी प्रभाव डाला है। देश के अन्य भागों की तरह महिला प्रस्थिति के प्रश्न यहां भी उपस्थित हैं (सिंघी 1975)। समाज के अन्य आधारों की तरह संस्कृति, जीवनशैली और सामाजिक जीवन स्वास्थ्य संबंधी आधारों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस तथ्य के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि सामाजिक आधारों में स्त्री और पुरुष की अलग-अलग भूमिका है। शारीरिक संरचना के संदर्भ अलग-अलग अवश्य हैं पर उनकी भूमिका तथा परिस्थितियों को सामाजिक व्यवस्था प्रभावित करती है। उनकी जीवन की यथार्थताएं अलग-अलग हैं। इसीलिए उनकी परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण स्त्री और पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधी तनाव और स्वास्थ्य संबंधी आधार भी अलग-अलग हैं (सुन्दरी और सुन्दरन, 2000)।

यह माना जाता है कि स्त्रियों का स्वास्थ्य पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होता है। लेकिन 1990 के बाद यह माना जाने लगा है कि रोगों और स्वास्थ्य के संबंध में दोनों ही को समान स्तर पर देखा जा सकता है (लाहेल्मा, 2001)। यह परिवेश वर्ग और जाति संरचना के साथ बदलता भी है। उदाहरण के लिए निम्न और गरीब वर्ग की महिलाओं का चूल्हे पर खाना बनाना और उसके धुंए का सामना करना। कई और परिस्थितियां हैं जिनमें स्त्रियों को उनकी विशिष्ट गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। बहुत सी

महिलाओं की बीमारियां उनकी विशिष्ट शारीरिक अवस्थाओं की उत्पाद हैं। प्रायः इसका संबंध उनकी विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति से भी होता है। स्वास्थ्य के संबंध में उनका परिप्रेक्ष्य और मान्यताएं अलग-अलग होती हैं। गर्भावस्था वयस्क महिलाओं के संदर्भ में एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है लेकिन रक्ताल्पता और रक्तचाप गर्भावस्था की परिस्थितियों के साथ सामान्य हैं भी और नहीं भी। प्रस्तुत लेख राजस्थान के जोधपुर जिले में महिला स्वास्थ्य के इन्हीं पक्षों का विश्लेषण है।

जोधपुर जिले में रक्ताल्पता

राजस्थान में जोधपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। समय-समय पर पड़ने वाला अकाल, रोजगार की कमी और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण यहां पोषण और स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है। विशेषकर महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की स्थिति पोषण और स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत गिरी हुई है। महिलाओं में किशोरावस्था से ही रक्ताल्पता की शिकायत है। कुपोषण और संतुलित आहार में कमी व स्वास्थ्य के प्रति व्यक्तिगत चेतना का अभाव विशेषकर महिलाओं में देखने को मिलता है। रक्ताल्पता उनमें मुख्य है।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में हिमोग्लोबीन का स्तर अपेक्षा से कम है और यह स्तर गर्भवती महिलाओं में और भी कम हो जाता है। इसका कारण कम उम्र में शादी और गर्भावस्था के दौरान पोषण और खुराक में कमी है। लगभग 20 प्रतिशत महिलाएं अपनी गर्भावस्था का शुरुआती दौर ही रक्ताल्पता में बिताती हैं। 60 प्रतिशत महिलाएं शिशु जन्म के दौरान रक्ताल्पता की बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं और इसका परिणाम मां और शिशु की मृत्यु या गर्भपात होता है। बंसल, टक्कर आदि (2013) का अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है। उनके अनुसार पश्चिमी राजस्थान में रक्ताल्पता गर्भवती महिलाओं में अधिक (8 प्रतिशत) पाई गई। यह 30-35 वर्ष के आयु समूह में अधिक पाई गई। रक्ताल्पता का प्रचलन ग्रामीण स्तर पर (86.9 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्रों में (81.5 प्रतिशत) से अधिक था। रक्ताल्पता का प्रमुख कारण परिवार का बड़ा आकार, कम आय, अपर्याप्त भोजन आदि थे। इस प्रकार रक्ताल्पता निम्न सामाजिक-आर्थिक समूह में 95 प्रतिशत भरे-पूरे सामाजिक-आर्थिक समूह में 90.9 प्रतिशत, निरक्षर एवं शाकाहारियों में 90.6 प्रतिशत पाई गई। पश्चिमी राजस्थान में पुरुषों एवं बच्चों को पहले भोजन प्रदान किया जाता है और महिलाओं को बचे हुए भोजन से संतुष्टि करनी पड़ती है। इस प्रकार रक्ताल्पता का सम्बन्ध आयु, रहवास (नगरीय और ग्रामीण), धर्म, परिवार के आकार, सामाजिक स्तर, परिवार की मासिक आय एवं भोजन की आवृत्ति से पाया गया।

जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्णतया उनकी पहुंच तक नहीं हैं। इसका कारण पिछड़े और दूरस्थ गांव का होना है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य समाजसेवी संस्थाओं की विशेष भूमिका है। महिलाओं को प्राथमिक स्तर पर ही रक्ताल्पता दूर करने के लिए आई.एफ.ए. की गोलियां देने और लेने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। जिससे गर्भावस्था के दौरान उनका हिमोग्लोबीन स्तर कायम रह सके। साथ ही गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्व की जिनमें आयरन की अधिकता मौजूद हो, भी आवश्यकता होती है। जोधपुर जिले में रक्ताल्पता विशेषकर गर्भवती महिलाओं में अधिक होने के कारण इस बारे में सोचने और कारगर उपाय करने की आवश्यकता है। इसी समस्या को आधार मानते हुए जोधपुर जिले की 5 तहसीलों में सर्वेक्षण किया गया। प्रत्येक तहसील में से 8 से 10 गांवों की 310 गर्भवती महिलाओं से रक्ताल्पता स्तर, उनको उपलब्ध पोषक तत्व और आई.एफ.ए. के गोलियों की उपलब्धता को आधार बनाकर साक्षात्कार कर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। संपर्क की गई महिलाओं से प्राप्त तथ्यों को सारणी 1 में दर्शाया गया है।

उत्तरदाता महिलाओं की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य थी। उनसे पूछने पर पता चला कि उनके बहुत से बच्चे हैं। इस आधार पर उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, वे महिलाएं जिनके 4 से कम

बच्चे हैं और वे महिलाएं जिनके 4 या इनसे अधिक बच्चे हैं। 310 महिलाओं में से 48 प्रतिशत महिलाओं के 4 से कम बच्चे थे और 53 प्रतिशत महिलाओं के 4 या उससे अधिक बच्चे थे। अधिकतर महिलाओं के चार और इससे अधिक बच्चे पाए गए।

महिलाओं के परिवार की प्रकृति देखने से पता लगता है कि 310 उत्तरदाताओं में से 258 (83%) के परिवार संयुक्त थे और 17 प्रतिशत के परिवार एकल। तहसील के अनुसार इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं था। अधिकतर परिवार संयुक्त परिवार ही हैं जिनमें मुख्य भूमिका पति, सास और ससुर की थी।

उत्तरदाताओं से यह जानकारी भी प्राप्त की गई कि रक्ताल्पता क्या है? हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो रक्ताल्पता के बारे में फलौदी खण्ड की महिलाएं अन्यों की अपेक्षा इस संबंध में अधिक जानकारी रखती थीं। 56 महिलाओं में से 40 महिलाएं (71%) रक्ताल्पता के बारे में जानती थीं। केवल 16 महिलाएं ही इससे अनभिज्ञ थीं। बाय में 74 में से 40 महिलाएं रक्ताल्पता के बारे में जानती थीं और 34 महिलाएं (54%) इसके बारे में नहीं जानती थीं।

रक्ताल्पता के लक्षण और निदान की जानकारी

यह जानने का प्रयास किया गया कि रक्ताल्पता को कैसे कम किया जा सकता है इस संबंध में महिलाओं के ज्ञान का स्तर क्या है। यह प्रश्न ऐनीमिक और स्वस्थ दोनों प्रकार की महिलाओं से पूछा गया। 76 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से बचने के बारे में थोड़ा बहुत जानती थीं जबकि 24 प्रतिशत महिलाएं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थीं। सर्वेक्षण से यह भी पता लगा कि अधिकतर महिलाएं रक्ताल्पता के लक्षणों से अनभिज्ञ थीं। तहसील के अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण करने पर पता चला कि फलौदी और शेरगढ़ की महिलाएं जोधपुर और लूणी की महिलाओं की अपेक्षा इन लक्षणों के बारे में अधिक जानकारी रखती थीं।

अधिकतर महिलाओं को रक्ताल्पता दूर करने के लिए ली जाने वाली आई.एफ.ए. गोलिया की जानकारी थी। पांचों तहसील की 200 महिलाओं से पूछने पर 166 यानि 83 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे जानती हैं कि आई.एफ.ए. की गोलियों से रक्ताल्पता रोकी जा सकती है। 17 प्रतिशत महिलाओं को इस बारे में जानकारी नहीं थी। महिलाओं को आई.एफ.ए. की गोलियों के बारे में जानकारी घर के सदस्यों से, स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे केयर, उरमुल या ब्राइट संस्थान कार्यकर्ताओं से या उनके नुककड़ नाटकों से; आंगनबाड़ी केन्द्रों और ए.एन.एम. द्वारा मिली। कुछ ने यह भी बताया कि स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर द्वारा उन्हें यह जानकारी दी गई। सभी तहसीलों में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत एक जैसे थे। जोधपुर जिले की लगभग 160 महिलाओं से पूछने पर 17 ने घर के सदस्य द्वारा 70 ने ए.एन.एम. द्वारा और 73 महिलाओं ने आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा जानकारी प्राप्त होना बताया। आई.एफ.ए. की गोलियों की उपस्वास्थ्य केन्द्र और आंगनबाड़ी केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्धता के बारे में 52 प्रतिशत महिलाओं को ही जानकारी थी। तहसील स्तर पर जानकारी लेने पर पता चला कि जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और शेरगढ़

सारणी 1

उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि और रक्ताल्पता संबंधी ज्ञान

उत्तरदाता महिलाएं (सं. 310)		प्रतिशत
आयु	18-25 वर्ष	48.0
	26-35 वर्ष	52.0
बच्चों की संख्या	4 से कम	48.0
	4 से अधिक	53.0
रक्ताल्पता की जानकारी	अल्प ज्ञान	62.0
	बिल्कुल ज्ञान नहीं	38.0
तहसील स्तर पर रक्ताल्पता की जानकारी	फलौदी	71.4
	बाय	54.0
रक्ताल्पता के उपचार संबंधी जानकारी	कुछ लक्षणों की पहचान	50.5
	आई.एफ.ए. के गोलियों की जानकारी	83.0

तहसील की महिलाएं इस बारे में अधिक जानती थीं। लूणी और बाय की महिलाएं अपेक्षाकृत कम जानकारी रखती थी अर्थात् शेरगढ़ की 60 प्रतिशत और लूणी की 40 प्रतिशत महिलाएं ही आई.एफ.ए. की गोलियों के निःशुल्क वितरण के बारे में जानती थीं।

उत्तरदाता महिलाओं से पूछा गया कि उन्होंने अब तक कितनी आई.एफ.ए. की गोलियां लीं हैं? तो यह ज्ञात हुआ कि 60 महिलाओं ने 1 से 40, 46 ने 41 से 80 के बीच और 15 ने 81 से 100 के बीच गोलियां लीं। सभी तहसीलों में गोलियां लेने का प्रतिशत लगभग समान था। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि आई.एफ.ए. गोलियों का पूरा कोर्स बहुत ही कम महिलाओं ने लिया। यह जानकारी भी ली गई कि यदि आई.एफ.ए. की गोलियां निःशुल्क नहीं होती तो क्या वे इसे पैसा देकर बाजार से खरीदतीं? 200 में से 83 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे ऐसा नहीं करतीं। 17 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे इन गोलियों को बाहर से मंगवाती।

आई.एफ.ए. की गोलियों की उपलब्धता गांवों में नहीं होती। यदि होती है तो भी ये गर्भवती महिलाओं तक पहुंचती हैं या नहीं, और वे उसे लेती हैं या नहीं, यह गंभीर विषय है। अध्ययन से यह तथ्य प्राप्त होता है कि अधिकतर महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। अधिकतर महिलाएं एनीमिक पाई गईं। कुछ महिलाएं कम एनीमिक थीं तो कुछ अधिक।

रक्ताल्पता की समस्या किशोर अवस्था से ही शुरू हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक रीति-रिवाजों के चलते माता-पिता अपनी लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर देते हैं। महिलाओं से बातचीत के दौरान पता चला कि अधिकतर महिलाओं का विवाह 18 से 19 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम पोषक पदार्थ और भोजन दिया जाता है। उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बालिकाओं का शैक्षिक स्तर भी बहुत कम होता है। अतः वह रक्ताल्पता के बारे में नहीं जान पातीं और उसके प्रति गंभीर नहीं होती हैं। ये सभी कारण महिलाओं के बुरे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं। विवाह के बाद जो लड़की पहले से ही कमजोर है और भी ज्यादा कमजोर होती जाती है क्योंकि उसे अच्छी खुराक और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और अधिकांश लड़कियां कम उम्र में ही गर्भवती भी हो जाती है।

महिलाएं ये गोलियां क्यों नहीं लेतीं या कम क्यों लेती हैं? अध्ययन में इससे संबंधित निम्न मुख्य तथ्य सामने आए—

- गर्भवती महिलाओं को लगता था कि आई.एफ.ए. की गोलियां उनके स्वास्थ्य में कोई योगदान नहीं करतीं।
- महिलाएं आई.एफ.ए. की गोलियां गरीबी के कारण खरीदने में असमर्थ थीं।
- महिलाओं को लगता था कि रक्ताल्पता का बचाव आई.एफ.ए. की गोलियों की बजाय लौह युक्त भोजन से किया जा सकता है।
- उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि कितनी गोलियां लेनी है।
- महिलाओं को आई.एफ.ए. की गोलियां लेने पर बुरा प्रभाव पड़ने का भय रहता है।
- गरीबी और अज्ञानता के कारण वे इनके महत्त्व को नहीं समझतीं।
- अपने स्वास्थ्य के संबंध में उचित जानकारी न होना भी रक्ताल्पता का महत्त्वपूर्ण कारक है।
- कई महिलाएं गोलियां लेने पर शारीरिक समस्या महसूस करती थीं जैसे उल्टी, जी मचलना, चक्कर आना आदि।
- महिलाओं को लगता था कि 100 गोलियां बहुत अधिक हैं इसीलिए उन्होंने कम गोलियां लीं।

यह भी देखा गया कि स्वास्थ्य व आई.सी.डी.एस. विभाग लोगों को आई.एफ.ए. की गोलियां भी मुहैया नहीं करवा पाते हैं। गोलियां वितरित करने का प्रबन्ध इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि महिलाओं को हमेशा गोलियां समय पर मिल जाएं। कई बार ए.एन.एम. व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गोलियां वितरण करते समय गर्भवती महिलाओं को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है जिसके कारण महिलाएं उसका सेवन नहीं करतीं। संपूर्ण निदर्शन में से केवल 3 प्रतिशत ही महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने पूरी 100 गोलियों का कोर्स लिया।

निष्कर्ष

संपूर्ण विवरण से स्पष्ट होता है कि गांवों में गर्भवती महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। साक्षात्कार के दौरान पाया गया कि लगभग सभी महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रसित थीं। कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनके बच्चे की जन्म लेते ही मृत्यु हो गई, कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनके बच्चे इतने कमजोर थे कि जन्म के सात दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। गर्भवती महिलाएं भिन्न कारणों से निर्धारित गोलियों का सेवन नहीं करतीं जिससे उनका और उनके शिशुओं पर प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं को इन गोलियों के लाभ के बारे में समझाने और संबंधित समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। तभी वे इसका सेवन करेंगी और उनके तथा बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके लिए हमारे समाज को जागरूक होना होगा। केवल दवाईयां पहुंचाने से ही हमारी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होती। ए.एन.एम., स्वयंसेवी संस्थान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका संदर्भ में महत्वपूर्ण है। वे इन महिलाओं से संपर्क कर गोलियों के सेवन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सकते हैं और उन्हें इनका पूरा कोर्स लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

Reference

- Bansal et al.(2013). Comparative study of prevalence of anemia in muslim and non-muslim pregnant women of western rajasthan, *Journal of Research in Health Sciences* (Supplement), 1 (2).
- Best (1999). Introduction typification and social problem construction in J Rest (Eds.) *Images of Issues*, New York : Aldine de crnyter.
- Lahelma Fero Et al. (2001). The myth of gender difference in Health : Social Syndrome determinations across ages in Britain and Finland, *Current Sociology* 49(3)
- Singhi N.K. (1975). *Women in Society – Issues and problems in Women in Rajasthan* (Eds.) C.K. Dandia, Jaipur: University of Rajasthan.
- Sundari, T.K., Sundran, R. (2000). Engendering health, *Seminar*, 489 .

डॉ. सुनिता बोहरा, व्याख्याता, समाजशास्त्र, महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर
email : sunitammv@gmail.com

किशोरावस्था में विचलित व्यवहार एवं उपचारात्मक प्रयास : सामाजिक परिप्रेक्ष्य

बबीता महावर

सार

प्रत्येक मानव समाज के अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं, जिसकी पालना करना उसके सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। ये ही सामाजिक नियंत्रण के स्रोत हैं जिनसे समाज व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती है। कभी-कभी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उनकी प्राप्ति के लिए वह सामाजिक नियमों के विपरीत व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति के इस व्यवहार को ही विचलित व्यवहार कहा जाता है। वैसे तो किसी भी वय का व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है लेकिन किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता के कारण विचलित व्यवहार की संभावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। बदलती जीवनशैली, एवं भौतिक सुख सुविधाओं के आकर्षण ने किशोरों में बिना श्रम के सब कुछ प्राप्त कर लेने की मानसिकता को बढ़ावा दिया है जिससे उनमें विचलन की प्रवृत्ति को बल मिलता है। परिणामस्वरूप वैयक्तिक विघटन एवं उससे सामाजिक विघटन की समस्याएं बढ़ी हैं। प्रस्तुत लेख इन्हीं सब संभावनाओं और परिस्थितियों के विश्लेषण का प्रयास है।

संकेतशब्द

विचलन, किशोरावस्था, किशोर संवेग, प्राथमिक सामाजिककरण

मानव समाज में कुछ सुव्यवस्थित आदर्श, मूल्य, नियम एवं मानदण्ड होते हैं, जिनके अनुरूप आचरण करने की अपेक्षा समाज अपने सदस्यों से करता है। समाज की सामंजस्यता का यही आधार है। किन्हीं परिस्थितियों में जब मनुष्य सामाजिक आदर्शों के विपरीत व्यवहार करता है, तो सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है और विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। मनुष्य के इन सामाजिक आदर्शों, मूल्यों एवं मानदण्डों के विपरीत आचरण को विचलित व्यवहार के नाम से परिभाषित किया जाता है। अवधारणात्मक दृष्टि से विचलित व्यवहार का अर्थ उन व्यवहारों से जुड़ा हुआ है, जो बहुमत लोगों द्वारा स्वीकृत आचरण के विरुद्ध हैं। इसीलिए जब हम विचलन की चर्चा करते हैं, तो हमारा अभिप्राय उन मानकों और स्वीकृत आचरणों के विरोधी आचरण से होता है, जिसे सामान्यतः समाज के सदस्य अपने आचरण के लिए स्वीकार करते हैं। यहां यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि विचलन और अपचार एक जैसे व्यवहार नहीं हैं, पर विचलन अपचार की प्रवृत्ति को जाग्रत अवश्य कर सकता है। स्वभावतः हम उन्हीं व्यवहारों की स्वीकृति के अनुसार आचरण करते हैं, जो स्वीकृत हैं।

वर्तमान में किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता के कारण किशोरों में बढ़ती विचलित व्यवहार की प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। किशोरावस्था में विचलित व्यवहार की समस्या पर विस्तृत चर्चा से पूर्व यहां किशोर एवं किशोरावस्था को समझना आवश्यक है। वैधानिक दृष्टिकोण में आयु को आधार मानकर किशोर को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 किशोर को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था एवं वयस्कावस्था के बीच की स्थिति (लगभग 13 से 18 वर्ष की आयु) किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में संवेगात्मक उथल-पुथल

अपने चरम पर होती है और किशोरों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए स्टेनले हॉल (2013) ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था और किर्कपैट्रिक (2013) ने इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा।

विचलन की समस्या के कारण किशोर न केवल अपचार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, बल्कि साधारण से लेकर गंभीर अपचारों को भी अंजाम दे रहे हैं। विगत एक दशक में किशोरों द्वारा किए गए अपचारों की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2014 की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि भारत में वर्ष, 2004 में हुए कुल अपराधों में से किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध एक प्रतिशत (19229) थे, जो वर्ष, 2014 में बढ़कर 1.2 प्रतिशत (33526) हो गए। आयु वर्ग के आधार पर देखें तो हम पाते हैं कि वर्ष, 2014 में किशोरों द्वारा कुल 48,230 अपचार किए गए, जिनमें से सर्वाधिक 36,138 अपचार 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों द्वारा किए गए। ये अपचार वर्ष 2013 (28830) की तुलना में 25.3 प्रतिशत अधिक थे। वर्तमान में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपचारों में वृद्धि गंभीर विषय है।

राजस्थान में किशोरों में विचलन के कारण बढ़ रही अपचारी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें और क्राइम इन राजस्थान की रिपोर्ट (2014) में किशोर अपचार की घटनाओं पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि यहां भी किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपचारों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य में वर्ष 2014 में आई.पी.सी. के तहत किशोर अपचार के कुल 2,174 प्रकरण दर्ज किए गए जोकि वर्ष 2013 की तुलना में 3.33 प्रतिशत (2,104) अधिक थे। भारतीय दंड संहिता एवं एस.एल.एल. अपचारों के तहत वर्ष 2014 में पकड़े गये सर्वाधिक 72 प्रतिशत किशोर-किशोरियां 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के थे। राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 16 वर्ष के किशोर-किशोरियों द्वारा 784 व 16 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों द्वारा 2051 अपचार किए गए।

किशोरों में विचलित व्यवहार का प्रारम्भ परिजनों की बातों की अवहेलना, उनके विचारों का विरोध, आवेग, क्रोध, असुरक्षा की भावना, भय, आत्मनियंत्रण की कमी एवं भावनात्मक रूप से अन्तर्द्वन्द्व से होता है। वे अपने मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करते हैं और यहीं से वे धीरे-धीरे समाज के मानक एवं मूल्यों के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं। क्लीनार्ड (2009) ने इस प्रकार के व्यवहार को वैयक्तिक विचलन के सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया। कोहेन (1955) ने वैयक्तिक विचलन में दो कारकों को महत्वपूर्ण माना— प्रथम, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन की असमर्थता एवं द्वितीय, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के पालन की असफलता। दोनों ही स्थितियों में किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और वे विचलन की ओर प्रवृत्त होते हैं।

किशोरावस्था में सामाजीकरण एवं विचलित व्यवहार से उत्पन्न अपचारी प्रवृत्तियां

किशोरों के व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजीकरण सामाजिक सीख की प्रक्रिया है, जिसके तहत व्यक्ति समाज की व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है और सामाजिक प्राणी बनता है। सामाजीकरण की प्रक्रिया एक विशेष संस्कृति के अन्तर्गत व्यक्ति में संतुलित प्रेरणाओं का विकास कर उसे समाज के अनुरूप बनने की कुशलता प्रदान करती है। इसके विपरीत, व्यवस्थाओं के अनुरूप व्यवहार न सीख पाने की स्थिति में कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। कुसमायोजन की यह समस्या संभवतः किशोरों में विचलित व्यवहार को प्रोत्साहित करने लगती है, जिससे समाज में अव्यवस्था, असमंजस एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दुर्खाइम (1966) इस स्थिति को 'मानकहीनता' कहते हैं। उनका मानना है कि मानकहीनता समाज की वह अवस्था है, जिसमें मानकों की समझ के अभाव में अथवा मानकों की संरचना समझ में न आ पाने के कारण व्यक्ति आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मानकहीनता की स्थिति किशोरों की उस समझ को नष्ट करती है, जिसके आधार पर मानकों का काम करना संभव है। यदि

किशोरों का उचित सामाजिककरण न हो, तो मानकहीनता उन्हें आत्महत्या के लिए भी प्रेरित कर सकती है। मर्टन (1957) ने विचलित व्यवहार की समाजशास्त्रीय व्याख्या करने के लिए दुर्खाइम की मानकहीनता की अवधारणा का प्रयोग किया और सामाजिक विचलन का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

हरलॉक (1978) का कहना कि किशोरों को यह जानकारी होती है कि समाज के अन्य सदस्यों की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, इसके बावजूद वे उनकी अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं। अवज्ञा करना, तोड़फोड़ करना, झगड़ा करना व दूसरों को सताकर स्वयं गलत होते हुए भी व्यक्तिगत आनन्द प्राप्त करना उनके विचलित व्यवहार व उसके परिणामस्वरूप की जाने वाली अपचारी प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति एवं किशोरों के विचलित व्यवहार को फ्रायड (1962) ने इड, अहं एवं पराअहं के द्वारा समझाने का प्रयास किया। उनके अनुसार किशोरों में इड, अहं और पराअहं में समुचित संतुलन का अभाव होता है। किशोर अहं के कारण अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, परिणामस्वरूप शासन विरोधी, नियम-कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अविश्वासी बन जाते हैं, और अपचार की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं।

किशोरों को अपचार की ओर प्रेरित करने वाले कारक

इन अवधारणात्मक दृष्टिकोणों को जानने के बाद यह जाना जाए कि किशोरावस्था में विचलन और अपचारात्मक आधारों के उत्पन्न होने के कारण क्या है? राजस्थान के जयपुर नगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवासरत 50 किशोरों पर किए गए अध्ययन में जो तथ्य उभरकर आए उन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

परिवार में रहकर बालक खाना-पीना, रहना, बोलना व अन्य सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। समाज में प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथाओं, परम्पराओं एवं आदर्शों का ज्ञान भी परिवार से ही प्रारम्भ होता है। जहां संगठित परिवार किशोरों में सामाजिक गुणों का विकास करता है, वहीं भग्न परिवार

किशोरों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और यहीं से उनमें समाज-विरोधी मनोवृत्तियां पनपने लगती हैं। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार की तुलना में एकाकी परिवार के किशोरों में विचलित व्यवहार की प्रवृत्ति अधिक होती है।

परिवार का वातावरण भी किशोरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे कलहपूर्ण वातावरण, परिवार के सदस्यों का उपेक्षित, क्रोधपूर्ण अथवा हिंसापूर्ण व्यवहार किशोरों को अपचार की ओर प्रेरित करता है। किशोरों पर किए गए अध्ययन के दौरान उनसे प्राप्त तथ्यों को सारणी 2 के माध्यम से दर्शाया गया है।

सारणी को देखने से स्पष्ट है कि किशोरों के अपचारी व्यवहार में पारिवारिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण एवं परिवार के सदस्यों द्वारा किशोरों के प्रति

सारणी 1

उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि

परिवार का स्वरूप	प्रतिशत (N=50)	भग्न परिवार के कारण	प्रतिशत (N=8)
एकाकी	60.0	माता अथवा पिता अथवा दोनों की मृत्यु	25.0
संयुक्त	24.0	तलाक	12.5
भग्न परिवार	16.0	अन्य कारण	62.5
योग	100.0	योग	100.0

क्रोधपूर्ण, उपेक्षित, हिंसक और नकारात्मक व्यवहार ने 50 प्रतिशत किशोरों को अपचार की ओर प्रेरित किया है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

किशोरों के आर्थिक परिवेश का भी उनके विचलित व्यवहार एवं अपचारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध है। प्राप्त तथ्यों

से स्पष्ट होता है कि अधिकांश किशोर (70 प्रतिशत) उन परिवारों से है जिनमें केवल माता या माता-पिता दोनों कार्य करते हैं। माता के कार्य करने से वह बच्चों का गतिविधियों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती और वे विचलित व्यवहार की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सामान्यतः परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण किशोर अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते और इन्हें पूरा करने के लिए अपचार की राह अपनाते हैं। लेकिन कभी-कभी परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने और अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बावजूद भी कुछ किशोर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपचार करते हैं। ऐसी परिस्थितियां अध्ययन के दौरान किशोर गृह में आवासरत किशोरों के साथ देखने को मिलीं।

88 प्रतिशत किशोरों के परिवार की मासिक आय 3,000 रु. से अधिक व लगभग 30,000 रु. तक थीं। 60 प्रतिशत किशोरों ने यह भी स्वीकार किया कि उनके माता-पिता उनकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थे। इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपचार किए गए। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि संभवतः निर्धनता अथवा पारिवारिक मजबूरी ही किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपचार के कारक नहीं हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा से ही व्यक्ति के विवेक का विकास होता है और उनमें सही व गलत में फर्क करने की समझ विकसित होती है। किशोरों

के शैक्षणिक परिवेश ने उनके व्यवहार को किस प्रकार विचलन की ओर उन्मुख किया, यह समझने के उद्देश्य से शिक्षा

का स्तर,

अध्यापकों का व्यवहार, पढ़ाई बीच में छोड़ना, विद्यालय से भागना आदि के बारे में उनके साथ चर्चा की गई।

सारणी 2

पारिवारिक वातावरण और सदस्यों का व्यवहार (N=50)

वातावरण	प्रतिशत	सदस्यों का व्यवहार	प्रतिशत
सहयोगपूर्ण	02.0	स्नेहपूर्ण	22.0
शांतिपूर्ण	60.0	क्रोधपूर्ण	30.0
कलह एवं तनावपूर्ण	26.0	उपेक्षित	10.0
हिंसापूर्ण	02.0	हिंसापूर्ण	10.0
उत्तर नहीं	10.0	सामान्य	28.0
योग	100.0	योग	100.0

सारणी 3

परिवार में कार्यरत सदस्य एवं किशोरों की आवश्यकताओं पूर्ति (N=50)

सदस्य	प्रतिशत	आवश्यकता पूर्ति	प्रतिशत
केवल पिता	04.0	केवल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति	40.0
केवल माता	50.0	सभी वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति	60.0
माता-पिता दोनों	26.0		
परिवार के सभी सदस्य	20.0		
योग	100.0	योग	100.0

सारणी 4 से स्पष्ट है कि शिक्षा की बालकों के अपचारी न होने में विशेष भूमिका नहीं है। 64 प्रतिशत अपचारी बालक मिडिल से हायर सैकेण्डरी तक शिक्षित हैं। इनमें से 44 प्रतिशत किशोरों ने फेल होने, पढ़ाई में अरुचि होने व काम करने के कारण पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़ दी।

किशोरों में विद्यालय से भागने के संबंध में बात करने करने पर पता चला कि 40 प्रतिशत किशोर विद्यालय में अनुशासन की कमी, अध्यापकों के दुर्व्यवहार अथवा मौज-मस्ती करने के उद्देश्य से स्वयं अथवा भाई-बहिन के संग या मित्रों के संग भागते थे। मित्रों के संग भागने वाले किशोरों ने बताया कि उन्हें शराब पीने, नशा करने, घूमने, बार में जाने, फिल्में देखने के शौक संगी-साथियों के साथ ही लगे। यही कारण है कि आर्थिक रूप से परिवार के सम्पन्न होने व उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद भी किशोरों ने अनैतिक आवश्यकताओं एवं बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को अपने तरीके से पूरा करने के लिए प्रारम्भ में छोटे-छोटे व बाद में संगीन अपचार किए। इस प्रकार वे सामान्य अपचारी से आदतन अपचारी बन गए।

मित्र मंडली का प्रभाव

किशोरावस्था में मित्रों, संगी-साथियों का किशोरों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। यदि मित्र अच्छे व सकारात्मक विचारों का आदान-प्रदान करने वाले होते हैं, तो किशोर उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इसके विपरीत परिस्थिति होने पर किशोर विचलन की राह भी आसानी से पकड़ लेते हैं। इन परिस्थितियों में किशोर घर अथवा विद्यालय से दूर रहना, मित्रों व संगी-साथियों से घूमना-फिरना एवं मौज-मस्ती करना पसंद करते हैं। सदरलैण्ड (1965) ने इस संदर्भ में कहा है कि मित्र अच्छी एवं बुरी दोनों प्रवृत्तियों के हो सकते हैं, परन्तु किशोर पर सर्वाधिक प्रभाव उनका पड़ेगा, जिनके साथ वह अधिक घुल-मिल कर रहेगा।

दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, सिनेमा देखने, मादक द्रव्यों का सेवन करने जैसी अनुचित व अनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किशोरों ने प्रारम्भ में छोटे-छोटे अपचार किये, जिससे कम समय में, बिना मेहनत किये अधिक पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा को बल मिला। किशोरों द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके बाद वे चोरी करने, अपहरण, हत्या, डकैती एवं मादक द्रव्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने जैसे संगीन अपचारों को बिना किसी भय के अंजाम देने लगे। इन गंभीर अपचारों को करने के बावजूद भी किशोरों में आत्मग्लानि अथवा पश्चाताप की भावना नहीं थी, अपितु अधिक पैसा कमाने और भौतिक सुख-सुविधाओं का उपभोग करने की प्रबल मानसिकता ने उन्हें इन असामाजिक कृत्यों को पुनः करने की ओर प्रेरित किया।

तीव्र गति से बदलते सामाजिक परिवेश एवं भौतिकवादी संस्कृति ने किशोरों की मानसिकता को भी प्रभावित किया है। परिवार द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद किशोरों की इच्छानुसार भौतिक सुख-सुविधाओं की पूर्ति नहीं करने पर आवेग में आकर वे सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के विपरीत कार्य करने लगते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान में उच्च वर्ग के परिवारों के किशोरों में विचलन की प्रवृत्ति तेजी से विकसित हो रही है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में संभवतः कहीं न कहीं भौतिकवादी संस्कृति, आधुनिक जीवनशैली और दिन-प्रतिदिन तेजी से विकसित होती अत्याधुनिक तकनीकें भी उत्तरदायी हैं।

इन सब कारणों में से दो परिस्थितियों को वैयक्तिक अध्ययनों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत दो वैयक्तिक अध्ययन मात्र वे उदाहरण हैं जो किशोरावस्था के विचलन की ओर संकेत करते हैं। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं परन्तु लेख अपचार गृह के निवासियों तक सीमित है, उन्हीं की कथा इस लेख के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हैं।

वैयक्तिक अध्ययन – 1

सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवासरत 14 वर्षीय किशोर रोहित (परिवर्तित नाम) लोगों के मोबाइल चुराने में माहिर था। यह कार्य वह किसी मजबूरीवश नहीं अपितु नये-नये मंहगे मोबाइल रखने के शौक को पूरा करने के लिए करता था। माता-पिता द्वारा इस शौक को पूरा नहीं करने की स्थिति में अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं कर पाने के परिणामस्वरूप उसने विचलन (अपचार) की आसान राह को अपनाया। इससे उसने अपने शौक को तो पूरा कर लिया, परन्तु दिशाहीन होकर समाज के मूल्यों एवं मानदण्डों के उल्लंघन ने उसे अपचारी की श्रेणी खड़ा कर दिया।

वैयक्तिक अध्ययन – 2

सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में आवासरत 17 वर्षीय किशोर राहुल (परिवर्तित नाम) सम्पन्न परिवार से था। परिवार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उसे अच्छे संस्थान में दाखिला दिलवाया और अच्छे किराए के घर में उसके रहने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दीं। घर पर उसके एक मित्र ने आना-जाना प्रारम्भ किया, जो कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था। अपने इस कार्य के बारे में उसने राहुल को बताया कि उसे चोरी की गई मोटरसाइकिल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, जिसके लिए उसे बिना किसी मेहनत के बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस प्रकार उसे कम मेहनत में अधिक पैसे कमाने का प्रलोभन देकर आकर्षित करने का प्रयास किया। उसकी बातों में आकर राहुल ने उसका साथ दिया। गलत कार्य करने का अनुभव न होने के परिणामस्वरूप चोरी की मोटर साइकिल के साथ पुलिस द्वारा पकड़ा गया और सम्प्रेक्षण गृह में पहुंच गया। उसे बरगलाने वाला उसका मित्र लगातार स्वतंत्र रूप से यह कार्य कर रहा है।

ये वैयक्तिक अध्ययन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि घर से उच्च अध्ययन के लिए महानगरों में आने वाले किशोर सीधे एवं सरल स्वभाव के होते हैं, परन्तु धीरे-धीरे अपने साथ के कुछ मित्रों की गलत प्रवृत्तियों में सम्मिलित होकर पथभ्रमित हो जाते हैं। गलत प्रवृत्तियों वाले मित्र किशोरों से सम्पर्क बढ़ाते हैं, उनकी क्षमताओं, कमजोरियों और भावनाओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं, उनको मौज-मस्ती करने के नये-नये तरीके बताकर एवं उनसे मिलने वाले आनन्द के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बातें करके इस ओर आकर्षित करने के प्रयास करते हैं। धीरे-धीरे उन्हें मादक द्रव्यों के सेवन, मांसाहार, जुआ खेलने व शर्त लगाने जैसी गतिविधियों का आदी बनाते हैं। जब किशोर पूर्ण रूप से इन गतिविधियों लिप्त हो जाते हैं, तो इनके व्यवहार को अपने अनुसार नियंत्रित कर इन्हें गंभीर अपचारों की ओर धकेल देते हैं।

निष्कर्ष

तीव्र गति से बदलते सामाजिक परिवेश ने किशोरों के सामाजिक एवं मानसिक विकास को भी प्रभावित किया है। आधुनिक तकनीकों के विकास ने समय एवं आयु से पूर्व ही किशोरों को मानसिक रूप से परिपक्व बना दिया है। ऐसी मानसिक परिपक्वता कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किशोरों में बढ़ते विचलित व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। परिवार का वातावरण, सदस्यों का किशोरों के प्रति व्यवहार, विद्यालय में पर्याप्त अनुशासन न होना, मित्रों की संगत का प्रभाव आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जो किशोरों को विचलित व्यवहार की ओर धकेलते हैं। किशोरों को पथ-भ्रमित होने से बचाने के अभिभावकों, परिवार, विद्यालय की सकारात्मक भूमिका एवं सुदृढ़ सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की आवश्यकता है।

References

- Clinard, M.B., Robert, F.M. (2015). *Sociology of Deviant Behaviour*; Boston: Sengaje learning.
- Cohen, Albert, K. (1955). *Delinquent Boys: The Culture of Gang*, New York: Free Press.
- Durkheim, Emile. (1966). *Sucide*, New York: Free Press.
- Freud, Sigmund. (1962). *The Ego and the Id*, New York: Norton.
- Hurlock, E.B. (1978). *Child Development*, New York: Mcgraw Hill.
- Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press.
- पाठक, पी.डी.(2013). *शिक्षा-मनोविज्ञान*, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
- Sutherland, E. H. and Cressey, D. R. (1965). *Principles of Criminology*, Boston: Little Field.

डॉ. बबीता महावर, पोस्ट डॉक्टरल फैलो, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

babita.mahawar@gmail.com

महिला सशक्तीकरण में जनसंचार की भूमिका

पूनम जोशी

सार

महिला सशक्तीकरण के प्रश्न विश्वव्यापी प्रश्न हैं। समाजशास्त्रीय तथ्य यही है कि विभिन्न समाजों में महिला का स्थान सामाजिक व्यवस्था में निम्न ही है। निम्नता के प्रतिमानों को समाप्त करने एवं वंचित अधिकारों को स्थापित करने के संकल्प तथा महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान स्थान और दृष्टि प्रदान करने के प्रयासों को 'सशक्तीकरण' की अवधारणा से संबोधित किया गया है। विश्वव्यापी स्तर पर सशक्तीकरण के इन प्रयासों के लिए कई वाहक प्रयत्नशील हैं। सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाएं, महिला संगठन सशक्तीकरण आदि के प्रयासों में रत हैं। मीडिया उनमें से एक है। प्रस्तुत लेख में महिला सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

संकेतशब्द

सशक्तीकरण, भूमिका, जनसंचार, सामाजिक – आर्थिक क्षेत्र

सशक्तीकरण की विचारणा की शुरुआत सन् 1980 के दशक में दोहरे उद्देश्य को लेकर हुई थी। सन् 1990 के आसपास विकास की कुछ मुख्यधारा संस्थाओं ने इस अवधारणा को विकास के एक वैकल्पिक उपागम के रूप में स्वीकारा था। विकासात्मक और महिलाओं के जीवन में सुधार में रुचि रखने वाले विद्वानों ने इसका प्रयोग लिंग भेद के रूप में किया था। प्रारंभ में (1970 के दशक में) विकास कार्यों के साथ स्त्रियों को जोड़ने और बाद में (1980 के दशक में) लिंग और लैंगिक संबंधों के अध्ययनों में इसका प्रयोग किया गया। कुछ आंदोलनकारी, विद्वानों और सिद्धान्तकारों का मत था कि महिलाओं का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें पितृतंत्र से छुटकारा नहीं मिलता तथा वैश्विक असमानता को चुनौती देने हेतु उन्हें सक्षम और सबल नहीं बनाया जाता। सशक्तीकरण एक ऐसा विकासात्मक मुद्दा है जो स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मोटे रूप में, यह हाशिये के समूहों (विशेष कर दलितों और महिलाओं से जुड़े) से संबंधित एक मुद्दा है। यह उनके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और शक्ति की अनुभूति तथा विस्तृत संदर्भ में स्व और दूसरों से सम्मान प्राप्ति के अधिकार के लिए सक्षम मानने के भाव का मुद्दा है।

किसी भी देश की आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखकर यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अमुक देश में नारी की स्थिति, सम्मान और समाज में उसकी क्या भूमिका है। इस संदर्भ में राधाकृष्णन (2008) लिखते हैं "किसी भी देश की महिलाओं की वास्तविक स्थिति का अनुमान उस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। व्यक्ति उत्तरदायी है कि उसने नारी के लिए बहुत से विचारों को गढ़ा जो उसके सौंदर्य व अस्मिता को बताते हैं, वहीं वह पुरुष से निम्न भी है।"

विभिन्न कालखण्डों में नारी की स्थिति कमोबेश बहुत कुछ निम्न रही है। आदिम युगीन समाज में सामुदायिक जीवन में स्त्री-पुरुष एक साथ एक स्थान पर समूह में निवास करते थे। नारी यहां भी एक वस्तु थी। एक स्त्री सभी भाईयों की पत्नी होती थी। खेतीहर समाज आते-आते मनुष्य भूमि का स्वामी बन गया और नारी उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति। आर्यों के युग में कहा जाता है कि स्त्रियां स्वतंत्र थीं, प्रतिभा सम्पन्न थीं। ऋषिकाण्ड कर्मप्रधान सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास करती थीं। इस

युग विशेष में स्त्री और पुरुष के मध्य कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खिंची दिखाई पड़ती है क्योंकि स्त्री और पुरुष के संबंध समानता और सौहार्द पर आधारित थे। उत्तर वैदिक काल में नारी का पराभव हुआ है। इस काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। इस युग की विशेष बात यह भी थी कि राज-काज के कार्यों में स्त्री भी सहभागी होती थी परन्तु मनुस्मृति युग तक आते-आते व्यक्ति पर कर्मकाण्ड का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। पितृ सत्तात्मक परिवार की स्थापना के साथ नारी पुरुष के अधीन हो गई और नारी के आर्थिक-सामाजिक अधिकार शून्य होते गए। उसकी स्वतंत्रता व समानता विलुप्त होती गई। लड़की का जन्म दुःख का कारण था। उत्तर वैदिककाल तक आते-आते समाज पुरुष प्रधान बन गया। स्त्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका नारी होना था जिसे परिवार व समाज में दोगम दर्जे का माना जाता था। धर्म के विभिन्न ग्रन्थों में नारी बंधनों से शनैः शनैः ऐसी जकड़ दी गई कि वह परिवार की सीमाओं में बंधकर रह गई। अपने को मुक्त करने की सदियों की छटपटाहट उसमें करवट ले रही थी। खेतीहर समाज से निकलकर जब मनुष्य औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर हुआ तो भारतीय समाज का बुनियादी ढांचा भी बदलने लगा। यह विकास का वह संधिकाल है, जहां से प्रगति की रेखाएं खिंचने लगीं हैं।

विकास, प्रगति एवं वृद्धि से किसी देश की आर्थिक-सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है। आर्थिक-सामाजिक विकास और प्रगति को लोकतंत्रीय राजनीतिक मॉडल से निर्मित किया गया। यह गहराई से महसूस किया जा रहा है कि देश की आधी आबादी का यदि समुचित विकास नहीं हुआ तो प्रगति नहीं हो सकती। स्त्री-पुरुष के विकास के कार्यों में सहभागिता ही देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। इस दृष्टि से स्त्री और पुरुष के मध्य शक्ति का संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है स्त्री को प्रत्येक दृष्टि से योग्य, सक्षम, शिक्षित व प्रगतिशील बनाया जाए।

देवपुरा (2008) महिला सशक्तीकरण के लिए लिखते हैं कि “महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनीतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित साधनों को उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। सशक्तीकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक है।”

भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण से अभिप्राय नर-नारी समता से है। समता के अनेक पक्ष हैं – जिसे व्यवहार स्वरूप स्थापित करना बहुत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि नारी विभेद जीवन के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। शिक्षा का भेदभाव, सम्पत्ति का भेदभाव, व्यवसाय का भेदभाव, कामकाज का शोषण और पारिवारिक अधिकारों के भेदभाव आदि सभी प्रश्न समता के प्रश्नों के साथ जुड़े हुए हैं। लड़की का होना अपशुन माना जाता है। इसके एवं नारी की निम्न स्थिति के कारण नारी भ्रूण हत्या का भी प्रचलन समाज में है। यह आश्चर्य का विषय है कि शिक्षित घरों में भी इस प्रकार का भेदभाव मौजूद है। इसी कारण विश्वव्यापी स्तर पर सशक्तीकरण के प्रश्न उठे हैं।

यदि विस्तृत संदर्भों में देखें तो नारीवादी गरीबीकरण के संदर्भ भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न शोषण का भी है। दुनिया के बहुत से देशों में घरेलू हिंसा का स्वरूप व्यापक है। इन्हीं सब कारकों से वैश्विक नारी आन्दोलन भी पनपा है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो महिला के सशक्तीकरण के साथ जुड़े गए हैं जैसे स्त्री के प्रति हिंसा पर रोक, गरीबी से मुक्ति, पारिवारिक और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी, स्त्री और पुरुष के रूढ़िवादी सम्बन्धों में परिवर्तन आदि।

किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में महिला व पुरुष दोनों की परस्पर सहभागिता एवं साझेदारी अत्यन्त आवश्यक है। स्वाधीनता के पश्चात् महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भारत में

अनेक प्रयास किए गए। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर धरातल पर रखा गया। भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण एवं उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। यह आयोग महिलाओं की सुरक्षा व प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान एवं योजना आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्रचना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसहभागिता पर बल दिया। इसका सीधा तात्पर्य था कि संचार माध्यमों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई।

जन संचार एवं महिला सशक्तीकरण

संचार या सम्प्रेषण का अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों या किसी सूचना का प्रेषण। जब एक ही स्थान से बहुत से लोगों को एक साथ सम्बोधित किया जाए तो उसे जनसंचार कहा जाता है। आधुनिक युग में यांत्रिक साधनों के द्वारा अब यह संभव हो सका है कि एक साथ यांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से बहुत से लोगों को एक साथ सम्बोधित किया जाए। संचार व्यवस्था के दो मूल होते हैं— एक जो प्रेषण करता है और दूसरा जो उसे प्राप्त करता है। यह आवश्यक नहीं कि दोनों स्रोतों के बीच कोई संवाद हो और यह भी संभव है कि प्रेषक और प्रेषित के बीच आमने-सामने का संबंध हो। इस प्रकार की संचार व्यवस्था के लिए जो साधन प्रयुक्त किये जाते हैं उन्हें मीडिया कहा जाता है। मेक्लूहान (1964) मीडिया की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि “जनसंचार का अर्थ मध्यस्थता करने वाला होता है जो दो बिन्दुओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। व्यावहारिक दृष्टि से जनसंचार एक ऐसा सेतु है जो विभिन्न समूह के श्रोताओं को एक विचारधारा में जोड़ता है।” जन संचार पद्य भी हो सकते हैं, श्रव्य भी और दृश्य भी। समाचार-पत्र, पत्रिकाएं पद्य साधन है। सिनेमा, टेलीविजन दृश्य तथा रेडियो श्रव्य साधन। आज की सोशल जनसंचार सम्मिलित साधन है। यह द्रुत भी है और संवादों को तेजी से फैलाने में नया साधन है। इस साधन में प्रतिक्रिया बहुत तेजी से दी जा सकती है।

इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है कि समाज के विभिन्न सन्दर्भों में जनसंचार की क्या भूमिका हो सकती है। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की दुनिया में सूचनाओं का अपना महत्व है। यूनेस्को की अपनी रिपोर्ट *Many Voices One World* (1956) में उन भूमिकाओं की चर्चा की गई है जो आज की दुनिया में सामान्य जीवन में बहुत काम आती हैं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि आखिर इस सूचना समाज में सूचना के इस आदान-प्रदान की आवश्यकता क्या है? निश्चित ही इस सूचना-संचरण के कई अर्थ हैं। ज्ञान की प्राप्ति, सामाजिक दशाओं का परिचय, सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में सूचनाओं का प्रवाह, समस्याओं पर बहस, सूचनाओं का बाधा रहित प्रवाह आदि। सूचना के ये प्रवाह विभिन्न राष्ट्रों और विभिन्न समाजों में एक दूसरे के बीच संभव है। इसलिए आज विश्व के विभिन्न समाजों के बीच संपर्क स्थापित करना आसान हो गया है।

संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी भावना एवं संवेग को अन्य व्यक्ति या समूह तक एक ऐसी सक्षमता से पहुंचाए ताकि वे उसे समझें, ग्रहण करें या अपनी प्रतिक्रिया दें।

दुबे (1986) लिखते हैं कि “मनुष्य जैवकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहारों तथा प्रकारों को आत्मसात कर लेता है।”

आधुनिक भारत में भूमण्डलीकरण, उदारवादी नीतियों और बाजारवाद के कारण उपभोक्ता समाज में जनसंचार की बहुत बड़ी भूमिका है। उसने जमीनी सोच व मानसिकता में परिवर्तन किया है। औद्योगिक और तकनीकी तंत्र के साथ विज्ञान ने सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को नया स्वरूप प्रदान किया। मूर (1965) ने जनसंचार को सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण के रूप में देखा है। समाज में जनसंचार जो परिवर्तन ला रहा है, वह हमारे परिवार, सामाजिक संबंधों और राष्ट्र के प्रति सोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज जनसंचार के ये सभी साधन मानव के जीवन के प्रमुख अंग बन गये हैं

तथा घर-घर में प्रवेश कर गए हैं। जनसंचार के इन साधनों में से जिसका प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगत होता है वह है टेलीविजन एवं इंटरनेट। टेलीविजन अपने श्रव्य-दृश्य गुणवत्ता एवं सुलभ उपलब्धता के कारण आज सभी वर्ग के घरों में उपलब्ध है एवं इस माध्यम की सबसे बड़े दर्शकों में महिलाएं आती हैं। वर्तमान में मीडिया ने स्त्री को भरपूर आत्मविश्वास और उड़ान दी। जनसंचार ने एक मुक्त और खुले समाज की स्थापना की। जनसंचार ने महिलाओं की विविध भूमिकाओं पर नजर डाली उनकी भूमिकाओं की कई छवियां हमारे सामने रखती है जैसे घरेलू महिला, उच्च वर्गीय सम्भ्रांत महिला आदि। परन्तु वर्तमान में जो कार्यक्रम और व्यवसायिक विज्ञापन (कामर्शियल एड) प्रसारित किए जा रहे हैं वे महिलाओं की एक नवीन छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं जो महिला सशक्तीकरण को प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों व व्यवसायिक विज्ञापन (कामर्शियल एड) की चर्चा यहां उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा रही है।

टेलीविजन के चैनल स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम 'मेरी तमन्ना' में एक महिला किरदार के महिला क्रिकेटर बनने की प्रेरणादायक कहानी है जहां वो स्त्री समाज के सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए एक महिला क्रिकेटर बनी। वहीं एक और कार्यक्रम 'दीया और बाती' जिसमें एक लड़की शादी के बाद परिवार की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आई.पी.एस. ऑफिसर बनी। एक और चैनल 'कलर्स' में प्रसारित कार्यक्रम 'बालिका वधू जिसमें बालविवाह जैसी कुरीति का दंश झेलने वाली लड़की समाज की सभी कठिनाईयों से लड़ते हुए स्वयं को इतना सक्षम व सुदृढ़ बनाती है कि वो अपने साथ हुए इस अन्याय से सीख लेकर अन्य लड़कियों के साथ होने वाले इस अन्याय को रोकती है। इसी प्रकार 'जी' चैनल में प्रसारित कार्यक्रम 'डोली अरमानों की' कार्यक्रम में एक स्त्री घरेलू हिंसा जैसे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है और अंत में वह एक बहुत बड़ी कम्पनी की मालकिन बनती है। इन कार्यक्रमों के अलावा अनेक व्यवसायिक विज्ञापन भी महिला सशक्तीकरण के संदेशों को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं जैसे 'फेयर एण्ड लवली' एक सौंदर्य प्रसाधन के विज्ञापन में लड़की अपने पिता से आत्मनिर्भर होने के पश्चात् विवाह करने का अपना निर्णय बताती है। उसी तरह टाटा शक्ति चाय के विज्ञापन में विवाह के बाद अपने करियर की शुरुआत का संदेश है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के विज्ञापन का संदेश जिसमें महिला शिक्षा व कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का संदेश है। इसी प्रकार अपनी गरिमा की रक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान में 'जहां सोच वहां शौचालय' का विज्ञापन जो कि स्वच्छता के साथ-साथ महिला को अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। शादी डॉट कॉम, जीवन साथी डॉट कॉम जैसे विज्ञापनों में लड़की के द्वारा देखे जाने वाले लड़के से विवाह के पश्चात् भी अपने पैरों पर खड़े रहने का निर्णय बताना इत्यादि अनेकों ऐसे अनेकों कार्यक्रम व व्यवसायिक विज्ञापन हैं जो कि महिलाओं को अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने, समाज की कुरीतियों से लड़ने, आर्थिक रूप से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने एवं घर के साथ-साथ बाहरी समाज में भी अर्थात् सामाजिक के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक जगत में भी अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसे अबला से सबला बनने के लिए आगे बढ़ाते हैं।

महिला सशक्तीकरण में जनसंचार का योगदान

महिला सशक्तीकरण की अवधारणा व्यापक तथा विशाल है इसके कुछ महत्वपूर्ण आयाम इस प्रकार से हैं जैसे महिलाओं में आत्म सम्मान व आत्मविश्वास विकसित करना, महिलाओं की सकारात्मक छवि का निर्माण, निर्णय लेने की क्षमता का पोषण व उसे उन्नत करना, विकास की प्रक्रिया में समान भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक स्वतंत्रता हेतु सूचना, ज्ञान व कुशलता उपलब्ध कराना। महिलाओं के कानूनी ज्ञान का विकास तथा स्वयं के अधिकारों संबंधी सूचनाओं तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से उनकी सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रयास करना।

आज जनसंचार के सभी स्रोत व साधन घर-घर में प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान में मीडिया के इन साधनों पर प्रचारित-प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में महिला सशक्तीकरण के उपर्युक्त आयामों को प्रकट किया जा रहा है जो कि महिलाओं को ना केवल जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनकी जीवनशैली बदलने में अपना अनूठा योगदान दे रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया कि क्या वास्तव में जनसंचार महिला सशक्तीकरण में अपना योगदान प्रदान कर रही है।

जनसंचार महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है। यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण राजस्थान के जयपुर नगर में किया गया। सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय दोनों स्तरों पर महिला सशक्तीकरण में जनसंचार की भूमिका को आकलन करना था। अतः जयपुर नगर से 150 महिला उत्तरदाताओं को तथा जयपुर के आस-पास के चार गांवों से 150 महिला उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इस प्रकार 300 उत्तरदाताओं से तथ्य संकलित किए गए। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के आधार पर चयनित ये उत्तरदाता हायर सैकण्डरी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्राप्त थे और इनमें गृहिणियां तथा कार्यशील सभी प्रकार की महिलाएं सम्मिलित थीं।

महिला शिक्षा संबंधी संदेशों के माध्यम से जनसंचार का योगदान

व्यक्ति के जीवन में शिक्षा नींव का कार्य करती है जिस पर संपूर्ण व्यक्तित्व खड़ा होता है। कहा जाता है कि पुरुष की शिक्षा स्वयं के लिए होती है वहीं जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने पूरे परिवार व आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करती है। महिला के सशक्तीकरण में शिक्षा की अपनी अहम भूमिका रही है। सर्वेक्षण में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या महिलाओं के शिक्षा संबंधी मुद्दों को जनसंचार ने उभारा है?

सारणी 1

महिला शिक्षा के संदेश को सफल बनाने में जनसंचार की भूमिका

मत	ग्रामीण	नगरीय
हां	119(79.3)	128(85.3)
नहीं	30(20.0)	20(13.3)
ज्ञात नहीं	1 (0.6)	2(01.3)
कुल	150 (100.0)	150(100.0)

अधिकांश ग्रामीण (79.3) तथा नगरीय (85.3) उत्तरदाताओं ने माना है कि जनसंचार ने महिला शिक्षा को सफल बनाया है साथ ही वे ये भी बताती हैं कि जनसंचार के माध्यम से जो 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे प्रसारित हो रहे हैं वे उनसे प्रेरित होती हैं।

निर्णय लेने की क्षमता और जनसंचार

लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष भारत यह प्रयास करता है कि महिलाओं को वह समस्त आवश्यक सुविधाएं दी जाएं जिससे वह जीवन के विभिन्न पहलुओं में हिस्सा ले सकें। परन्तु सत्य यह है कि हर छोटे बड़े स्तर पर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं से कम ही मशविरा लिया जाता है। कारण यह भी है कि भारत जैसे बहुलतावादी देश में समाज की बहुत सी चीजों पर निषेध लगा होता है लेकिन

सारणी 2

महिलाओं द्वारा भिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में जनसंचार का योगदान

योगदान है	ग्रामीण	नगरीय
सहमत	77 (51.3)	90(60.0)
असहमत	37(24.6)	34(22.6)
जानकारी नहीं	36(24.0)	26(17.3)
कुल	150(100.0)	150(100.0)

वर्तमान में स्त्री के निर्णय का क्षितिज भी विशाल और व्यापक बन गया है क्योंकि किसी भी समस्या के

निराकरण करने का स्त्री का अपना एक नजरिया है। चीजों को देखने परखने का स्त्री की भागीदारी से किसी भी निर्णय को लेते समय एक नया कोण सामने आता है। महिला सशक्तीकरण का एक आवश्यक आयाम है 'निर्णय'। हमने यह जानना चाहा कि क्या जनसंचार के द्वारा महिलाओं की पारिवारिक सामाजिक आर्थिक निर्णयों में भागीदारी में वृद्धि हुई है? अधिकांश नगरीय उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति अभिव्यक्त की कि जनसंचार में प्रसारित-प्रचारित होने वाले कार्यक्रमों ने उन्हें उनके व्यक्तिगत निर्णयों के साथ-साथ पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में भी निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है जिससे वे स्वयं को आत्मनिर्भर अनुभव करती हैं।

कानूनी अधिकारों के संबंध में जानकारी

कानून किसी देश की समस्याओं का आईना होता है। देश का संविधान और कानून नारी की सुरक्षा के लिए है जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1929), दहेज निरोधक अधिनियम (1961-64), घरेलू हिंसा अधिनियम (2006) आदि जो कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तीकरण में सहायक हैं। उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या जनसंचार के माध्यम से

उन्हें उनके इन कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त हुई है? सारणी 3 के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश नगरीय व ग्रामीण महिला उत्तरदाताओं को अपने अधिकारों की जानकारी जनसंचार के माध्यम से प्राप्त हुई।

महिला सशक्तीकरण में जनसंचार की सफलता

जनसंचार में प्रसारित-प्रचारित होने वाले महिला प्रधान कार्यक्रम व्यवसायिक विज्ञापन व संदेश जो महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दे रहे हैं, समाज में उनके निर्णय क्षमता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। महिला उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयत्न किया गया कि क्या जनसंचार वास्तव में महिला सशक्तीकरण को सफल बनाने में सहयोगी है? सारणी 4 में अधिकांश ग्रामीण (55) व नगरीय (66)

उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि जनसंचार ने महिला सशक्तीकरण में अपना भरपूर सहयोग दिया है। इसमें प्रसारित-प्रचारित कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हो रहे हैं जो उन्हें जीवन में आगे की ओर बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष

गिडन्स (2001) के अनुसार आधुनिक समाज में जनसंचार साधन मूलभूत भूमिका निभाते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट (सोशल साइट्स) इत्यादि जो वृहद जन तक पहुंचने में सक्षम हैं उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युग जनसंचार का युग

सारणी 3

जनसंचार के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की जानकारी

अधिकारों की जानकारी	ग्रामीण	नगरीय
मीडिया के माध्यम से	100(66.6)	120(80.0)
अन्य माध्यमों से	50(33.3)	30(20.0)
कुल	150(100.0)	150(100.0)

सारणी 4

जनसंचार द्वारा महिला सशक्तीकरण को सफल बनाने में सहयोग

सहयोग	ग्रामीण	नगरीय
हां	83(55.3)	95(66.3)
नहीं	43(28.6)	53(35.3)
ज्ञात नहीं	24(16.0)	2(01.3)
कुल	150(100.0)	150(100.0)

है। जनसंचार समाज के प्रत्येक हिस्से पर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। जनसंचार का प्रभाव महिला सशक्तीकरण के कई मुद्दों पर भी देखा जा रहा है। इनमें प्रचारित-प्रसारित होने वाले महिला प्रधान कार्यक्रम, महिला वर्ग को एक विशेष सोच प्रदान कर रहे हैं। वे उन्हें न केवल परिवार में उनके महत्वपूर्ण स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं बल्कि समाज का सदस्य होने के नाते घर के बाहर की दुनिया में भी स्त्री को उसका महत्व बता रहे हैं। ये कार्यक्रम उन्हें उनके अधिकारों के प्रति न केवल जागरूक कर रहे हैं बल्कि उनके साथ होने वाले अन्यायों से लड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' जैसे संदेशों में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने का और स्त्री शिक्षा का संदेश महिलाओं को आगे की ओर बढ़ाता है। विभिन्न व्यवसायिक विज्ञापनों में भी महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया है। वहीं अपनी गरिमा व स्वच्छता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश 'जहां सोच वहां शौचालय' जैसे अनेक विज्ञापन जो उन्हें एक गरिमामय व स्वच्छ जीवन के अधिकारों को बताता है। मास्टर शेफ इंडिया जैसे पाक कला के कार्यक्रम उन्हें एक नवीन सक्षमता की ओर ले जा रहा है जो ये संदेश देता है कि घर में रहकर खाना बनाने वाली स्त्री की भी समाज में उच्च प्रस्थिति है। इस प्रकार ऐसे अनेक कार्यक्रमों व प्रचारों ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता व निर्णय लेने की क्षमता को विकसित किया जो उनके सशक्तीकरण में अपेक्षित योगदान दे रहे हैं तथा समाज में महिलाओं के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण को भी विकसित कर रहे हैं।

References

- देवपुरा, प्रतापमल (2008). *कुरुक्षेत्र*, मार्च
- दुबे, श्यामचरण (1986). *संचार और विकास*, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
- Giddens, Anthony (2001). *Sociology*, London: Polity Press.
- McLuhan, Marshall (1964). *Understanding Media: The extension of Man*, McGraw Hill, Critical Edition Gingko Press.
- Moore, W.E. (1965). *Social Change*, New Delhi: Prentice Hall of India
- राधाकृष्णन, सर्वपल्ली (2008). *ग्रेट वीमन ऑफ इंडिया*, स.स्वामी माधवनन्दन, दिल्ली: अद्वैत आश्रम
- रावत, हरिकृष्ण (2006). *उच्चतर समाज शास्त्र विश्वकोश*, जयपुर: रावत.
- UNESCO (1955). *Many Voices One World*, New York. UNESCO.

डॉ. पूनम जोशी, व्याख्यता, एस.एस.जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, जयपुर

poonamjoshi27780@gmail.com

राजस्थान में ग्रामीण विकास: एक समीक्षात्मक मूल्यांकन

महेश नावरिया

सार

ग्रामीण समाज हमारे देश की जीवन शक्ति का आधार है। गांव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं इसीलिए गांवों को भारत की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है, जबकि राष्ट्र को उसका शरीर कहा गया है। भारत का विकास ग्रामीण विकास के बिना अपूर्ण है। स्वतंत्रता पश्चात् ग्रामीण विकास हेतु कई योजनाएं बनाई और क्रियान्वित की गई। पर ग्राम की संरचना में कोई बड़ा पीरवर्तन नहीं हुआ है। इस लेख में सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई है तथा उनका मूल्यांकन किया गया है।

संकेतशब्द

पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, जनप्रतिनिधि, पुनर्निर्माण, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक सुरक्षा

यह माना जाता है कि 'भारत ग्रामीण संरचना का देश है और इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत का अधिकांश सामाजिक परिवेश ग्रामीण है। ग्रामीण जीवन की अपनी विशेषताएं हैं। भारत में सामाजिक विज्ञानों में विशेष रूप में मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र के प्रारंभ के साथ ग्रामीण समाजों के अध्ययन पर जोर दिया गया। विशेष रूप से भारतीय स्वाधीनता के बाद। अर्थशास्त्रीय विश्लेषणों से अलग ये अध्ययन सामाजिक परिवेशों के चित्रण अधिक थे।

ग्रामीण संरचनाओं, विशेषकर गांवों के सम्बन्ध में अनेक विवेचनाएं की गई हैं। यह कहा गया कि जाति, धर्म और मत समुदायों की तरह ग्रामीण संरचना भी भारत में विशिष्ट है। इनकी अपनी पारम्परिक संरचनाएं हैं और सामाजिक गतिशीलता के अपने प्रतिमान भी। यह माना जाता है कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर छोटे प्रजातंत्रों की तरह नहीं हैं (दुबे, 1990)। इस संरचना के अपने संस्तरण और व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान जैसे प्रदेश में ग्रामीण संरचना बहुत कुछ सामन्तवादी व्यवस्था से प्रभावित थी। गांव भारत की प्रमुख व्यवस्था के सूत्र थे, परन्तु कई अर्थों में नगर इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करते थे। शासन और स्वयं गांव में राजनीति के सूत्र नगरीय जीवन से प्रभावित थे। आज भी नगरीकरण की प्रक्रियाएं ग्रामीण जनसंख्या को घटा रही हैं। नगरीय जीवन के बहुत से व्यवहार ग्रामीण जीवन के अंग बन चुके हैं। सेवाओं और व्यवस्थाओं की अंतरनिर्भरता ग्रामीण समाज में विद्यमान थी। अब इस अंतरनिर्भरता का स्वरूप बदल गया है। ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज के कारण नयी राजनीति भी पैदा हुई है। समाजशास्त्रीय साहित्य को यदि देखें तो नगरीय संरचना के प्रतिमानों और ग्रामीण संरचना के प्रतिमानों में अंतर भी किया गया है। इसीलिए ग्रामीण प्रतिमानों से उठने वाले संकट भी अलग-अलग हैं। यह भी कहा गया है कि अब पुराने गांवों में नये प्रकार के खेतीहर विकसित हुए हैं (मेरियट, 1969)। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण संरचना विश्वासों के प्रतिकूल स्थायी और जड़ नहीं रही है। समय और शासन नीतियों के अनुसार इसके स्वरूप बदलते रहे हैं। ग्रामीण संरचना के यथास्थितिवाद के कथन कुछ अंशों में अपनी जगह सही हैं, पर यथार्थ यह भी है कि इनमें परिवर्तन आते रहे हैं। ग्रामीण समाजों के विशिष्ट अध्ययनों के लिए श्रीनिवास (1966), दुबे (1958), बेते (1996) आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बृजराज चौहान की राणावतों कर सादड़ी और मेरीयट के किशनगढ़ के अध्ययन भी महत्वपूर्ण हैं। वेबर और वाइजर (1949) ने अपनी पुस्तक *बिहाइन्ड मड वाल्स* में तत्कालीन

समय के ग्रामीण जीवन को विश्लेषित किया था। ग्रामीण अध्ययनों की यह परंपरा बाद में बदले हुए परिवेशों में जारी रही। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में भी गांव के बारे में भिन्न परिकल्पनाएं थीं। गांधी के मस्तिष्क में ग्रामीण समाज की अलग कल्पना थी। इसलिए जब उन्होंने हिन्द स्वराज्य (2009) का जिक्र किया तो उसमें स्वस्थ ग्रामीण सामाजिक जीवन की चर्चा की थी।

लगातार बाहरी शासकों और उपनिवेशवाद के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ा। भारत में कृषि के तरीकों में परिवर्तन और उत्पादन के वितरण की व्यापक समस्याएं पैदा हो गईं। राजस्थान प्रदेश, जो विभिन्न देशी रियासतों में बंटा हुआ था, में स्थितियां और भी अधिक विपरीत थीं। ज़मींदारों का शोषण, लगान, बेगार, आदि ऐसी परम्पराएं थी, जिन्होंने ग्रामीण समाज में विभेदीकरण और जर्जर आर्थिक व्यवस्था को पैदा कर दिया था। विश्वव्यापी ग्रामीण विकास की परम्पराओं को कई रूपों में देखा गया था। उपनिवेशवाद के प्रारम्भ के साथ अपने ही हितों को साधने के लिए ग्रामीण संरचना में परिवर्तनों के सम्बन्ध में सोचा जाने लगा। इसी समय से ग्रामीण विकास की संकल्पना भी प्रारम्भ हुई। विकास के ये स्वरूप किस प्रकार के थे, इस बारे में विवाद था। उदाहरण के लिए देसाई ने विकास को पूंजीवाद और शोषण का नया स्वरूप माना (देसाई, 1984)। कृषक अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण संरचना की प्रमुख व्यवसायात्मक आधार थी, में शोषण व्यवस्था पूंजीवादी थी। भारत की स्वाधीनता के बाद भी जो अध्ययन किए गए, उनमें भी भारतीय कृषि व्यवस्था में उभरते पूंजीवाद की चर्चा की गई (घोष, 1988)।

गांवों में कठोर एवं सर्वाधिक परिश्रमसाध्य कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं जो भूमिहीन हैं और जो स्तरीकरण के निम्नतम स्तर पर हैं फिर भी उनकी सामानिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार गांव के किसानों की स्थिति भी सामान्यतः विभिन्न कारणों से बेहतर नहीं होती। इसीलिए ग्रामीण विकास में भूमिहीनों और किसानों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है।

स्वाधीनता संग्राम में भी ग्रामीण विकास के बारे में सोचा गया जो सांमतवाद अथवा पूंजीवाद के आधारों से अलग था। गांधी (1940) के शब्दों में “जब हम अपना मन शहर से हटाकर गांवों में नहीं लगाएंगे, तब तक गांव के लोगों की सेवा आप नहीं कर सकते। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिन्दुस्तान गांवों से बना है, शहरों से नहीं और जब तक आप ग्राम्य जीवन को और गांवों के कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तब तक आप उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। हमारे गांवों में जीवन का प्रवाह अवरुद्ध हो गया है और ये मृतप्राय हैं। औद्योगीकरण उनमें प्राणों का संचार नहीं कर सकता है। अपनी झोपड़ी में रहने वाले किसान को जीवन तभी मिलेगा जब उसे अपने घरेलू उद्योग फिर से वापस मिलेंगे तथा जब अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिए यह गांवों पर ही निर्भर रहेगा, शहरों पर नहीं, जैसा कि आज उसे विवश होकर करना पड़ता है। इस आधारभूत सिद्धान्त को यदि आप आत्मसात नहीं करते तो ग्राम पुनर्निर्माण के उस कार्य में लगने वाला सारा समय व्यर्थ जाएगा।”

स्वाधीनता आन्दोलन और ग्रामीण विकास

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण विकास को हतोत्साहित किया गया तथा साथ ही किसानों का शोषण भी किया गया। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन में लगे हमारे नेताओं ने ग्रामीण विकास की दिशा में अनेक प्रयास किए। वर्ष 1910 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पच्चीसवां वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ। इसमें राष्ट्रीय नेताओं ने पंचायतों की स्थापना की मांग रखी। इसके बाद भी सम्पन्न हुए अधिवेशनों में अनेक ग्रामीण विकास विषयक मुद्दे रखे गये तथा इसके लिए अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न अधिनियम पारित किए गए।

भारत में स्वाधीनता आन्दोलन के नेताओं ने अपने महाअधिवेशनों में अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शोषण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जिनमें दादाभाई नौरोजी, गोखले,

महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस प्रमुख हैं, ग्रामीण विकास के समर्थन में तथा किसानों पर बढ़ती हुई मालगुजारी के विरोध में अनेक आवाज उठाई और आन्दोलन भी किए। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जनता में जाग्रति लाना चाहते थे ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया शान्ति निकेतन की स्थापना की। इसी प्रकार गांधी ने भी ग्रामीण विकास के लिए अभियान सेवाग्राम के अन्तर्गत 1931 में प्रारम्भ किया। गांधी के सेवाग्राम का प्रमुख लक्ष्य मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गांवों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को फैलाने के लिए अनेक प्रयास किए। गांवों के विकास हेतु उन्होंने अनेक कार्यक्रम बनाए। खादी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कताई-बुनाई को उन्होंने विशेष स्थान दिया क्योंकि यह उद्यम सरल एवं कम लागत पर घर में किया जा सकता था।

गांधी ने गांवों में ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, निर्धनता, नैतिक पतन, जातिवाद तथा अनेक कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। छूआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने इसे अपने आश्रम में व्यावहारिक रूप प्रदान किया। सही अर्थों में देखा जाए तो ग्रामीण विकास हेतु गांधी का त्याग एवं बलिदान सर्वोपरी रहा है। उन्होंने गांवों के विकास हेतु बनाए गए कार्यक्रमों को पहले स्वयं अपने द्वारा प्रारम्भ किया उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं में ग्राम सेवा की भावना को कूट-कूट कर भर दिया। समाज के सबसे बड़े और पिछड़े वर्ग को उन्होंने सबसे अधिक महत्त्व दिया। गांधी सच्चे अर्थों में ग्रामीण भारत के हितैषी थे।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है राजस्थान सामन्तवादी प्रदेश था। सारी भूमि जागीरों और खालसा स्वरूपों में बंटी हुई थी। ग्रामीण समाज पारम्परिक थे और शोषण के कारण विकास की कल्पना शून्य थी। हर रियासत अलग थी और वहां पर ग्रामीण विकास की कोई सोच नहीं थी। कांग्रेस के प्रचार-प्रसार के बाद राजस्थान में भी ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में विचार किया जाने लगा। ग्रामीण एकाधिकार और शोषण के विरुद्ध जनआन्दोलन भी प्रारम्भ हुए। माणिक्य लाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, मास्टर आदित्येन्द्र, जय नारायण व्यास आदि ऐसे नाम थे जिन्होंने गैर-बराबरी, लगान, शोषण और सामन्ती आत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन किए। यह सत्य है कि महात्मा गांधी राजस्थान में सिवाय अजमेर (जो ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत था) के अतिरिक्त किसी देशी रियासत में नहीं आ सके परन्तु उनके स्वदेशी का प्रचार राजस्थान में अवश्य हुआ। भारत की स्वाधीनता और राजस्थान में संयुक्त राजस्थान के निर्माण के साथ ही ग्रामीण विकास की कल्पना और भी अधिक बलवती हुई। ग्रामीण विकास से सम्बंधित अनेक कार्यक्रम राजस्थान में विकसित किए गए।

स्वाधीन भारत में ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास एवं किसानों के हितों के लिए ठोस प्रयास किए गए। अनेक राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। नेहरू ने पंचायतीराज व्यवस्था को नया जीवन दिया। स्वतंत्रता पश्चात् का प्रथम ग्रामीण विकास योजना 'सामुदायिक विकास योजना' थी। इसको वर्ष 1952 में लागू किया था। इस योजना का उद्देश्य गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करना था और ग्रामीण भारत के सभी स्तरों के लोगों का सर्वांगीण विकास करना था। सामुदायिक विकास योजना के अनेक मूल्यांकन किए गए। विकास कार्यक्रम में सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधों की चर्चा की गई। समय-समय पर योजना मूल्यांकन आयोग में भी इस कार्यक्रम की समीक्षा की। ग्रामीण विकास के इस कार्यक्रम को पंचायतीराज के साथ जोड़ दिया गया। विभिन्न प्रान्तों में पंचायतीराज के माध्यम से विकास की चर्चा की जाने लगी। विभिन्न राज्यों ने ग्रामीण विकास के अपने प्रारूप तैयार किए। इन प्रारूपों में केरल के ग्रामीण विकास के प्रारूप की काफी चर्चा की गई (जॉर्ज, 1999)। केरल का यह प्रारूप जमीनी स्तर तक प्रभावी था। केन्द्रीय योजना आयोग तथा प्रादेशिक योजना आयोगों द्वारा कार्यक्रम के वित्त संतुलन की व्यवस्था की गई थी।

राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित तथा क्रियान्वित कार्यक्रम

जनजाति क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, 1964. राजस्थान, विशेष रूप से दक्षिण राजस्थान में जनजातियों की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। भारतीय स्वाधीनता के बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को जनजाति विकास क्षेत्र और टाडा के नाम से विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। इन क्षेत्रों में विकास के उन कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया जो जनजाति जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, 1974-75. यह कार्यक्रम 1974-75 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था। इसकी वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों का 75-25 भाग रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना था।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम, 1978. यह केन्द्र संचालित योजना है और वर्ष 1985 - 86 से इसका सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करने लगी है। यह कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना एवं इन क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारना है।

जवाहर रोजगार योजना, 1989. यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से आरम्भ किया गया। इसमें केन्द्र का अंश 80 प्रतिशत व राज्यों का 20 प्रतिशत तक रखा गया था।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999. 1 अप्रैल, 1999 से भारत सरकार ने एक नया कार्यक्रम स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारम्भ किया था। जिसमें अब तक के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राईसम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक औजारों की सप्लाई करने संबंधी कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2005. यह कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 से प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रारम्भ में 6 जिले, 2 मई, 2007 से 6 और जिले और 1 अप्रैल, 2008 से 20 जिले और शामिल कर लिए गए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पंजीकृत परिवारों से जो वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम के लिए ऐच्छिक रूप से काम के लिए तैयार हो, उन्हें काम की न्यूनतम 100 दिन के लिए गारंटी देना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2011. ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी को दूर करने के लिए जून, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत हुई। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच को बेहतर और सरल बनाना और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करना है।

गांधी के ग्राम स्वराज्य के स्वप्न को साकार करते हुए राजस्थान का ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग मरुधरा को स्वर्णधरा बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हे अधिकार सम्पन्न बनाया है। इसी क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला स्तर तक की निधियों, गतिविधियों एवं स्टॉफ को 2 अक्टूबर, 2010 द्वारा जारी आदेशों के तहत पंचायतीराज संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया है।

राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, मजदूरी व पोषण को सुनिश्चित करने, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास,

समाज कल्याण के दायित्वों की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने एवं गरीबों के लिए आवास एवं सामुदायिक भागीदारी के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, मरू विकास कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के संदर्भ लिए गए निर्णय

राजस्थान का ग्रामीण समाज ऐतिहासिक दृष्टि से सामंतवादी रहा है। इस सामंतादी पृष्ठभूमि में संबंधों की कई समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं। इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में राजस्थान के सामने ग्रामीण विकास की अनेक चुनौतियां हैं। साथ ही विकास कार्यक्रमों में सफल जन-भागीदारी की भी आवश्यकता है।

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं का 20 वर्ष बाद पुनर्गठन कर 47 नई पंचायत समितियों एवं 723 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। इन नवगठित पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लिए नवीन ग्राम पंचायत भवन बनाए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित की गई जो ग्रामीण विकास के लिए एक अति महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। वर्ष 2010 में 10वीं पास से अधिक योग्यता वाले जिला परिषद् सदस्यों की संस्था 33 प्रतिशत पंचायत समिति सदस्यों की संख्या 18 प्रतिशत, तथा 8वीं पास सरपंचों की संख्या 22 प्रतिशत थी वहीं वर्ष 2015 में इनकी संख्या क्रमशः 70 प्रतिशत, 54 प्रतिशत व 48 प्रतिशत हो गई है। अर्थात् शिक्षित सदस्यों की संख्या में दुगुनी से तिगुनी वृद्धि हुई है। नये चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पंचायतराज संबंधी नियमों एवं कार्यों की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को राज्यस्तरीय अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है।

ग्रामीण विकास हेतु क्रियान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास के लिए संगठित एवं नियोजित कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में सम्भव हो सका है। यद्यपि स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं ने ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किए थे, लेकिन शासन की बागडोर अंग्रेजी सरकार के हाथों में रहने से इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पंचायतीराज के रूप में ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम तैयार किए गए। विगत ग्यारह पंचवर्षीय तथा अनेक वार्षिक योजनाओं के दौरान ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य किए गए जिनमें हमें काफी कुछ सफलता मिली। यह सही है कि योजना में निर्धारित व्यय का बहुत कम भाग (30 प्रतिशत) वास्तविक लाभार्थी तक पहुंच पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गांवों में सिंचाई, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त विवरण ग्रामीण विकास योजनाओं में से कुछ का ही वर्णन है। वस्तुतः ग्रामीण विकास योजना के इन संदर्भों का एक संपूर्ण लेखा-जोखा आवश्यक है। क्योंकि ये सारी योजनाएं जनप्रतिनिधि संस्थाओं के पास चली गई हैं अतः इन योजनाओं में जन-भागीदारी का समावेश हो गया है। यह नीति रही है कि कोई भी विकास योजना तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें जन-भागीदारी न हो। पंचायतीराज को विकास योजना के कार्य देने के पीछे अभिप्राय यही था कि विकास योजनाएं ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा तैयार की जाएं और फिर उनको प्रभावी किया जाए। पंचायतीराज इस दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्था बन गई है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनमें

आर्थिक सुधार तथा सामाजिक नीति का निर्माण, समृद्धि की समान भागीदारी, उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व, नयी संस्थाओं और नये प्रचलनों का प्रारंभ, गुणात्मकता तथा सशक्तीकरण, प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण और उत्तरदायित्व पूर्ण नेतृत्व का विकास आदि महत्वपूर्ण हैं।

भारत में विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन, विशेष रूप से ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के लिए अनेक चुनौतियां हैं। सामाजिक रूपान्तरण का भारतीय प्रारूप अभी भी सुनिश्चित नहीं है। ग्रामीण संरचना में जो उभार आ रहा है वह प्रश्नों से भरा हुआ है। ग्रामीण परिवेश भारतीय समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। विकास कार्यक्रम पंचायतीराज में अवश्य हैं पर उसका सशक्तीकरण कहां तक हुआ है यह महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाकरण की प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक विकास से ही पैदा होती है। मध्यम वर्गीय जातियां और वर्ग विकास कार्यक्रमों में कहां तक सहायक है, यह विचारणीय प्रश्न है (सिंह, 1999)। राजस्थान के सन्दर्भ में यह जानना आवश्यक है कि इन योजनाओं का प्रयोग सामन्ती जातियां अपने लाभ के लिए कहां तक करती हैं। अपनी पुस्तक *इंडियाज चेंजिंग विलेजेज* में दुबे (1967) ने उन मानवीय और सांस्कृतिक तथ्यों की चर्चा की थी जो विकास और परिवर्तन के प्रयासों को प्रभावित हैं। लोगों की आदतें, रुचियां, सामाजिक प्रचलन, परम्पराएं, विश्वासों की सीमितता, सामाजिक संरचना, मनोवृत्तियां, मूल्य आदि सभी परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। यह भी माना गया है कि विकास के साथ स्वाभिमान भी आवश्यक है। ऐसा विकास होना चाहिए जो लोगों को गौरव और स्वाभिमान दे सके (भादुड़ी, 2008)। कहने का तात्पर्य यही है कि ग्रामीण विकास पर ग्रामीण बहस समाप्त नहीं हुई है और राजस्थान जैसे प्रदेश में अभी ग्रामीण विकास पर एक गंभीर बहस बाकी है।

References

- Bettiele, Andre. (1996). *Caste Class and Power*, Berkeley: university of California.
- Bhaduri, Amit. (2008). *Development with Dignity*, New Delhi: National Book Trust.
- Desai, A. R. (1984). *Indias Path of Development*, Bombay: Popular Prakashan.
- Dube, S.C. (1958). *Indian Changing Villages*, Mumbai: Allied.
- Dube, S.C. (1990). *Indian Society*, New Delhi: National Book Trust.
- Gandhi MK (1936). *Hind Swaraj*, Ahamdabad: Nav Jeevan.
- George, K.K. (1999). *Limit to Kerla Model of Development*, Tiruvananthapuram: center for development studies.
- Ghosh, Ambica (1986). *Emerging Capital in Indian Agriculture*, New Delhi: Peoples Publishing House.
- Marriot, M. (1969). A new farmer in old villeges. In Yogesh Atal (Eds.) *Understanding Indian Society*, New Delhi: Har Anand.
- Shrinivas, M.N. (1963). *Modern Villeges*, New Delhi: Asia.
- Singh, Yogendra (1999). *Social Change in India-Crisis and Resiliences*, New Delhi.
- Weber, W. H. and Wesier C.V. (1949). *Behind the Mind Walls*, Berkeley: university of California

डॉ. महेश नावरिया, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, एस.एस.जी. पारीक पी.जी. गर्ल्स कॉलेज, बनीपार्क, जयपुर
m.nawria@gmail.com

अप्राकृतिक मृत्यु और दक्षिणी राजस्थान के भील समाज में प्रथागत व्यवहार

मनीराम मीणा

सार

भारत में अनेक जनजातियां आज भी सभ्यता से अत्यधिक दूर हैं, क्योंकि ये सुदूर जंगलों, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में अपना जीवनयापन करती हैं। इनकी अपनी रीतियां तथा व्यवहार के तरीके हैं। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजातियां कहा गया है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 13.48 प्रतिशत भाग जनजाति समुदाय का है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय समूह दक्षिण राजस्थान में निवास करते हैं। इस लेख में इन जनजाति समूहों में से एक समूह भीलों में मृत्यु संबंधी एक विशिष्ट प्रथा का विश्लेषण किया गया है।

संकेतशब्द

जनजाति समाज, मौताणा, गमेती, भील, भांजगड़िया, चढ़ोतरा, वैर, अप्राकृतिक मौत, सामाजिक न्याय

भारत में जनजाति जीवन एक कौतूहल भरा जीवन रहा है। मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने औपनिवेशिक काल से ही भारत के जनजातियों के बारे में काफी कुछ लिखा है। प्रारंभ में एलविन (1940) में जनजातियों को सुरक्षित रखने के लिये कहा था पर उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद उन्होंने ही यह प्रश्न उठाया था कि क्या हम उन्हें चिड़ियाघर में रखना चाहते हैं (एलविन, 1956)। जनजाति जीवन की विशेषताएं उनके अपने सामाजिक जीवन की विचित्र प्रथाओं से ही नहीं अपितु अपने सामाजिक जीवन के नियंत्रण के संदर्भ में जानी जाती हैं, उनका अपना प्रतिदिन का जीवन भी इस प्रकार का है, जिसमें उन्हें अपने जीवन के अतिरिक्त अन्य बाह्य जीवन की परिस्थितियों को समझने का मौका ही नहीं मिलता (बोस, 1971)। वे अपने को पारंपरिक जीवन से हटाना भी नहीं चाहते, चाहे वह आज के स्वीकृत समाज के सिद्धान्तों के कितने ही विपरीत क्यों न हो। सोचने के ये ही तरीके प्रायः जनजाति तथा आज के तथाकथित समाजों के विचारों में संघर्ष भी लाते हैं। देश के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में उनके अपने प्रचलनों और तथाकथित सभ्य समाजों के बीच के संघर्ष अथवा उनके आचरणों और विश्वासों की प्रतिकूलता कई प्रकार के संघर्ष पैदा कर गई है। ऐसे ही एक विरोधाभास की चर्चा इस लेख में की गई है।

राजस्थान का दक्षिणी भाग जनजातियों के बसाव का क्षेत्र है। साथ में सटा हुआ मध्यप्रदेश और गुजरात के क्षेत्र इस जनजाति क्षेत्र को विस्तृत बनाते हैं। भील इस सटे क्षेत्र के विशिष्ट जनजाति हैं। इसके अलावा डामोर, गरासिया भी इस क्षेत्र के निवासी हैं। भारत के प्रमुख जनजाति समूहों में से भील एक बड़ा समूह है। ऐसा माना जाता है कि भीलों में वृद्धावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। वृद्ध लोग अनुभवों के भंडार हैं और नौजवानों के प्रशिक्षक हैं। भीलों की अपनी व्यवस्थाएं और संरचनाएं हैं। इसलिये स्वाभाविक वृद्ध मृत्यु के प्रतीक भील समाज में महत्वपूर्ण है (नाइक, 1956)। कुछ अर्थों में भील अन्य जनजाति समूहों से भिन्न हैं। मृत्यु की स्वाभाविक प्रक्रिया के अतिरिक्त अस्वाभाविक मृत्यु के लिए उनके अपने संस्कार हैं और अपनी प्रथा। सभ्य समाज की प्रतिक्रियाएं इसके विपरीत हैं। यही इस लेख का विषय है कि हम एक उभरती प्रथा का उल्लेख करें जो जनजातियों तथा प्रशासन दोनों के लिए समस्या बन गई है।

भील जनजाति में स्वाभाविक मृत्यु पर परंपरागत व्यवहार है पर अस्वाभाविक मृत्यु पर एक अलग प्रथा है। जो मौताणा के नाम से जाती है। 'मौताणा' शब्द 'मौत' व 'आणा' शब्द से मिलकर बना है। शाब्दिक दृष्टि से इसका अर्थ मृत्यु के बदले क्षतिपूर्ति स्वरूप प्राप्त की जाने वाली राशि से है। 'आणा' वागड़ क्षेत्र में प्रचलित एक वागड़ी शब्द है जिसका प्रयोग व्यावहारिक रूप से वधू को विवाह के समय या पश्चात् या फिर प्रसवकाल में गोद भराई की रस्म के साथ उसे ससुराल या पीहर से न्यौता देकर ले जाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहां 'आणा' शब्द का प्रयोग किसी अप्राकृतिक कारण से हुई मौत के बाद आरोपियों द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के पश्चात् शव को घटनास्थल से उठाने के रूप में लिया जाता है। (दोशी, व्यास, 1992) प्रारम्भ में यह प्रथा जनजातियों में परिवार की किसी महिला, पुरुष या बच्चे की अप्राकृतिक मौत होने पर उस मौत के बदले उस परिवार को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के रूप में प्रचलन में आई। इसका उद्देश्य पीड़ित परिवार को आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना होता है और अपराध के उत्तरदायी व्यक्ति को उसकी गलती का अहसास कराना होता है। यह परम्परागत रूप में न्याय व्यवस्था का आधार था। यह इस मान्यता पर आधारित थी कि हत्या, दुर्घटना या किसी अन्य अपराध में आरोपी की कानूनी प्रक्रिया से तो सजा मिल जाएगी परन्तु इससे मृतक या पीड़ित परिवार को क्या मिला ? इस प्रकार मृत्यु के बदले में मुआवजे की मांग ही मौताणा है (रोत, राठी, 2009)। भील समाज में ऐसी अस्वाभाविक मृत्यु को त्वरित एवं तुरत-फुरत न्याय दिलाने की परम्परा माना जाता है। यह प्रथा स्वयं जनजाति समाज द्वारा दिया गया प्रस्तावित दण्ड है। यह एक प्रकार से अपने ही समाज के लिए एक सामाजिक नियंत्रण है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की प्रथा का विकास सामाजिक न्याय की परम्परा में विश्वास से हुआ है। आदिकाल में कबीलाई मुखियाओं द्वारा अपराधियों को सजा देने और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाने की परम्परा रही है। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था में जल्दी एवं आसान प्रक्रिया से न्याय मिलने के प्रति लोगों का विश्वास रहा है। जनजाति समाज में अपनी सामाजिक न्याय व्यवस्था की परम्परागत व्यवस्था भी किसी न किसी रूप से विद्यमान रही है। मौताणा प्रथा के मूल में भी वही कबीलाई व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। जब किसी व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहला प्रभाव उसके परिवार पर आर्थिक रूप से पड़ता है और महिला की मृत्यु होती है तो उस परिवार का घर, कुटुम्ब परिवार बिखर जाता है। इसी बात को लेकर समाज के मुखियाओं द्वारा मुआवजा तय कर उस परिवार की सहायता करने के उद्देश्य से यह प्रथा आदिकाल से ही अस्तित्व में आई। दक्षिण राजस्थान में स्वतन्त्रता के पश्चात् उदयपुर जिले के माण्डवा थाना क्षेत्र में सन् 1971 में पहली बार एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने पर चढ़ोतरा की घटना हुई जिसमें 105 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 1990 के दशक तक मौताणा की सामाजिक परम्परा उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल और सलूम्वर क्षेत्र के आसपास खेर बूमड़िया, गवार, कांगा आदि गोत्र के जनजाति भील समुदाय तक सीमित थी। पिछले तीन दशकों में यह परम्परा दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमन्द जिले के भील जनजाति अंचल में पूरी तरह फैल चुकी है।

मुआवजा निर्धारण में मध्यस्थों की भूमिका

मौताणे की राशि या मुआवजे का निर्धारण पीड़ित पक्ष को हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जिसमें पीड़ित की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। राशि या मुआवजे को गमेती, भांजगड़िया, जाति पंचायत, गांव पंचायत, एवं भोपाओं द्वारा तय किया जाता है। इसमें गमेती एवं भांजगड़िया की भूमिका अहम होती है। कई जनजाति परिवार मिलकर एक फले का निर्माण करते हैं। कई फलों के पुन्ज से पाल का निर्माण होता है। पाल का एक मुखिया होता है जिसे गमेती कहा जाता है। यह परम्परागत रूप से प्रधान जैसी प्रस्थिति का सूचक है जो जनजाति समाज में न्यायाधीश की भूमिका

का निर्वाह करता है। ये लोग परंपरागत रूप से झगड़े या विवाद के निर्णायक हैं और मौताणा के अतिरिक्त अन्य विवाद निपटाते हैं (जाट, 2013)। गमेती की अध्यक्षता में सभी विवादों का निपटारा किया जाता है तथा आर्थिक, सामाजिक समस्याओं एवं मुद्दों पर चर्चा के साथ रणनीति बनाई जाती है। हर फले में एक गमेती व भांजगड़िया अवश्य होता है। आज भी इनके नेतृत्व में विवादों का निपटारा किया जाता है। गमेती, भांजगड़िया, जाति या जनजाति पंचायत, एवं पारम्परिक गांव पंचायत के सदस्य तथा भोपा पीड़ित पक्ष के बीच मध्यस्थता या बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं। यह मध्यस्थ समूह है जिसके द्वारा नकद राशि, गाय, भैंस, बकरी, खेत या जेवरात किसी भी रूप में मौताणे का निर्धारण किया जाता है।

वर्तमान स्वरूप

जनजाति समुदाय में अप्राकृतिक मौतों की क्षतिपूर्ति की स्वच्छ परम्परा अब एक सामाजिक बुराई एवं सामाजिक कुप्रथा का रूप बनती जा रही है। इसमें संघर्ष एवं पारस्परिक झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरेआम आगजनी और तोड़फोड़ की जाती है। फले एवं गांव आग के हवाले कर नष्ट कर दिए जाते हैं। फले के लोगों व रिश्तेदारों को पाल से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्षों में की गई कड़ी मेहनत से बनाई चल एवं अचल सम्पत्ति लूट ली जाती है। जनजाति समुदाय में हमला करने को चढ़ोतरा कहा जाता है। इस चढ़ोतरे के कारण उन परिवारों को कई दिन, महीनों, वर्षों तक जंगलों की शरण लेनी पड़ती है। वे न्याय के लिए जनप्रतिनिधियों, पुलिस के आला अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार करते हैं। मौताणा की राशि कई बार इतनी अधिक होती है कि वे अपनी चल-अचल सम्पत्ति को बेच दें तथा शेष जीवन मजदूरी करें तो भी पूरी न हो। वर्तमान में मौताणे की राशि दलालों एवं मध्यस्थों में बंटने लग गई है जिससे मुआवजे की राशि इतनी बढ़ गई है कि एक जनजाति परिवार तो क्या सम्पन्न परिवार भी नहीं चुका सकता। वर्तमान में मुआवजे की राशि का कुछ ही हिस्सा उस पीड़ित परिवार तक पहुंचता है। शेष हिस्सा दलालों, बिचौलियों, मध्यस्थों एवं समाज के गड़डा गमेतियों, में बंट जाता है।

मुआवजा प्राप्त करने की विधि

भीलों में मौताणा प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका चढ़ोतरा है। चढ़ोतरा में किये गये प्रयास असफल रहने पर यह वैर के रूप में बदल जाता है (कटारिया, 2013)। सूचना मिलने पर उसके परिवार एवं गोत्र के लोगों को ढोल बजाकर सूचित किया जाता है। यह जनजातियों में सूचना देना का परम्परागत माध्यम है। एकत्रित होने के पश्चात् लोग ढोल बजाते हुए तीर कमान, लाठी-भाले, तलवार आदि शस्त्रों के साथ मृत्यु स्थल पर पहुंचते हैं, जहां आरोपित पक्ष को दण्ड सुनाया जाता है। यही चढ़ोतरा कहलाता है। चढ़ोतरा, मौताणा प्रथा में एक शस्त्र के रूप में काम करता है।

वैर का तात्पर्य

इससे तात्पर्य है— गांठ बांध लेना या दुश्मनी रखना। जब चढ़ोतरा में वार्ता विफल हो जाती है या आरोपित पक्ष पीड़ित पक्ष को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि या मुआवजा नहीं देता है तो पीड़ित पक्ष के लोग परिवार कुटुम्ब एवं गोत्र समूह आरोपित पक्ष से वैर स्थापित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आरोपित पक्ष उस स्थान से भाग जाता है और पीड़ित पक्ष हिंसात्मक गतिविधियों को अन्जाम देते हुए उसके घर में आग लगा देते हैं। वर्तमान समय में जनजातियों में मौताणा का प्रचलन आम हो गया है। एक तरह मध्यस्थों एवं बिचौलियों का व्यवसाय बन गया है। हत्या करने वाले वास्तविक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती है परन्तु हत्या का आरोप लगा दिया जाता है और उसे मौताणा देना पड़ता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु चाहे वाहन दुर्घटना में हुई हो या बिजली के झटके से या सांप के काटने से या लापरवाही से कार्य

करने से, तब भी मौताणा बनाया जा रहा है। और तो और गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा आदि के मरने की कीमत से कई गुना ज्यादा मौताणा लिया जा रहा है। अचानक मौत को भी अप्राकृतिक मौत में बदलकर मौताणा लेने की चढ़ाई कर दी जाती है और मौताणा ले लिया जाता है।

मौताणा की प्रथा को गंभीरता से समझने के लिए उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के दो गांव बाघपुरा एवं ओगणा में एक सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य महत्वपूर्ण हैं। झाड़ोल उदयपुर से लगभग 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, और चयनित गांव बाघपुरा झाड़ोल से 15 किमी की दूरी पर स्थित है। जबकि ओगणा झाड़ोल से 20 किमी. की दूरी पर स्थित है। दोनों ही गांव जनजाति बाहुल्य है।

इस लघु सर्वेक्षण में चयनित गांवों में निवास करने वाले भिन्न आयु वर्ग, शिक्षा स्तर और भिन्न व्यवसाय करने वाले

100 जनजाति सदस्यों को सम्मिलित किया गया। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि स्वयं जनजाति सदस्य मौताणा के बारे में क्या विचार रखते हैं। सारण 1 से स्पष्ट है कि उत्तरदाता भिन्न शिक्षा स्तर और व्यवसाय का

सारणी 1

उत्तरदाताओं की आयु, शिक्षा स्तर और व्यवसाय

आयु (वर्षों में)	शिक्षा स्तर							व्यवसाय				
	निरक्षर	प्राथमिक	मिडिल	सैकेंडरी	हा. सैकेंडरी	स्नातक	योग	कृषि	मजदूरी	सरकारी नौकरी	निजी नौकरी	योग
18-20	—	—	2	4	4	—	10	10	—	—	—	10
20-30	—	—	10	8	12	10	40	20	12	3	5	40
30-40	3	2	10	5	7	3	30	10	10	2	8	30
40-50	12	2	2	—	—	—	16	10	6	—	—	16
50-60	4	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	4
योग	19	4	24	17	23	13	100	54	28	5	13	100

प्रतिनिधित्व करते हैं। 79 उत्तरदाता मिडिल से लेकर स्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं, वहीं 18 उत्तरदाता नौकरी भी कर रहे हैं। उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि वे मौताणा के विविध पक्षों को जानते हुए उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या वे इसे एक सामाजिक बुराई मानते हैं और इसे समाप्त करना चाहते हैं या वे इस प्रथा के पक्ष में हैं।

कुल 100 उत्तरदाताओं में से 80 उत्तरदाता मौताणा का समर्थन करते हैं। मौताणा को समाज में अच्छा भी मानते हैं। उत्तरदाताओं का तर्क था कि मौताणा होना आवश्यक है। इस प्रथा से समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा रहती है। इसके समाप्त होने से आए दिन मृतकों की संख्या बढ़ जाएगी और अपराधियों में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। मौताणा जनजाति समाज की सदियों पुरानी सामाजिक नियम संबंधी परम्परा है। इसका होना अति आवश्यक है। उत्तरदाताओं का यह भी कहना था कि मौताणा की पूरी धनराशि पीड़ित पक्ष को नहीं मिल पाती है। मध्यस्था करने वाले बिचौलियों द्वारा शराब पीने और मुर्गा खाने आदि में खर्च कर देते हैं। पीड़ित पक्ष को बहुत कम धनराशि मिल पाती है।

लेकिन 15 उत्तरदाता यह कहते हैं कि मौताणा प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। इससे समाज में बेवजह वैर और दुश्मनी बढ़ती है। जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्नातक तक शिक्षा प्राप्त करने वाले और सरकारी नौकरी करने वाले कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि जनजाति समाज तो मौताणा को अच्छा मानता है। लेकिन शहरी एवं अन्य समाज के लोग जनजाति समाज को इस प्रथा के कारण हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको समाज में उचित मान-सम्मान नहीं मिल पाता है। सरकार को कानून के द्वारा एवं जनजाति समाज के मुखिया लोगों को समझा-बुझाकर मौताणा समाप्त करने का

प्रयास करना चाहिए। जिससे जनजाति समाज में अन्य समुदायों की नजर में मान-सम्मान से जीवन व्यतीत करें। प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि 5 उत्तरदाता अपनी सहमति हां या नहीं में कुछ भी देने से घबराते हैं। उनको मौताणा व समाज से कोई लेना-देना नहीं है।

वर्तमान समय में एक अच्छा सुझाव यही हो सकता है कि जनजाति समाज को वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था में ढाला जाए, क्योंकि ये लोग मौताणा को सामाजिक नियन्त्रण की व्यवस्था का प्रथागत कानून मान रहे हैं।

सन्दर्भ :

Bose N.K. (1971). *Tribal Life in India*, New Delhi: National Book Trust.

Elwin Verrier (1936). *Aboriginals*, London: Oxford.

एलविन वैरियर (1949) क्या हम उन्हें वास्तव में चिड़ियाघर में रखना चाहते हैं? संपादक नरेन्द्र दत्त मजूमदार, *जनजाति*, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।

दोषी एस.एल. एवं एन.एन. व्यास (1992). *राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां*, उदयपुर: हिमांशु प्रकाशन।

जाट लालाराम, (2013). दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय समुदाय में मौताणा, *राजस्थान जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी*, 5

कटारिया सुरेन्द्र (2013). *मौताणा एक आदिम प्रथा*, जयपुर: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

नरेन्द्र दत्त, मजूमदार (सं) (1956). *जनजाति*, दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।

Naik T.B. (1956). *The Bhils*, Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh, Delhi.

राजस्थान पत्रिका (2016, 29 जनवरी) पेज नं.7, उदयपुर।

Rot Monica & Raj Kumar Rathi (2009). *Tradition of Mautana as Means of Extorsion among Tribals of South Rajasthan: A Sociocultural Study of Dungarpur District Tribe*, Udaipur: Himanshu Prakashan.

डॉ. मनीराम मीणा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, से.म.बि. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.)

समीक्षा लेख

आन्द्रे बेते : उच्च शिक्षा का संकट

मधुसूदन त्रिवेदी

सार

आंद्रे बेते भारतीय समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं जो समाजशास्त्र के शोध-शिक्षण तथा विश्वविद्यालय व्यवस्था से गहराई से जुड़े रहे हैं और इनसे जुड़े मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से कहते रहे हैं। प्रस्तुत आलेख उनकी 2015 में पुनर्प्रकाशित पुस्तक *University at The Crossroads* के विशेष सन्दर्भ में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति पर उनके विचारों का प्रस्तुतीकरण है, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा के एक समाजशास्त्रीय मूल्यांकन के रूप में देखा जाना चाहिए। यह न केवल शिक्षा की वर्तमान दुर्व्यवस्थाओं की पहचान कराता है अपितु इस तर्क को भी बल देता है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा की बेहतरी के लिए किया गया कोई भी गंभीर प्रयास शिक्षा के इन समाजशास्त्रीय सन्दर्भों से मुंह मोड़ कर संभव नहीं है।

संकेतशब्द

भारतीय विश्वविद्यालय, शैक्षणिक असमानता, शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का निजीकरण, उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्तता

जब हम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों की बात करते हैं तो हम वर्तमान में स्थापित औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। वर्तमान औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप सम्पूर्ण विश्व और अब भारत में विद्यमान है। अपने मूलस्वरूप में इसे 19वीं सदी के मध्य ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में स्थापित किया गया। वास्तव में, विश्व के सभी वर्तमान विश्वविद्यालयों का उद्भव 12वीं शताब्दी के यूरोप के विश्वविद्यालयों से हुआ। इटली व फ्रांस के मूल विश्वविद्यालयों से यूरोप में विश्वविद्यालय फैले। तत्पश्चात् विश्व के अन्य हिस्सों में इनका प्रसार हुआ, विशेषकर 19वीं शताब्दी के मध्य उपनिवेशीकरण एवं पश्चिमी विचारधारा के प्रसार के साथ। विश्वविद्यालय अध्यापन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इतिहास और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करते रहे हैं।

उच्चस्तरीय सीखने की संस्थाओं का पुनर्निर्माण यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ। फ्रांस व जर्मनी में इसका स्वरूप कुछ भिन्न था। फ्रांस का यह परिवर्तन अधिक क्रांतिकारी था और वह समय फ्रांस की क्रांति से पूर्व का था। नयी शिक्षा व्यवस्था का असली चित्रकार नेपोलियन था। उसने 'ग्रांड्स इकोल' या 'महान विद्यालयों' की स्थापना की। ऐतिहासिक रूप से, इसमें दो अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। प्रथम 'इकोल पोलिटेक्निक' जो 1794 में इंजिनियर्स और मिलेट्री सेवा में लोगों को प्रशिक्षण देते थे और दूसरा 'इकोल नार्मेल सुपेरियोर' जो 1795 में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए थे। ये संस्थाएं खुली एवं धर्मनिर्पेक्ष थीं।

बर्लिन विश्वविद्यालय में विल्हेम वॉ हम्बोल्ट (Wilhelm Von Humboldt) ने अध्यापन के साथ आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा की आधारशीला रखी और अध्यापन के साथ अनुसंधान पर जोर दिया। यह तब हुआ जब 1810 में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय की स्थापना की और विश्वविद्यालय का नया आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। यह विश्वविद्यालय सरकार द्वारा स्थापित और प्रशियन सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त था। यह हम्बोल्टियन विचारधारा 'सीखने की स्वतंत्रता' और 'अध्यापन की स्वतंत्रता' पर

आधारित था। अतः विश्वविद्यालय में 'स्वायत्तता' और 'अकादमिक स्वतंत्रता' इसकी आधारभूत विशेषता थी। सर्वप्रथम जर्मनी ने अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए इस मॉडल को अपनाया। तत्पश्चात् अमेरिका और जापान में भी 19वीं व 20वीं शताब्दी में हम्बोल्टियन मॉडल को अपनाया। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी के आस-पास अधिकांश अमेरिकन विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य पर जोर दिया जाने लगा, विशेषकर आधुनिक कृषि और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में। इस मॉडल में समाज की सेवा पर जोर था।

आन्द्रे बेते की पुस्तक *यूनिवर्सिटीज एट द क्रॉसरोड्स* भारत में औपचारिक शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षा पर उनके व्याख्यानों एवं शोध लेखों का संकलन है। इनमें उन्होंने अपने सहभागी अवलोकन एवं अनुभवों के आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्षों को उजागर किया है। कुल बारह लेखों में से दो लेख प्राथमिक यानि प्रारम्भिक शिक्षा पर लिखे गए हैं शेष सभी (दस) लेख विश्वविद्यालय शिक्षा पर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों को 'सीखने के केन्द्र' और 'विश्वविद्यालय एक संस्था के रूप में' विश्लेषण किया है। विश्वविद्यालय पर प्रथम व्याख्यान उन्होंने 1980 में संत जेनिफर कॉलेज मुम्बई में 'दुर मेमोरियल व्याख्यान' (Durh Memorial Lecture) श्रृंखला में दिया जो 1981 में *मिनर्वा* शोध पत्रिका में 'द इंडियन यूनिवर्सिटीज : अकेडेमिक स्टैण्डर्ड्स एण्ड द परस्यूट ऑफ इक्वेलिटी' नाम से प्रकाशित हुआ। उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय की स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं एवं मुद्दों पर उन्होंने खूब लिखा। अखबारों में 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', 'द हिन्दू' एवं 'द टेलिग्राफ' में निरंतर लिखते रहे हैं। इन्होंने अपने गम्भीर लेखों को बाद में दो अन्य पुस्तकों *क्रानिकल ऑफ अवर टाइम* (2002) और *आइडियोलॉजी एण्ड सोशल साइंस* (2005) में संकलित कर प्रस्तुत किया है।

बेते की प्रारम्भिक रुचि जाति और वर्ग के बीच निरंतर परिवर्तित हो रहे संबंधों को समझने और विश्लेषण करने में थी तथा इसे उन्होंने 'समानता एवं असमानता' के संदर्भ में विश्लेषित किया। आन्द्रे का जीवन भर (अब तक) का शोध एवं उनकी रचनाओं में मूलभूत रुचि सामाजिक असमानता को जानने, समझने, इसके विभिन्न स्वरूपों और पहलुओं तथा विभिन्न आयामों के बीच संबंधों के अध्ययन में रही है। उनका मानना है कि समानता के हिमायती के रूप में लोक-हित भाव भारतीयों में कूट-कूट कर भरा है लेकिन फिर भी उनकी अपनी गतिविधियां असंख्य तरीकों से असमानता को स्थायी रूप से बनाए रखती हैं। आन्द्रे कहते हैं कि "मैंने इसी विशेष संदर्भ में विश्वविद्यालय पर समाजशास्त्रीय जानकारी साझा की है एवं विश्लेषण किया है। विश्वविद्यालय पर सामान्य रुचि और अध्ययन, मेरे लिए समानता के आदर्श (Ideals) और असमानता के अभ्यास (Practice) के बीच पारस्परिक प्रभावशीलता को देखना या जाचना है"। विश्वविद्यालयों को समानता (Equality) प्रसार का स्रोत माना जाता है, इसीलिए विश्वविद्यालयों की दुःसाहसी स्थापना और उनके विस्तार में यही मूल तर्क है।

बेते विल्हेम वॉ हम्बोल्ट (Wilhelm Von Humboldt) के विचारों से परिचित होने के पूर्व से ही विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं अनुसंधान की एकता के समर्थक थे। वर्तमान में कोई भी विश्वविद्यालय अनुसंधान को नकार नहीं सकता। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने महसूस किया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रोफेसर के लिए गम्भीरता से अनुसंधान एवं अध्यापन आसान नहीं होता, वह सदा तनावग्रस्त तो अवश्य ही रहता है। वे (2000 C:20.23) लिखते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र या अन्य विज्ञानों द्वारा किए गए कार्यों का अध्यापन एवं अनुसंधान में नहीं के बराबर उपयोग होता है। भारतीय अनुसंधान का बाहर के देशों में तो ओर भी कम प्रयोग होता है। यह सही है कि समाजशास्त्र ने भारतीय अध्ययनों में महत्पूर्ण भूमिका निभाई है लेकिन भारतीय अध्ययनों से समाजशास्त्र को बहुत कम लाभ मिला है। वही यह भी उतना ही विचारणीय है कि भारत में समाजशास्त्रियों के द्वारा किए गए आनुभविक अध्ययनों को भारत में और बाहर अध्यापन और अनुसंधान में बहुत कम स्थान मिला है। (बेते 2000b; 2005)

भारत में विश्वविद्यालय

बेते (2010) बताते हैं कि 1857 में पहली बार भारत में (कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई में) विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तब उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के अवसर बढ़े और देश की जनसंख्या के एक निश्चित वर्ग के लिए नये आयाम सामने आये । लेकिन 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्वविद्यालयों में उपमहाद्वीप के लोगों की सीमित पहुंच थी। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों ने मध्यम वर्ग का प्रसार किया। उनसे परे कृषक, खेतीहर और अन्य कामगार आदि को विश्वविद्यालय शिक्षा की जानकारी नहीं थी या सीमित थी।

भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या का विस्तार स्वतंत्रता के बाद प्रारम्भ हुआ। यह वह समय था जब अधिकांश देशों में भी विश्वविद्यालयों का विस्तार होना प्रारम्भ हुआ। यह बात अलग है कि उच्च शिक्षा की वृद्धि और प्रसार अलग-अलग देशों में परिस्थितियां अलग होने के कारण अलग-अलग हुआ। लेकिन इन सभी की स्थापना पश्चिमी देशों की तर्ज पर हुई। 20वीं सदी में विश्वविद्यालयों का एक अलग स्वरूप उभरा जिसे शिल्स (1992 व 1997) व बेते (2010) ने जनविश्वविद्यालय (Mass University) कहा।

बेते ने औपचारिक शिक्षा को भारतीय समाज की संरचना एवं स्तरीकरण व्यवस्था के संदर्भ में समझा है। भारतीय सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को विश्वविद्यालयों ने चुनौती दी है और प्रभावित भी किया है। लेकिन इससे परे सामाजिक समानता पैदा करने में सीमित भूमिका निभाई है। बेते कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात् विश्वविद्यालय व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। प्रारम्भिक विश्वविद्यालयों (1857 में खोले गए) कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई में भी पहले की तुलना में संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक स्तर पर पहले से बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है।

प्रारम्भिक काल में महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य होता था और विश्वविद्यालय मात्र पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा एवं डिग्रीयां प्रदान करने के केन्द्र थे। अध्यापन कार्य विश्वविद्यालय नहीं करते थे। अध्यापन एवं अनुसंधान कार्य का प्रारम्भ तो स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद हुआ। कलकत्ता में 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ (1906-14) में आशुतोष मुखर्जी (वाइस चांसलर) ने अनुसंधान एवं अध्यापन कार्य प्रारम्भ करवाया।

पणिक्कर (2011) का कहना है कि भारत के प्रथम शिक्षामंत्री अबुल कलाम आज़ाद एक विचारक के रूप में स्वीकार करते हैं कि "तात्कालिक ओपनिवेशिक व्यवस्था ने विज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के नये विश्व को भारत के सामने प्रस्तुत किया है। इसने उन्नतिशील आत्मा को समाहित किया है। विश्व के दूसरे देशों के मानकों के बराबर भारतीय शिक्षा के मानकों को स्थापित किया है। विश्व के सभी पक्षों में उन्नतिशील दृष्टिकोण को आधुनिक परिप्रेक्ष्य दिया है। उपनिवेशिक शासन ने जिस औपचारिक व्यवस्था की स्थापना की, उसने एक बुर्जुआ मध्यम वर्ग की स्थापना की"।

राजा राममोहन राय ने 1824 में एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था। उसमें बताया कि मध्यम वर्ग में एक परिप्रेक्ष्य विकसित हुआ जो उसे दिशा देता है और उदारवादी एवं मानवीय मूल्यों के आधार पर पश्चिम की विज्ञान की शिक्षा की नींव रखता है और वैज्ञानिक सोच एवं दृष्टिकोण देता है। जाति एवं धार्मिक जड़ता से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। उच्च जातियों के दबाव के बाद भी बहिष्कृत समूहों (निम्न जातिगत समूह) को शिक्षा का लाभ मिला और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगा। इसी संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात् इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने दीक्षांत भाषण में जवाहर लाल नेहरू ने मानव विकास के लिए ज्ञान की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा था कि आधुनिक विश्वविद्यालय अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे तो राष्ट्र और लोगों का भला होगा (नेहरू, 1958:333)।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1966 में सामने आई जिसे डी.एस. कोठारी के मार्गदर्शन में लिखित रिपोर्ट के आधार पर निर्मित की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मानव संपदा का विकास शिक्षा प्रसार द्वारा ही संभव है। उनका मानना था कि परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों के साथ पश्चिम की अच्छी बातों को भी अपनाया जाना चाहिए। यह उदार, धर्मनिर्पेक्ष, प्रजातांत्रिक एवं सार्वभौमिक दृष्टिकोण का वाहक बनेगी। कोठारी मानते थे कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में किसी क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासन ने जो व्यवस्था विकसित की थी वह भारतीय परंपराओं और सामन्तवादी व्यवस्था को ध्यान में रखकर की थी। वर्तमान में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शिक्षा के द्वारा प्रजातांत्रिक और समाजवादी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी है (नई दिल्ली, 1970)।

यशपाल के नेतृत्व में जो रिपोर्ट तैयार की गई वह अकादमिक अधिक थी। उसमें कई महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान सुझाव थे जो उच्च शिक्षा के पुनर्निर्माण एवं ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। इन सुझावों पर आधारित कई सुझावों को सरकार ने संसद में रखा। जिसकी तीन प्रमुख विशेषताएं थीं—(1) नेशनल कौंसिल फोर हायर एजुकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना। (2) योजना आयोग की सरकारी—निजी सहभागिता पत्रक। (3) फारेन ऐजुकेशन प्रोवाइडर (रेग्यूलेशन) बिल, 2010—विदेशी निवेशकों का देश में प्रवेश।

नयी शिक्षा नीति को अपनाने के पीछे आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की प्रेरणा थी। वैश्विक शैक्षणिक एवं बौद्धिक आदान—प्रदान एवं प्रभावशाली सहभागिता के लिए यह अनिवार्य स्थिति थी। इसके लिए आई.आई.टी. व आई.आई.एम., अन्तः विश्वविद्यालय अनुसंधान केन्द्र, कई केन्द्रीय विश्वविद्यालय और विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की योजना निर्मित की गई। पूंजीवादी आधुनिकीकरण ने सरकार को खुली अर्थव्यवस्था के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं को छोड़ना शुरू किया और उसमें निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति दी। एक ओर वैश्वीकरण तो दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए यह क्षेत्र खोल दिया। लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन्स की प्रवृत्ति सेवा क्षेत्र का हिस्सा होने के बजाए लाभ प्राप्ति की हो गयी।

बेते का मानना है कि अगर वास्तव में वृहद् स्तर पर निजीकरण होता है तो (उच्च शिक्षा में), जैसा कि लग रहा है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में दुर्घटना होगी क्योंकि अधिकतम योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जायेंगे। प्रवेश महंगा होता चला जाएगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था इस अंतर को और बढ़ाएगी। उच्च शिक्षा का एक दूसरा चेहरा विदेशी शिक्षा प्रोवाइडर्स का है। जिन्हें भारत में 'शिक्षण संस्थान' स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। स्थानीय शिक्षण संस्थाओं के साथ भी मिलकर शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की है। नीति में स्पष्ट लिखा है कि विदेशी शिक्षा उपलब्धकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जो पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्यक्रम भारत में चलाया जा रहा है वह मानकों के अनुरूप गुणात्मक हो। पाठ्यक्रम शिक्षा प्रदान करने की विधि, अध्यापक एवं विद्यार्थी मुख्य संस्थान की तरह ही सर्वोत्तम हो।

यह पढ़—सुनकर बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि विश्वस्तरीय शिक्षा हमारे यहां उपलब्ध होगी। लगा था ऑक्सफोर्ड व हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी अपने कैम्पस भारत में खोलेंगे। लेकिन फिलिप एलबॉक एवं अन्य (2011) विद्वानों का कहना है कि "वैश्विक अनुभव दर्शाता है कि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थाएं जो विदेशी बाजार में प्रवेश कर रही हैं, वे प्रतिष्ठित नहीं हैं क्योंकि जो निम्न स्तर के हैं, वे स्वयं को बाजार व्यवस्था में स्थापित करने के लिए व अधिकतम आय अर्जित करने के लिए प्रवेश कर रही हैं"। यह सही भी है, क्योंकि अब तक किसी भी स्थापित विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय से भारत के विश्वविद्यालय जुड़ नहीं पाए हैं (Beteille, 2010)।

भारत जैसे देश के लिए जो सबसे कष्टकर है वह है उसका सांस्कृतिक पक्ष। क्योंकि जो पाठ्यक्रम विकसित किए गये हैं, वे देश विशेष के हिसाब से हैं, उनकी सामाजिक—सांस्कृतिक आवश्यकताओं के

अनुरूप हैं। विश्वविद्यालय मात्र ज्ञान के उत्पादन एवं प्रसार के लिए ही नहीं है वरन् वह ऐसी धारा है जो देश के निर्माण की पहचान होती है। वैश्वीकरण ने लोगों की सांस्कृतिक पहचान को निगल लिया है। अतः अब विकसित पूंजीवादी देशों की सांस्कृतिक व बौद्धिक क्षमता के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है और होगा।

अब्दुल कलाम आज़ाद (स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम शिक्षामंत्री) के समय से अब तक भारत ने बहुत दूरी तय कर ली है। अब लौटना असंभव है। पिछले 69 वर्षों में भारत बहुत बदल गया है। अब यह उत्तर-औपनिवेशिक समाज नहीं रहा। अब वह नव-उपनिवेशवाद से प्रभावित है जिसमें नीतियां एवं विकास की कार्य-प्रणालियां नये वैश्विक पूंजीवाद के हितों के अनुरूप निर्मित हो रही हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षा अति प्रभावशाली कारक है, प्रभावशाली मध्यम वर्ग इस नई विकसित परिस्थितियों से बिना किसी खेद के जुड़ा है, यह इसलिए क्योंकि नई विकसित परिस्थितियां वैश्विक शक्तियों की उपज है।

1990 में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार हेतु संरचनात्मक प्रयास में परिवर्तन (विश्व बैंक के दबाव में) प्रारम्भ किए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक व्यय प्रति वर्ष कम करते जाना था और शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित करना था। इस संदर्भ में लम्बी अवधि की शिक्षा नीति को अपनाया गया। परिणामस्वरूप अनिश्चित भविष्य के साथ शिक्षा का निजी क्षेत्र में अनाप-शनाप विस्तार होने लगा। कुछ परिणाम अच्छे थे। लेकिन अधिकांश मध्यम एवं निम्न वर्ग की शिक्षा से दूरी बढ़ाने वाले हैं। यानी शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि इन परिवारों की पहुंच मुश्किल हो गई है।

नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना और पुरानों का विस्तार प्रारम्भ में सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत कम था। लेकिन 2010 के बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना अविचारित एवं अतार्किक आधार पर राजनीतिक उद्देश्यों से बढ़ती गई। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निजी क्षेत्र के लिए में खोल दिया। सरकार का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा पर व्यय से बचना और निजी क्षेत्र से आय का अतिरिक्त स्रोत पैदा करना था। 2010 के बाद 2014 में तो बेतहाशा शैक्षणिक संस्थाएं खोली गईं। शिक्षा के इन केन्द्रों पर सामाजिक उद्देश्य गौण होता गया और राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ एवं हस्तक्षेप में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

1947 से 2015 तक विश्वविद्यालयों के विस्तार से स्पष्ट होता है कि 2010 से 2015 के बीच मशरूम की तरह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। यही वह समय था जब निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नये विश्वविद्यालय विषय विशेष के आधार पर भविष्य की आवश्यकता तो देखकर अधिक खोले गए। उदाहरण के तौर पर मेडिकल, मेरीन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, विधि (कानून) एवं इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में खोले गए।

विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं	1947	1957	1967	1977	1987	1997	1998	2015
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3	4	4	7	9	15	16	46
राज्य विश्वविद्यालय	17	35	65	98	134	164	198	329
डीम्ड विश्वविद्यालय	—	—	7	9	22	39	39	128
राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं	—	2	8	8	10	11	11	11
निजी विश्वविद्यालय	—	—	—	—	—	—	—	197
कुल विश्वविद्यालयी संस्थाएं	20	41	85	123	175	229	264	711

(स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिपोर्ट 2015-2016)

प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त विचारों को समाहित करते हुए भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और प्रसार पर आंतरिक और बाह्य दबावों पर बते कहते हैं कि इन दबावों को पिछले कई दशकों से देखा जा सकता है और इनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। अपने विभिन्न लेखों में विशिष्ट संदर्भ में आन्द्रे बते ने वर्णन भी किया है। उन्होंने दो प्रकार के दबावों की चर्चा की है— प्रथम, अकादमिक और दूसरा सामाजिक—राजनीतिक। अकादमिक दबाव ज्ञान की वृद्धि और विभेदीकरण से होता है। ज्ञान की वृद्धि से नये विषयों और ज्ञान की नई शाखाओं का अभ्युदय होता है, उनकी स्थापना होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुराना ज्ञान या ज्ञान की शाखाओं का अस्तित्व नहीं रहता। हां, उनका महत्त्व कम हो सकता है। जबकि सामाजिक—राजनीतिक दबाव वंचित वर्गों को शिक्षा के लिए समाहित करने का दबाव बनाता है। यह पद—सोपान व्यवस्था में समानता पैदा करने का एक तरीका भी है। वर्तमान में आरक्षण का सम्पूर्ण मुद्दा उससे जुड़ा है। शिक्षा के लिए सुविधाओं हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना उसका महत्त्वपूर्ण पक्ष है ताकि वे ज्ञान अर्जित कर मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन इसका प्रत्यक्ष परिणाम बताता है कि ज्ञान व योग्यता का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। यह स्वैच्छिक संगठनों एवं राजनेताओं का शस्त्र बन कर रह गया है।

हमारे शिक्षा के उद्देश्यों में गहन विरोधाभास है। एक ओर हम नये—नये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोल कर लाखों डिग्रीधारियों की फौज बढ़ा रहे हैं, लेकिन रोजगार की संभावनाएं अति सीमित है। दूसरी ओर नये संस्थाओं को निजी क्षेत्र में खोले जाने की अनुमति दे रहे हैं। निजी क्षेत्र में बहुत कम संस्थान गुणवत्ता को बनाए रख पा रहे हैं। अधिकांश निजी क्षेत्र के संस्थान विश्वविद्यालयी शिक्षा को तो उद्योग की तरह चला रहे हैं और अधिकतम लाभांश एकत्रित करने का स्रोत बनाए बैठे हैं। इनमें मेडिकल, इंजिनियरिंग, एम.बी.ए आदि जैसे गम्भीर व प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के संस्थाएं चलाए जा रहे हैं। इन संस्थाओं के छात्रों और प्राध्यापकों की गुणवत्ता पर कोई नियंत्रण नहीं है अतः भावी पीढ़ी की गुणवत्ता भी प्रश्नवाचक है। सरकारी संस्थाओं में रिटायरमेंट के बाद नियुक्तियां लगभग नहीं हो रहीं। नये युवकों को 8 से 15,000 रुपये के वेतन पर नियुक्त कर रहे हैं और कोई अन्य भत्ता बिल्कुल नहीं दे रहे। ऐसी संस्थाओं में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता। कम वेतन कम अकादमिक योग्यता एवं अनुभव अध्यापन की गुणवत्ता और अकादमिक वातावरण को ओर भी कमजोर करता है और यही हो भी रहा है।

जयराम (2016) अपने 'भारत में उच्च शिक्षा सुधार: संभावना और चुनौतियां' में लिखते हैं कि राजनेता और नीति निर्धारक शिक्षा व्यवस्था में सम्पूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता की बात करते हैं लेकिन इसके लिए कोई प्रयास कतई नहीं हो रहे। जो हो रहा है वह किसी न किसी देश के विश्वविद्यालय की नकल के अतिरिक्त कोई ईमानदार प्रयास नहीं। केवल मात्र सतही परिवर्तन किए जा रहे हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि परम्परागत भारतीय विश्वविद्यालय व्यवस्था अतिरिक्त रूप से कठोर है और इसमें परिवर्तन के प्रति सरकार, प्रशासन, अध्यापक एवं विद्यार्थी अनिच्छुक हैं। स्थापित व्यवस्था में ही परिवर्तन की प्रेरणा या इच्छा विद्यमान नहीं है, जब कभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य अगर बाहर से प्रयोग एवं नवाचार को प्रस्तावित करता है तो उसका विरोध होता है और अगर परिवर्तन की अनिवार्यता होती है तो अनिच्छापूर्वक रस्म की तरह पूरा किया जाता है।

उदाहरण के रूप में पदोन्नति योजना, फेकल्टी सुधार कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों का व्यवसायीकरण, सेमेस्टर योजना चलाना, वार्षिक स्वमूल्यांकन रिपोर्ट, रिफ्रेशर एवं ओरियन्टेशन पाठ्यक्रम, आदि। शैक्षणिक नवाचार एवं प्रयोग विश्वविद्यालय सीमा से बाहर ज्यादातर निजी संस्थानों में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाते लग रहें हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी निजी संस्थान यह कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर निजी संस्थान अपने व्यवसायिक उद्देश्यों (अधिकतम आय प्राप्त करना)

की पूर्ति में लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि उच्च शिक्षा में निजीकरण गुणवत्ता के लिए शुभ संकेत है, लेकिन यह आंशिक स्तर तक ही संभव है। इसी प्रकार, वैश्विक उच्च शिक्षा और समाज के वातावरण के लिए अनुसंधान विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें मौलिक अनुसंधान केन्द्रीय व्यवस्था है जिसका अपनी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्त्व है। अधिकांश देशों में अधिकतर वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन साथ ही साथ इन विश्वविद्यालयों में अध्यापन भी होता है, जिसमें भी अनुसंधान परिणामों का केन्द्रीय स्थान होता है।

आर्थिक संकट के दौर में विश्व के ज्यादातर देशों में शिक्षा के बजट पर प्रभाव देखा जा सकता है। इसी दौर में भारत में सरकार की प्राथमिकता में उच्च शिक्षा के बजट का यही हश्र हुआ है। सामान्य विश्वविद्यालयों की ही नहीं अनुसंधान विश्वविद्यालयों के वित्तीय अनुदान में भी निरंतर कटौती हो रही है। एक ओर बढ़ती जनसंख्या और दूसरी ओर आर्थिक विकास ने अनुसंधान विश्वविद्यालयों की आवश्यकता को बढ़ा दिया है तो दूसरी ओर सरकार शिक्षा बजट पर कैंची चला रही है। वर्तमान में केन्द्रीय व राज्य सरकारें अपने हाथ खड़ा कर रही हैं और विश्वविद्यालयों को उनकी अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ रही हैं और आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए धनार्जन हेतु आदेश दे रही हैं।

विश्वविद्यालय के खर्चों में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के अतिरिक्त व्यवस्था को बनाए रखने और विकास हेतु आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। अतः नये स्रोतों के रूप में स्वपोषित पाठ्यक्रम, बौद्धिक सम्पदा व सलाह मशविरा द्वारा आय एवं निजी क्षेत्र से डोनेशंस आदि से आर्थिक कोष में वृद्धि के प्रयास किए जाने लगे हैं और अनुसंधान व्यय के लिए भी निजी क्षेत्रों के लिए सरकार की अनुमति के बाद प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारें अपना हाथ खींचती जा रही हैं। विश्वविद्यालय दानदाताओं की खोज करने लगे हैं और वित्तीय जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकारें अब निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को खोलती जा रही हैं।

उच्च शिक्षा में उभरती समस्याओं एवं चुनौतियों के बढ़ते हुए भी, आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय प्रत्येक उच्च शिक्षा व्यवस्था में केन्द्रीय महत्त्व रखते हैं। भविष्य इसमें और भी वृद्धि होगी क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था एवं विकसित समाजों में उच्च शिक्षा के विस्तार और विकास तथा संबंधित उनकी समस्याओं व चुनौतियों के समाधान के लिए विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बाद से जितने भी शिक्षा के आयोग एवं समितियां बनी हैं (1948-49, 1964-66, 1985, 1986, 1990, 1992, 2005, 2007, 2009 आदि में) सभी ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण 'स्वायत्तता' और 'जिम्मेदारी' देने की बात की है।

उच्च शिक्षा की प्रत्येक संस्था को श्रेष्ठता का केन्द्र माना जाता है, और श्रेष्ठता की प्राप्ति तीन चीजों – अध्यापन एवं सीखने, खोज करने और विनियोजन से होती है। वैश्विक उच्च शिक्षा की प्रगति एवं इतिहास से यह सुस्पष्ट है कि स्वायत्तता का मुद्दा उच्च शिक्षा की प्रगति एवं विकास के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और इसीलिए स्वायत्तता और श्रेष्ठता के बीच केन्द्रीय संबंध है। यही कारण है कि जिन संस्थाओं में स्वायत्तता का जितना उच्च स्तर है वे उतने ही श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित हैं। (वेद प्रकाश, 2011)

शिक्षा आयोगों की लगभग सभी रिपोर्ट्स से यह संदेश भी मिलता है कि अकादमिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता खतरे में तो है ही, साथ ही इनमें केन्द्रीय व राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों, आदि का हस्तक्षेप भी इसकदर बढ़ गया है कि कई बार संस्थानों का अस्तित्व ही खतरे में लगने लगा है। अनाधिकार व अनपेक्षित हस्तक्षेप ने अकादमिक स्वतंत्रता को भी इन संस्थाओं से छीन लिया है। यह अनाधिकार हस्तक्षेप सभी तरह की नियुक्तियों, प्रमोशन्स, विद्यार्थी के प्रवेश, परीक्षाएं आदि में निरंतर बढ़ रहा है। छात्र संघ चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप के नये-नये पैमाने और द्वार खुल रहे हैं जिसे राजनीतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने के प्रशिक्षण आदि के रूप में देख सकते हैं।

भारत में उच्च शिक्षा में संस्थानों के बहुआयामी प्रतिबिम्ब विद्यमान हैं। एक ओर विश्वस्तरीय प्रमुख संस्थाएं (आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि) एवं नये स्थापित केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा पोषित विश्वविद्यालय हैं तो दूसरी ओर निजी विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं विकसित किए गए। इन सभी प्रकार की संस्थाओं की स्वायत्तता, अकादमिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के मुद्दे उच्च शिक्षा आयोग द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित हैं। 1964-66 में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की सही जिम्मेदारी बौद्धिक वातावरण को प्रोत्साहित एवं विकसित करने की है ताकि देश में विद्वता और श्रेष्ठता में वृद्धि हो। लेकिन केन्द्र व राज्य दोनों द्वारा अपने-अपने नियमों व कायदों को विश्वविद्यालयों पर थोपा जाता है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है क्योंकि इनकी स्थापना संसद एवं विधान सभाओं में अधिनियमों द्वारा की जाती है।

भारतीय शिक्षा आयोग ने संस्थानों की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता के अंतर की व्याख्या की है। उसमें कहा गया है कि अध्यापक को यह आदेश नहीं दिया जा सकता कि वह अमुक चीज पढ़ाए और अमुक नहीं। विशेषकर वह जो अध्यापन की चेतना या सत्य की अवधारणा से अलग हो। अध्यापक को अपना दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता होती है और होनी चाहिये। अपने विशिष्ट व्यक्तिगत विचारों के साथ ही अन्य सभी विचारधाराओं एवं दृष्टिकोणों को बिना भ्रम फैलाए तटस्थ रूप से पढ़ाना चाहिये। इसी प्रकार एक अध्यापक को अपने अध्ययनों और अनुसंधानों के प्रकाशन की स्वतंत्रता होनी चाहिये। साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने और लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। शिक्षा आयोग का मानना है कि अध्यापकों को सभी सुविधाएं व प्रोत्साहन उनके कार्यों, अध्यापन व अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिये। चाहे अध्यापक के विचार या उपागम उसके वरिष्ठ प्राध्यापकों या विभागाध्यक्षों के विपरीत ही क्यों न हों (वेद प्रकाश, 2011)।

लेकिन संस्थागत स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता दोनों सैद्धान्तिक बातें हैं। इन्हें कुछ उच्चस्तरीय संस्थाओं में तो देखा जा सकता है लेकिन यह अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों स्तर पर दी जानी चाहिये। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इन तीनों ही स्तरों या स्वायत्तता में सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा है। इसके प्रमुख कारणों में बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतंत्रीय व्यवस्था, वित्तीय निर्भरता, वाइस चांसलर और प्राध्यापकों की नियुक्तियों में राजनीतिक दबाव एवं हस्तक्षेप, बिना सोचे-समझे नये-नये नियंत्रण के नियमों, अधिनियमों का निर्माण और नये विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का निर्माण।

डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और यह ज्ञान की सभी शाखाओं में देखी जा सकती है। रघुराम राजन इसे भविष्य की बहुत बड़ी समस्या कहते हैं। 80 प्रतिशत डिग्रीधारी इंजीनियर बेरोजगार हैं। इनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है क्योंकि अनैतिक महाविद्यालयों की भरमार के साथ मोटी ट्यूशन फीस और अध्यापन का निम्न स्तर इसके लिए जिम्मेदार है। इस पर ज्यादा फीस के कारण विद्यार्थी के माता-पिता को बैंक से शिक्षा ऋण लेना पड़ता है, जो मध्यम वर्ग के लिए अत्यधिक आर्थिक बोझ का कारण बनता है (पुष्कर, 2016)। अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा यानि अच्छी संस्थाएं बहुत ही मंहगी हैं और वर्तमान सरकार के रहते और भी मंहगी होती जा रही है। गुणवत्ता को बनाए रखने के मानक तो हैं, लेकिन सरकार और उसकी मशीनरी इसपर ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रही या नहीं करना चाहती।

हमें समाज में विश्वविद्यालय का क्या स्थान है, इसे समझना चाहिये। समाज और विश्वविद्यालय को वृहद् दृष्टि से देखना चाहिये। विश्वविद्यालय मात्र 'ज्ञान सिखाने का केन्द्र' ही नहीं है वरन् उनकी भूमिका 'ज्ञान को उत्पन्न करने और प्रसारित करने' की भी है। विश्वविद्यालय 'सामाजिक संस्थाएं' भी है, जो युवा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच विशिष्ट अन्तःक्रिया भी उपलब्ध कराती हैं। यहां हम विश्वविद्यालय की सामाजिक महत्त्व को जांचने तथा आगे ओर सीखने में इसके योगदान की बात करते हैं।

वर्तमान विश्वविद्यालय या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था मूलतः औद्योगिक क्रान्ति और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की उपज है। औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप उभरी सामाजिक परिस्थितियों ने धार्मिक जड़ताओं को भी समेटना प्रारम्भ किया है और प्रजातंत्रीय व्यवस्था में धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा दिया और वैज्ञानिक सोच पैदा की। बेते अपने शोध निष्कर्षों और लेखों (अध्याय, 6 20इ) में बताते भी हैं कि भारतीय समाज की पद-सोपानिक संरचना ने व्यक्तियों और परिवारों के बीच समानताओं पर जाति समूहों और समुदाय की विविधताओं का असर देखा जा सकता है। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था ने मध्यम वर्ग के प्रसार की चर्चा की है। मध्यम वर्ग अपने बच्चों को (अब उच्च-निम्न वर्ग भी) अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अथवा निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं (Kremer, 2006)। पद-सोपानिक व्यवस्था के मूल्य और मनोवृत्ति असमानता को बनाए रख रही है जबकि शिक्षा व्यवस्था समानता के मूल्यों का प्रसार करती है।

भारत में सम्पूर्ण जनसंख्या को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं (भवन, अध्यापक, प्रशिक्षण, ब्लेकबोर्ड, पुस्तकें एवं अन्य सुविधाएं) नहीं है। यही कारण है कि शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव विद्यमान है। दूसरी ओर लगभग सभी भारतीय विश्वविद्यालयों (और अब इनकी संख्या में भी अतार्किक वृद्धि हो रही है) की अपनी आधारभूत और नयी-नयी समस्याएं बढ़ते हुए देखी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं व चुनौतियां विश्वविद्यालय की 'स्वायत्तता' और 'अकादमिक स्वतंत्रता' की है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी समस्या 'वित्तीय व्यवस्था' (फंडिंग) की है। इसके चलते अनुसंधान कार्य भी बहुत सीमित हो गये हैं। अनुसंधान स्तर में भी गिरावट आई है और गुणात्मकता दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। निजी क्षेत्र का शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश अच्छा कम बुरा अधिक है। मनमानी फीस, कम वेतन, अधिकतम लाभांश शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर कम कर रहा है। सबसे निकृष्ट स्थिति राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप की है जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर का पतन किया है। केम्पस में राजनेताओं का प्रवेश, छात्रसंघ चुनाव, गुंडागर्दी आदि ने वातावरण को दूषित किया है। वर्तमान राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है।

आन्द्रे बेते विश्वविद्यालय शिक्षा को चौराहे पर बताते हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक में प्रस्तावना के अतिरिक्त 12 लेख संकलित किए हैं जो भारत में विश्वविद्यालय की दुर्दशा को बताते हैं। उपरोक्त सभी बातें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आन्द्रे बेते के विभिन्न लेखों का सार है। प्राथमिक व सेकेन्डरी शिक्षा (अध्याय 5 व 6) पर लिखे दोनों लेख उन कमजोरियों को सामने रखते हैं जिन्हें हम भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं क्योंकि हमारा सामना विद्यालयों से पास होकर आए विद्यार्थियों से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में होता है। अन्य लेख विश्वविद्यालय एवं समाज, जनसंस्थाएं विश्वविद्यालय के रूप में, विश्वविद्यालयों का विस्तार, समाहित समाज के निर्माण, संस्थाओं का जाल, समाज विज्ञान अनुसंधान, सामाजिक सिद्धान्त एवं सामाजिक नीति, 21वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय एवं व्यवहारिक विश्वविद्यालय आदि सभी को ऐतिहासिकता के संदर्भों में समाहित करते हुए भारतीय सामाजिक सोपानिक व्यवस्था में समानता और असमानता की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों को तुलनात्मक आधार पर पाठकों के सामने रखते हैं। ज्ञान प्रसार की निरंतर वृद्धि और सामाजिक भागीदारी के कारण विश्वविद्यालयों की संख्या और आकार में की जा रही तीव्र वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करते हुए बेते परिणामों का वर्णन करते हुए उनकी गुणात्मकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं।

आन्द्रे बेते की लेखन शैली और भाषा की सरलता व स्पष्टता इस पुस्तक को आकर्षक एवं ग्राह्य बनाती है। पुस्तक का सार ज्ञान बढ़ाने के लिए ही नहीं वरन् पाठकों के विचारों को झकझोरता है और प्रतिक्रिया स्वरूप सोचने को प्रेरित करता है। सभी समाज वैज्ञानिक एवं युवा विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक पठनीय है। एक बार यह पुस्तक पढ़ी ही जानी चाहिये।

References

- Altbach, Philip S. (2011). The past, present and future of the research university, *Economic and Political Weekly*, XLVI, (16).
- Beteille, Andre. (1965). *Caste, Class and Power*; Berkeley: University of California Press.
- Beteille, Andre. (1981). The indian university: academic standard and the pursuit of equality, *Minerva*, Vol. xxx, (2).
- Beteille, Andre. (2000). Teaching and research. *Seminar*. 495.
- Beteille, Andre. (2000-a). *Antinomies of Society*, New Delhi: Oxford.
- Beteille, Andre. (2000-b). *Chronicles of Our Time*, New Delhi: Penguin.
- Beteille, Andre. (2005). *Ideology and Social Science*, New Delhi: Penguin.
- Beteille, Andre. (2010). *University at The Crossroads*, New Delhi: Oxford.
- Government Of India. *The Report of The University Education Commission, 1948-49*. New Delhi: Ministry of Education (Dr. Sarvapalli radhakrishnan).
- Jayaram, N. (2011). *Higher Education Reform in India : Prospects and Challenges*, From Google Net.
- Kremer, Michael, Et al. (2006). *Teacher Absence in India*. Harvard University (Working draft) quote by Andre Beteille (2010).
- Nehru, Jawaharlal. (1958). *Speeches, 1946-49*, Vol. I. New Delhi: Government of India.
- Panikkar. K.N. (2011). India's education policy from national to commercial, *Economic and Political Weekly*. XLVI, (17).
- पुष्कर, पी. (2016). डिग्री के लिए कर्ज तले दबते युवा, *राजस्थान पत्रिका*. (2016, 3 अगस्त)।
Report of Education Commission, 1964-66, New Dehli, 1970,
- Shils. Edward. (1972). *The Intellectuals and The Powers*, Chicago : University of Chicago Press.
- Shils, Edward. (1992). The service of society and the advancement of learning in the twenty. First century, *Minerva*. XXX, (2).
- Shils, Edward. (1997). *The Calling Of Education*, Chicago: Press.
- Ved Prakash, (2011). Concern about autonomy and academic freedom in higher education institutions, *Economic and Political Weekly*, XLVI (16).

प्रो. मधुसूदन त्रिवेदी, पूर्व आचार्य— जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर
173, नवरत्न कॉम्प्लेक्स, उदयपुर 313001-
mstrivedisocio@gmail.com.

Book Reviews

Indian Society: Continuity and Change

Yogesh Atal

Pearson, Delhi, Chennai, 2016, 197pp. ISBN 978-93-325-5363-7.

Reviewed by: Supriya Seth

Lecturer – Sociology, Government College Kota

supriyasethdubey@gmail.com

Professor Yogesh Atal; a sociologist of repute, having long worked as social science professional in UNESCO and other institutes of enviable standing in India and abroad; having authored about forty well researched books in the discipline of Sociology; at the age of 79 has authored these two books which claim to be an Introduction to Indian Society. It also fits to be a text book on Indian society for entry level graduate students in India. It is a pleasant surprise and satisfaction as these are written with such a long experience in the discipline. Definitely the books provide a fresh and updated overview of Indian society encapsulated with rich ideas of the author precipitated over the years and therefore also sets a benchmark for text book writing as it must be done with utmost seriousness.

While both the books have same content: one in English and other in Hindi. The Hindi version, though written later is not a translation of the English version, rather it is rewritten. It is a welcome idea that the writers who are good in both the languages should avoid translating their English work to Hindi because translation always has its limitation. Original writing in whatever language, has its own flow and ease which at times gets compromised in the translated version. It is an uncommon feat and we do not have many scholars who cherish writing in both languages. Even those who can, do not do it as it is painstaking and less rewarding. However, for the sake of vernacular development of discipline, it must be aspired for and emulated.

As is evident from the subtitle of the book, the author has re-emphasized the changing aspect of the so called traditional Indian society. In the preface itself he, in a way, seconds the eminence of 'endogenetic' and 'orthogenetic' factors contributing to the changes in Indian society as Yogendra Singh in Modernization of Indian Tradition has synthesized. Therefore, he concludes his book with 'Changing India' as the last chapter in which he highlights the changes witnessed in demography, caste, family, settlement pattern and literacy among others. He has also covered areas like transportation, Communication and political culture which are least touched aspects in other available text books. In the end of the book he quickly sums up the changing aspects of caste and opines that caste is not the same as it was described by Indologists and foreign authors and describes some changes in its attributes. But he overlooks the fact that caste adds a lot to the complexity of the Indian society and is still reinventing and reproducing itself in different types of social inequalities. This might be due to the limitation of the format of text book and in view of the target audience that he may not have felt the need to elaborate upon this aspect. However, for a person of his profoundness this was aptly expected.

The book is divided into ten chapters in all. It begins with the discussion on 'Unity in Diversity' by briefly discussing the historical, racial, geographical, linguistic and religious aspects to show how it affects the lives of its people. It emphasizes how the accommodation and amalgamation over centuries have been unifying such a rich diversity. In the next chapter, the author devotes a good deal to give updated sectional profile of Indian population with ample charts and tables to point how country's economic and social development and people's well-being are circumscribed by the qualitative and quantitative aspects of its demography. Third and fourth chapters focus on Urban and Rural lives of Indian society respectively. In these chapters types and structure of cities and villages are discussed. The impact of migration and presence of urban poverty also find due mention.

There are only two chapters pertaining to the disadvantaged groups of Indian society. Chapter fifth relates to Tribal India and Chapter eight with the status of women. Strikingly, there is no dedicated chapter on Scheduled Castes or Dalits and other disadvantaged groups. The description of the tribes consists of the tribal distribution, the levels of their economy, social organizational forms, their cultural contact and government planning for their development. Apart from mentioning that "tribal areas are relatively backward" and their "relative isolation obstructed the winds of change" the book is curiously silent on the exploitation, displacement, alienation, subordination, poverty and other problems of tribal populace. Comparatively, the chapter on Status of women is accommodative of the problems faced by women in India today. While discussing issues like sex ratio, literacy and employment, an overview of enabling social legislation in favour of women is provided. Prevalent forms of violence against women like Acid throwing, Child Marriage, Dowry, Domestic violence, Female Infanticide, Sexual Harassment and Trafficking have found place.

Rest three chapters are devoted to Varna and Jati; Marriage, Family and Kinship; and Indian Polity. The chapter on Varna and Jati briefly discusses the 'structural' and 'cultural' characteristics of Jati, the problems encountered in defining caste and its distinction with Varna. Here, the process of Sanskritisation is viewed as the source of change in caste hierarchy without giving a due recognition to the problems identified by several authors in the concept of Sanskritisation. It must be added here that the elaboration on caste has significantly underplayed its oppressive and exploitative, both economic and social, aspects.

The book at times tries to touch upon few polemical issues but refrains from taking conclusive position, which a person of author's stature and experience should have taken. Omissions and underplaying of certain issues makes one to think of the book to be a kind of showcasing of Indian society for the tourists and travelers, and relegating the contentious issues behind. It is also noteworthy that it brings forth important issues, some of which at times are relatively least discussed and described elsewhere, but disappointedly these do not find sufficient elaboration. One hopes that these issues are addressed in the subsequent editions of the book.

It can be said that book is attractively laid out with good number of charts, tables, images and illustrations. It makes a lucid reading both in English and Hindi. Thus it is a welcome publication having the target audience in mind such as school and undergraduate level sociology beginners, and foreign tourists who can be introduced to the complexities of Indian society and changes being witnessed by it.

Change & Continuity in Student Radicalism,

Anirban Banerjee

Kolkata: Levant Books, 2015, Rs. 395 (hb). ISBN: 978-93-84106-15-7

Reviewer - Suresh Chandra Rajora

Retd. Professor of Sociology, University of Kota

drscrajora@gmail.com

The book under review is basically a revised version of the report of a major research project on “Change & Continuity in Student Radicalism” awarded to the author by University Grants Commission and that was carried out during 2007-2009. It has been organised in eight chapters. The issue of student radicalism is an old issue for the author because his Ph.D. dissertation was also on the same topic in 1991. However conceptual explanations are missing. The background of present work has been justified on the basis of major policies like; liberalisation, Privatisation and Globalisation, decisions taken by the powerful leaders and ideological transformations happened time to time with leading nations. Further the author claims that his work on student radicalism has been the leading one undertaken by him in 21st century and this is his second book on the same subject. It shows that the area of study is less researched, while at other place the author mentions that student radicalism as an academic discipline emerged in the sixties of the twentieth century and the literature on student radicalism is vast and variegated. Than how can we believe that Banerjee's work is the first one on this subject. From that point of view, a comparison has been made by him between the findings of two studies conducted by himself in Calcutta University after an interval of two decades.

Based on a research project report the book is structured on the pattern of a thesis. At the outset it has been elucidated that the aim of the project was to study student radicalism as a sociological construct as well as a social fact, which is vitally essential to understand today's youth. For the analysis Banerji establishes an association with eight relevant variables, these are; rural urban background, gender, caste, type of discipline studied, economic status, political activism, alienation and generation gap. The author finds that radicalism as a social construct is quite complex having two different levels, namely, systematic and interactional. In view of the author the teen aged and pre-teen aged girls at Bankura, Purulia and Mushidabad have rebelled against child marriage. They have been considered as radicals at the interactional level

The term radicalism rather radical social change to the author is transcendence of capitalism and its replacement by socialism. Further the term used by him in the sense of left wing radicalism as distinguished from right wing radicalism. He explains left wing radicalism as that is associated with Marxism and others which espouse the cause of the downtrodden and exploited masses and advocate social and economic equality. In his opinion right wing radicalism seeks to serve the interest of the privileged few and to establish one form or another of human inequality in an elitist fashion. Radicalism is culture specific and historic-specific, therefore the author emphasises that any discussion of radicalism must specify the country and the period of time to which that radicalism has reference. And Banerjee is comfortable to refer contemporary India in context to radicalism, however he is

cautious enough to distinguish it from the term 'radicalism' as it has been in vogue in the context of contemporary ideological discussion in the former USSR or the present day People's Republic of China.

It seems that three chapters of the book consist the fundamental text which reveals the analysis of field survey. In chapter five the changing profile of students has been examined and compared by the two sets of data the present one dealing with 150 students and the past data consists of 314 students, that was already analysed two decades ago. Significant attributes and variables have been analysed to understand the social background of the respondents. The contexts and concomitants of student radicalism in the 21st century have been examined in chapter six by administering certain research questions and studied at systematic and interactional level. The thematic issue change and continuity in student radicalism is focussed in chapter seven. Marked differences in the attitudes of students have been indicated with in a period of twenty years

The author claims that he has attempted a difficult task to study the transformation of a social problem in to a sociological problem and student radicalism and its social concomitants as a sociological problem. Obviously It has been judged that he could succeeded in doing so because the social and political milieu of the author and the students was conducive for this kind of study. But these findings may not suit for other regions as the author himself admitted the cultural specificity and historic specificity of radicalism. Therefore, the book offers lot of scope to explore the actual comparison with the students from the other regions of our country. These regions are North, South, Middle and West India, to be studied on the issue of student radicalism.

Gender Discrimination and Harassment of Women at Workplace,

Veena Dwivedi and Avnish Nagar (Ed.),

Himanshu Publications, Udaipur; pp 467; Rs. 1295.00 (hb), ISBN 978-81-7906-518-1

Reviewed by Kirti Rajimwale

Retd. Professor and Head of Department of Sociology, Jai Narain Vyas University, Jodhpur.

Harassment of women is a subtle and finely honed form of offensive targeting women with a view to rob them of their confidence, personal dignity and peace of mind. It is also one of the newest forms of gender discrimination which articulates itself in multifarious ways. In recent times much of academic attention and time has been focused on this issue in numerous studies and fora. In fact it has become such an integral part of any social debate that no cultural or social problem can be understood without taking into account the status and role of women. The book entitled Gender Discrimination and Harassment of Women at Workplace, edited by Dr Veena Dwivedi and Dr Avnish Nagar, both faculty in J.R.N. Rajasthan Vidyapeeth (Deemed) University, Udaipur, contains about fifty papers on various aspects of this major issue. Though a majority of them are in English, a section at the end of the book offers nine papers in Hindi. The range of topics addressed by the authors is comprehensive, touching such concerns as occupational safety, women's movement in India, economic development, education at different levels, legal perspective, different types of workplaces and related forms of sexual harassment, women's health problems, work

culture at corporate sector, and so on. Backed with statistical figures and relevant data, a majority of papers reveal with candid confidence issues of gender imbalance in most of the sectors, though recent crop of laws and regulations seek to correct it.

That with advancements gained in society exploitative mechanics also sharpened forms of discrimination through various means, is brought to the fore by the breadth of concerns analyzed here. Papers of Dr S.K. Mishra, Dr Prabhleen Kaur, Dr Raj Bhandi, Dr Anand Kumar Tripathi, and a few others discuss various legal provisions formulated on national and international platforms at different points of time in order to check discriminatory measures in women's personal and professional domains. It is interesting that while, on the one hand acts like the Sexual Harassment of Women at Workplace (2013), Supreme Court of India's Vishakha ruling (1997), Title VII of the Civil Rights Act of 1964 at the national, and ILO's Discrimination Convention (1958), ILO Committee on Gender Equality (2000), Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW) at international level, typify the concerted efforts to contain forces of violence against women by putting it at par with violation of human rights, on the other numerous case studies show that there has been a rise in incidences of violence against women, most of which go unrecorded and unreported. Dr Manjumohan Mukherjee has made it clear that discrimination against women at workplace has unambiguously been defined by the regulations mentioned above. The complexity of the problem is also suggested by the author by stating that “woman believe that her resistance to sexual harassment would cause disadvantage to her in connection with her employment, including recruitment or promotion” (6), which is echoed in the papers of Dr Ankur Saxena and Dr Nivedita Swain.

Making use of the concept of “glass ceiling barrier”, (a term coined by Katherine Lawrence and Marianne Schreiber in 1979), which denotes the invisible barrier from where women “can see elite positions but cannot reach them” (220), the authors lay it down that particularly in corporate establishments, this subtle form of disadvantage is created to “prevent women from advancing within their jobs or receiving promotions. These barriers exist in spite of the achievements or qualifications of the women and still exist when other characteristics that are job-relevant such as experience, education and abilities are controlled for. The inequality effects of the glass ceiling are more prevalent within higher-powered occupations” (221-2). This suggests attitudinal problem which male psyche has not been able to overcome. Dr Vinay Suhalka's paper, “Managing Work and Home: Doubly Burdened Indian Woman?” brings this concern centre-stage. It is argued here that family itself turns in to a site of harassment which as an institution is “never conceptualized without the men as the head of the family. Therefore, the family becomes an instrument of women's domination and control. So even if a family does allow the women to work outside the home, she is still expected according to the patriarchal virtues to 'fall in line' at home and perform her duties as a house wife as well” (233-4). What is brought out is that changes in economic or material conditions are not enough; the deeply entrenched notions of woman's vulnerability as 'weaker sex' and the age-old stereotype as a caring and child-rearing entity continues to guide male behavior. Dr Renu Yadav's paper also expands this idea, clearly stating that 'in society women are not regarded and recognized as the 'karta' of home and their place is always subjugated to men employment” (241). It is from this basic position which has the support of traditionalist standpoint, men arrogate upon themselves the role of dominant entity. We still use the defining term “head of the family” to denote the status that a father or a husband

commands in family. That sexual harassment at bottom aims at exercising social control in order to contain and disable women both in public space and within family has been highlighted by most of the authors. This is an important point, for it corrects the erroneous notion that, in general, harassing women springs out of prankish, fun-loving prurient proclivities. Related to this is the point that there has been a striking increase in the occurrence of sexual harassment in society in general which is co-terminus with the increasing empowerment of women. Many scholars have confirmed that when the percentage of women employed in organized sector was low, the incidence of workplace harassment was also low; with sudden rise in the percentage of women employees and their remarkable success graph in diverse fields, the incidents of crime against them have also shown upward jump. One of the major aims of sexual harassment or discrimination is to unsettle them mentally so as to adversely affect their work efficiency. Particularly informative in this respect are the studies presented by Dr Aarti Yadav, Dr Jayalaxmi Rajsekhar and Dr Lalaram Jat (in Hindi), who point out that though the workstyles of men and women differ, the root being differing emphasis given by them to the basic values, women have shown greater sincerity to handling their job with more compassion and sensitivity.

They reiterate that social values like 'benevolence' and 'universalism' are stronger in women than men. It is further seen that women leaders in legislative bodies or corporate boards “ advocate for changes that promote public welfare, show greater concern with the welfare of employees and their families and support ethical business practices” (215). The corporate establishments appear to be in a dilemma, for, their goal being enhancement of their business profits, they have demonstrated greater liberality than any other organization in recruiting qualified women employees at different positions; but at the same time there is that “glass ceiling barrier” phenomenon which prevents them from going higher than what the male-dominated Board of Directors want.

A majority of papers published in this book devote considerable space for describing what constitutes “sexual harassment”, a necessary step in order to clear confusion in general readers' mind. It has also been asserted that this in India is a post-1990 phenomenon when the forces of economic liberalization were set free in order to boost the sagging condition of the country's economy. Economic liberalization resulted in cultural and social liberalization, involving the traditional constraints within which women work, giving way to different sets of roles and different constraints. The inevitable conflict between traditional-conservative forces deeply embedded in our social psyche and nascent neo-liberal, democratically inclined tendencies resulted in deepening hostility towards women and marginalized classes. This point has been raised in Dr Manjumohan Mukherjee, Veena Dwivedi, Rajshree Choudhary, etc. Extending the range of discussion, some scholars have taken up topics like “Gender & Occupational Safety and Health” (Krushnapriya Sahoo and Gaytri Tiwari); “ Gender and Development Policy” (Jyoti Gautam); “ Female Leadership and Inequality at Top Managerial Positions” (Aarti Yadav); “ Gender and Mental Health (Mustafa Nadeem Kirmani and Preeti Sharma), and others. This shows that forms of gender discrimination are fast changing, multiplying and becoming more nuanced. Legal protection in that sense appears in adequate, though the role of the UNO and ILO and various world conventions at international level and numerous legislations at national level has been fairly effective. However, as most of the scholars argue, more serious is the problem of effective

implementation of these regulations, for it has been evident that at a number of workplaces where men outnumber women there is seen either extraordinary lethargy or unwillingness in setting up proper redressal bodies or mechanism that would take up women's complaints and at the same time make them feel safe.

This book can easily be counted among those few anthologies where a broad range of topics concerning gender discrimination and harassment of women problem has been taken up for serious discussion. The papers are of mixed nature, holding appeal for both lay readers and specialized scholars. They are not heavily laden with complex statistical data, though many papers use them liberally to support the author's points.

However, the difficulties in the use of English language are very much seen in the recurrence of grammatical and spelling errors. Constructions like “women does not constitute” (241); “one percent of complaints are false” (7); “office work not just drenches the women physically” (235); “Article 15 (B) provides that the state to make any special promise in favour of women....” (53); “according to the Supreme Court's Order in India is any unwelcome” (3); “dual role of workplace and home” (29); “unconscious biasness” (29), etc. suggest the need of greater caution in preparing a book. Besides, at least in one paper paragraphs are repeated ditto at two or three places. What, however, makes reading a jarring experience is the sloppy and injudicious use of the definite article “the”. The title of one paper “Are Workplace Safe for Women...” contains the error of omitting plural form of “place” when “Are” is used as verb. Obviously these lapses escaped the notice of the editors. Notwithstanding these weak spots, the significance of this nicely prepared book in offering a collection of insightful studies on diverse aspects of gender discrimination and sexual harassment remains undiminished.

Teachers in the Making : (A study of Profession in Education)

Shruti Tandon

Classical Publishing Company, New Delhi, 2016, 192, Rs. 500. ISBN 978-81-7054-744-0

Reviewer - Deepa Mathur

Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur

deepa-uor@gmail.com

The present book is based on the research work carried out by the author to know, understand and introspect into some of the important issues and dimensions of training programme of student-teachers. According to the author despite increasing dominance of technological and electronic gadgetry, the classroom teaching continues to be pivotal to education in our times. The special importance of teaching profession lies in the fact that it not only prepares individuals to adapt to social change, but also develops the changing human nature. It seeks and inculcates truth, emphasizing its personal and social values. With the increasing knowledge of child psychology and development in the science of pedagogy, teaching, especially school teaching, is now being recognized as an experts job for which a sound programme is essential.

The author has attempted to understand the professional orientation, aspiration pattern and professional socialization of prospective teachers. Originally written as a Ph.D. thesis, this book attempts to explore the extent to which the prospective teachers have been able to internalize their role-set and take proper decisions about their future plans.

The book is planned into six chapters, apart from the last chapter, which presents a brief summation. The first chapter deals at length with the theoretical dimensions of the Sociology of Profession and how the study of profession has evolved as a specialized field of sociological inquiry in India since the turn of the sixties. The author elaborates the Profession of Teaching and outlines the importance of Teacher Education. The cognitive, normative and evaluative aspects of professions are dealt with at length in this chapter.

The second chapter brings out the social background of student-teachers. With the help of tabulation, various dimensions of the respondents such as age, birth place, rearing place, religion, caste, mother tongue, marital status, education, occupation etc. have been presented. Inter generational occupational mobility, access and use of media and social media has also been highlighted.

In the third chapter professional aspiration pattern of student-teacher have been examined. An important area of study in study of professions. Career pattern includes the occupational choice – the socio psychological factors which motivate the individual to choose and enter a particular profession. In every society, each occupation has its own social and economic prestige though not always in consonance.

It is concluded here that medical profession, university teaching and administrative services are such jobs which are considered socially and economically prestigious in society. However acceptance of real-life situations, school teaching was opted as a career.

The fourth chapter deals with the professional socialization of student-teachers. Professional socialization is one of the most important attribute of profession. Every profession determines its own standard of education and training. The present chapter shows that professional socialization is dependent on multiple factors ranging from learning process to environment of college.

The fifth chapter focuses on the Role-set of Student-Teachers. As a person is socialized in a role, he leaves its cultural content and he also acquires self-identification with the role, which leads him to internalize certain values and goals. This chapter deals with the role of prospective teachers. It studies the role-relationship between student-teachers and their teachers, and also intra-students relationship.

The sixth chapter focuses on the future plans of Student-Teachers. The author distinguishes between primary socialization in early childhood and secondary socialization into an adult-role or professional socialization. In this chapter it was discussed what the respondent student-teachers thought about their future in teaching profession. Matrimony, geographical mobility and priorities in job selection have been discussed. The broad conclusions of the study have been in the last chapter.

The book is an ardent attempt to understand the factors that influence teaching as a career choice and those factors that help in shaping the career graph of a professional teacher. The book is a significant contribution in the field of study of professions.

However the scope of the work remains restrictive in the sense that the trials and tribulations of the teachers in everyday situations have been ignored. Similarly there is no reference to the educational policy especially in comparison to developed counters, where teaching profession is seen with utmost respect and occupies an elated status.

The bibliography is extensive and has taken into account the range of studies on the subject and covered most of the important literature. The book is affordable and concise. It would prove to be useful as study material in the theme of sociology of professions.

The Quest of Indian Sociology- Radhakamal Mukerjee and Our Times

Manish Thakur

2014, Publisher: Indian Institute of Advanced study, Shimla, 205 pp, ISBN-10: 0470095229

Reviewer - Monica Rao

Dept of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan.

raodrmonica@gmail.com

This book is about unfolding Radhakamal Mukerjee's contributions to sociology. It is an analytical reading for those who are interested to know about the well composed history of ideas of Indian sociology.

This book is divided into seven chapters. The book on Mukerjee's endeavours covers specific areas of his contributions such as the idea of Indian Sociology, the politics of disciplinary amnesia, the comparative framing of the ideas of East and West, Western modernity and the ambivalence of the Indian minds, ethnocentrism and the quest for an indigenous social science.

The author admits that coverage of the entire work of Mukerjee's comparative framing of east and west and his overall approach toward social sciences are needed large canvas and volumes than a book. Efforts also have been made to show the neglected areas where Mukerjee's work is not given his proper dues.

Though, Radhakamal Mukerjee's insight befitted around the general theory of society. Having received initial training in economics, Mukerjee began with a series of micro-level analyses for instance ideas on Social Psychology, Inter-caste Tensions, The Social Function of Art, The Dimensions of Human Values, The Destiny of Civilization, The Oneness of Mankind which are not being covered at length in this book.

Author used the first part of the book as intent to highlight ideas of Radhakamal Mukerjee and successfully done it by acknowledging exclusively his contribution to the sociology. The first chapter is devoted to the expression of R K Mukerjee's way of looking at alternative framework of ideas.

Further, Manish Thakur has built a description to understand the rationality of point of view of R.K. Mukerjee without imposing the present framework of questions and context. Thakur attempts to explore Mukerjee's distinctive issues and evident inclination towards indigenous cultural concepts and foundational assumptions addressing modern secular knowledge and national sociological traditions is a treat for a reader.

Chapter three of the book addresses ignorance of Radhakamal Mukerjee's work in the field of sociology. The past scholarly work of Mukerjee in India too faced politics of disciplinary amnesia which articulated by Thakur in a very efficient and orderly manner with significant remarks by the stalwarts of Indian sociology.

The book also critically examines the emphasis on Mukerjee on the Indigenous response to the category and structures of ideas inherent from the west highlighting his power of synthesizing.

Chapter four Socializing Economics deliberates on issues like the foundations of Indian economics, the land problems of India, regional sociology, the institutional theory of economics, Indian working class, and social ecology. Author also emphasises very skilfully

the reservations about Mukerjee on the issue of compartmentalization of social sciences.

In chapter five 'The East and the West: Comparative Framing' the author has done full justice on his part while focusing on Mukerjee's solution to the question 'how to bridge the gap between Indian and western ideology about Indian society?' Thakur noted that Mukerjee was not consistent with the use of terms such as Eastern, Asian, Indian, Oriental rather at times he uses words like India, China and the West.

Chapter six of this book throws light upon the evolution, powers, functions and critical analysis of Indian mind in reference to western modernity. Moreover author made an honest effort of highlighting the existence and role of the practise of sociology in India, Indian way of looking at things and creation of knowledge.

Efforts are also being made in final chapter to work in sink to promote understanding and synergy between ethnocentrism and the quest for an Indigenous social science and plural set up of Indian society. Manish Thakur provides insights of both the side of R. K. Mukerjee's life, about the career trajectories and also relevance of his questions and academic practices. The strength of this book is in summarizing Mukerjee's ideas of sociology as universal social science. I think message and narration of this book to the reader is rewarding. The title of the book 'The quest of Indian Sociology- Radhakamal Mukerjee and Our Times' justifies its sense to an extent but, requires background of the then contextual writing on Indian sociology.

The holistic attempts, thoughtful satire and comparisons make the book comprehensive. Finally the book creates fine tune balance between present and past ideas and evolution of Sociology in India.

Sociology and History: Dialogues towards Integration

A.M. Shah.

254pp. New Delhi: Orient Blackswan, 2016. Rs.625 (hb.). ISBN-978-81-250-60-13-0.

Reviewer - Karunakar Singh

Department of Sociology, University of Rajasthan, Jaipur,
singhkk11@gmail.com

The book under review is a collection of 11 essays and 3 notes authored by Prof. A.M. Shah and published in various journals and symposia from 1958-2014. The book primarily captures the varied aspects of Indian society viewed in the context of history, works towards the integration of the study of history and sociology and brings forward their intrinsic importance that compliments each other.

Shah very beautifully presents the journey of the relationship of history and sociology. Starting from the days where sociology was read as a part of history and moving to pseudo history based on circumstantial evidence in the form of Evolutionism and Diffusionism to modern times where idea of combining knowledge of past with that of present in understanding of Indian society has stimulated different kinds of researches. Most interesting feature of his book is throwing up some open ended questions leading to a thought provoking academics. Referring to Indian Sociologist he asked that Spencer's name is associated with theory of Social Evolution then why Revolutionary movements in India quoted Spencer and not Marx who was supporter of revolutionary methods. These questions take the readers to revisit their sociological knowledge from the historical perspective.

Another major attraction of the book is the way Shah attempts to deflate some popular myths like "Indians didn't have a historical consciousness" and "Self-sufficiency of Indian villages". This provides a refreshing and befitting academic framework to those who want to pursue the intellectual pleasure on the sound ground of past analysed with reasoning. His minute observations through the mirror of history make his book an interesting reading. For example he argues that concept and terms of Mughal administration had persisted in 18th century though the administrative system as such had not persisted. At one place he mentions how TIS seems to have created consciousness about sociology among at least handful intelligentsia in India during the early part of 20th century. This kind of surprising observation further adds the research fervour in the reading.

Apart from giving a wholesome picture of sociology the volume is enhanced by a Forward by Prof. M. N. Srinivas. His forward very well explains how this book will leave a real imprint on the minds of readers. Thapar's reply to the issues raised by Shah leaves readers with some understanding of the complexities we have to face while pursuing the integration of history and sociology. In all, Shah has appropriately chosen the articles and points of intellect with forwards and responses that will help this book stand in the first line of academics.

As a student A.M. Shah's academic engagement with both Sociology and History shaped almost all of his writings. This enabled him to grasp how the intellectual processes of writing sociology and history is fundamentally are the same. Drawing heavily on empirical evidences from his field visits Shah emphasizes how historical records and sociological studies compliment and enrich each other. He proceeds to discuss that to know a society's past gives a deeper understanding of the nature of its social life at present time. Shah further argues that this influence is not one way. In fact a thorough understanding of present frequently sheds light on the past. He highlights how accuracy and richness of data collected by field anthropologists can increase our understanding of similar processes in the past and ascertain the ambiguous points of history.

Though the fine intellect of Shah, his rigorous field work and historical perspective brings appealing, creative, thought provoking testimony to the great influence that history commands in contemporary sociological studies, Shah comes to recognise the difficulties in its way. He critically and extensively deals with the crucial problem of lack of historical data from sociological perspective and puts forward the viable answer for this problem in the form of hitherto ignored local level historical records like Jarifno Chopdo, remarks of land surveyor, Kalambandhi Books of Taluka Office, commercial correspondence and account books of local merchants, records of caste panchayats etc. which can help us in revisiting the history with fresh sociological perspective. Thus he calls for serious sociological treatment of history for sound sociology. For social history one must work on archives in the local language. These local languages have the store house of what we call history of people.

He argues that if we want to study contemporary India either from the angle of structure or of change it requires an adequate understanding of Indian history. He says that every society has a historical consciousness. We only have to identify the pattern of historical consciousness. So when people themselves have historical consciousness the sociologist studying them can ill afford to be well versed with history. So as the name suggests the book fully justifies the title by integrating the sociology and history and helping in realising its essentiality in perfect understanding of the subject by covering all major issues related to it.

To sum up this book forces the readers to revisit the perspective of studying Sociology by providing a holistic and rational approach by throwing away the conventional outlook.

Shah's book will prove a fresh guide to the young sociologists in pursuing their academic discourse. So this book should be a high reading priority for any scholar who is interested in serious study of sociology and I am sure that it would prove to be one of the most incisive reading and learning experience for the readers.

Socio Economic Development of Dalit in 21st Century

Satyaveer Singh

RBSA Publishers, Jaipur, 2013, pp. 269, Rs. 900, ISBN: 978-81-7611-660-2.

Reviewer - Anju Beniwal

Dept. of Sociology, Govt. Meera Girls P G Girls Cllege, Udaipur,

anju.beniwaljdpr@gmail.com

This is a book about the Dalits who are subject to untouchability and other forms of discriminations. Despite of growing consciousness among the Dalits, there is a need of government help for increasing inclusive growth of this most oppressed section of society. Still there is caste based discrimination in Hindu society. This book is concerned with the increasingly important aspects of Dalit along with liberation and human rights movements in and outside the country.

The content of this book is divided into eight chapters. The chapter one is all about the introduction of Dalits. In this chapter he focus his views on Atrocities, untouchability, discrimination, it also focus on Dalit freedom fund, social and economic conditions of Dalit women and Dalit movements. This chapter has attempted to give agenda for the 21st century to ensure that each Dalit will own enough cultivatable land for socio-economic well being.

Second chapter "Development in Dalit Communities" deals with the corner stones of Dalit development strategies, position of Dalit women in rural society, Dalit development through media. This chapter deals with the basic problems of Dalits and role of various strategies and media in the development of Dalits.

Third chapter –"Dalit Development and Caste System in India" gives a brief description about the history of education based development programmes, ancient and contemporary caste system along with historical and contemporary criticism on national and international level. Ensuring access to education for the Dalits of India has been the greatest challenge for the government in diminishing the social effects of the caste system. So, this chapter will help in clearing a picture of real state of Dalits on education level.

Chapter four-"Dalit and Human Rights" provides a wider question of social status of Dalits and their Human Rights. This Chapter also documents routine violations of Dalits right to life and security of person through state sponsored or sanctioned acts of violence, including torture.

Chapter five deals with "Untouchable Politics" is concerned with the increasingly important aspects such as untouchable politics during the era of Congress dominance, Ambedkars vision on Dalits, New Dalit politics of North India, Kanshi Ram and Mayawati in Government and the surprising durability of the Bahujana Samaj Party. This chapter shows that there is a great change in the politics of untouchables is that over large parts of India they can no longer be taken for granted a dumb vote bank. They have begun to shape their own politics.

Chapter six discuss on “Dalit Reservation in India” analysis the background of Caste based reservation, beneficiary groups of the reservation system and history of the reservation system. This chapter concludes that may be some day in future reservations will be based solely on the community's impoverishment, but until then caste based reservation seems to be perfectly justified and demandable.

Chapter seven covers the “Indian Caste Politics in 21st Century.” Author tried to discuss the Caste in Indian society and Caste politics in elections. This chapter concludes that the future of democracy and the system of parties in this country depends upon the willingness of the society to change according to the demands of democracy. Caste has polarized the national politics and caste politics breed caste parties.

In the last chapter –“Impact of Economic Reforms on Dalit” author highlighted the major impact of the reforms on poor, inflation, employment and reservation. He cleared that the reform package has already endangered, if not abolished, the reservations through back doors. The Book thus carry the diverse aspects of Dalits and their place in Indian economy, society and politics. This is quite comprehensive book on these aspects. The book is useful for those who are interested in studying social inequality excluded and the lower states persons in stratification of Indian society. The book may be a good addition to literature on social equality, social movement and Dalits.

This book successfully got their objective to describe about the Dalits that are subject to untouchability and other forms of discrimination. This content is good for policy makers, research scholars and for teachers.

विकास, विस्थापन एवं पुनर्वास

राजू सिंह,

रावत, जयपुर, 2016, 223 पृष्ठ, मूल्य 620 रुपये, ISBN-978.81.316.0732.9

समीक्षक : सी.एल. शर्मा

पूर्व आचार्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

समीक्षित पुस्तक राजू सिंह के पीएच.डी. शोध प्रबन्ध का संशोधित एवं परिष्कृत स्वरूप है। यह पुस्तक नगरीय समाजशास्त्र के लिये एक श्रेष्ठ योगदान है जो नगरीय विकास के विविध परिणामों की व्याख्या करती है। नगरीय विस्तार के लिये विकास को आवश्यक माना जाता है किन्तु उसके परिणामस्वरूप कई लोग विस्थापित होते हैं। उनमें से कुछ का तो पुनर्वास हो जाता है किन्तु कई लोगों की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। विस्तृत स्तर पर आनुभविक अध्ययन करके यह पुस्तक रची गई है, जो संरचनात्मक—प्रकार्यात्मक उपागम पर आधारित है।

पुस्तक में विकास की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। पुस्तक में शोध समस्या, प्राक्कल्पनात्मक मॉडल, प्रयुक्त लैटिन वर्ग के प्रारूप की विस्तृत विवेचना की गई है। विस्थापितों के सामाजिक—सांस्कृतिक एवं जनांकिकीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए लिफ्ट के पैमाने के तीव्रता योग मापक पद्धति का प्रयोग किया गया है। व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, परिवार की प्रकृति, आवास, मनोरंजन के साधनों, शौचालय एवं स्नान घर और रसोई घर की विस्थापन से पूर्व एवं विस्थापन के पश्चात् की स्थिति को स्पष्ट किया गया। प्राप्त तथ्यों के अनुसार विस्थापन के फलस्वरूप विस्थापितों की सामाजिक—आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। विस्थापन से प्रभावित सर्वाधिक लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। विस्थापन से पूर्व 33 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं कृषि कार्य करते थे,

विस्थापन के उपरान्त इनमें से कई कृषि मजदूर बन गए। विस्थापन से पूर्व एकाकी परिवार 67 प्रतिशत थे, विस्थापन के पश्चात् ये 75 प्रतिशत हो गए।

पुस्तक में भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। प्राप्त मुआवजा राशि के उपयोग की स्थिति को दर्शाया गया है। विस्थापन से विस्थापितों को होने वाली समस्याओं एवं प्रभावों का उल्लेख भी किया गया है। विस्थापित लोगों में विस्थापन से आने वाले जनांकिकीय परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है। विस्थापन से विस्थापितों की प्रजननता, मृत्यु एवं प्रवास की स्थिति प्रभावित होती है, इन जनांकिकीय आयामों का व्यष्टि जनांकिकीय के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत उल्लेख किया गया है। व्यष्टि जनांकिकीय परिप्रेक्ष्य में विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अध्ययन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण शोध है। उदयपुर की कुल प्रजननता दर 4.2 है, जबकि विस्थापितों की कुल प्रजननता दर 3.04 है जो प्रजनन दर में कमी को दर्शाता है।

विस्थापन से होने वाले प्रभावों को स्पष्ट करने एवं शोध की गहनता के लिए 20 वैयक्तिक अध्ययन भी किए गए हैं। जिनसे नगरीय विस्थापित परिवारों पर भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से होने वाले प्रभावों की जानकारी मिलती है। छः प्रमुख ऐजेन्सियों द्वारा विस्थापन से परिवार, वैवाहिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों, सामाजिक-आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाया गया है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया गया है।

निष्कर्षतः विस्थापन जनित दरिद्रीकरण के मॉडल एवं विकास, विस्थापन एवं जनांकिकीय प्रक्रियाओं में समस्याओं को भी मॉडल के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। विस्थापितों के सामाजिक-आर्थिक एवं जनांकिकीय अनुमापों में विस्थापन से पूर्व एवं उपरान्त आने वाले परिवर्तनों को मानक विचलन माध्य अन्तर से स्पष्ट किया गया है।

नगरीय विकास से हुए विस्थापन से कई संयुक्त परिवार टूट जाते हैं तथा सामाजिक तानाबाना प्रभावित होता है। सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ-साथ लोगों का धार्मिक जीवन भी प्रभावित होता है। विस्थापन से व्यवसाय परिवर्तित होते हैं। कृषि व्यवसाय करने वाले मजदूरी करने लग जाते हैं। भूमि अधिग्रहण से महिलाओं का व्यवसाय भी परिवर्तित होता है। विस्थापन से विस्थापितों की जनांकिकीय प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। प्रजननता, मृत्युक्रम, प्रवास, रूग्णता दर, एवं विवाह दर प्रभावित होती है। भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन से व्यक्ति की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। पर्याप्त मुआवजे के अभाव में व्यक्ति का सही पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नहीं हो पाता है। विस्थापितों की प्रमुख समस्या उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की है। आर्थिक अवनति के साथ-साथ उनकी मानसिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक क्षति होती है। विस्थापन से गमनागमन एवं प्रवास में वृद्धि होती है। विस्थापन से शिशु, विधवा एवं विधुर भी प्रभावित होते हैं। बच्चों की शिक्षा में बाधाएं आती हैं। मुआवजे का बंटवारा, विघटन की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। वृद्धों के लिये अकेलेपन की परिस्थितियां पनपती हैं। परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। प्राप्त मुआवजा राशि का उपयोग मद्यपान एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में और कई बार ऋण चुकाने में ही हो जाता है, जिससे पारिवारिक संकट बढ़ जाता है।

सामान्यतः भारतीय समाज की विकास प्रक्रियाओं में विस्थापन भी उसका अंग बन गया है। नगरीय विकास की प्रक्रियाओं में आस-पास की खेती की भूमि प्रभावित होती है और उसके स्थान पर विशाल भवन निर्मित होते हैं। उस भूमि पर रहने वालों का स्थायित्व छिन जाता है और वे विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापन के अपने कष्ट है, जिनकी व्याख्या और समीक्षा इस पुस्तक में की गई है।

लेखक की मान्यता है कि विस्थापन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की सभी समस्याएं विकास के वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में देखी जा सकती हैं जिसमें समाज के गरीब एवं अक्षम वर्गों की पीड़ाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप पूरा ध्यान परियोजनाओं की आर्थिक निरंतरता पर केन्द्रित होकर रह

गया है। देश में विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की नीति एवं कानून में कई कमियां हैं जिन्हें दूर करने की महत्ती आवश्यकता है। नगरीय संदर्भ में विकास की नीतियों में उदारीकरण ने उद्यमियों के लाभ के एवज में सामान्य जन के और विशेष रूप से गरीबों और महिलाओं के हितों को त्यागने की प्रक्रिया को और भी गहरा कर दिया है। इस प्रक्रिया को परिवर्तित किये बिना राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता। आर्थिक लाभ की संकीर्ण चिन्ताओं को मानव जीवन में गुणात्मक सुधार के लिये परिवर्तित करना ही होगा। विस्थापन के साथ-साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर विस्थापितों का पुनर्वास करने की आवश्यकता है। अंतिम अध्याय में जनांकिकी प्रक्रियाओं की सैद्धांतिक व्याख्या की गई है, जो शोधकर्ताओं एवं नीतिनिर्धारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक की भाषा शैली श्रेष्ठ है। पुस्तक का आवरण एवं सम्पादन सराहनीय है। नगरीय विस्तार के कारण जो परिवार विस्थापित होकर गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर पहुंचते हैं, उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उचित योजनाएं बनाकर उन्हें नगरीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों में इस पुस्तक के निष्कर्षों को आधार बनाया जा सकता है। आजकल भूमि अधिग्रहण राजनीतिक दृष्टि का विषय है। इसे लेकर कई सामाजिक आन्दोलन भी हुए हैं। इस परिस्थिति में यह पुस्तक नीति निर्धारण में सहयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन समाजशास्त्रीय सैद्धान्तिक स्तर पर इस विषय पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

‘बकर साहित्य’ में जीवन-जगत, बकर पुराण,

अजीत भारती

नयी दिल्ली: हिंदी-युग्म, 176 pp., 125/ Rs. 2016, ISBN 978-93-84419-37-0

समीक्षक—त्रिभू नाथ दुबे

व्यख्याता—समाजशास्त्र, जा.दे.ब. राज. कन्या महाविद्यालय, कोटा

tribhunath@gmail-com

समीक्षित पुस्तक इस वर्ष की एक रोचक साहित्यिक रचना है। यह गुदगुदी भी करती है और विचारोत्तेजक भी है। बैचलर व्यंग्य के रूप में यह न केवल आज के समाज के युवा वर्ग के एक हिस्से, जो कि कई अर्थों में आज के समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, के जीवन पर कटाक्ष करने के साथ वर्तमान जीवन के खालीपन और हास्यास्पद स्थितियों पर चोट भी करती है।

कृति का नाम ही इसकी उपादेयता को सटीकता से स्पष्ट करता है। कहने को तो यह *बकर साहित्य* है। ‘बकर’ यानि बकरे की में-में...निस्सार अर्थहीन बतकही...अश्लील फूहड़ कथोपकथन...या निर्लज्ज प्रेमातुर युवाओं का आपसी बक-बक। जो भी कहें पर पौराणिकता का गुण समेटने की ज़िद लिए हुए। यहां पौराणिकता से तात्पर्य उस धार्मिक-मिथकीय पुरा-साहित्य के शाब्दिक अर्थ से नहीं है अपितु उनमें निहित जीवनानुभवों से है। यद्यपि लेखक ने कुछ जगहों पर आज की जीवन परिस्थितियों को रचनात्मक रूप से बुद्ध-आनंद संवाद और यक्ष-युद्धिष्ठिर संवाद के रूप में भी प्रस्तुत किया है जो कुछ असुविधाजनक प्रश्नों से हमारी मुठभेड़ भी कराता है।

शायद कुछ लोग इस पुस्तक की साहित्यिकता पर संदेह करें। समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते साहित्यिकता की पड़ताल करने की जिम्मेदारी हमें साहित्य के आलोचकों पर ही छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए तो यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज की तरह है।

‘लोकपद्धतिशास्त्र’ की दृष्टि में दैनंदिन के सामान्य व्यवहार में सामाजिक यथार्थ का जिस प्रकार आकलन होता है या ‘प्रघटनाशास्त्रीय चिंतन’ में प्रतिदिन का ‘जीवन-जगत’ जिन अर्थों और अनुभवों से बनता है, उसका स्पष्ट अनुभव आपको यहां होगा। इस रूप में हम देखें तो लोकरंजक कृति होने के साथ-साथ यह हमारा ध्यान इस बात की ओर खींचती है कि:

“हम फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और स्कूलों, कालेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा बनते हैं लेकिन इन सब से अलग-थलग हमारी बातचीत होती है, जिसमें व्याकरण और अभिजात्यता नहीं होती। फिल्म, गीत और साहित्य की भाषा ऐसी है जो हमारी बोलचाल में खास जगहों पर ही निकल कर आती है।

लेकिन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। फिर यह दर्पण हमारी बातचीत में आनेवाली मधुरता, हास्य, कटाक्ष और उलूल-जुलूल शब्दों का रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखाता?.....[यह], बकर साहित्य.... सड़क के पास के चाय की दुकानों, गोलगप्पे के ठेलों, स्कूल-कॉलेज के होस्टलों से होते हुए बैचलर लॉडों के उस कमरे पर पहुंचता है जहां गालिब हैं, मोमिन हैं, ट्रॉटवस्की हैं, आंद्रे ब्रेतां हैं और कॉस्मोपोलिटन का पुराना-सा इशू भी गर्लफ्रेंड के साथ चादर खरीदने बहुत लोग गए होंगे, लेकिन लिखा किसी ने नहीं।...सलमान रश्दी साहब भी... लिखेंगे नहीं [इस तरह], का ब्यौरा, किसी मुकित्बोध, प्रेमचंद या राजेन्द्र यादव ने नहीं लिखा। वो किसी 'सरस्वती प्रेस' से निकले हंस में नहीं आईकिसी हजारीप्रसाद द्विवेदी के हास्य-व्यंग्य में नहीं दिखी....क्यों? ...ये बहुत ही रोजमर्रा की बातें हैं? बकर साहित्य उस रोजमर्रा को सहेज रहा है।”

अनकहे के इस कथन के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है। कह सकते हैं कि समाजशास्त्री के रूप में एथनोग्राफी (नृजातिवर्णन) लिखना हम लगभग भूल गए हैं। यह पुस्तक सरसता और लालित्य के साथ हमें उसकी याद भी दिलाती है और जो प्रकट किया है, उस पर विचार करने के लिए अवसर भी देती है।

महानगरीय या नगरीय युवाओं के जीवन को किस कदर सामाजिक मीडिया, इन्टरनेट प्रभावित कर रहे हैं। जीविका संघर्ष और फ्रस्ट्रेशन में भी हास्य और विनोद के क्षण के रसमय संस्मरणों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ अपनी पहचान की रक्षा के प्रति सचेष्ट प्रयास को भी यह बखूबी रेखांकित करती है।

इस लिहाज से पुस्तक के ये संस्मरणात्मक व्यंग्य 'आम आदमी जब सिनेमा जाता है', 'गर्लफ्रेंड और चादर की खरीददारी', 'बैचलर लॉडों का पार्टी प्रिपेरेशन', 'टूथपेस्ट कथा', 'यार सेटिंग करवा दो किसी से', 'माता का जगराता-दिल्ली से लाइव', 'मकर संक्रांति और दही-चुड़ा का आनंद', 'वैलेंटाइन वीक' (क्युटियापा सप्ताह) आदि महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भाषा और उसके व्याकरण को नये सिरे से गढ़ा गया है। यह एक नयी भाषा है। आज के युवा की भाषा। बोझिल नहीं सरस जो हिंगलिश से परहेज नहीं करती। अपनी बात को व्यक्त करने के लिए अपने ठेठपन का भरपूर सहारा लेती है। मानकों से बेफिक्र। अपने जोश और धुन में अपने को व्यक्त करने के लिए निर्बाध उत्सुक और प्रस्तुत।

इसी वर्ष प्रकाशित और प्रशंसित-चर्चित *कोठागोई* और *इश्कियापा* की भाषा भी ऐसी ही है। यह अनायास नहीं है। यह इस बात का प्रमाण भी हो सकता है कि समय के अनुरूप भाषा भी अपनी केंचुल बदल रही है। क्या यह जीवन के ज्यादा नजदीक भाषा है जो एक जरूरी कनेक्ट पैदा करती है? तभी तो शायद आज जब पढ़ना-पढ़ाना गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है तो भी यह पुस्तक इस वर्ष जनवरी में पहली बार छपने के बाद इसी वर्ष फरवरी में ही दूसरी बार और मई में तीसरी बार छप चुकी। यानि यह खूब पढ़ी जा रही है।

निस्संदेह, साहित्य की दुनिया में एक नयी जमीन तलाशती, ठौर बनाती यह कृति भाषाई, समसामयिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण और पठनीय है। हमें चिकौटी काटते हुए बरबस यह प्रश्न करती है कि हम समाजशास्त्री अपने 'सब्जेक्ट्स' का, रोचक ना तो न सही, जीवंत वर्णन एक सहभागी निरीक्षक की तरह करना क्यों छोड़ रहे हैं। कठिन है पर सिद्धांत निर्माण की उर्वर भूमि भी तो यही है।

Guidelines For Contributors

Rajasthan Journal of Sociology invites original articles in English or Hindi. The articles should not exceed more than 8000 words and must be typed on one side of paper double spaced with wide margins on all four sides. An abstract and key words must be inserted at the top of the article. Firstly only hard copy be sent, send soft copy only after you are informed about the article. Please also send your Name, Postal address, Mobile No., E-mail Id and a small biographical note on separate paper along with article, also mention LM No. of the association so that all easy communication may be possible.

Only members of Rajasthan Sociological Association need to send the articles. The articles on Rajasthan studies will be preferred. Author's acceptance the contributors will be required to send the soft copy as an email attachment processed in MS Word document format (with body text in Arial font size 12 for English and Kriti Dev 010 size 16 for Hindi). Please follow APA style of writing research papers. In text adopt author, date method of citation (Sharma, 2004) and use standardized formats. Bibliographic details of cited work should be listed under reference as (i) books: name(s) of author(s), year of publication, title of the book (italicised), name of the publisher and place of publication; (ii) chapter in an edited book: name(s) of author(s), year of publication, title of the chapter (within single inverted commas), the name(s) of the editor(s), title of the book (italicised), pp., name of the publisher, place of the publication; (iii) article: name(s) of author(s), year of publication, title of the article (within single inverted commas), name of the journal (italicised), Vol., issue, pp.

Editorial Board has a right to reject or to get revised an article sent for publication. Before publication the articles are sent to reviewers. The decision of publication is based on such reviews.

This Journal is an annual publication. It is published in October every year. The articles for each issue must reach to the Editor by 15th June positively.

The books and articles should be sent to the Editor, Dr. Naresh Kumar Bhargava, 91, Gokul Nagar, Near Bohra Ganesh Temple, udaipur (Raj.)

E-mail : naresh.bhargava@gmail.com.

